गुरुवार, 02 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(21 फरवरी, 2013 ई0)

खण्ड-483
अंक-05

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-11 के उपरान्त डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की रुचि पर तारांकित प्रश्न संख्या-7 लिया गया।

लोकदल के श्री दलवीर सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि यमुना एक्सप्रेस-वे द्वारा किसानों हेतु बनायी गयी सड़कों पर कोई सवारी ठीक से नहीं चल सकती है। वे यमुना एक्सप्रेस-वे पर किसानों से लिये जा रहे टोल टैक्स को फ्री किये जाने की मांग करते हुए फ्लोर पर आ गये, जिन्हें संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वयं उनके स्थान पर पहुंचाया गया। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि नेता लोकदल आप नेता भी हैं और वरिष्ठ भी हैं आपको यह शोभा नहीं देता है, जब आपकी सारी बातें सुनी जाती हैं, तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। इस पर श्री हुकुम सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि वह आपसे मिलना चाहते थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि आज की कार्य-सूची में उनका प्रश्न नत्थी (क) में तारांकित 1 पर लगा है उसे तीसरे गुरुवार के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों में व्यवस्था है कि तारांकित प्रश्न के लिए 20 दिन का समय सरकार को मिलना चाहिए और अल्पसूचित के लिए 7 दिन का समय नियत है। उन्होंने प्रश्न के विषय की महत्ता को देखते हुए उसे लिये जाने की मांग की। इस पर श्री अध्यक्ष ने दिखवा लेने के निदेश दिये।

तदुपरान्त श्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज प्रश्नकाल के समय में 15 मिनट शेष रहने की ओर इंगित करते हुए कहा कि 2 अल्पसूचित प्रश्न एवं 20 तारांकित प्रश्न कार्य-सूची में नहीं लिये गये।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न लगाने की एक प्रक्रिया है और प्रश्न चयनित करके तारांकित बनेगा, अतारांकित बनेगा, परीक्षण के बाद यह कार्य-सूची पर आता है। अब तक जितने प्रश्न आये होंगे उनको नियमों के अन्तर्गत परीक्षित किया जाता है जितने प्रश्न परीक्षित हो जाते हैं उस दिन के लिए जो लग सकते हैं वह लगाये जाते हैं। उन्होंने उसे दिखवा लेने के निर्देश दिए।

आज दिनांक 21-02-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं, जो पढ़ी हुई मानी गयीं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री अमरपाल शर्मा	जनपद गाजियाबाद के वैशाली, साहिबाबाद, साइट-4, में बिल्डरों एवं होटल मालिकों की मिलीभगत से नालों की पटाई कर अवैध रूप से आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री दलजीत सिंह	जनपद बांदा में पैलानी को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री सतीश महाना	कानपुर महानगर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र की गुंजन विहार मुख्य मार्ग एवं प्रताप होटल से बजरंग चौराहा पर निकासी की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
4	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल	माननीय उच्च न्यायालय का विकेन्द्रीकरण और गोरखपुर में एक पीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री रविन्द्र जायसवाल	जनपद वाराणसी में बिजली के सीमेंटेड खम्भों की खरीद में हुई भारी धांधली के सम्बन्ध में।
6	श्री सन्त प्रसाद	खजनी विधान सभा क्षेत्र जनपद गोरखपुर में कुवानों नदी के किनारे के रोहुवा गांव एवं नकाडी गांव के बीच बने बन्धे को रेगुलेटर के साथ बनाये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री सलिल विश्नोई	संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान की इमरजेंसी में बिस्तरों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री विजय कुमार पासवान	जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक लोटन में गदहमरवॉ स्थित नाले के पुल की लम्बाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री गेंदालाल चौधरी	जनपद हाथरस (महामायानगर) में ध्वस्त हो चुकी सीवर/ड्रेनेज व्यवस्था, जीर्ण-शीर्ण सड़कों एवं टूटी हुई नालियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
10	श्री गोरख पासवान	बलिया जनपद की बेल्थरा रोड तहसील में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में ।

11	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत	जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में।
12	श्री छोटे लाल वर्मा	जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के नवनिर्मित तहसील भवन में अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री अनीसुर्रहमान	जनपद मुरादाबाद के कांठ स्थित रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)	मेरठ शहर के सभी नालों की तलीझाड़ सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप	जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम लक्खारामपुरवा के प्राचीन राम जानकी मंदिर की चोरी हुई अष्ट धातु की मूर्तियों को बरामद करवाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं जो अग्राह्य हुई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-286 के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा पालनीय नियमों को सुनिश्चित कराते हुए सदन को गरिमापूर्वक चलाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो सभी मा0 विधायकों के हितों से जुड़ा हुआ है। कुछ दिशा-निर्देश बने हुए हैं जिसके अनुसार विधान सभा क्षेत्र विकास निधि मा0 सदस्यों की संस्तुति पर दी जाती है। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी भ्रामक दिशा-निर्देश को संशोधित करने की मांग की।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि विधायिका सबसे ऊपर है इस पर कहीं ऊंगली न उठने पाये। शासनादेश में जो दिशा-निर्देश तय हुए हैं वह सही हैं। उन्होंने कहा कि नेता सदन बैठे हैं। हम आपके साथ बैठ लेंगे जो निर्णय होगा उसको आपस में बैठकर तय कर लेंगे। तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 (दिनांक 23 नवम्बर, 2012 से 05 दिसम्बर, 2012 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

श्री अगयश राम सरन वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित कीं :-

(1) जनपद पीलीभीत के व्यापारियों एवं किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पुराना बीसलपुर-बरेली मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरनन्दन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में नागरिकों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बाईपास एवं ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने विषयक श्री श्रीपाल सिंह दिनकर व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद पीलीभीत के बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग पर कटना नदी सेतु के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर के ग्राम बुहिता के पास माला नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मंगली प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) जनपद पीलीभीत में दियोरिया कला परिक्षेत्र के ग्राम मकरन्दपुर रोशन सिंह के पास माला नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्यारे लाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) जनपद पीलीभीत में ग्रामवासियों की जानमाल की सुरक्षा हेतु ग्राम बढ़ैरा में पुलिस चौकी की स्थायी स्थापना कराये जाने विषयक श्री महिपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(7) जनपद पीलीभीत में तहसील बीसलपुर से बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग पर स्थित ग्राम ईटगांव में नवीन पुलिस चौकी की स्थायी स्थापना कराये जाने विषयक श्री प्रदीप कुमार शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(8) जनपद पीलीभीत के बीसलपुर मो0 दुबे स्थित पुलिस चौकी पर पुलिस कर्मचारी तैनात कराये जाने विषयक श्री हरनन्दन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(9) जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में ईदगाह चौराहा स्थित पुलिस चौकी को संचालित किये जाने विषयक डा0 महेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(10) जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर की मण्डी समिति परिसर में स्वीकृत पुलिस चौकी को संचालित किये जाने विषयक श्री सूरज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(11) जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में दो नये ओवरहेड टैंक अधिष्ठापित किये जाने विषयक श्री सूरज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(12) जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में स्टेडियम की अधिष्ठापना किये जाने विषयक श्री महेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(13) जनपद पीलीभीत के बीसलपुर ग्राम पंचायत ईटगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(14) जनपद पीलीभीत के बीसलपुर ग्राम पंचायत अमृता खास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक श्री पप्पू वर्मा व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(15) जनपद पीलीभीत के बीसलपुर स्थित ग्राम पंचायत ईटगांव को नगर पंचायत घोषित किये जाने विषयक श्री रामपाल व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(16) जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर स्थित ग्राम पंचायत ईटगांव में विद्युत केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(17) जनपद पीलीभीत के बीसलपुर-पूरनपुर वाया रामलीला मार्ग पर ग्राम ढकिया रंजीत के पास माला नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने विषयक श्री महिपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री कालीचरन सुमन, सदस्य विधान सभा ने निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित कीं :-

(1) जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र-90 में नहर की पुलियों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र सिंह व श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र-90 में विभिन्न मार्गों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री भारत सिंह मौर्य व बबलू द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने के लिये अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा-5 की उपधारा (2) (क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

''यह सदन उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 21 फरवरी, 2013 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से

सम्बन्धित है, उक्त राज्य नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त नियंत्रण बोर्ड में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव की कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुयी, जो आग्राह्य की गयी।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और अभिभाषण में सब बातों का जिक्र होता है लेकिन सभी दलों के नेताओं ने अपने-अपने सदस्यों के साथ मांग रखी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दो-दो मिनट ग्राह्यता पर बोल लें इसके बाद मैं अपना निर्णय दूंगा।

प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन की सूचना की ग्राह्यता पर नेता विरोधी दल ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से भय और दहशत का वातावरण है। अराजक तत्वों के हौसले बुलन्द हैं और साथ ही साथ अराजक तत्वों के खिलाफ सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही न हो पाने के कारण उनके हौसले और भी बढ़ गए हैं। उन्होंने दिनांक 14 फरवरी, 2013 को प्रतापगढ़ सिटी नगर पंचायत के दो बार चेयरमैन रहे श्री अशोक मौर्या की गोली मारकर हत्या, पडरौना शहर के हलवाई श्री सत्यनारायण की जमीन पर अवैध कब्जा हेतु लाठी डण्डों से पीट-पीट कर हत्या करने एवं दिनांक 14 फरवरी, 2013 को ही फतेहपुर में 14 वर्ष की कु0 आरती देवी को कुछ अराजक तत्वों द्वारा उठाकर ले जाकर दुराचार कर प्रयास किये जाने पर उसे न्याय न मिलने के कारण आत्महत्या करने के बाद एफ0आई0आर0 लिखने के बाद भी दोषियों की गिरफ्तारी न होने के कारण न्याय दिलवाने की मांग करते हुए चर्चा की मांग की।

श्री हुकुम सिंह, श्री सतीश महाना, श्री प्रदीप माथुर एवं श्री प्रमोद तिवारी ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नोयडा हमारे प्रदेश का एक आइना है और वहां पर भारत बन्द के दौरान अराजक तत्वों द्वारा जिस तरह से जंगलराज कायम किया गया और वहां आगजनी के समय छः घण्टे तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। उन्होंने इस पर दुःख व्यक्त करते हुये इस गम्भीर विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

संसदीय कार्य मंत्री ने नेता विरोधी दल द्वारा उठाये गये तीनों प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन देते हुए नोएडा में हुई घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस पर बहुत संजीदा है कहां चूक हुई है इसके लिए मुख्य मंत्री ने जांच समिति को जांच के लिए दो दिन का समय दिया है।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि यह नियम-56 में नहीं आता है अतः इसे मैं परिवर्तित करते हुए नियम-52 में चर्चा के लिए स्वीकार करता हूं। चूंकि नोयडा प्रकरण की जांच रिपोर्ट भी आनी है वह आ जाएगी और सब कुछ तथ्य सामने आ जायेंगे, इसलिए इस पर मैं डेढ़ घण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

जनपद शामली के कांधला ब्लाक में जनपद मुजफ्फरनगर के 10 गांवों को जोड़े जाने के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री पंकज कुमार मलिक ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर से अलग किये गये नये जनपद शामली को कांधला ब्लाक के दस गांव ऐसे हैं जो अभी भी मुजफ्फरनगर में हैं। उन्होंने उन 10 गांवों को जनपद शामली के कांधला ब्लाक में सम्मिलित करने की मांग की। श्री हुकुम सिंह, श्री दलवीर सिंह एवं श्री सुरेश राणा ने भी विचार व्यक्त किये। राजस्व मंत्री ने उक्त गांवों के सम्बन्ध में लिखकर दिए जाने का अनुरोध किया। तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना अग्राह्य की।

संसदीय कार्य मंत्री ने भी मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से लगे हुए गांव को टांडा तहसील से अलग करके ऐसे सभी मामलों पर एक साथ न्याय किये जाने का राजस्व मंत्री से अनुरोध किया।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत निम्नांकित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी के भाषण से आरम्भ हुई :-

''यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 14 फरवरी, 2013 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

इसी मध्य श्री संजय कपूर द्वारा अपनी नियम-56 की सूचना को सुने जाने का अनुरोध करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा उनके कक्ष में आकर बात कर लें।

निम्नलिखित मंत्री/सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया''),

श्री ओम कुमार,

श्री जियाउद्दीन रिजवी

श्री जियाउद्दीन रिजवी के भाषण के मध्य 1 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री विजय बहादुर यादव,

श्री फेरन लाल,

श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद,

श्री राधेश्याम,

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत,

श्री जाहिद बेग,

श्री अगयश राम सरन वर्मा,

श्री शारदा प्रताप शुक्ला,

श्री रोशन लाल वर्मा,

कुंवर कौशल सिंह,

श्री देवेन्द्र अग्रवाल,

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य।

श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अपनी चर्चा के मध्य खाद्य की चर्चा किये जाने पर खाद्य एवं रसद मंत्री ने भी स्पष्टीकरण हेतु चर्चा में भाग लिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री मो0 इरफान,

श्री सन्तराम कुशवाहा,

श्री बजरंग बहादुर सिंह,

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव,

श्री मो0 मुस्लिम।

श्री मो0 मुस्लिम के भाषण के मध्य 4 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्रियों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री पूर्णमासी देहाती,

श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

श्री धर्मपाल सिंह,

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री (श्री मनोज कुमार पाण्डेय),

श्रीमती कृष्णा पासवान,

श्री दिलनवाज खान,

श्री अमर पाल शर्मा,

श्री राम सरन,

श्री सलिल विश्नोई,

श्री प्रदीप चौधरी,

श्री गजेन्द्र सिंह तथा

श्री भगवान सिंह कुशवाहा।

भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा बोलने का अनुरोध करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा चर्चा कल जारी रहेगी।

आज दिनांक 21 फरवरी, 2013 को नियम-51 की कुल 54 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद स्थित फाफामऊ बाजार की सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री अगयश राम सरन वर्मा	जनपद पीलीभीत की जिला पंचायत में कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री बब्बन	जनपद चन्दौली में वित्तीय वर्ष 2012 में विकास के लिये अवमुक्त धनराशि का कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)	जनपद मेरठ में जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री पंकज कुमार मलिक	जनपद-शामली के कतिपय क्षेत्रों में फुंके हुए ट्रान्सफार्मर को बदलाए जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री राधेश्याम जायसवाल	जनपद-सीतापुर में चिकित्सकों की तैनाती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
7	श्री रामचन्द्र यादव	प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैकों में बैंकिंग लाइसेंस लेना अनिवार्य किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8	श्री राजबली जैसल	जनपद कुशीनगर के पड़रौना क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री दलवीर सिंह	जनपद अलीगढ़ के राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी स्थल पर दुकानों के निर्माण में हुई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री रोशन लाल वर्मा	जनपद शाहजहांपुर के तिलहर में वर्ष 2012-13 में गन्ना क्रय केन्द्रों पर मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
2	श्री छोटेलाल वर्मा	आगरा के विधान सभा फतेहाबाद बाईपास के अन्तर्गत निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहीत किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री सुरेश कुमार खन्ना	जनपद शाहजहांपुर में महिला आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को सेवा में वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री कुंवर भारतेन्द्र	मेरठ विकास प्राधिकरण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कालोनाईजर, बिल्डरों से मिलकर बड़े पैमाने में घोटाले किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5	श्री अरुण वर्मा	जनपद सुल्तानपुर में निर्माणाधीन तहसील जयसिंहपुर की अवशेष धनराशि को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	जनपद कानपुर नगर के कैंट क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित कतिपय कालोनियों के सीवरों की सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री दलजीत सिंह	जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के किसानों को नलकूप संचालन हेतु बिजली कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में मै0 मौरी यीस्ट लि0 तथा अन्य उद्योगों द्वारा ड्रेन में प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भईया	जनपद लखीमपुर खीरी विकास खण्ड धौरहरा से ग्राम अमेठी होते हुए रेहुआ के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
4	श्रीमती सीमा	जनपद जौनपुर के सई नदी के बेलवार घाट के निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 6 बजकर 11 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड–483, अंक–5
गुरुवार, 02 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(21 फरवरी, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 483 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	1-6
- प्रश्नोत्तर	...	...	...	7-51
- यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स वसूले जाने विषयक प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	...	...	...	51-52
- आज की कार्यसूची के नत्थी क के तारांकित प्रश्न संख्या 1 को तीसरे गुरूवार के लिए स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...			...	52-53
- नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	53-55
- जनपद गाजियाबाद के वैशाली, साहिबाबाद, साइट-4 में बिल्डरों एवं होटल मालिकों की मिलीभगत से नालों की पटाई कर अवैध रूप से आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...			...	55
- जनपद बांदा में पैलानी को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	56
- कानपुर महानगर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र की गुंजन बिहार मुख्य मार्ग एवं प्रताप होटल से बजरंग चौराहा पर निकासी की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...		...	...	56757
- माननीय उच्च न्यायालय का विकेन्द्रीकरण और गोरखपुर में एक पीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...			...	57
- जनपद वाराणसी में बिजली के सीमेंटेड खम्भों की खरीद में हुई भारी धांधली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...		57-58
- खजनी विधान सभा क्षेत्र जनपद गोरखपुर में कुवानों नदी के किनारे के रोहुवा गांव एवं नकौडी गांव के बीच बने बन्धे को रेगुलेटर के साथ बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...		58
- संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान की इमरजेंसी में बिस्तरों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...		59
- जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक लोटन में गदहमरवां स्थित नाले के पुल की लम्बाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...		59
- जनपद हाथरस (महामायानगर) में ध्वस्त हो चुकी सीवर/ड्रेनेज व्यवस्था, जीर्ण-शीर्ण सड़कों एवं टूटी फूटी नालियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	60

विषय	पृष्ठ-संख्या
- बलिया जनपद की बेल्थरा रोड तहसील में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60
- जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60-61
- जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के नवनिर्मित तहसील भवन में अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61
- जनपद मुरादाबाद के कांठ स्थित रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61-62
- मेरठ शहर के सभी नालों की तलीझाड़ सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
- जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम लक्खारामपुरवा के प्राचीन राम जानकी मंदिर की चोरी हुई अष्ट धातु की मूर्तियों को बरामद करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62-63
- औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	63
- उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-286 के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा पालनीय नियमों को सुनिश्चित कराते हुए सदन को गरिमापूर्ण चलाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	64-67
- उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	67
- जनपद पीलीभीत के व्यापारियों एवं किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पुराना बीसलपुर बरेली मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरनन्दन वर्मा आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)..	67
- जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में नागरिकों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बाईपास एवं ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने विषयक श्री श्रीपाल सिंह दिनकर आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)..	67
- जनपद पीलीभीत के बीसलपुर विलसण्डा मार्ग पर कटना नदी सेतु के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	68

विषय	पृष्ठ-संख्या
- जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के ग्राम बुहिता के पास माला नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मंगली प्रसाद आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	68
- जनपद पीलीभीत में दियोरिया कला परिक्षेत्र के ग्राम मकरन्दपुर रोशन सिंह के पास माला नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्यारे लाल वर्मा आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)..	68
- जनपद पीलीभीत में ग्राम वासियों की जानमाल की सुरक्षा हेतु ग्राम बढ़ैरा में पुलिस चौकी की स्थायी स्थापना कराये जाने विषयक श्री महिपाल गंगवार आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	68
- जनपद पीलीभीत में तहसील बीसलपुर से बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग पर स्थित ग्राम ईटगांव में नवीन पुलिस चौकी की स्थायी स्थापना कराये जाने विषयक श्री प्रदीप कुमार शर्मा आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	68
- जनपद पीलीभीत के बीसलपुर मो0 दुबे स्थित पुलिस चौकी पर पुलिस कर्मचारी तैनात कराये जाने विषयक श्री हरनन्दन वर्मा आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	68
- जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में ईदगाह चौराहा स्थित पुलिस चौकी को संचालित किये जाने विषयक डा0 महेश गुप्ता आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	69
- जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर की मण्डी समिति परिसर में स्वीकृत पुलिस चौकी को संचालित किये जाने विषयक श्री सूरज कुमार आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	69
- जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में दो नये ओवरहेड टैंक अधिष्ठापित किये जाने विषयक श्री सूरज कुमार आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	69
- जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में स्टेडियम की अधिष्ठापना किये जाने विषयक श्री महेश गुप्ता आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	69
- जनपद पीलीभीत के बीसलपुर के ग्राम पंचायत ईटगांव में स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	69

विषय	पृष्ठ-संख्या
- जनपद पीलीभीत के बीसलपुर ग्राम पंचायत अमृता खास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक श्री पप्पू वर्मा आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	70
- जनपद पीलीभीत के बीसलपुर स्थित ग्राम पंचायत ईटगांव को नगर पंचायत घोषित किये जाने विषयक श्री रामपाल आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	70
- जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर स्थित ग्राम पंचायत ईटगांव में विद्युत केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	70
- जनपद पीलीभीत के बीसलपुर पूरनपुर वाया रामलीला मार्ग पर ग्राम ढकिया रंजीत के पास माला नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने विषयक श्री महिपाल गंगवार आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	70
- जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र-90 में नहर की पुलियों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	70
- जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र-90 में विभिन्न मार्गो की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री भारत सिंह मौर्य आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	71
- महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने के लिये अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा-5 की उपधारा (2) (क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	71
- उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	71-72
- कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	72-85
- श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)	85-158
- नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	159-163

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक, 21 फरवरी, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-324

1. अंसार अहमद, श्री	इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
4. अजय, मिश्र 'टेनी', श्री	लखीमपुरखीरी
5. अजय कुमार, डा0	इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री	कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री	फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी,	अम्बेडकर नगर
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज
10. अनिल वर्मा, श्री	उन्नाव
11. अनीसुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
13. अनुप्रिया, पटेल, सुश्री	वाराणसी
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
15. अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री	सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री	बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री	फैजाबाद
20. अमर पाल शर्मा, श्री	गाजियाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री	एटा
22. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
23. अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
24. अरूण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर
25. अरूण कुमार, डा0	बरेली
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती	कानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
28. अली यूसुफ अली, श्री	रामपुर
29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री	गोण्डा
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
31. अविनाश, कुशवाहा श्री	सोनभद्र
32. अशफाक अली खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
33. आदिल शेख, श्री	आजमगढ़
34. आनन्द सिंह, कुंवर	गोण्डा
35. आबिद रजा खां, श्री	बदायूं
36. आरिफ अनवर हाशमी, श्री	बलरामपुर
37. आलमबदी, श्री	आजमगढ़
38. आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
39. आशा किशोर, श्रीमती	छत्रपति शाहूजी महराजनगर
40. आशीष यादव, श्री	बदायूं
41. इकबाल महमूद, श्री	भीमनगर
42. इन्द्रजीत कोरी, श्री	कानपुर नगर
43. इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी

44. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
45. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
46. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
47. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
48. उदयराज, श्री — उन्नाव
49. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
50. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
51. ओम कुमार, श्री — बिजनौर
52. ओम प्रकाश वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
53. कमाल अख्तर, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
54. कलराज मिश्र, श्री — लखनऊ
55. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
56. काली चरन सुमन, श्री — आगरा
57. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
58. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री — झांसी
59. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
60. केशव प्रसाद, (कुशवाहा) मौर्य, श्री — कौशाम्बी
61. कैलाश, श्री — गाजीपुर
62. कौशल सिंह कुंवर, श्री — महराजगंज
63. गजराज सिंह, श्री — पंचशील नगर
64. गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
65. गयादीन अनुरागी, श्री — हमीरपुर
66. गायत्री प्रसाद, श्री — छत्रपति शाहूजी महराजनगर
67. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
68. गुलाब चन्द, श्री — जौनपुर
69. गुलाम मौहम्मद, श्री — मेरठ
70. गेंदा लाल चौधरी, श्री — महामायानगर
71. गोमती यादव, श्री — लखनऊ
72. गोरख पासवान, श्री — बलिया
73. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
74. चन्द्रा रावत, श्रीमती — लखनऊ
75. चितरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फरनगर
76. छोटेलाल वर्मा, श्री — आगरा
77. जगतम्बा सिंह, श्री — मिर्जापुर
78. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
79. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
80. जगपाल, श्री — सहारनपुर
81. जगराम पासवान, श्री — बलरामपुर
82. जन्मेजय सिंह, श्री — देवरिया
83. जफर आलम, श्री — अलीगढ़
84. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
85. जमीर उल्ला खां, श्री — अलीगढ़
86. जय प्रकाश निषाद, श्री — गोरखपुर
87. जय प्रकाश अंचल, श्री — बलिया
88. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
89. जाहीद बेग, श्री — सन्तरविदास नगर(भदोही)
90. जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
91. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती — वाराणसी
92. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री — फैजाबाद
93. तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
94. दयाशंकर वर्मा, श्री — जालौन
95. दलजीत सिंह, श्री — बांदा
96. दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
97. दिलनवाज खान, श्री — बुलन्दशहर
98. दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
99. दीपक पटेल, श्री — इलाहाबाद
100. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
101. देवनरायन उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री — महराजगंज

102. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
103. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
104. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
105. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
106. धर्मराज, श्री बाराबंकी
107. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
108. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशीलनगर
109. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
110. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
111. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
112. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
113. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
114. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
115. नारद राय, श्री बलिया
116. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
117. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
118. नीरज (कुशवाहा) मौर्य,श्री शाहजहांपुर
119. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
120. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
121. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
122. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
123. पीतमराम, श्री पीलीभीत
124. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
125. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
126. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
127. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
128. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
129. प्रदीप कुमार, यादव श्री औरैया
130. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
131. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
132. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
133. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
134. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
135. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
136. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
137. ''फसीहा मंजर'' ''(गजाला लारी)'', सुश्री देवरिया
138. फेरन लाल, श्री ललितपुर
139. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
140. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
141. बदलू खां, श्री उन्नाव
142. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
143. बाबू खां, श्री हरदोई
144. बाबूलाल, श्री गोण्डा
145. बावन सिंह, श्री गोण्डा
146. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
147. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
148. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
149. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
150. बैजनाथ, श्री मऊ
151. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
152. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
153. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
154. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
155. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
156. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
157. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
158. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
159. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
160. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
161. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर(भदोही)
162. मनीष रावत, श्री सीतापुर
163. मनोज कुमार, श्री चन्दौली

164. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री — रायबरेली
165. मनोज कुमार पारस, श्री — बिजनौर
166. ममतेश शाक्य, श्री — काशीराम नगर
167. महावीर सिंह, कुं0 — हरदोई
168. महावीर सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
169. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
170. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
171. माइकल चन्द्रा, श्री — जे0पी0 नगर
172. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
173. माधुरी वर्मा, श्रीमती — बहराइच
174. मित्रसेन यादव, श्री — फैजाबाद
175. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
176. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री — बहराइच
177. मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
178. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री — कानपुर नगर
179. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री — बदायूं
180. मुहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
181. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 — बिजनौर
182. मो0 आसिफ, श्री — फतेहपुर
183. मो0 मुस्लिम, श्री — छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
184. मो0 रेहान, श्री — लखनऊ
185. मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
186. मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
187. मौ0 अलीम खां, श्री — बुलन्दशहर
188. मौ0 इरफान, श्री — मुरादाबाद
189. यासर शाह, श्री — बहराइच
190. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री — आगरा
191. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
192. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री — गोण्डा
193. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री — कानपुर नगर
194. रघुराज प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
195. रघुराज सिंह शाक्य, श्री — इटावा
196. रणजीत सुमन, श्री — एटा
197. रमेश चन्द, श्री — मिर्जापुर
198. रमेश चन्द्र दुबे, श्री — सोनभद्र
199. रविदास मेहरोत्रा, श्री — लखनऊ
200. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री — सहारनपुर
201. रविन्द्र जायसवाल, श्री — वाराणसी
202. रविन्द्र भडाना, श्री — मेरठ
203. रश्मि आर्य, डा0 — झांसी
204. राकेश कुमार, श्री — अलीगढ़
205. राकेश प्रताप सिंह, श्री — छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
206. राकेश बाबू, श्री — फिरोजाबाद
207. राघव लखनपाल, श्री — सहारनपुर
208. राजकिशोर सिंह, श्री — बस्ती
209. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री — मैनपुरी
210. राजकुमार रावत, श्री — मथुरा
211. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री — महोबा
212. राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
213. राजमती, श्रीमती — गोरखपुर
214. राजाराम, श्री — प्रतापगढ़
215. राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
216. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
217. राजेश यादव, श्री — शाहजहांपुर
218. राजेश्वरी, श्रीमती — हरदोई
219. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
220. राधेलाल रावत, श्री — उन्नाव

221. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
222. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
223. राम करन आर्य, श्री बस्ती
224. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
225. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
226. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
227. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
228. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
229. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
230. राम मगन, श्री बाराबंकी
231. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
232. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
233. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
234. रामवीर उपाध्याय, श्री महामायानगर
235. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
236. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
237. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
238. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
239. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
240. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
241. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
242. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
243. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
244. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीरनगर
245. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
246. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
247. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
248. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
249. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
250. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
251. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
252. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
253. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
254. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
255. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
256. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
257. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
258. विजय सिंह, श्री रामपुर
259. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रूखाबाद
260. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
261. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
262. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
263. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
264. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
265. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
266. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्धनगर
267. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
268. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
269. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
270. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
271. शाकिर अली, श्री देवरिया
272. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
273. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
274. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
275. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
276. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
277. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
278. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
279. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
280. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर

281. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणासी
282. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री — आजमगढ़
283. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
284. श्रद्धा यादव, श्रीमती — जौनपुर
285. संग्राम यादव, डा0 — आजमगढ़
286. संजय कपूर, श्री — रामपुर
287. संजय प्रताप जायसवाल, श्री — बस्ती
288. सईद अहमद, श्री — इलाहाबाद
289. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — जौनपुर
290. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री — कानपुर नगर
291. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
292. सत्यदेव पचौरी, श्री — कानपुर नगर
293. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
294. सत्यवीर मुन्ना, श्री — इलाहाबाद
295. सन्त प्रसाद, श्री — गोरखपुर
296. सन्तराम कुशवाहा, श्री — जालौन
297. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
298. सावित्री बाई फूले, सुश्री — बहराइच
299. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री — बदायूं
300. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री — गाजीपुर
301. सियाराम सागर, डा0 — बरेली
302. सीमा, श्रीमती — जौनपुर
303. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
304. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
305. सुदामा प्रसाद, श्री — महाराजगंज
306. सुधाकर, श्री — मऊ
307. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री — सोनभद्र
308. सुनील कुमार लाला, श्री — लखीमपुर खीरी
309. सुब्बाराम, श्री — गाजीपुर
310. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री — रायबरेली
311. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
312. सुरेश राणा, श्री — प्रबुद्धनगर
313. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
314. सुरेश बंसल, श्री — गाजियाबाद
315. सूरज पाल सिंह, श्री — आगरा
316. सैय्यद कासिम हसन, श्री — फतेहपुर
317. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती — गाजीपुर
318. सोबरन सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
319. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — कुशीनगर
320. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री — लखीमपुर खीरी
321. हरिओम यादव, श्री — फिरोजाबाद
322. हुकुम सिंह, श्री — प्रबुद्धनगर
323. हेमराज वर्मा, श्री — पीलीभीत
324. हेमलता चौधरी, श्रीमती — बागपत

नोट :- मुख्यमंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूर्जर) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

[11.01 बजे] तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, वह आगे के लिये स्थागित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, तो वह फिर बाद में आ जायेगा।

*01-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[तीसरे गुरूवार के लिये स्थागित]

तारांकित प्रश्न संख्या-2

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह प्रश्न भी निरस्त है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

*02-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु औद्योगिक निवेश नीति

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री सतीश महाना एवं श्री संजय प्रताप जायसवाल-

*03 क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक रूप से पिछड़ रहे प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये वर्तमान सरकार कोई नयी औद्योगिक नीति बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)-

जी हाँ।

प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 बनाई जा चुकी है। इसी नीति के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण, आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स की नीतियां भी बनाई गई है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के मुख्य अवयव निम्न प्रकार से हैं:-

- समस्त आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसरों का सृजन करना।
- राज्य के क्षेत्रवार औद्योगिक असन्तुलन को दूर करते हुए सभी भौगौलिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश का लाभ पहुंचाना।

- प्रदेश में उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में गुणात्मक वृद्धि करना।
- अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना।
- औद्योगिक वातावरण में सुधार करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट प्रदान करना।
- सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक शासनादेश एवं नियमावली निर्गत करते हुए समयबद्ध रूप से नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना।
- उच्च स्तरीय समिति गठित कर नीति के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।

इस नीति की प्रति मा0 राज्य मंत्री, जन्तु उद्यान विभाग के कार्यालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि तारांकित प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का आपने अवसर प्रदान किया। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में औद्योगिक निवेश नीति 2012 के क्रमावार जिन 9 बिन्दुओं का उल्लेख किया, उसमें क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि उद्यामियों को उत्प्रेरित करने हेतु आधारभूत जो मूलभूत सुविधायें हैं जैसे भूमि, विद्युत, वित्त, वाणिज्य कर एवं अन्य प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या ठोस कदम उठाये हैं या उठाने पर विचार कर रहीं है?

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सारी जो अवस्थापना सुविधायें हैं या जो प्रोत्साहन नीति है वह सारा हमारी जो औद्योगिक निवेश नीति 2012 है, उसमें सब चीज मेंशन्ड हैं, सब उसमें उपलब्ध है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरे प्रदेश के विकास से संबंधित है क्योंकि अगर उद्योग नहीं होगा तो प्रदेश का विकास नहीं हो पायेगा। मान्यवर, इस नीति के लिये इन्होंने कहा कि नीति बना दी। औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के लिये इन्होंने कहा कि हम उसमें वित्तीय अनुदान एवं छूट प्रदान करेंगे। छूट मान्यवर, जिस प्रकार से बिजली में पिछली बार इन्डस्ट्रीज के ऊपर बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गयी थी, वह उस छूट में शामिल है कि नहीं। दूसरा प्रश्न मान्यवर, इन्होंने कहा है कि औद्योगिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये इस वित्तीय वर्ष में कितना धन आवंटित किया गया है, यह बता दें और तीसरा प्रश्न.....

श्री अध्यक्ष-

एक चीज महाना जी, उन्होंने बता दिया औद्योगिक नीति के यह 9 प्वाइंट हैं आपने पूछा था कि प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये वर्तमान सरकार कोई नई औद्योगिक नीति बनाने पर विचार कर रही है तो उन्होंने औद्योगिक नीति बनाई और उसे बता दिया, अब उसी प्रश्न में से पूछिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, उसी में से पूछ रहे हैं, लिखा है कि अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे। अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मान्यवर, धन आवंटित होगा, उसके लिए बजट एलोकेशन होगा तो मान्यवर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि अवस्थापना सुविधा सुधार के लिए क्या कोई फण्ड दिया गया है, बजट में एलोकेशन किया है और दूसरी बात बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इण्डस्ट्री का प्रश्न है माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम से उसका उत्तर आया है और इण्डस्ट्री इतनी महत्वपूर्ण है, उसके लिए आखिरी लाइन पढ़ने कृपा करें यह मेरा आपसे निवेदन है इसमें लिखा है कि ''इस नीति की प्रति मा0 राज्य मंत्री, जन्तु उद्यान विभाग के कार्यालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध है'' मान्यवर, जन्तु उद्यान विभाग में इसकी कापी पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 महाना जी, आप भी मंत्री रहे हैं मुख्य मंत्री किसी मंत्री को किसी विभाग के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अधिकृत करते हैं तो जो उत्तर की कापी होगी वह उन्हीं के कार्यालय में तो होगी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट में होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई जरूरी नहीं है, वह अपने आफिस में रखे हैं, यह कौन सा प्रश्न है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, फिर यह भी लिख दें कि इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ-साथ जन्तु उद्यान में भी उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई प्रश्न नहीं है, आप और कोई सवाल पूछें।

श्री सतीश महाना-

चलिये मान्यवर, आप कह रहे हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ लेकिन इसमें लिखा था इसलिए पूछ लिया। मान्यवर, मेरे दो प्रश्न हैं एक तो यह कि जो इन्होंने कहा है कि हम छूट प्रदान करेंगे तो वर्तमान वित्तीय वर्ष जो चल रहा है इसमें इण्डस्ट्री के ऊपर बेतहाशा बिजली के दरों में बढ़ोत्तरी की गई क्या छूट देने के लिए उस बिजली की दरों में की गई बढ़ोत्तरी को वापस लेंगे? दूसरा जो अवस्थापना सुविधाएं इसमें लिखी हुई हैं इसके लिए वर्ष 2013-14 में बजट एलोकेशन कितना है?

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, यह जो प्रश्न किया गया है, इसके बारे में अलग से प्रश्न करें तो इसका जवाब दिया जायेगा, इसमें केवल औद्योगिक नीति के बारे में बताया गया है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, फिर अनुपूरक का फायदा क्या हुआ ऐसे तो जो लिख करके मिल जाए उसी को हम ले लें।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, इसमें है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के मुख्य अवयव निम्न प्रकार हैं:- समस्त आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसरों का सृजन करना, आप इनमें पूछिये, राज्य के क्षेत्रवार औद्योगिक असन्तुलन को दूर करते हुए सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पूँजी निवेश का लाभ पहुँचाना प्रदेश में उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में गुणात्मक वृद्धि करना। अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह वाला जो आप कह रहे हैं, इसी में मैने पूछा, लिखा है कि अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना, तो मान्यवर, मैंने यही तो पूछा कि इसके लिए कितना बजट एलोकेशन किया गया। इसके बाहर मैंने कुछ भी नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आपका प्रश्न यह है कि क्या इस बजट में अवस्थापना सुविधाओं के लिए कोई एलोकेशन हुआ है? लेकिन यदि इसमें नहीं है तो और भी बहुत से स्रोत होते हैं अवस्थापना सुविधाओं के, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के, उद्यमियों को आकर्षित करने के, अगर यह सब बातें हों तो बता दीजिए।

डॉ शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आपने प्रश्न किया है उसका सारा उत्तर जो हमारी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति है उत्तर प्रदेश की, उसमें सब दिया हुआ है। मान्यवर, जो आपने कहा कि यह फैसिलिटी शासन द्वारा, सरकार द्वारा दी जा सकती है, वह सब लिखी हुई है और उसकी प्रति हम आपके यहाँ भिजवा देंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, छूट देंगे कि नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया महाना जी, और भी बहुत सारे महान प्रश्न हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश की दृष्टि से बहुत दिनों से बहुत पिछड़ा हुआ है और यह बात सत्य है कि कोई नया निवेश करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यहाँ अवस्थापना सुविधाओं का अभाव बिजली का अभाव, पानी का अभाव, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था

की स्थिति, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि उत्तर में एक बिन्दु है कि राज्य के क्षेत्रवार औद्योगिक असन्तुलन को दूर करते हुए सभी भौगोलिक क्षेत्रो में पूँजी निवेश का लाभ पहुँचाना, इस बिन्दु पर मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में पूर्वांचल हमेशा से उद्योग की दृष्टि से।

एकदम पिछड़ा हुआ है तो यह जो असंतुलन को संतुलित करने की दृष्टि से जो यह बिन्दु रखा गया है तो क्या पूर्वांचल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए असंतुलन को दूर करने के लिए वह है और यदि है तो वहाँ क्या योजना है सरकार की और क्या किसी ने निवेश के लिए कोई आवेदन किया है ?

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब अभी तो यह नीति बनी है असंतुलन को दूर करने के लिए पूंजीनिवेश का लाभ पहुँचाया जाएगा तो अभी नीति बनी है उस पर विचार हो रहा होगा तो अभी कितना आया होगा कितना नहीं आया होगा यह कैसे बता देंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, 11-12 महीने बहुत होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नीति तो अभी बनी है।

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, नीति अक्टूबर में बनी है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या आगरा समिट में किसी के साथ एम0ओ0यू0 साइन हुआ है कि हम यहाँ यह उद्योग लगाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

समिट का सवाल यहाँ कहाँ आ गया पूँजीनिवेश के सवाल में। कोई उद्यमी आया कि नहीं यह तो आपने पूछ लिया। कोई आवेदन मिला कि नहीं इतना बता दें।

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

अभी कोई नहीं मिला।

मुख्य मंत्री श्री (अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य जी ने जो सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में उद्योग नीति और इस तरह की व्यवस्था है कि नहीं ? माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे और आगरा समिट पर सवाल आ गया मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों बाद वर्षों बाद किसी सरकार ने फैसला लिया होगा कि यहाँ उद्योग नीति बनाकर उन्हें बुलाया जाय। माननीय चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि आपकी समिट से लाभ हुआ कि नहीं हुआ। इनकी याद पुरानी है इनका जो समिट आगरा में हुआ

था उससे इनको कोई लाभ नहीं हुआ था बी0जे0पी0 को याद होगा केन्द्र सरकार वाली जो समिट हुई थी लेकिन इस समिट में बहुत बड़े पैमाने पर उद्योगपति और वहां की सरकारों के लोग उपस्थित थे और पालिसी के बारे में हम लागों ने उन्हें बताया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में इस तरह से काम करने जा रहे है। बिजली के क्षेत्र में यह फैसला लेने जा रहे हैं। और हमने अपनी नीतियों के साथ यह कार्यक्रम कराया पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में निवेश होगा और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्दी निवेश शुरू होगा पिछली बार जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब चीनी को लेकर और चीनी उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर नेता जी ने कार्यक्रम किया था तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में चीनी मिले लगी थीं उसमें पूर्वांचल भी था सेन्ट्रल यू0पी0 भी था और ज्यादा लाभ वेस्टर्न यू0पी0 और इस्टर्न यू0पी0 को मिला था इस बार हमारी सरकार की कोशिश है कि बुन्देलखण्ड का इलाका और जहाँ से इस्टर्न यू0पी0 का इलाका है वहाँ लाभ पहुँचे वहाँ उद्योग कारखाने लगें उस समय कोजनरेशन में भी बहुत बड़ा लाभ सरकार को हुआ था उस समय सरकार ने जो कोजनरेशन की पालिसी बनाई थी उसमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हुआ था और गन्ने की बगास से बिजली बनाने का फैसला हुआ था और पांच सौ मेगावाट से ज्यादा बिजली बनाने का उस समय फैसला हो गया था। इस बार हमें उम्मीद है कि हम जो पालिसी लाए हैं हजार मेगावाट से ज्यादा कोजेनरेशन से बिजली उत्तर प्रदेश में पैदा होगी। हमने माहौल बनाया हैं उद्योग नीति लाए हैं अब इन्फास्ट्रक्चर पर भी काम कर रहे है। और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम करना इसलिए जरूरी है कि अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा तो निवेश नहीं बढ़ेगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर निवेश बढ़ाने का प्रयास सरकार का है और बहुत वर्षों बाद इस समाजवादी पार्टी की सरकार ने निवेश बढ़ाने का कार्यक्रम किया था हमें उम्मीद है कि उससे उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा।

(अनेक सदस्यों के एक साथ प्रश्न करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जाएं अब इतना सारा उत्तर आ गया है। अब कुछ निहित नहीं है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

*04-डा0 धर्मपाल सिंह -

[1 ले सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री अध्यक्ष-

डा0 धर्मपाल सिंह का प्रश्न तो स्थानान्तरित हो गया है।

*05-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*06 -श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में पूँजी निवेश हेतु औद्योगिक निवेश नीति

*07-श्री मनीष असीजा एवं श्री मित्रसेन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में देश एवं विदेश से औद्योगिक क्षेत्र में निवेश हेतु सरकार ने कोई विशेष कार्ययोजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में अधिकाधिक पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 बनाई गई है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के मुख्य अवयव निम्न प्रकार से हैं:-

- राज्य के क्षेत्रवार औद्योगिक असन्तुलन को दूर करते हुए सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश का लाभ पहुंचाना।
- समस्त आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसरों का सृजन करना।
- प्रदेश में उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में गुणात्मक वृद्धि करना।
- अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना।
- औद्योगिक वातावरण में सुधार करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम(एम.एस.एम.ई) को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट प्रदान करना।
- सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक शासनादेश एवं नियमावली निर्गत करते हुए समयबद्ध रूप से नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना।
- उच्च स्तरीय समिति गठित कर नीति के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।

प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्न संख्या-7 पर माननीय सदस्य श्री मनीष असीजा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष-

मनीष असीजा जी नहीं हैं, यह प्रश्न भी चला गया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, इस प्रश्न में हम लोगों की रुचि है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा तारांकित प्रश्न संख्या-7 जो श्री मनीष असीजा व अन्य का है उसमें माननीय सदस्यों ने रुचि दिखाई थी उसको ले लेते हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, बहुत आधा अधूरा जवाब दिया गया है। निवेश नीति सिर्फ जन्तु विज्ञान मंत्री के पास नहीं है इंटरनेट पर उपलब्ध है हर कोई पढ़ सकता है और जो कुछ भी प्राविधान किया गया है मुझे इस सदन में यह कहते हुए दुःख होता है कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को अधिकारियों ने इतने हल्के ढ़ंग से लिया है। ढ़ेर सारे प्राविधान हैं जिनको लेकर हम लोग लगातार बहस करते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से वह जवाब सदन के सामने आने चाहिए थे, जो प्राविधान नहीं किये गये हैं हम उन पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन मुझे दुःख है कि अधिकारियों ने इस प्रश्न को बहुत गैर जिम्मेदारी से लिया है और उन सारे प्राविधानों को जो सरकार ने किया है उसकी चर्चा नहीं की। बहरहाल, मैं दो चीजे माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के बगल में है। बिहार में एक इंडस्ट्रियल नीति बनाई गयी है। आज की जो स्थिति है, जो उद्योग पूर्वी उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं वह बिहार की औद्योगिक नीति के नाते पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बिहार चले जाते हैं। यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वयं उद्यमी अपना जो नया उद्योग स्थापित कर रहे हैं वह पूर्वी उत्तर प्रदेश की जगह बिहार में लागू कर दे रहे हैं। यह प्रश्न मैंने पिछले सत्र में भी उठाया था। माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि क्या यह सरकार बिहार की औद्योगिक नीति का अध्ययन करके उस दृष्टि से हमारे प्रदेश की जो औद्योगिक नीति जहाँ कमजोर पड़ती है उन प्राविधानों को अपनी औद्योगिक नीति में जोड़ने पर कोई निर्णय लेगी ? एक प्रश्न तो यह है जवाब आ जाय तो मैं दूसरा पूछूँ।

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जो औद्योगिक विकास नीति है वह अपने आपमें सम्पूर्ण है उसमें कोई कमी नहीं है। और जब यह नीति हमारी लागू हो गयी है तो जो निवेश है वह बढ़ेगा। अभी तो हमारी नीति बनी है, अभी पहले ही यह नीति बनी है इसमें औद्योगिक इकाइयां लगेगी और निवेश होगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का कहना है कि जो नीति इन्होंने बनाई है अपने आप में पूरी है। मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्य मंत्री जी उनके इस बयान से सहमत होंगे। अधिकारी न तो पूरी जानकारी दे रहे हैं न मंत्रियों के पास पूरी जानकारी है अन्यथा बिहार की औद्योगिक नीति और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति में बहुत अन्तर है। अन्तर न होता तो उद्यमी यहाँ से भागकर नहीं जाते। आज जो सबसे बड़ा प्राविधान चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखण्ड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो इन सबकी औद्योगिक नीतियों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करिये तो सबसे बड़ा जो प्राविधान किया गया है वह कैपिटल सब्सिडी का किया गया है। मैंने वह सारे प्राविधान जो उत्तर प्रदेश की नीति में हैं, देखे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा चूँकि वही उद्योग विकास मंत्री भी हैं। क्या यह सरकार उद्योगपतियों के प्रति जो बिहार या अन्य प्रदेशों की उद्योग नीति में प्राविधान किये गये हैं पूँजी उपादान के उनको पुनः जो पहले मिलते थे प्रदेश में, उनको पुनः प्राविधान करने पर विचार करेगी ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जो पिछली सरकार थी उसमें जो औद्योगिक विकास नीति बनी थी निवेश की उसके द्वारा प्रदेश में 34 नई चीनी मिले बनी और उसमें ऊर्जा का भी था, पावर का भी था और डिस्टलरी का भी था। तो यह हमारी नीति जो बनी है उसी के आधार पर.....

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये माननीय मुख्य मंत्री जी खुद बोलना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत महत्वपूर्ण किया था माननीय सदस्य जी ने। जो उद्योग नीति बनी है, यह ख्याल किया गया है कि जो सहुलियते बिहार में दी गयी हैं अगर बिहार से बेहतर आपके प्रदेश में नहीं होगी या उससे लगभग सहूलियते नहीं होंगी तो आपके यहाँ इनवेस्टमेन्ट नहीं आयेगा। इसी तरह मध्य प्रदेश और बुन्देलखण्ड उस पहलू पर भी विचार किया है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य पर जो उद्योग नीति हमारी बनी है, पहुँचेगी तो उसका जवाब अपने आप मिल जायेगा।

*08-श्री सतीश महाना–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में ठण्ड से होने वाली मौतों के रोकथाम हेतु कार्य योजना

*09–श्री सुरेश राणा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिवर्ष ठण्ड से होने वाली मौतों के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस वर्ष 20 जनवरी, 2013 तक प्रदेश में ठण्ड से कितनी मौतें हुईं ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी हाँ।

वर्ष 2012 में शासनादेश दिनांक 26-11-2012 एवं 24-12-2012 को अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने, प्रत्येक जनपद को धनराशि आवंटित करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये थे जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

1-दैवी आपदा के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभावित लोगों के बचाव हेतु कार्यवाही की जाय।

2-अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु भोजन, वस्त्र आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव में न हो।

3-जरूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए कैम्प लगाकर निःशुल्क कम्बल वितरित कर दिया जाय।

4-अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

5-राहत कार्यों का विवरण प्रत्येक दिन शाम 04.00 बजे तक शासन स्तर पर संचालित दैवी आपदा नियंत्रण कक्ष में फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय।

2-उक्त के अतिरिक्त गरीब, असहाय एवं बेसहारा व्यक्तियों को ठण्ड से बचाव हेतु अस्थायी रैन बसेरों के निर्माण, कम्बलों की खरीद तथा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था के लिये शासन द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों को इस हेतु रु0 25.14 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

प्रश्नगत अवधि में प्रदेश में ठण्ड के कारण 02 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दैवी आपदा की जो चर्चा हुई है तो दैवी आपदा में कौन-कौन सी स्थिति आती हैं ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि एक बिन्दु जो यह आया है जरूरतमंद का, तो हम यह जानना चाहते हैं कि जरूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित करने का कौन सा मानक सरकार का है ? तीसरा मेरा प्रश्न है कि रैन बसेरे की बात हुई है, रैन बसेरों का निर्माण हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में पिछले वर्ष कितने रैन बसेरों का निर्माण सरकार के द्वारा हुआ है ? कितने कम्बलों की खरीद हुई है ठंड से लोगों को बचाने के लिये और जो कम्बलों की खरीद हुई है उसमें एक कम्बल का मूल्य क्या है यह मैं सरकार से जानना चाहता हूँ ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो बहुत विस्तृत सवाल है।

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं वह मैं कर दूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, कल एक प्रश्न के उत्तर में एक अनुपूरक माननीय सदस्य ने पूछा। माननीय मंत्री जी सूची पढ़ने लगे तो लोगों ने यह कहा कि रहने दीजिये रहने दीजिए। वैसा ही अनुपूरक आज माननीय सदस्य ने पूछ लिया। अगर सूची पढ़ूँगा तो 12.20 तक सूची चलेगी। अब चूँकि आपने पूछ लिया इसलिये सुनिये। पहला प्रश्न दैवी आपदा के बारे में पूछा है, अगला प्रश्न है, उसका अनुपूरक आयेगा तो मैं विस्तार से बता दूँगा कि दैवी आपदा में कैसे करते हैं। इसलिये उस पर आप अनुपूरक पूछ लीजियेगा। यह प्रश्न है कि इस वर्ष ठंड से बचाव के लिये जो प्राविधान किये गये वो समुचित थे कि नहीं ? कम्बल, अलाव और रैन बसेरे के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक तहसील को 5 लाख रुपये कम्बल खरीद के लिये और 50 हजार रुपया अलाव जलाने के लिये और नगरीय क्षेत्रों में जिन जगहों में रैन बसेरों की आवश्यकता थी वहाँ रैन बसेरे बनाने के लिये जितने धन की आवश्यकता थी, एक

तो शुरू में दे दिया गया और देने के बाद पुनः यह जो दो शासनादेश का उल्लेख किया है एक शासनादेश जारी हुआ है 26-11-2012 को और दूसरा 24-12-2012 को और उसमें प्रत्येक जिलाधिकारी को यह अधिकार दे दिया गया। आप हाथ उठा रहे हैं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं। इसलिये उनको यह निर्देश दे दिये गये कि इस राशि को खर्च करके आपको अगर तुरन्त आवश्यकता हो तो आप उसके अनुसार राशि की डिमान्ड कर लीजिये और तत्काल वह राशि आपको उपलब्ध करा दी जायेगी। जैसा मैंने बताया आपको, प्रश्न के उत्तर में आ गया है कि 25.14 करोड़ रुपये दिये गये। यह प्रदेश का फिगर है कम्बल और अलाव और रैन बसेरे के लिये। मैंने तहसीलवाइज बता दिया कि 5 लाख रुपया प्रत्येक तहसील के लिये दिया गया है। अब आप बतायें कि मैं किस जनपद से शुरू करूँ।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि मुझे विस्तार से सूची पढ़नी पड़ेगी। मेरा आशय यह था, उसकी कीमत पूछने का कि जहां जीरो डिग्री पारा हो उस कम्बल का मानक इतना घटिया था। जहां जीरो डिग्री पारा हो उस कम्बल का मानक इतना घटिया था कि जीरो डिग्री पारे पर वह कम्बल क्या इस्तेमाल हो सकता है ? यह सरकार की संवेदनशीलता है ? दूसरा मेरा इश्यू यह था.....

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री सुरेश राणा-

मैंने संख्या पूछी थी जहां 65 हजार की नगर पंचायत में 21 लोगों को कैम्प लगाकर कम्बल वितरित होंगे। तो क्या 65 हजार की जनसंख्या....

श्री अध्यक्ष-

उनका उत्तर आ रहा था आप बीच में पूछने लगे।

श्री सुरेश राणा-

वह भ्रमित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब वह पूरा उत्तर दे लेते तब आप पूछते। यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रश्न पूछिए मैं उत्तर देता हूँ।

श्री सुरेश राणा-

कीमत से मेरा मतलब यह है कि कम्बल का मानक इतना कमजोर था कि जीरो डिग्री पारे पर वह कम्बल गरीबों की ठंड दूर करने के लिए क्या काफी था ? जब लोग रजाइयों में तड़प रहे थे जिस समय रजाई भी ठंड दूर करने के लिए कम पड़ रही थी....

श्री अध्यक्ष-

सवाल करें भाषण न दें।

श्री सुरेश राणा-

जब मैं सवाल करता हूँ तो वह मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं मैंने पूछा कितने रैन बसेरे का निर्माण हुआ आपने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं बता रहा हूँ उत्तर सुन लें।

श्री पंकज मलिक-

शामली का बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बुलन्दशहर मे जनपद स्तर पर क्रय किए गए कुल कम्बल 6 हजार 20, वितरित किए गए 6 हजार 20, यह बुलन्दशहर का है रैन बसेरे का जो आपने पूछा है तो रैन बसेरों की संख्या है प्रशासन द्वारा 11, नगर पालिका परिषद् द्वारा 8, नगर पंचायत द्वारा 9, कुल 28, शामली में कम्बल 1 हजार 50, कैराना में 1 हजार 20 कुल हुए 2 हजार 70, शामली में अलाव की संख्या 36, कैराना में 46 और रैन बसेरे की संख्या शामली में 5 और कैराना मे 4 कुल संख्या 9, (शोर)।

श्री अध्यक्ष-

अब शामली का बता दिया पंकज जी अब बैठो।

श्री अम्बिका चौधरी-

मुजफ्फरनगर में सदर तहसील में 10, जानसठ में 5, खतौली में 10, बुढ़ाने में 15, कुल 40 नगर पालिका द्वारा 46, सदर में रैन बसेरों की संख्या सदर में चार, जानसठ में 3, खतौली 2, बुढ़ाने में 3 कुल संख्या 12, मान्यवर, भवनों की संख्या सदर में 1225, जानसठ में 1225, खतौली में 1200, बुढ़ाने में 1200 कुल 4850, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा सदर में 500, जानसठ में 400, खतौली में 325, बुढ़ाने में 250 कुल 1475, (शोर)

नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री इंद्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से आपके माध्यम से एक जानकारी चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में जो कम्बल खरीद की जाती है इसके कोई रेट निर्धारित हैं उत्तर प्रदेश में या प्रत्येक जिले के लिए जिलेवार अलग-अलग हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अधिकतम राशि चिन्हित करके प्रत्येक जिले को दे दी गयी थी और उसके मानक निश्चित करके बता दिये गये थे कि इतनी लम्बाई, चौड़ाई और वजन के होंगे। मानक निश्चित करके प्रत्येक जिले को दे दिया गया था। कोई सेन्ट्रलाइज परचेजिंग नहीं हुई थी, पिछली बार की तरह से

यहाँ खरीद करके और उसको पूरा डम्प करके बांटने का काम नहीं हुआ है। धनराशि चिन्हित करके प्रत्येक जिले को दे दी गयी थी और कलेक्टर को मानक दे दिए गये थे और उसी मानक के अनुसार प्रत्येक जिले में उनकी खरीद हुई है और प्रत्येक जिले में एक रेट पर खरीदने के लिए दिया गया था, अलग-अलग रेट पर खरीदने के लिए नहीं दिया गया था।

(श्री सुरेश राणा तथा कुछ अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिए। अब प्रश्न संख्या-10 श्री छोटे लाल वर्मा जी। आप लोग बैठिए, उत्तर आ गया है, मैने अगला प्रश्न ले लिया है। माननीय राजस्व मंत्री जी, प्रश्न सं0-10 का उत्तर दीजिए।

(श्री सुरेश राणा तथा कई अन्य सदस्य बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

राणा जी, बैठ जाइये, पूरा जवाब आ गया है, अब प्रश्न सं0-10 का जवाब सुनिए। यह कम्बल से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। लल्लू जी, आप बैठिए। राणा जी, बैठ जाइये। आपको इस सवाल में कुछ गलत लगे तो नियमों में प्राविधान है, आप 167-68, नियम-63 के अन्तर्गत पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर जवाब गलत है तो उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए लिख सकते है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य या सदन का कोई सदस्य किसी जगह के घोटाले की सूचना देगा तो उसकी जाँच करायी जायेगी।

प्रदेश में दैवीय आपदाओं से किसानों की फसल नष्ट होने पर राहत हेतु निर्धारित मानक

*10-श्री छोटे लाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आग, ओलावृष्टि, तूफान, वर्षा, पाला, सर्दी तथा बाढ़ आदि दैवीय आपदाओं से किसानों की फसल नष्ट हो जाने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार महंगाई के कारण खाद, बीज सिंचाई की बिजली के दाम बढ़ने के कारण उक्त सहायता राशि बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

भारत सरकार द्वारा दिनांक 16-01-2012 को निर्धारित किये गये मानक के अनुसार प्रदेश में दैवी आपदा से किसानों की फसल नष्ट हो जाने पर निर्धारित मानको के अनुसार किसानों को राहत के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक दैवी आपदा से होने वाली क्षति के लिये राहत हेतु मानक निर्धारित किये जाते हैं जिनमें राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आप प्रश्न सं0-10 का उत्तर पढ़िए।

(श्री अम्बिका चौधरी ने उत्तर पढ़ा)

श्री छोटे लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मैंने मानक के निर्धारण के बारे में पूछा था। जो मानक निर्धारित किए गए दैवी आपदा में, ओलावृष्टि से कितना, आग से कितना, बाढ़ से कितना और जो अन्य दैवी आपदाएँ हैं, उसमें क्या-क्या मानक आपने तय किए ? आपने केवल यह बताया कि भारत सरकार में यह-यह मानक है, उसके आधार पर हमें जानकारी नहीं हो पाई है, मंत्री जी बताने का कष्ट करें ?

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी, जिन किन्हीं कारणों से, आग से, बाढ़ से या ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो जाता है तो कृषि निवेश अनुदान के रूप में, अगर किसान की 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाती है तो मान्यवर, 3 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से असिंचित क्षेत्र में देते हैं, 6 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में देते हैं और बिना बोये या परती क्षेत्र में लघु किसानों को न्यूनतम भू-भाग पर भी अनुदान देने की व्यवस्था है क्योंकि उनके पास हेक्टेयर में तो भूमि होती नहीं है। इसलिए न्यूनतम भू-भाग है या छोटे से छोटा टुकड़ा है तो उसको हम 500 रुपये न्यूनतम कृषि निवेश अनुदान के रूप में देते हैं। लेकिन शर्त है कि 50 फीसदी फसल नष्ट हो जानी चाहिए और मान्यवर, बिना बोये हुए में सिर्फ सूखे की स्थिति में जब आच्छादित नहीं होता है तो उसमें एरियावाइज देते हैं उसमें प्लाटवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि चिन्हित करने के लिए हमारी यूनिट जिला है। लेकिन पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमने तय किया था कि अगर पूरा जिला सूखाग्रस्त नहीं होगा तो तहसील को यूनिट मानकर अगर सूखे से प्रभावित है और 50 फीसदी से ज्यादा है, अगर अनाच्छादित रह जाता है, सूखे के कारण बोया ही नहीं गया तो उस स्थिति में कर देते हैं। दो स्थितियाँ हैं। उसमें सिर्फ बाढ़ और सूखा इन दोनों के कारण पूरी तहसील में 50 फीसदी से ज्यादा फसल बोई न जा सके तो उसको फिर हम इससे कवर करते हैं।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी माननीय विधायक यहाँ बैठे हैं करीब-करीब सभी का किसानी और खेती से संबंध है। जब खेतों की फसलों में आग लग जाती है, ईख, गेहूँ की फसलों में आग लग जाती है तो हम लोग मौके पर जाते भी हैं और जब हम डी0एम0 से या तहसीलदार से अनुदान की राशि देने के लिए कहते हैं और जब मुश्किल से 3-4 सौ रुपये बीघा के हिसाब से अनुदान दिया जाता है तो हम लोगों को भी शर्म आती है। माननीय मंत्री जी, बड़े विद्वान एवं योग्य मंत्री हैं किसानों के हमदर्द भी हैं। यदि भारत सरकार का इसमें कोई प्रतिबंध है और कोई रेखा निश्चित कर रखी है तो प्रदेश सरकार को इसमें अपनी तरफ से कुछ अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिए और भारत सरकार को भी इसमें पैसा बढ़ाने के लिए कहना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि गन्ने जैसी फसल बारहमासी फसल है। मैंने तो उन फसलों को बताया जैसे साल की एक फसल गेहूँ की हुयी या जायद की कोई फसल हुयी। बारह महीने की फसल जैसे गन्ना है तो गन्ने में हम 8 हजार रुपये प्रति हे0 देते हैं। और 8 हजार रुपये प्रति हे0 का मतलब हो गया कि पक्के बीघा से दो हजार रुपये प्रति बीघा। अगर किन्ही जगहों पर इससे कम दिया जा रहा तो अगर आप उसको मेरे संज्ञान में ले आयेंगे तो निश्चित रूप से हम उनको दण्डित करेंगे और पूरी राशि दिलवायेंगे।

श्री दलवीर सिंह-

इस पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा। कहीं कोई बेईमानी नहीं हो रही है इस अनुदान को देने में, जब कम से कम अनुदान दिया जाता है तो उसमें कोई क्या बेईमानी करेगा ? मेरा केवल यह कहना है कि आप इसमें कुछ बढ़ोत्तरी कराइये। यह बहुत कम अनुदान है। गेहूँ की फसल जल जाती है तो उसे 4-5 सौ रुपये बीघा या एकड़ के हिसाब से देते हैं तो हम लोगों को भी मजाक लगता है और हम शर्म की वजह से जाते भी नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि प्रदेश सरकार ऐसी घटनाओं के लिए अपनी तरफ से क्या व्यवस्था करेगी जिससे लोगों को तसल्ली हो सके ?

श्री छोटे लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे राजस्व मंत्री जी किसानों के हितैषी हैं और किसान हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब गाँव में किसानों का लाखों रुपये के मकान चाहे वह कच्चे, पक्के, झुग्गी हों या झोपड़ी हों वह जलकर नष्ट हो जाते हैं और मेरे क्षेत्र फतेहाबाद से 35 किमी0 दूर हेडक्वार्टर आगरा में है। वहाँ पर फायरब्रिग्रेड का कोई साधन नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि किसानों के मकान जल जायें तो उसको अनुदान का मानक तो बताया नहीं कि इतना जल जाएगा तो इतना मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह बहुत कम अनुदान है। प्रदेश सरकार भारत सरकार को लिखे और सौभाग्य है कि मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हुए है इस राशि को बढ़ाकर कम से कम तिगुना किया जाये और जब फसल जल जाती है तो 4-5 सौ रुपये मिल जाते हैं तो इस मंहगाई के समय में उससे क्या होता है ? इसलिए मान्यवर, इसको कई गुना बढ़ाने के आप आदेश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

हमारे आदेश से नहीं होता है, वह नियम है। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य का कहना यह है कि क्या सरकार इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार से आग्रह करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं उन्हें अवगत कराता हूँ, मान्यवर मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन चूँकि इन्होंने जिज्ञासा की है, इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पक्का मकान क्षतिग्रस्त होता है तो पक्के मकान की स्थिति में उनको 35 हजार रुपया देते हैं, कच्चा मकान है तो 15 हजार रुपया देते हैं और आंशिक रूप से अगर क्षतिग्रस्त होता है तो 6300 और 3200 रुपया

देते हैं। झोपड़ी के लिए 2500 रुपया देते हैं, अगर वह जल जाती है और झोपड़ी के साथ चूँकि पशुशाला अलग बनी होती है, जिसमें वह गाय, बकरी, तगैरह बांधते हैं, उसके लिए 1250 रुपया देते हैं। मैं माननीय सदस्य की और अन्य मा0 सदस्यगणों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उससे पूरी तरह से सहमति व्यक्त करता हूँ कि यह राशि बहुत कम है, यह राशि थोड़ी है। इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए और हम भारत सरकार से निश्चितरूप से इस स्तर पर प्रयास करेंगे, उनके साथ बैठक करके भी और उनको लिखकर के भी हम प्रयास करेंगे कि यह राशि बढ़ाई जाय। चूँकि मँहगाई भी बहुत बढ़ गयी है और उस स्थिति में 2500 रुपये में झोपड़ी क्या उस झोपड़ी का एक अंश भी तैयार होना मुश्किल है, इसलिए निश्चितरूप से यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए और भारत सरकार से हम इसकी डिमाण्ड करेंगे।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि दैवीय आपदाओं के बारे में तो आपने सारा जिक्र कर दिया, लेकिन जहां पर अपने शासन, प्रशासन की वजह से किसानों की पूरी फसल बरबाद हो गई है, उसके लिए क्या व्यवस्था है ? अभी जनपद मथुरा में बल्देव ब्लाक के अन्दर तीन गाँव में नहर का पानी आगे गया नहीं, पूरी फसल किसानों की बरबाद हो गई, 90 परसेण्ट क्या वह 100 परसेण्ट पीड़ित हैं, लेकिन आज तक उन तीनों गांवों के किसानों को कोई भी राहत/सहायता प्रदान नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इसमें आप कुछ करायेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बाकी विषय जो इस प्रश्न से अलग हट करके हैं, आज बड़ा अच्छा अवसर हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में विस्तार से बात आ जायेगी। इस समय इस प्रश्न से इसका कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मा0 मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि इस बार विधायक निधि में उन्होंने जो वृद्धि की, उसमें यह प्राविजन रख दिया कि दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों की मदद आप कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में किसी झोपड़ी की और अन्य की अगर आप मदद करना चाहें तो वह भी आप कर सकते है और इसमें आप बता दीजिएगा, पूरी चर्चा हो जायेगी। आपको और कोई मदद चाहिए तो आप बताइयेगा, हम उसको देखेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूँगा कि जो दैवीय आपदा की बात चल रही है, दैवीय आपदा में हमारा जो बंधा है, बंधा टूटने से ए0 पी0 तटबन्ध पर और अमवा तटबन्ध पर हजारों किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। इसकी सूचना भी हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को दी और आज तक एक रुपया उनको मुआवजे के तौर पर नहीं मिला। ए0 पी0 तटबन्ध से सटे सेवरई ब्लाक के जंगली पट्टी परसा आदि तमाम गांव, वह मैंने जिलाधिकारी को पत्र लिख दिया है, लेकिन आज तक एक पैसे का मुआवजा उन लोगों को नहीं मिल

पाया है, उनकी पूरी फसल बरबाद हो गई। मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या आपने जो कहा कि दैवीय आपदा में या बाढ़ पीड़ितों को फसल मुआवजे पर पैसा देने की बात सुनिश्चित की, तो क्या आप तमकुहीराज तहसील के ए0 पी0 तटबन्ध के किनारे बसे तमाम गांव तथा अमवा तटबन्ध के किनारे बसे तमाम गांवों की जो फसल का नुकसान हुआ है, क्या उनको समुचित मुआवजा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, ए0 पी0 तटबन्ध कहीं एक इन्च भी नहीं कटा है, यह इस सदन में मैं दोबारा कहना चाहता हूँ। हम लोग स्वयं वहां गये थे मा0 सिंचाई मंत्री जी के साथ और यह सुनिश्चित किया था कि किसी हालत में यह तटबन्ध टूटना नहीं चाहिए और इसकी पूरी व्यवस्था की थी। इस साल ए0 पी0 तटबन्ध कहीं टूटा नहीं है, यह सूचना सही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ और अगर किसी जल जमाव या किसी अन्य कारण से कहीं भी फसल का नुकसान हुआ है तो वह इससे प्रभावित होगा और आप इसकी सूचना हमको दे दीजिये। जितने लोग प्रभावित होंगे, अगर उनको नहीं मिला है तो निश्चित रूप से उनको मुआवजा मिल जायेगा।

(श्री अजय मिश्र 'टेनी' के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे, आप बैठ जाओ न। इसमें बार-बार सब लोग पूछ चुके हैं। क्या पूछना है बताओ, अगर प्रश्न इसी से सम्बन्धित है तो स्वीकार होगा।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मा0 अध्यक्ष जी, बिल्कुल इसी से सम्बन्धित है। मा0 अध्यक्ष जी, लखीमपुर जनपद बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित है। आज एक अतारांकित प्रश्न मैने प्रश्न संख्या-46 पर लगाया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या ऐसे लोग जो बाढ़ से निर्वासित हो गये हैं उनको पुनर्वासित करने हेतु आवास उपलब्ध कराये गये हैं। उसमें मुझे मा0 राजस्व मंत्री जी का उत्तर प्राप्त हुआ था।

श्री अध्यक्ष-

तो अभी इसमें क्यों कह रहे हो ? नियम तो पढ़ते नहीं हो। अरे, नहीं उस पर नहीं अपने नेता से पूछ तो लीजिये। आपको नियम पढ़ना चाहिये, किताब मिली है। क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं। ऐसे बहस कर रहे हो।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर, सुन लीजिये, प्रश्न तो पूरा सुन लीजिये तो इसमें कहा गया था कि भूमि उपलब्ध करायी जा रही है शासन के द्वारा। पहला प्रश्न मेरा यह है कि क्या सभी ऐसे निर्वासित लोगों को भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। दूसरा अभी जैसे क्षेत्र विकास निधि में यह प्राविधान किया गया है कि जिन लोगों को भूमि उपलब्ध करायी गयी है। क्या क्षेत्र विकास निधि से उनके आवासों का निर्माण कराया जा सकता है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बाढ़ से जो लोग विस्थापित हो जाते थे तो इसके पूर्व सरकारें जो बन्दोबस्त करती थीं तो बस इतना हो पाता था कि गाँव सभा की जमीन अगर आबादी की है तो उनको दे दिया जाता था। अगर गाँव सभा की जमीन नहीं है तो एक गाँव के लोग छः गाँव में, आठ गाँव में सड़क के किनारे, बन्धे के किनारे पीढ़ियाँ उनकी कट जाती थीं, उनका कोई प्रबन्ध नहीं होता था लेकिन हमारी इस सरकार ने पिछले बजट में यह प्रावधान किया कि 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया कि अगर गाँव सभा की जमीन नहीं है तो उस स्थिति में जमीन एक्वायर करके सरकार उसका पैसा देगी और जमीन एक्वायर करके उन लोगों को एक जगह बसाया जायेगा और मा0 अध्यक्ष जी, उसका कारण यह था कि जो सामूहिक जीवन उनका है, जो कम्युनिटी लिविंग है जिसमें जीने-मरने में एक-दूसरे के यहाँ आना-जाना, शादी-ब्याह में शामिल होना, प्रत्येक सामाजिक अवसर पर शामिल होना। इस कारण से उनकी बसावट एक जगह पर हो इसलिये हमने यह प्रावधान किया। पहली बार प्रावधान है उत्तर प्रदेश में और उस प्रावधान के अन्तर्गत प्रत्येक जिलाधिकारी को शासनादेश द्वारा सूचित कर दिया गया और कहीं कोई मामला है तो उन लोगों को बसाने की कार्यवाही के लिये प्रत्येक जनपद में यह व्यवस्था है। आप अपना दिलवा देंगे, मैं देख लूँगा उसको विशेष रूप से कि उनको बसाने के सम्बन्ध में, अगर सूचना है तो जिलाधिकारी ने क्या कार्यवाही की है। आज चूँकि प्रश्न से सम्बन्धित नहीं था, वरना हम पहले से जानकारी दे देते। इसलिये मान्यवर, इतनी ऐतिहासिक व्यवस्था हुयी है, इसके लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन बाढ़ पीड़ित कटान के लोगों की किसी ने चिन्ता नहीं की और उनको एक जगह बसाने के लिये सरकार ने अपनी ओर से जमीन खरीदने का इंतजाम किया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सड़क निर्माण के ठेके एवं व्यय धनराशि का विवरण

*11-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माडल पर अब तक सड़क निर्माण के कितने ठेके आवंटित किये गये हैं ? क्या उक्त माडल पर बनने वाली सड़कों में 20 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार की भी शामिल होती है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त माडल पर प्रदेश में बनने वाली सड़कों के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है तथा निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति क्या है और उसमें से टाप लेयर तक कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है ?

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ठेकेदारी व्यवस्था द्वारा कार्य नहीं होता है। इसमें विकासकर्ता अनुबन्ध द्वारा कार्य होता है। इसके अन्तर्गत अब तक उपशा में चार, यूपीडा में एक तथा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में एक विकासकर्ता अनुबन्ध हुआ है।

जिन परियोजनाओं में वाइबिलटी गैप फण्डिंग (वी.जी.एफ.) का प्राविधान रखा जाता है उनमें केन्द्र सरकार से 20 प्रतिशत तक की धनराशि प्राप्त की जा सकती है।

निर्माण कार्य निजी विकासकर्ता अपने व्यय पर करता है।

1-उपशा द्वारा कराये जा रहे 04 सड़कों के निर्माण की स्थिति निम्नवत् है:-

(क) दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग (एस.एच.-57) उत्तराखण्ड सीमा तक मार्ग पर अभी कार्य प्रारम्भ हुआ है, जिस पर पुल और पुलियों के कार्य का निर्माण प्रगति पर है।

(ख) वाराणसी-शक्ति नगर मार्ग (एस.एच.-5ए) पर अप्वाइंटेड डेट 05-02-2013 को दी जा चुकी है और कार्य अभी प्रारम्भ ही हुआ है।

(ग) बरेली-अल्मोड़ा मार्ग (एस0एच0-37) तथा मेरठ-करनाल मार्ग (एस0एच0-82) पर अभी कंडीशन प्रेसीडेंट न पूरी होने के कारण अप्वाइंटेड डेट नहीं दी जा सकी है।

2-नोएडा से आगरा तक 165 किमी0 लम्बे यमुना एक्सप्रेस-वे का कार्य पूर्ण हो चुका है।

3-यूपीडा द्वारा पी0पी0पी0 मॉडल पर गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु विकासकर्ता के साथ अनुबंध किया गया है, किन्तु सड़क का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है।

उपशा की सड़कों हेतु निर्माण से पूर्व की क्रियाओं यथा भूमि अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग आदि पर उपशा द्वारा रुपये 530.43 करोड़ तथा यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण में विकासकर्ता द्वारा अब तक रुपया 12,956.00 करोड़ व्यय हुआ है।

टाप लेयर तक का कार्य मात्र यमुना एक्सप्रेस-वे में ही पूर्ण हुआ है, जहाँ 165 किमी0 तक टाप लेयर सड़क का निर्माण किया गया है।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 मंत्री जी मैं यह बताना चाहूँगा कि जो आपने यहाँ पर उत्तर दिया है। उसके पीछे अगर आप देखें तो जबसे यह सरकार आई है मा0 मुख्य मंत्री जी की सोच इन्फास्ट्रेक्चर को डेवलपमेंट करने की है। वह कई बार विधान सभा में बोल चुके हैं। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए विकासकर्ताओं को बुलाने की बात कह चुके हैं, परन्तु जब आप उन विकासकर्ताओं को न्यौता देते हैं तो क्या अवस्थापना विभाग उन पर पूरा ध्यान देता है ? अवस्थापना विभाग अपने आपमें इतना संकुचित है। आपको वहाँ पर सक्षम अधिकारी बैठाने होंगे। वहाँ जो अधिकारी रहते हैं वे उन विकासकर्ताओं पर उतना ध्यान नहीं देते और उसका नतीजा यह होता है मान्यवर की विकासकर्ता का मन उखड़ जाता है काम करने से। आपने इन 4 सड़कों की बात कही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अन्तर्गत बनने वाली इन चार सड़कों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु शासन क्या कार्यवाही करेगा ? चूँकि इन 11 महीनों में कार्य की प्रगति लगभग शून्य हैं और जो उद्यमी है, वह निराश हो चुके हैं। दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहूँगा कि क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर बनने वाली इन चार सड़कों के बाद कितने विकासकर्ता आपकी सरकार में और आए अनुबंध माँगने के लिए ? मेरा तीसरा प्रश्न यह है....

श्री अध्यक्ष-

माथुर जी, आप एक-एक कर प्रश्न पूछिये।

श्री प्रदीप माथुर-

ठीक है पहले आप मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं। मा0 मंत्री जी, आप पहले प्रश्न का उत्तर दें।

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

माथुर जी, हमारे इतने सीनियर नेता हैं, सदन के सदस्य है। आपने प्रश्नों की ऐसी बौछार कर दी कि उसमें क्लीयर नहीं हो रहा है पहले किसे लें। आप पहले वन बाई वन बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माथुर जी, आप पहला प्रश्न आप पूछ लीजिए।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, अवस्थापना विभाग जरा चुस्त-दुरुस्त होना चाहिए और इसी को कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। अवस्थापना विभाग और विकासकर्ताओं के बीच में यही कम्युनिकेशन गैप है जो अभी मंत्री जी और हमारे बीच में हो रहा है। स्थिति यह है मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मॉडल के अन्तर्गत बनने वाली चार सड़कों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु शासन क्या कार्यवाही करेगा ? चूँकि 11 महीने में प्रगति शून्य है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इन चार सड़कों पर जो कि पी0पी0पी0 मॉडल पर बनने वाली हैं, उसमें सरकार क्या त्वरित कार्यवाही कर रही है, इसे पूरा कर दें। इसी का आप उत्तर दे दीजिए।

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, इन 4 में से 2 मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग के अुनबन्ध की तिथि 01-08-11 है। इन निर्माण कार्यो के लिए कई फॉरमेल्टीज पूरी होनी रहती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध करवाई जाती है। उसकी यूटीलिटी सिफ्टिंग करानी होती है। मार्ग के निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि पर वृक्षों का कटान कराना और तमाम फारमेल्टीज पूरी करनी होती है और हमारी सरकार में दो मार्गों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, हम तो यह सपने संजो रहे हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी के सपनों का प्रदेश बनेगा। यह तो क्लेरिकल जवाब आ गया है, सरकारी जवाब आ गया है। बकौल मा0 आजम खाँ जी के यह सरकारी जवाब हैं। तो यह तो सरकारी जवाब आ गया है। आप यह बताइये कि अवस्थापना विभाग को त्वरित और गतिशील बनाने के लिए जिससे कि और विकासकर्ता अनुबन्ध

करने आए प्रदेश में। मान्यवर, उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? मान्यवर यह जो चार सड़कें हैं इसमें कार्य कछुवे की गति से रेंग रहा है। मान्यवर, इन चार विकासकर्ताओं के बाद अन्य कोई विकासकर्ता आया नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई त्वरित कार्यवाही यह सरकार करेगी। मान्यवर, यह जबाब आना कि कितनी पुलिया बनेंगी इसमें लिखित एग्रीमेण्ट होता है यह बता दिया जाता है मान्यवर इतना बड़ा आगरा में समिट हुआ मान्यवर, इसमें आपको अलग से कोई विभाग शासन में बनाना पड़ेगा। उसमें अलग से हाईटेक लोगों को लगाना पड़ेगा और बाहर से कन्सलटेन्ट्स को लाना होगा।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, यह जो उपेडा और उपशा यह जो गठित हुआ था यह भी समाजवादी की सरकार के समय में उपेडा गठित हुआ था उस समय प्रयास किया गया था कि प्राइवेट लोग भी यहां आकर सड़क बनायें। मान्यवर, देश में पी0पी0पी0 मॉडल पर सड़कें बन रही हैं। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप माथुर जी को बताना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार के सौ दिन पूरे हुए थे तो इनका शिलान्यास हुआ था। कुछ समय लगता है देरी होती है उसके कारण विलम्ब होता है। पर्यावरण क्लीरियन्स की भी बात होती है केन्द्र सरकार से कई बार पर्यावरण क्लीरियन्स के सम्बन्ध में एन0ओ0सी0 मिलने में टाइम लगता है। हांलाकि उन्होंने थोड़ी व्यवस्था बदली है, एन0ओ0सी0 आप जल्दी दिला दिया करें तो काम तेज हो जायेगा। मेजों की थपथपाहट जो पी0पी0पी0 एग्रीमेण्ट का सवाल है वह समयबद्ध है और उसी समय पर यदि विकासकर्ता सड़क के कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो जुर्माना लगेगा।

मान्यवर, मथुरा टूरिज्म के लिए एक अट्रैक्शन है अगर माननीय प्रदीप माथुर जी मथुरा जिले में पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर जैसे गोवर्धन से माठ, मथुरा से गोवर्धन के लिए किसी सड़क का या कार्य का प्रस्ताव इस सम्मानित सदन के समक्ष रखेंगे तो हम उसको प्राथमिकता पर ले लेंगे।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, हमारे यहां यमुना एक्सप्रेस-वे पर कई लोग मारे गये थे माननीय मुख्य मंत्री जी भी वहां पर गये हुए थे माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक अतारांकित प्रश्न के सन्दर्भ में जवाब में बताया था कि किसानों के लिए अलग से चव्वालिस किलोमीटर का मार्ग बनना है उसमें काफी बन गया है और शेष सात किलोमीटर है तो मैं अनुरोध करूंगा कि शेष हिस्से की सड़क को भी माननीय राजस्व मंत्री जी बनवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह इसमें कहां है ?

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, उस शेष हिस्से को सरकार बनवाने का काम करे। वहां पर टोल-टैक्स लेना बन्द किया जाय, उसको लेकर वहां पर रोज लड़ाई-झगड़े होते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं घोषणा करने का कष्ट करें कि किसानों से वहां पर कोई टोल-टैक्स नहीं लिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

01-डा0 धर्मपाल सिंह -

[1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मेरठ में वृद्धावस्था पेंशन हेतु जारी धनराशि

02-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में वित्तीय वर्ष 2011-12 में वृद्धावस्था पेंशन हेतु कितनी धनराशि जारी की गयी ? क्या समस्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितने वृद्धों को पेंशन दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवेधश प्रसाद)-

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में जनपद मेरठ को कुल रु0 1146.009 लाख की धनराशि जारी की गयी।

जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल रु0 1145.841 लाख धनराशि व्यय की गयी है।

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2011-12 में 31911 वृद्धजनों को पेंशन दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के ग्राम लिलोईकला में अनुसूचित वर्ग की आबादी की भूमि पर अवैध कब्जे का प्रकरण

03-श्री रविन्द्र भडाना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज परगना ग्वारिच के ग्राम लिलोईकला में भूमि गाटा संख्या-471 मिन/0-120 अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए आबादी दर्ज है ? यदि हां, तो इन्हें किन कारणों से दिनांक 12-13 दिसम्बर, 2012 को तहसीलदार आदि की उपस्थिति में जबरन गलत तरीके से घर-बार से उजाड़ा गया है ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें पुनर्वासित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 व आधार वर्ष खतौनी के अनुसार गाटा संख्या-471 का पूरा रकबा 0.283 हे0 भगौती प्रसाद पुत्र दुखहरन ग्रामवासी के नाम दर्ज है। ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है, चकबन्दी प्रक्रिया गाटा संख्या-471 के 0.020 हे0 रकबे की भूमि नवीन परती अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी के लिये प्रस्तावित है। शेष भूमि खातेदार के नाम दर्ज है। धारा 52 के प्रकाशन के पश्चात् ही प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित मानी जा सकती है। उक्त ग्राम का धारा 52 का प्रकाशन अभी नहीं हुआ है।

दिनांक 12-13 दिसम्बर, 2012 को गाटा संख्या 471 में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अपितु गाटा संख्या-470/0.87 एकड़ जोकि खलिहान के खाते में एवं गाटा संख्या-877/6.03 एकड़ तालाब के खाते की दर्ज भूमि है, के सीमांकन के पश्चात् अवैध कब्जेदारों द्वारा अपना कब्जा स्वतः हटा लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र में आग लगने से पीड़ित परिवारों को राहत सहायता का वितरण

04-श्री मनीष असीजा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 में ग्रीष्म ऋतु में आग लगने से कितने घर जले, कितनी मौतें हुयीं तथा कितने लोग घायल हुए ? क्या सरकार बतायेगी कि अग्नि पीड़ितों के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या-क्या राहत कार्य किये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद फिरोजाबाद की फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 में ग्रीष्म ऋतु में आग लगने से 30 घर आंशिक रूप से जले हैं। किसी की मौत नहीं हुयी तथा कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 30 अग्नि पीड़ित परिवारों को गृह अनुदान के रूप में रु0 53,000/- तथा अहेतुक सहायता के रूप में रु0 43,800/- अर्थात् कुल रु0 96,800/- की धनराशि राहत सहायता के रूप में वितरित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमा पर सैन्य अभियानों हेतु वीरता पुरस्कारों की धनराशि में वृद्धि करने सम्बन्धी जानकारी

05-डॉ0 धर्मपाल सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमा पर मातृभूमि की रक्षा के लिये अपने प्राण न्योछावर करने एवं विभिन्न सैन्य अभियानों में अपने पराक्रम दिखाने वाले प्रदेश के जवानों को दिये जाने वाले वीरता पुरस्कारों में प्रदेश सरकार निर्धारित धनराशि में वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना में महामाया गरीब आर्थिक योजना के लाभार्थियों के अतिरिक्त इस पेंशन योजना का लाभ दिलाये जाने की जानकारी

06-श्री मनीश असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी ''रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना'' में पूर्व में लागू योजना महामाया गरीब आर्थिक योजना के लाभार्थियों के अतिरिक्त नये पात्रों को भी इस पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद इलाहाबाद व कौशाम्बी के कतिपय क्षेत्रों में मानक के अनुरूप सड़कों के निर्माण की जांच कराये जाने की मांग

07-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करंगे कि जनपद इलाहाबाद और जनपद कौशाम्बी के सिराथू, मंझनपुर, चायल विधान सभा क्षेत्रों में 2007 से 2012 तक मण्डी परिषद् द्वारा कुल कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है ? क्या उक्त सड़कों की गुणवत्ता मण्डी परिषद् के मानक अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत अवधि में कुल 788 सड़कों का निर्माण किया गया है।

जांच करायी जायेगी।

जांच परिणाम के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने की मांग

08-डॉ धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में राजकीय महाविद्यालय कम होने के कारण हजारों गरीब छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये दूसरे जनपदों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में 01 राजकीय महाविद्यालय (माता भगवती राजकीय महिला महाविद्यालय, आवलखेड़ा आगरा) तथा 18 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकताओं के अन्तर्गत 12वीं योजना में भारत सरकार द्वारा चिन्हित न्यून सकल नामांकन दर वाले 36 जनपदों में नये मॉडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। न्यून सकल नामांकन दर वाले उक्त 36 जनपदों में जनपद आगरा सम्मिलित नहीं है।

9-श्री उमेश पाण्डेय-

[दिनांक 20-2-2013 को अता0प्र0सं0-95 द्वारा उत्तरित]

जनपद मऊ की तहसील मधुवन की ग्राम सभा चक्की में आग लगने से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता

10-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ में दिनांक 06-12-2012 को ग्राम सभा चक्की मुसाडोही, ब्लाक फतहपुर मण्डाव, तहसील मधुवन, जिला मऊ में अचानक आग लग जाने से लगभग 10 परिवारों के घर जलकर राख हो गये हैं परन्तु पीड़ित परिवारों को अभी तक कोई भी आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की गयी है ? क्या सरकार पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

दिनांक 06-12-2012 को ग्राम सभा चक्की मूसाडोही ब्लाक फतहपुर मण्डाय, तहसील मधुवन, जनपद मऊ में आग लगने से लगभग 10 परिवारों के घर जलकर राख हो गये हैं। यह घटना विद्युत तार की चिन्गारी (स्पार्किंग) के कारण हुई है जो दैवी आपदा के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिये नियमानुसार अनुदान देय नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

11-श्री उपेन्द्र तिवारी-

[1ले सोमवार के अता0प्र0सं0-50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद व ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र आगरा की मण्डी परिषद् की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

12-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में 90-आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उ0 प्र0 मण्डी परिषद् द्वारा कितनी सड़कें बनाई गयी हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त सड़कों की हालत बहुत ही खराब है, जगह-जगह गड्ढे हो रहे है जिससे लोगों का आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

90 ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र आगरा में मण्डी परिषद् द्वारा वर्तमान तक 99 नग सड़कें बनाई गयी हैं।

29 नग सड़कें समयान्तराल के कारण मरम्मत योग्य हैं किन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

प्रश्नगत 29 नग मार्गों की मरम्मत हेतु जिलाधिकारी से अनुमोदित मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मरम्मत कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर में आलू व प्याज के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कराये जाने की मांग

13-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर में किसानों के आलू, प्याज आदि के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना न होने से क्षेत्रीय किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त विकास खण्ड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

जी नहीं।

जनपद गोरखपुर में 06 निजी शीतगृह कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 1555 कोल्ड स्टोरेज है जिनकी भण्डारण क्षमता 113.78 लाख मै0 टन है। इस प्रकार प्रदेश में आलू एवं प्याज के भण्डारण की कोई समस्या नहीं है।

यदि कोई इच्छुक व्यक्ति कोल्ड स्टोर स्थापित करना चाहता है तो उसे नियमानुसार सुविधा एवं राज्य सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के ग्राम कोलखास में सरयू नदी के कटान से पीड़ितों को अन्यत्र बसाये जाने की मांग

14-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला के ग्राम कोलखास के अस्तित्व को सरयू नदी के कटान द्वारा समाप्त किये जाने के पश्चात् बेघर कटाव पीड़ित परिवारों को अन्यत्र भूमि क्रय कर बसाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ।

बेघर कटाव पीड़ित परिवारों को बसाने हेतु एक एकड़ भूमि ग्राम दिस्तौलिया में एवं 0.50 एकड़ भूमि ग्राम बरडिया में किसानों की भूमि क्रय करने के लिए जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा

रु0 9,33,360 (रुपये नौ लाख तैंतीस हजार तीन सौ साठ मात्र) की मांग की गयी है जो शासन स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के ग्राम जगदीशपुर में राप्ती नदी के कटान से पीड़ितों को भूमि उपलब्ध कराये जाने की मांग

15-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला के ग्राम जगदीशपुर गांव राप्ती नदी के कटान से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो बेघर हुए ग्रामवासियों को भूमि उपलब्ध कराकर क्या अतिशीघ्र बसायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। गोरखपुर जनपद की तहसील गोला के ग्राम जगदीशपुर के मात्र 26 मकान राप्ती नदी के कटान से नष्ट हुए हैं। शेष 76 मकान अभी मौजूद हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

16-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बुजुर्गों के मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन में केन्द्र व राज्य का हिस्सा कितना-कितना है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वृद्धावस्था पेंशन की मिलने वाली धनराशि में औसत वार्षिक महंगाई दर के हिसाब से बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वृद्धावस्था/किसान पेंशन एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को रु0 300/- प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है, जिसमें रु0 200/- केन्द्रांश एवं रु0 100/- राज्यांश होता है।

80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को रु0 500/- प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है जो शत-प्रतिशत केन्द्रांश होता है।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बन्द कताई मिलों को पुनः चालू कराये जाने की मांग

17-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द बताई मिलों को पुनः चालू करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम, उ0 प्र0 राज्य यार्न कं0 लि0 एवं उ0 प्र0 राज्य कताई कं0 लि0 की 10 कताई मिलें मा0 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण परिषद् (बी0 आई0 एफ0 आर0) में पंजीकृत हैं। उक्त तीनों कम्पनियों की मिलों के सम्बन्ध में कार्यवाही मा0 बी0 आई0 एफ0 आर0 के निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में सरकारी डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

18-श्री सुरेश बंसल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में कोई सरकारी डिग्री कालेज न होने के कारण छात्रों को कठिनाई होती है? यदि हां, तो आबादी को देखते हुए उक्त क्षेत्र में सरकार एक डिग्री कालेज बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। जनपद गाजियाबाद में 01 राजकीय महाविद्यालय (मा0 कांशीराम राजकीय महाविद्यालय, लोनी सद्दीकनगर गाजियाबाद) 08 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 111 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकताओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित न्यून सकल नामांकन दर वाले 36 जनपदों में नये मॉडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। न्यून सकल नामांकन दर वाले उक्त 36 जनपदों में जनपद गाजियाबाद सम्मिलित नहीं है।

तिरुपति बालाजी मन्दिर ट्रस्ट के तर्ज पर श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर की सेवा नियमावली बनाये जाने का विचाराधीन प्रकरण

19-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यरत सभी अर्चकों तथा सेवादारों हेतु तिरूपति बाला जी मंदिर ट्रस्ट के तर्ज पर सेवा नियमावली बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

जी हां, राज्य सरकार के स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है।

उपर्युक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील बरेली में वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने समबन्धी जानकारी

20-डा0 अरूण कुमार-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में कितने लोगों को दिये जाने का प्राविधान है ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद बरेली की तहसील (सदर) बरेली में 11531 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में भी सभी पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार पेंशन दी जायेगी।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में विज्ञान वर्ग की उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना कराये जाने की मांग

21-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में एक भी विज्ञान वर्ग की उच्च शिक्षण संस्थान न होने के कारण जनपद के हजारों बच्चों को विज्ञान वर्ग की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये दूसरे जनपद जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद में विज्ञान वर्ग के उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय से लगभग 15 किमी0 की दूरी पर जनपद वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय सहित कुल 05 महाविद्यालय हैं, जहाँ पर विज्ञान वर्ग में उच्च शिक्षा ग्रहण किये जाने की सुविधा उपलब्ध है।

जनपद मऊ में सरयू नदी की कटान से बची भूमि का सीमांकन कराकर भूमि पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

22-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नदी की कटान से जनपद मऊ के दोहरी घाट, धनौली रामपुर, भैंसा खरग एवं लोहड़ा की तीन हजार एकड़ भूमि वर्तमान में जिला गोरखपुर के तहसील गोला के ग्राम बड़हलगंज के भू-माफियाओं के कब्जे में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विवादित भूमि का सीमांकन कराकर जनता को उसकी भूमि पर कब्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सरयू नदी के किनारे स्थित ग्राम दोहरी घाट, धनौली रामपुर, भैसा खरग, लोहड़ा तहसील घोसी जनपद मऊ में स्थित है। दोहरी घाट, भैसा खरग का कोई भी भू-भाग सरयू नदी की धारा की कटान से प्रभावित नहीं है। इन ग्रामों के सभी कास्तकार अपनी भूमि पर काबिज दाखिल हैं।

ग्राम धनौली रामपुर का 43.446 हेक्टेयर क्षेत्रफल नदी में विलीन है। इस ग्राम का कोई भू-भाग नदी के उस पार नहीं है। ग्राम लोहड़ा का 13.379 हेक्टेयर नदी में विलीन है तथा 1.866 हेक्टेयर नदी के उस पार रेता के रूप में हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मऊ के द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी, गोरखपुर/सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर को सीमा-विवाद संदर्भ संदर्भित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के कतिपय गाँवों में तालाब पाटकर अवैध निर्माण कराये जाने की जांच

23-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव खमिरयां व नवदिया में तालाब संख्या-521, 522, 523, 524, 525, 532 एवं 559 पर साजिशन श्रेणी परिवर्तित कराके मिट्टी डालकर तालाब पाटकर अवैध निर्माण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। गाटा सं0 521 क्षेत्रफल 0.145 हे0 जिल्द बन्दोबस्त में मिल्कियत सरकार (एन0जेड0ए0) सड़क खाम दर्ज है। खतौनी में भी सड़क खाम दर्ज है। मौके पर पक्का खड़न्जा पड़ा है, शेष खाली है।

गाटा संख्या-522 क्षेत्रफल 0.231 हे0 जिल्द बन्दोबस्त में तालाब एवं खतौनी में तालाब दर्ज है। मौके पर अन्दर नगर पालिका परिषद् बीसलपुर पुरानी आबादी बनी है।

गाटा संख्या-523 क्षेत्रफल 0.053 हे0 जिल्द बन्दोबस्त में बंजर एवं खतौनी में बन्जर दर्ज है। मौके पर अन्दर नगर पालिका परिषद्, बीसलपुर पुरानी आबादी बनी है।

गाटा संख्या-524 का कुल क्षेत्रफल 0.0494 हे0 है, जिसमें 0.259 हे0 क्षेत्रफल जिल्द बन्दोबस्त में पूर्व 1360 फसली श्रेणी-3 में खातेदार के नाम दर्ज था, जिसे अपर आयुक्त प्रशासन बरेली मण्डल, बरेली के आदेश दिनांक 31-12-1997 के अनुपालन में परगनाधिकारी के आदेश वाद संख्या-150/95-96, दिनांक 03-01-1997 धारा 229 बी जे0ए0एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत श्रेणी-3 के स्थान पर श्रेणी-1 घोषित किया गया है।

क्षेत्रफल 0.235 हे0 जिल्द बन्दोबस्त में खातेदार के नाम पूर्व 1360 फसली से श्रेणी-3 में दर्ज था, जो अपर आयुक्त प्रशासन बरेली मण्डल बरेली के आदेश दिनांक 31-12-1997 के अनुपालन में परगनाधिकारी के आदेश वाद संख्या-149/95-96 दिनांक 30-1-1997 के क्रम में धारा 229बी जे0ए0एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत श्रेणी-3 के स्थान पर श्रेणी-1 क घोषित किया गया है। खतौनी में गाटा संख्या 524 क्षेत्रफल 0.494 हे0 श्रेणी-1 क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है एवं मौके पर अकृषक/आबादी बनी है।

गाटा संख्या-525 का कुल क्षेत्रफल 0.231 हे0 जिल्द बन्दोबस्त में खतौनी में तालाब दर्ज है तथा मौके पर तालाब है।

गाटा संख्या-532 का कुल क्षेत्रफल 1.554 हे0 है, जिसमें से 0.032 हे0 खातेदार के नाम जिल्द बन्दोबस्त में श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। क्षेत्रफल 0.049 हे0 जिल्द बन्दोबस्त में श्रेणी-2 सीरदारी भूमिधर के रूप में खातेदारों के नाम दर्ज थे, जिन्हें बाद में संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान हुए। क्षेत्रफल 0.380 हे0 जिल्द बन्दोबस्त में श्रेणी-3 में खातेदारों का नाम दर्ज था, जिसे अपर आयुक्त प्रशासन बरेली मण्डल, बरेली के आदेश दिनांक 31.12.1997 के अनुपालन में परगनाधिकारी के आदेश वाद संख्या-149/95-96 धारा 229 बी जेड0ए0एल0आर0 एक्ट निर्णय दिनांक 03-01-1997 के क्रम श्रेणी-1 क का संक्रमणीय भूमिधर घोषित हुआ।

गाटा संख्या-532 मि0 क्षेत्रफल 1.093 हे0 जिल्द बन्दोबस्त में तालाब दर्ज था, जिसमें से 0.287 हे0 को परगनाधिकारी के वाद संख्या-97/1991-92, दिनांक 26-12-1992 को धारा-229 बी जेड0ए0एल0आर0 के अन्तर्गत एक्ट श्रेणी 1क में खातेदार के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हुआ तथा क्षेत्रफल 0.806 हे0 को परगनाधिकारी के वाद संख्या-77 दिनांक 19-03-1968 के द्वारा खातेदार बल्देव प्रसाद पुत्र नारायण लाल निवासी बीसलपुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हुआ। खतौनी में गाटा संख्या-532 क्षेत्रफल 1.554 हे0 श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। गाटा संख्या 532 के क्षेत्रफल 1.149 हे0 पर अकृषक/आबादी बनी है तथा 0.405 हे0 मौके पर तालाब है।

गाटा सं0-559 क्षेत्रफल 0.162 हे0 जिल्द बन्दोबस्त में श्रेणी 3 आसामी के रूप में पूर्व 1360 फसली से खातेदार का नाम दर्ज था, जिसे अपर आयुक्त न्यायिक, प्रथम बरेली मण्डल, बरेली अपील संख्या-35/1994 दिनांक 25-11-1994 को श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया गया। खतौनी में श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। मौके पर आबादी बनी है।

उपर्युक्त गाटों का श्रेणी परिवर्तन न्यायालयों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज के ग्राम भगवानपुर के भू-चित्र में त्रुटियों को संशोधित करने विषयक मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराये जाने की मांग

24-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिट याचिका संख्या-5582/2007 दिनांक 03-08-2007 एवं रिट याचिका संख्या-3488/2010 दिनांक 10.05.2010 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालनार्थ जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम भगवानपुर, तप्पा-हल्लौर, परगना-रसूलपुर, तहसील-डुमरियागंज के शिकायतकर्ता सत्य नरायन पुत्र वृजलाल आदि के प्रार्थना-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-05-2012 चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रपत्र 41 व 45 में ग्राम भगवानपुर के भू-चित्र में त्रुटियों को दूर कर पुनः संशोधित भू-चित्र बना दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ।

रिट याचिका संख्या-5582/2007 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03-08-2007 तथा रिट याचिका संख्या-3488/2010 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10-05-2010 के अनुपालन में ग्राम भगवानपुर के अभिलेखों का मिलान करते हुए तथा पृष्टिकृत भू-चित्र के अनुसार आकार पत्र 41 व 45 दुरुस्त कराते हुए नया भू-चित्र तैयार कराकर दिनांक 18-10-2011 को तहसील व अभिलेखागार में जमा करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेशों में मोबाइल टावरों से निकलने वाले खतरनाक रेडियेशन को देखते हुए टावरों की दूरी निश्चित कराये जाने की मांग

25-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मोबाइल टावरों से निकलने वाले खतरनाक रेडियेशन से कैंसर, नपुंसकता, बहरापन जैसी तमाम गम्भीर बीमारियों के बढ़ने की संभावना एवं वन्य जीवों की घटती संख्या को देखते हुए एक किलोमीटर के दायरे में दूसरा मोबाइल टावर न लगाने का निर्देश प्रदेश सरकार को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के उक्त निर्देश का पालन कराये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मोबाइल टावर्स के संबंध में जारी मार्ग दर्शिका में दूरसंचार विभाग से कहा गया है कि नये मोबाइल्स टावरों को संचालित मोबाइल्स टावर्स के 1.0 किलोमीटर त्रिज्या क्षेत्र में स्थापित नहीं किया जायें।

नये मोबाइल्स टावर्स को संचालित मोबाइल टावर्स के 1.0 किलोमीटर त्रिज्या क्षेत्र में स्थापित नहीं किये जाने के संबंध में कार्यवाही दूर संचार विभाग, भारत सरकार द्वारा की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित कराये जाने की मांग

26-डॉ धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडा स्थापित किये जाने हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार का कोई प्रस्ताव प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर प्रदेश द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के पश्चात् जनपद आगरा के फतेहबाद में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग

27-श्री छोटेलाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26.11.2006 को तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने फतेहाबाद जनपद आगरा की जनसभा में घोषणा की थी कि राजकीय महाविद्यालय फतेहाबाद की अन्य विषयों की कक्षायें खोलने के लिये सिंचाई विभाग की जमीन दी जायेगी ? यदि हां, तो क्या राजकीय महाविद्यालय फतेहाबाद के नाम उक्त जमीन करा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं,

दिनाक 26.11.2006 को जनपद आगरा के भ्रमण के दौरान तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि ''राजकीय महाविद्यालय फतेहाबाद में बी0एस0सी0/एम0ए0 की कक्षायें अगले सत्र से प्रारम्भ करने पर विचार किया जायेगा।''

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग से निःशुल्क प्राप्त 5 एकड़ भूमि वर्ष 2002 में ही महाविद्यालय के नाम दर्ज हो चुकी है।

प्रदेश में सब्जी के बीज खरीद में नियमावली बनाये जाने की मांग

28-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी तरह के सब्जियों के बीजों की खरीद में गड़बड़ियों की शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने बीजों की खरीद में पारदर्शिता लाने के लिये कोई नयी बीज खरीद नियमावली बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार किसानों को समय से बीज उपलब्ध कराने में हुई देरी तथा अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

प्रदेश में शंकर सब्जी के बीज की खरीद की प्रतावित प्रक्रिया की शिकायत सरकार के संज्ञान में आयी थी जिसके आधार पर तत्समय जिलावार प्रजाति की सूची सम्बन्धी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रंसस्करण द्वारा निर्गत आदेश संख्या 403-560/निवेश व्यवस्था/ 2012-13, दिनांक 1-8-2012 को शासनादेश संख्या 2428/58-2012 दिनांक 31-8-2012 द्वारा तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या 2876/58-2012-630/2012 दिनांक 8-10-2012 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

सरकार द्वारा बीजों की खरीद के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई गयी है। अपितु वर्ष 2012-13 में बीज, बायोफर्टीलाइजर आदि की खरीद के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3077-58/ 2012-440/2012 दिनांक 01.11.2012 निर्गत किया गया है। सरकार द्वारा बीजों व अन्य की

खरीद प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए अन्य प्रदेशों में प्रचलित निवेश नीति का अध्ययन कर आगामी वर्ष से तदनुसार नयी नीति लागू करने पर विचार किया जा रहा है। विवरण उपरोक्तानुसार है।

किसानों को समय से बीज उपलब्ध कराने में देरी हुई है परन्तु खरीद प्रक्रिया में कोई अनियमितता सिद्ध नहीं हुई। बीज खरीद प्रक्रिया के तत्समय कार्यरत नोडल अधिकारी को शासन के कार्यालय आदेश संख्या 3325/58-2012- 94/2011 दिनांक 26-11-2012 द्वारा मुख्यालय लखनऊ से जनपद बस्ती में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला स्तर पर किसान भवन बनाये जाने की मांग

29-डॉ धर्मपाल सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला स्तर पर किसानों के लिये किसान भवन बनाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आय प्रमाण-पत्र के निर्धारण के मानक तय करने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

30-श्री दलवीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 289/रालोद/वि0मं0द0/ 2012, दिनांक 30-10-12, आय प्रमाण-पत्र हेतु आय निर्धारण के मानक तय करने सम्बन्धी उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ।

आय प्रमाण-पत्र हेतु आय के निर्धारण का मानक निम्नवत है:-

''लेखपालों'' द्वारा आय के सम्बन्ध में जो आख्या प्रस्तुत की जाती है इसके लिए शासन द्वारा एक निर्धारित प्रारूप पर आवेदक का प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र प्राप्त किया जाता है जिसमें वह अपनी आय के सम्बन्ध में कृषि व अन्य स्रोतों से होने वाली आय का विवरण अंकित करता है, जिसके आधार पर लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थलीय जांच कर आय का आगणन किया जाता है और इस आधार पर तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

मजदूर वर्ग हेतु सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी दर का निर्धारण किया जाता है जिसके आधार पर मजदूर के पूरे वर्ष के कार्य दिवस की गणना करके आय का आगणन किया जाता है।

उक्त मानक में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं पाई गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चावल की कीमतों में कमी करने के उपाय

31-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान वर्ष 2013 में धान का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम होने से घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में वृद्धि हुई है ? यदि हां तो क्या सरकार चावल की कीमतों में कमी करने का उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुँवर आनन्द सिंह-

गत वर्ष 2011-12 में प्रदेश में 139.63 लाख मी0 टन चावल का उत्पादन हुआ। वर्तमान वर्ष 2012-13 में प्रदेश में चावल का उत्पादन 140.09 लाख मी0 टन अनुमानित है। जो गत वर्ष से अधिक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

32-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[1 ले मंगलवार के तारांकित प्रश्न सं0-71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में पात्र वृद्धावस्था पेंशन धारकों का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने की माँग

33-डॉ0 धर्मपाल सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने बी0पी0एल0 कार्ड धारक वृद्ध हैं जो पात्र होने के बावजूद भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं पा रहे हैं ? क्या सरकार उन सभी का प्रस्ताव ग्राम सभा/विकास खण्डवार तैयार कराकर उसे भारत सरकार को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

राज्य सरकार के शासनादेश संख्या-1312/26-2-2007-100(2)/07, दिनांक 19 जुलाई, 2007 के द्वारा पात्र और अर्ह व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें तथा नगरीय क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी पेंशन स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। सामान्य रूप से सभी पात्र और अर्ह व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जाता है। यह सूचना जनपदवार और विकास खण्डवार रहती है। विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार यह सूचना संकलित नहीं की जाती है।

यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि भारत सरकार को वृद्धावस्था पेंशन के पृथक से प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये जाते। भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स तथा नियमावली के अनुसार राज्य सरकार के स्तर से जनपदवार और विकास खण्डवार लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए यह पेंशन दी जाती है। अतः भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जाना है। पात्र और अर्ह व्यक्तियों को पेंशन योजना से आच्छादित करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा को अलग से निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद आगरा के ब्लाक स्तर पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराये जाने की मांग

34-डॉ0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ऐसे कितने ब्लाक हैं जिनमें राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं ? क्या सरकार ब्लाक स्तर पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद आगरा के 13 विकास खण्डों में राजकीय महाविद्यालय नहीं है।

जी नहीं।

वर्तमान में सरकार की प्राथमिकता न्यून सकल नामांकन दर वाले मुस्लिम बाहुल्य/असेवित विकास खण्डों में सहशिक्षा के राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने की है।

35-श्री मनीष असीजा-

[2 सरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे पर बिना टोल टैक्स जाने की अनुमति दिये जाने की मांग

36-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे पर सर्विस लेन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार निर्माण पूर्ण न होने तक किसानों व स्थानीय निवासियों हेतु यमुना एक्सप्रेस वे पर बिना टोल के जाने की अनुमति देगी एवं निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेस-वे पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार आवश्यकतानुसार विभिन्न भागों में कुल 46.80 किमी0 की सर्विस रोड बनायी जानी थी जिसके सापेक्ष अब तक कंसेशनायर द्वारा कुल 39.80 किमी0 की सर्विस रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष 7.0 किमी0 सर्विस रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उक्त कंसेशनायर अनुबन्ध दिनांक 07-02-2003 एवं टोल सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 1377/77-3-12-37(एम)/2012, दिनांक 08-08-2012 के अनुसार यमुना एक्सप्रेस-वे पर किसानों एवं स्थानीय निवासियों को बिना टोल के यात्रा करने का कोई प्राविधान नहीं है। उक्त अवशेष सर्विस रोड का निर्माण कार्य माह मार्च 2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत मानदेय शिक्षकों को स्थाई किये जाने की मांग

37-डॉ0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा महाविद्यालयों में कार्यरत मानदेय शिक्षकों को स्थाई करने के लिये गजट करते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा

आयोग अधिनियम में धारा 31 'ई' जोड़ी गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इन शिक्षकों को स्थाई करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेख यादव-

जी हां।

जी नहीं।

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत औचित्य नहीं बनता है।

प्रदेश में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु कार्य योजना सम्बन्धी जानकारी

38-डॉ0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक अनुश्रवण समिति गठित है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिन्दुओं पर विचार करती है। विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन तथा राज्य विश्वविद्यालयों के विभागों में सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित किये जाने की योजना क्रियान्वित है। राज्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का परिवर्धन किया जा रहा है एवं न्यून सकल नामांकन अनुपात दर वाले जनपदों में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों/डिग्री कालेजों के शिक्षकों के वेतनमान के अवशेषों का भुगतान कराये जाने की मांग

39-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों/डिग्री कालेजों के शिक्षकों को दिनांक 01-01-2006 से लागू नये वेतनमान के तहत दिनांक 01-01-2006 से 30-11-2008 तक के अवशेषों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार एरियर का भुगतान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेख यादव-

जी हाँ।

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के पश्चात कुल देय एरियर का 80 प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। उक्त धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने के पश्चात लम्बित एरियर का भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

40-श्री जाकिर अली-

[1ले सोमवार के अता0प्र0सं0-71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में उर्वरक लाइसेन्स पुनः बनाये जाने की मांग

41-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र में उर्वरक तस्करी रोकने हेतु सीमा से 15 कि0मी0 क्षेत्र उर्वरक लाइसेंस विक्रेताओं के लाइसेंस समाप्त कर दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश से नेपाल को हो रही उर्वरक तस्करी बन्द हो गई है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त 15 कि0मी0 के क्षेत्र में रहने वाले किसानों की समस्या को देखते हुए उर्वरक लाइसेंस पुनः बनाये जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

प्रदेश शासन ने सीमा से 15 कि0मी0 क्षेत्र के नहीं बल्कि शासनादेश संख्या 7674/12-2-2003-एफ042/2001, दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 द्वारा भारत नेपाल सीमा से 10 कि0मी0 क्षेत्र के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के उर्वरक व्यवसाइयों को उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निर्गत किए जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाये जाने एवं पूर्व में निर्गत उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र के अवसान की तिथि के पश्चात नवीनीकरण पर रोक लगायी गयी है पुनः शासनादेश संख्या 3671/12-2-2010-एफ042/2001, दिनांक 10 अगस्त, 2010 द्वारा उक्त प्रतिबंध को बनाये रखा गया है।

भारत-नेपाल सीमा से 10 कि0मी0 क्षेत्र के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के उर्वरक व्यवसाइयों को उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने पर उपरोक्तानुसार प्रतिबंध लगाये जाने से निश्चित तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर हो रही उर्वरक तस्करी को रोकने में मदद मिली है।

जी नहीं।

भारत नेपाल सीमावर्ती जनपदों में 10 कि0मी0 सीमा पट्टी के कृषकों को उर्वरक प्राप्त करने में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, इस हेतु सरकारी, सहकारी क्षेत्र एवं शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को उर्वरकों की आपूर्ति करायी जाती है। जनपद महराजगंज में सहकारी क्षेत्र के 17, पी0सी0एफ0 का 01 कुल 18 बिक्री केन्द्र, जनपद सिद्धार्थनगर में साधन सहकारी समिति के 04, डी0सी0एफ0 के 05 एवं आई0एफ0एफ0डी0सी0 के 05 कुल 14 बिक्री केन्द्र, जनपद बलरामपुर में साधन सहकारी समिति, पोखरभीटवा का एक, जनपद श्रावस्ती में साधन सहकारी समिति के 07 बिक्री केन्द्र, जनपद बहराइच में सहकारी क्षेत्र के 05 बिक्री केन्द्र, जनपद लखीमपुर खीरी में सहकारिता विभाग के 11, गन्ना विभाग के 09 कुल 20 बिक्री केन्द्र एवं जनपद पीलीभीत में साधन सहकारी समिति के 03, सहकारी गन्ना समिति के 02, हॉफेड के 02 कुल 07 बिक्री केन्द्र भारत नेपाल सीमा के 10 कि0मी0 क्षेत्र में स्थापित हैं। कृषकों को राशनकार्ड, जोत बही, निर्वाचन पहचान पत्र, बैंक पास बुक आदि के आधार पर उर्वरक उपलब्ध करायी जाती है।

जनपद इलाहाबाद की तलसील सोरांव के ग्राम बर्दनी में पट्टे की भूमि पर अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने की मांग

42-श्री फेरन लाल अहिरवार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद की तहसील सोरांव, ग्राम पंचायत चौबारा स्थित ग्राम बर्दनी के गाटा संख्या 403 व 401 पर गरीबों को पट्टा दिया गया था, जिस पर दबंगों ने अवैध कब कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को मुक्त कराकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। ग्राम बरदनी, परगना व तहसील सोरांव, जनपद इलाहाबाद के वर्तमान खतौनी 1415-1420 फसली की आराजी नम्बर 403 रकबा 0.0570 हे0 भूमि बंजर के नाम अंकित है, जिसमें 114-114 वर्ग मीटर का आवास आवंटन दिनांक 25-06-98 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी सोरांव द्वारा श्री लाल जी पुत्र रामफल व कुसुमलता पत्नी लालजी नि0 ग्राम बरदनी व रामजी पुत्र केदार नाथ नि0 ग्राम बरदनी व गुडिया देवी पत्नी सन्तोष कुमार नि0 ग्राम बरदनी को हुआ है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। पट्टेदारों का कब्जा है किसी दबंगों का कोई कब्जा नहीं है।

आराजी नं0 401क रकबा 0.0340 हे0 कमलापति पुत्र तेजेन्द्र नाथ व शेष कुमारी पत्नी स्व0 तेजेन्द्र नाथ नि0 ग्राम के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा आराजी नं0 401ख रकबा 0.1940 हे0 तालाब के नाम अंकित है, जिस पर कोई पट्टा नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ठण्ड से हुई मृत्यु के रोक थाम के उपाय

43-श्री सतीश महाना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, 2012 से 15 जनवरी, 2013 तक प्रदेश में ठण्ड से कितने लोगों की मृत्यु हुई है तथा उसकी रोकथाम व बचाव हेतु सरकार प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रश्नगत अवधि में प्रदेश में ठण्ड के कारण 02 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

जी हां।

शासनादेश दिनांक 26-11-2012 तथा 24-12-2012 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है व उन निर्देशों का अनुश्रवण किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने की मांग

44-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड थानाभवन में कोई कन्या महाविद्यालय स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में सरकार की प्राथमिकता न्यून सकल नामांकन दर वाले मुस्लिम बाहुल्य/ असेवित विकास खण्डों में सहशिक्षा के राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने की है। जनपद-शामली इसमें सम्मिलित नहीं है।

जनपद शामली के बच्चा शमशान घाट को कब्जा मुक्त कराये जाने की मांग

45-श्री सुरेश राणा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की अन्त्येष्टि स्थलों (शमशान घाट) पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने हेतु कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र स्थित जलालाबाद के बच्चा शमशान घाट जिसका खसरा नं0 2568 है, को कब्जामुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां। प्रदेश के ग्राम सभाओं के तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान आदि की जमीन पर से अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में बहुसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ग्राम सभा में निहित समस्त सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था उ0प्र0 जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी में प्राविधान है।

जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम जलालाबाद में खसरा संख्या 2568म/1-2-0 बीघा बंजर व 2568म/3-10-0 ऊसर अंकित है। फत्तू पुत्र नत्थू द्वारा उक्त खसरा के 0.0510 हे0 पर गेहूँ की फसल व अरशद पुत्र शहीद ने उक्त खसरा संख्या के 0.0720 हे0 पर लहसुन की फसल बोकर अवैध कब्जा कर लिया गया था, शेष रकबा मौके पर खाली था। राजस्व टीम द्वारा दिनांक 10-2-2013 को उक्त खसरा नं0 2568/4-12-0 की पैमाईश की गयी, जिस पर उक्त अवैध कब्जा धारकों द्वारा स्वेच्छा से गेहूँ व लहसुन की फसल काटकर कब्जा छोड़ दिया गया है और उक्त भूमि खसरा संख्या 2568/4-12-0 की पैमाइश कराकर मेड़ बनवा दी गयी है। कालान्तर में अवैध कब्जा न होने पाये इसलिये उक्त गाटे की मेड़ो पर पापुलर के पेड़ लगवा दिये गये हैं।

प्रश्न नही उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में बाढ़ व कटान से निराश्रित लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने की मांग

46-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ व कटान से निराश्रित हुए लोगों के आवास उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में विगत वर्षो में बाढ़ व कटान से निराश्रित हुए लोगों को आवास उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो किन.किन गांवों के कितने परिवारों के यह सहायता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। बाढ़ व कटान से बेघर हुये परिवारों को आवास हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के विनियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन कराये जाने की माँग

47-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत वर्ग 4/दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 1438/80-1/2011-600(2012)/2010, दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 के अनुपालन में विनियमितीकरण कर दिया गया है? यदि हां ? तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शासनादेश संख्या 1438/80-1/2011-600(212)/2010, दिनांक 21-12-2000 न होकर 21-12-2011 है जिसके अनुपालन में 498 कर्मचारियों का विनियमितीकरण कर दिया गया है।

498 कर्मचारियों का विनियमितीकरण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

48-डा0 धर्मपाल सिंह-

[मा0 सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज की ग्राम सभा चमरौली में ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने की मांग

49-श्री दीपक कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा चमरौली परगना झलोतर अजगैन, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव में भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से ग्राम सभा की सुरक्षित भूमि बंजर व ऊसर तथा भानखेड़ा चमरौली के दलितों की पैतृक भूमिधरी जमीन पर कब्जा करके राम समुझ

गुरूकुल महाविद्यालय चमरौली में बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-06-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जा कब तक हटवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ।

रामसमुझ गुरूकुल महाविद्यालय का निर्माण गाटा सं0 380 मि0 रकबा 0.379 हे0 पर हुआ है। रामसमुझ गुरूकुल महाविद्यालय चमरौली संचालित रामसमुझ एजू0 सोसाइटी द्वारा कार्यकारी सचिव/प्रबन्धक राजेश चन्द्र तिवारी द्वारा प्रश्नगत भूमि का क्रय श्री सर्वेश चन्द्र पुत्र श्री रमेश चन्द्र नि0 नवाबगंज से किया गया है। महाविद्यालय का निर्माण क्रय की गयी भूमि पर ही किया गया है। अतः इसे अवैध कब्जा नहीं कहा जा सकता है। इस महाविद्यालय के समक्ष सड़क के दूसरी तरफ इसी गाटा संख्या 380 का जुड़ा भाग है जो खाली पड़ा है तथा अतिक्रमण मुक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र रेनूकूट की प्लास्टिक कम्पनी के कचरे से हो रहे दूषित भू-जल के निराकरण कथित प्रकरण

50-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के रेणुकूट में प्लास्टिक तैयार करने वाली कम्पनी से निकलने वाले रासायनिक कवरे एवं प्रदूषण से रिहन्द जलाशय के करीब स्थित लभरी गांव की आबादी एवं भू-जल प्रदूषित होने के कारण वर्ष 2010 में अज्ञात बीमारी से करीब दो दर्जन लोगों की मौत हो गई थी एवं आज भी दर्जनों लोग बीमार चल रहे है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सोनभद्र के रेनूकूट क्षेत्र में प्लास्टिक निर्माण की कोई इकाई स्थापित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला व नारखी में मण्डी समिति लखनऊ द्वारा अनेकों सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

51-श्री राकेश बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के बलाक टूण्डला व नारखी में मण्डी समिति लखनऊ द्वारा परीक्षितपुर बम्बा से रामनगर से सड़क, मरसलगंज की पुलिया से डेरा वंजारा नगला वलू तक, चिलासनी से कनकर होते हुए रैमजा की डावर की सड़क, मितावली रेलवे स्टेशन से मनी गढ़ी तक सड़क बनकर रोड से चुल्हावली तक, कोढला रोड कपावली कोल्ड के सामने से मुस्लिम बस्ती होते हुए कपावली डावर तक तथा नगला रामकिशन से रूघऊ मुस्तिकिल तक सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान तक उपरोक्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हैं।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला व नारखी में मण्डी समिति लखनऊ द्वारा अनेको मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

52-श्री राकेश बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला व नारखी में मण्डी समिति लखनऊ द्वारा राजमल से नगला करन सिंह होते हुये गढीदया होते हुये नगला धनवन्त मार्ग तक व राजमल से चूहरपुर तक सड़क, कायथा नारखी मार्ग से नगला बंधे तक सड़क, कुवेरगणी से मदनपुर तक, जामपुर ओखरा मार्ग से हलासपुर तक, बक्षेरा चौराहे से साहबगणी होते हुये रामगढ़ तक, छितराई मार्ग से वाजराईगणी तक, पमारी मार्ग से लालगणी मार्ग तक, चिलासनी मार्ग से बेलनगंज तक, लखनाई से कूवरपुर मार्ग तक ओखरा बम्बा की पुलिया से ओखरा प्राथमिक विद्यालय तक जामपुर मार्ग से ओखरा बम्बा तक मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान तक उपरोक्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या एवं उसमें कुलपति की नियमित नियुक्ति की मांग

53-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेद्र प्रताप-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे के प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं तथा उनमें ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जहां पर कुलपतियों की नियुक्ति नही हुई हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि कुलपतियों के पद रिक्त रहने से विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कुलपतियों की नियुक्ति किये जाने का कोई उपाय कर रही है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन कुल 14 राज्य विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 03 राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियमित नियुक्ति नही हुई है।

उपयुक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अन्तरिम व्यवस्था की गयी है।

एक राज्य विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा कुलपति नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है तथा दो विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियमित नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही श्री कुलाधिपति के स्तर पर अपेक्षित है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद आगरा के विक्टोरिया पार्क का जीर्णोद्धार कराये जाने की मांग

54-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल एवं लाल किला के मध्य स्थित विक्टोरिया पार्क का जीर्णोद्धार सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान भवन लखनऊ के गेट पर स्थापित भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौ0 चरण सिंह तथा भूतपूर्व मुख्यमंत्री पं0 गोविन्द बल्लभ पंत की मूर्तियों पर छतरी लगवायें जाने की मांग

55-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विधान भवन लखनऊ के गेट पर स्थापित भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौ0 चरण सिंह तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री पं0 गोविन्द बल्लभ पंत की मूर्तियों पर छतरी लगवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विधान भवन लखनऊ के भवन की मूल भव्यता एवं ऐतिहासिक स्थापत्य के महत्व को दृष्टिगत प्रकरण के सम्यक् परीक्षणोंपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के फतेहपुर सीकरी रोड की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

56-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहपुर सीकरी रोड सहारा के परिक्रमा मार्ग सहारा की सड़क क्षतिग्रस्त है। जिससे नागरिकों के आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

समयान्तराल के कारण सड़क मरम्मत के योग्य है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मार्गों के मरम्मत पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में सिर्फ यह विषय लाना चाहता हूं कि बिहार की औद्योगिक नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वह है पूंजी उपादान का, जो आपकी 2012 की उद्योग नीति में नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों नीतियों को दिखवा लें और इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लें यदि बिहार की नीति में पूंजी उपादान का प्रावधान है तो मुझे लगता है और अगर आप चाहते हैं कि निवेश किया जाय और पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास हो तो यह प्रावधान इसमें किया जाना चाहिये।

(कई माननीय सदस्यों के खड़ें होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब इस पर कई सवाल हो गये। मुख्य मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया तो अब क्या बचा है ? महाना जी, आप तो खुद ही उद्यमी है, आप सब जानते हैं, एक अपना उद्योग ही कानपुर से ले चल करके पूरब में लगा दें। अब आप बैठ जायें।

(श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज के खड़ें होने पर)

माननीय बुधौलिया जी, अब कोई उत्तर नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। उन्होंने बिहार की बात कही, उन्होंने कह दिया कि हम इसमें कुछ करेंगे, अब आप बैठ जाइये। प्रश्न अब नहीं है इसलिये नियम-301 लिया जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, आप अपनी बात बाद में कहियेगा। पहले 301 ले लेने दीजिये। आप यही कहेंगे कि आपका प्रश्न ट्रांसफर हो गया। हम उसका जवाब दे देंगे, पहले इसे ले लेने दीजिये।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स वसूले जाने विषयक प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री दलबीर सिंह-

मान्यवर, पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नोयडा में रोज झगड़ा झंझट हो रहा है, रोज लाठी गोली चल रही है माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में बैठे हैं और इसका उत्तर देने में वही सक्षम है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा अतारांकित प्रश्न था उसमें माननीय राजस्व मंत्री जी ने जवाब दिया है यमुना एक्सप्रेस-वे में किसानों के लिये जो साइड में सड़क बनाई गयी, वह 44 किमी0 लम्बी थी, जिसमें 7 किमी बिल्कुल नहीं बनी है। जो बनी भी है, वह भी टुकड़ों में है, एक किमी0 यहाँ,

एक किमी0 वहाँ, वहाँ ठीक ढंग से कोई साधन सवारी नहीं चल सकती है। टोल टैक्स पर जिगरपुर में रोज धरना चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ गये हैं, पूरे देश के नेता गये है, वहाँ 4 किसान गोली से मारे गये हैं, अब भी टोल टैक्स वसूली पर किसान रोज झगड़ा कर रहे हैं। जब तक यह सड़क पूरी न बन जाये, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग है कि तब तक यमुना एक्सप्रेस-वे किसानों के लिये टोल फ्री किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें, अब हो गया।

श्री दलवीर सिंह-

कुछ आदेश तो दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अब उसमें क्या आदेश दें। आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं और यह व्यवस्था का मामला ही नहीं है।

श्री दलवीर सिंह-

वह जवाब दें। राजस्व मंत्री जी का जवाब इसमें है।

श्री अध्यक्ष-

वह राजस्व मंत्री जी का जवाब है तो वह व्यवस्था नहीं बना। आप उसमें सप्लीमेंटरी नहीं पूछ सकते।

(आप टोल फ्री नहीं कर रहे हैं यह कहते हुए श्री दलवीर सिंह सदन के वेल में आ गये और उन्हें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी वापस अपने स्थान पर ले गये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता लोक दल आप नेता भी है और वरिष्ठ भी हैं लेकिन आपको यह शोभा नहीं देता । जब आपकी सारी बातें सुनी जाती हैं तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिये।

श्री हुकुम सिंह-

खाली बात इतनी थी कि वह मिलना चाहते थे, वह मिल लिये और वह छोड़ गये।

आज की कार्य-सूची के नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 को तीसरे गुरूवार के लिए स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं आपको धन्यवाद दे दूँ कि आज की कार्य-सूची में नत्थी (क) में मेरा पहला प्रश्न लगा है। मान्यवर, अगर आप डेट देख लें तो 11-01-2013 को यह प्रश्न मैंने दिया था और आज पूरे 50 दिन हो गये। नियमों में मान्यवर, व्यवस्था यह है कि तारांकित प्रश्न के लिये 20 दिन का समय सरकार को मिलना चाहिये और अल्पसूचित के लिये 7 दिन का समय। अब मान्यवर, 50 दिन के बाद अगर यह लिखकर आये कि तीसरे गुरूवार के लिये स्थगित किया जाता है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिये, उसका नुकसान क्या होगा। नुकसान यह होगा कि तीसरे बृहस्पतिवार को मेरा प्रश्न चौदहवाँ, पन्द्रहवाँ

या बीसवाँ लग जायेगा। मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आ पायेगा मेरी पीड़ा यह है और प्रश्न क्या है प्रश्न यह है कि पाँच हजार किसान मित्रों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। जो किसान इस सरकार की प्राथमिकता में है और मान्यवर, जब प्राथमिकता का विषय है तो बीस नम्बर पर पहुँच जायेगा तो हम क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम इसको दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपने तो अपनी बात कह ही दी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अनुमति हो तो कह दें। मान्यवर, जो आपने कार्य-सूची में यह निर्धारित किया कि दो अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे और बीस प्रश्न तारांकित लिये जायेगे, आप कार्य-सूची देख लें 11 प्रश्नों पर इतिश्री हो गई । तीन प्रश्न स्थगित हो गये, दो प्रश्न पुनरावृत्ति के आधार पर कैंसिल हो गये। एक तरफ तो मान्यवर, प्रश्नों का उत्तर नहीं आ पाता और दूसरी तरफ 15 मिनट शेष बचा हुआ है, यह विरोधाभास है। मान्यवर, यह हमारे अधिकारों का प्रश्न है हम इस पर आपका कृपापूर्वक संरक्षण चाहते हैं। मान्यवर, इतनी बात कह दें कि इसको प्राथमिकता पर लगवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना जी, प्रश्न लगाने की एक प्रक्रिया है और प्रश्न चयनित करके तारांकित बनेगा, अतारांकित बनेगा, बड़ी छानबीन के बाद यह कार्य-सूची पर आता है। अब जितने प्रश्न आये होंगे उनको नियमों के अन्तर्गत परीक्षित किया जाता है। जितने प्रश्न परीक्षित हो जाते हैं उस दिन के लिए जो लग सकते हैं वह लगाये जाते हैं, यह बात आप भी जानते हैं आप भी मिनिस्टर रहे हैं और आप तो काफी ज्ञान वाले है। यह स्थगित हुआ है तो स्थगित का मतलब खत्म तो नहीं हो गया। स्थगित के मायने कि यह किसी न किसी दिन तो आयेगा ही, आप क्यों परेशान हैं। आप बैठ जायें हम इसे दिखवा लेंगे।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21-2-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनाएं स्वीकार की गई-

पहली सूचना पं0 अमरपाल शर्मा की जनपद गाजियाबाद के वैशाली, साहिबाबाद, साइट 4, में बिल्डरों एवं होटल मालिकों की मिलीभगत से नालों की पटाई कर अवैध रूप से आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना दलजीत सिंह जनपद बाँदा में पैलानी को तहसील बनाये, जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर महानगर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र की गुंजन विहार मुख्यमार्ग एवं प्रताप होटल से बजरंग चौराहा पर निकासी की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की माननीय उच्च न्यायालय का विकेन्द्रीकरण और गोरखपुर में एक पीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है।

पाँचवी सूचना श्री रविन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी में बिजली के सीमेन्टेड खम्भों की खरीद में हुई भारी धांधली के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री सन्त प्रसाद की खजनी विधान सभा क्षेत्र जनपद गोरखपुर में कुवांनों नदी के किनारे के रोहुवा गांव एवं नकाडी गांव के बीच बने बन्धे को रेगुलेटर के साथ बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री सलिल विश्नोई की संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान की इमरजेन्सी में बिस्तरों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक लोटन में गदहमरवां स्थित नाले के पुल की लम्बाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री गेंदा लाल चौधरी की जनपद हाथरस (महामायानगर) में ध्वस्त हो चुकी सीवर/ड्रेनेज व्यवस्था जीर्ण शीर्ण सड़कों एवं टूटी हुई नालियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री गोरख पासवान की बलिया जनपद की बेल्थरा रोड तहसील में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

बारहवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झाँसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना मे गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री छोटेलाल वर्मा की जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के नवनिर्मित तहसील भवन में अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री गुटियारी लाल दुबेश की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

पन्द्रहवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुरादाबाद के कांठ स्थित रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

दो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं उनके स्थान पर दो मा0 सदस्यों की सूचनाएं ले लेते हैं।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, सड़कों का मामला है, आपने कहा था कि कल ले लेंगे। आज दो मा0 सदस्य अनुपस्थित है उनकी जगह मेरी सूचना को ले लीजिए।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है, मूर्ति चोरी का प्रकरण था इसलिए मेरी सूचना को ले लें।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी सूचना लिये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये, मलिक जी बैठिये। जो दो जगह खाली है उसमें एक तो श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी की तथा दूसरी श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप जी की सूचना को ले लेते है।

(स्वीकृत सभी सूचनाएं संलग्न है जो पढ़ी हुई मानी गई)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई-

श्री प्रदीप चौधरी, श्री सुरेश बंसल, श्री विजय बहादुर यादव, श्री अजय मिश्र 'टेनी' डा0 अरूण कुमार, श्री राकेश बाबू, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री भी प्रसाद सोनकर, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री बृजेश कुमार, श्री पंकज मलिक, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री शमशेर बहादुर और श्री मदन चौहान।

जनपद गाजियाबाद के वैशाली, साहिबाबाद, साइट 4 में बिल्डरों एवं होटल मालिकों की मिलीभगत से नालों की पटाई कर अवैध रूप से आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा-

[महोदय-

मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद गाजियाबाद के वैशाली, साहिबाबाद, साइट 4 में बिल्डरों एवं होटल मालिकों की मिलीभगत से आवास विकास की निर्मित कालोनी के नालों को पटवाकर उन्हें अवैध रूप से नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नालों के ऊपर आवंटित कर दिया गया है। जिसके कारण क्षेत्रीय नागरिकों में रोष व्याप्त है।

इस संबंध में अनुरोध है कि उपरोक्त नालों को पटवाकर बिल्डरों एवं होटल मालिकों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से किए गये अवैध आवंटनों को निरस्त करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने हेतु संबंधित को निर्देश देने की कृपा करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बांदा में पैलानी को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह-

[मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी, जनपद बांदा में पैलानी तहसील की स्थापना की मांग एक लम्बे अर्से से की जा रही है। इस संबंध में कई बार राजनेताओं द्वारा घोषणाएं की गयीं, वर्ष 2002 में इस संबंध में शासन द्वारा घोषणाएं भी की गयी लेकिन अभी तक पैलानी तहसील स्थापित नहीं हो सकी है। इस क्षेत्र में तहसील न होने के कारण निवासियों को लम्बी दूरी चलकर तहसील मुख्यालय जाना पड़ता है। राजस्व अभिलेखों एवं अन्य जिला स्तर पर चलाई गयी योजनाओं का क्रियान्वयन तहसील स्तर पर ही किया जाता है। चाहे बी0पी0एल0 कार्ड हो, चाहे पेंशन आदि के संबंध में जानकारी करनी हो अथवा वोटर आई डी कार्ड का मसला हो, सब तहसील स्तर पर बैठे अधिकारियों के यहां होती है। इस क्षेत्र में तहसील न होने के कारण निवासियों को लम्बी दूरी चलकर तहसील मुख्यालय जाना पड़ता है, इससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को अत्यन्त असुविधा होती है तथा तहसील मुख्यालय पर जाने में काफी समय एवं धन की बरबादी होती है। लगभग 10 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत होने के बाद भी शासन द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। जनहित में जनपद बांदा में पैलानी तहसील बनाया जाना अति आवश्यक है।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ]

कानपुर महानगर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र की गुंजन विहार मुख्य मार्ग एवं प्रताप होटल से बजरंग चौराहा पर निकासी की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[महोदय-

कानपुर महानगर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र स्थित गुंजन बिहार (करही) मुख्य मार्ग विश्व बैंक बर्रा कालोनी, जे सेक्टर मकान नं0 जे 871 से जे 925 तक का मुख्य मार्ग अत्यधिक जर्जर अवस्था में है। स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार अनुरोध करने के बाद भी आज तक मार्ग निर्माण नही हो सका है। इससे जनता में आक्रोश व्याप्त है।

इसके अतिरिक्त शंकराचार्य नगर में प्रताप होटल से बजरंग चौराहा पर पानी निकासी की अत्यन्त गम्भीर समस्या है। अभी हाल में हुई बारिश में जलभराव के कारण आवागमन में काफी कठिनाई उत्पन्न हो गयी। इस समस्या के निराकरण हेतु जनता द्वारा नाला निर्माण तथा मुख्य सड़क निर्माण की मांग की जाती रही है। परन्तु स्थानीय उदासीनता के कारण कार्य सम्पन्न नहीं हो पाया है।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गुंजन विहार (करही) मुख्य मार्ग विश्व बैंक बर्रा कालोनी, जे सेक्टर मकान नं0 जे 871 से जे 925

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तक का मुख्य मार्ग निर्माण तथा शंकराचार्य नगर में प्रताप होटल से बजरंग चौराहा तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण एवं मुख्य सड़क निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

माननीय उच्च न्यायालय का विकेन्द्रीकरण और गोरखपुर में एक पीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[महोदय,

न्याय पाना नागरिकों के मौलिक अधिकार है और न्याय पाने के अधिकार में समय और सामार्थ्य के भीतर न्याय तक पहुँच भी वादकारियों का मौलिक अधिकार है। न्याय के सन्दर्भ में यह सर्वमान्य धारणा है कि न्याय को न सिर्फ सस्ता और सुलभ होना चाहिए बल्कि समय सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए। देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के समतुल्य होता है।

18वीं विधि आयोग ने जस्टिस ए0आर0 लस्समनन् की अध्यक्षता में आपनी 230 वीं रिपोर्ट में यह स्पष्ट अभिमत जाहिर किया है कि उच्च न्यायालयों का विकेन्द्रीकरण न्याय और वादकारियों के हित में है, जिससे उन्हे बहुत दूर न जाना पड़े। वादकारियों के लिए यह निश्चित रूप से लाभकारी होगा। जसवंत सिंह कमीशन ने भी 1985 में स्वीकर किया था कि यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालयों को विकेन्द्रित किया जाये और प्रदेश में उसकी और बेन्च खोली जाये।

छः करोड़ जनसंख्या के कर्नाटक राज्य में बैंगलूर के अलावा धारवाड़ और गुलबर्गा में 7 करोड़ की जनसंख्या के राजस्थान में जोधपुर के अलावा जयपुर में, मध्य प्रदेश में गवालियर और इन्दौर में, महाराष्ट्र में मुम्बई, नागपुर और औरंगाबाद में और तमिलनाडु में चेन्नई के अलावा मदुरै में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित है।

उच्च न्यायालयों के विकेन्द्रीकरण का सीधा असर न्यायालयों में मुकदमों के सुनवाई में लगने वाले समय और मुकदमों के बोझ पर है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2.32 लाख, महाराष्ट में 3.56 लाख और कर्नाटक में 1.66 लाख मुकदमों का बोझ है, वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 9,93,685 मुकदमें न्याय का इन्तजार कर रहें हैं अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को यह संस्तुति प्रेषित करें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जायें तथा गोरखपुर में उसकी खण्डपीठ स्थापित हो।

अतः लोक महत्व के द्वारा निश्चित एवं अविलम्बनीय विषय को नियम 301 के तहत उठाने हेतु अनुमति प्रदान करें ।]

जनपद वाराणसी में बिजली के सीमेंटेड खम्भों कीं खरीद में हुई भारी धाधंली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

[महोदय,

वाराणसी के लगभग 138 विकसित/अविकसित कालोनियों में विगत कई वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं। उन लोगों ने बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं। बिजली के बिल का भुगतान भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करते आ रहे हैं लेकिन उन्हें दो-दो तीन-तीन सौ मीटर से बांस-बल्ली के सहारे केबल के तार लेने पड़े हैं। उक्त आबादी व कालोनी के लोगों ने बिजली विभाग से बांस-बल्ली हटाकर खम्भों की मांग करते रहे लेकिन बिजली विभाग द्वारा उन्हे खम्भे नहीं दिये गये। मैंने स्वयं भी बिजली विभाग को कई बार खम्भे लगाने की बात कहां तो जवाब मिला कि फण्ड नही है तब मैंने अपनी विधायक निधि से धन देने के लिए पत्र भेजा और विभाग से 100 खम्भों का स्टीमेट मांगा। विभाग के लोगों ने 100 खम्भें का लगभग 11 लाख रूपये का स्टीमेट दिया साथ ही साथ बिजली विभाग ने यह कहा कि जो बांस-बल्ली हटाये जायेंगे उनके केबल के तार का भुगतान भी विधायक निधि से करना पड़ेगा। यानि कि 20 लाख और । बिजली विभाग के पास बिजनेस प्लान के अन्तर्गत करोड़ों रुपया आया है। मैंने उस योजना में भी धन देने हेतु आग्रह किया था। लेकिन बिजली बिभाग ने कहा कि बिजनेस प्लान में तार बदलने के लिए उपकेन्द्र लगाने के लिए राशि है, खम्भे के लिये धनराशि नहीं है। इसलिए उन्होंने खम्भा बदलने से मना कर दिया। मैने लाचार होकर बिजली विभाग को खम्भा सप्लाई करने वाली एजेंसी से सम्पर्क कर 100 खम्भे रु0 2,00,000/- में अपने वेतन के मद से खरीदा यानि एक खम्भा 2,000/- का पड़ा जबकि बिजली विभाग एक खम्भे का 11,000/- रुपये का आगणन दिया था। यानि की वास्तविक मूल्य ये 5 गुना ज्यादा राशि मांगी जा रही थी। मैने खरीद कर 138 कालोनी के लोगों को इकठ्ठा करके स्वयंसेवा के नाम पर स्वतः लगाने को कहा। नियमतः कोई उपभोक्ता यदि कनेक्शन लेता है तो उसको 40 मी0 केबल विभाग देता हैं। जबकि विभाग की मिली भगत से 3-3 सौ मीटर तक केबल दौड़ाये गये हैं।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच तथा निर्दोष जनता जो बिजली कनेक्शन लिये हैं उनको बांस बल्ली हटाकर सीमेंटेड खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग करता हूँ ।]

खजानी विधान सभा क्षेत्र जनपद गोरखपुर में कुवानों नदी के किनारे के रोहुवा गांव एवं नकौडी गांव के बीच बने बन्धे को रेगुलेटर के साथ बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद-

[महोदय-

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी अन्तर्गत कुवांनो नदी के किनारे बसे गांव रोहुवा, नकौडी डेहरा को बचाने के लिये बहुत पहले एक बन्धा बना था परन्तु 1998 की बाढ़ में उक्त बन्धा कट गया तब से आज तक वह बन्धा बना ही नहीं जिससे सैकड़ों एकड़ खरीफ की फसल बर्बाद हो जाती है। बाढ़ का पानी गांव में भी आ जाता है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की हानि होती हैं।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त बन्धे पर रेगुलेटर के साथ पुलिया बनाकर बन्धा पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान की इमरजेन्सी में बिस्तरों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सलिल विश्नोई-

[महोदय,

लखनऊ स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान (एस0जी0पी0जी0आई0) में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से रेफर होकर आने वाले असाध्य गम्भीर रोगों से ग्रसित मरीजों को इमरजेन्सी (आपातकालीन कक्ष) एवं अस्पताल में बेड खाली न होने के कारण मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है जिसके कारण आमजन को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है एवं अधिकांश मरीज अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं जिसके कारण परिजनों को मानसिक कष्ट होता है तथा शासन की आम-जनता को उचित इलाज देने की मंशा भी समाप्त हो जाती है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से एस0जी0पी0जी0आई0 के आपातकालीन कक्ष का विस्तारीकरण तथा अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाना अति आवश्यक है। इस समय बजट सत्र चल रहा है इसके लिए इसी सत्र में धनराशि की व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे आमजन को होने वाली कठिनाईयों में राहत प्रदान हो सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान (एस0जी0पी0जी0आई) की इमरजेन्सी में बेड़ों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक लोटन में गदहमरवाँ स्थित नाले के पुल की लम्बाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक लोटन में मेरे विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के अन्तर्गत मेरे निवास गदहमरवाँ से सटा हुआ एक नाला है जिसमें एक पुल का निर्माण, लम्बाई लगभग 15 मीटर एवं काली माई के मन्दिर के स्थान से उपरोक्त गांव तक एक रोड, ब्लाक बर्डपुर तथा कोहर घाट पर टोलर नाला पर, चैपुर मार्ग मिठ्वल के बीच में एक पुल लम्बाई लगभग 20 मीटर का निर्माण होना अति आवश्यक है। जिसके संबंध में मैने पूर्व में भी विकास कार्य हेतु लिखा था किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे जनता में बहुत जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से जनपद सिद्धार्थनगर, के उक्त कार्यों को कराये जाने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हाथरस (महामायानगर) में ध्वस्त हो चुकी सीवर/ड्रेनेज व्यवस्था, जीर्ण-शीर्ण सड़कों एवं टूटी फूटी नालियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेदालाल चौधरी-

[महोदय,

मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद हाथरस (महामायानगर) के सम्पूर्ण इलाकों विशेषकर मधुगढ़ी, नई बस्ती, श्री नगर, नई दिल्ली कालोनी, खोंड़ हजारी बाला पट्टी, नगला भेजा, नगला टीका, लाला का नगला, नगला नाई, नया बांस, सी0एल0 खेड़ा आदि मलिन एवं मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सीवर व्यवस्था एवं जीर्ण शीर्ण सड़कों एवं टूटी हुई नालियों के कारण चारों ओर गंदगी व्याप्त है। जिसमें संक्रामक रोग एवं महामारी की स्थिति बनी हुई हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जाती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते सीवर व्यवस्था एवं जीर्ण शीर्ण सड़कों एवं टूटी हुई नालियों को दुरूस्त कराये जाने की मांग करता हूँ ताकि हजारों लोंग इससे लाभान्वित हो सके।]

बलिया जनपद की बेल्थरा रोड तहसील में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरख पासवान-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बलिया जनपद के बेल्थरा रोड तहसील की ओर दिलाना चाहता हूँ कि बेल्थरा रोड की दूरी जनपद मुख्यालय से लगभग 70 किमी0 है। मुंसिफ न्यायालय न होने के कारण वादकारियों एवं आम जनता को काफी लम्बी दूरी तय करके जनपद मुख्यालय जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक एवं समय का काफी व्यय होता है। मुंसिफ न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव विगत 10 वर्षों से शासन के विचाराधीन है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बेल्थरा रोड तहसील पर मुंसिफ न्यायालय की मांग करता हूँ।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

[मान्यवर,

कृपया अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 222 बबीना (झांसी) में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है और क्षेत्र में ग्राम नया खेड़ा, खाड़ी, मानपुर, पुनावली, रक्सा में प्राचीन तालाब स्थित है जो गर्मियों में सूख जाते हैं। सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि बबीना क्षेत्र

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में जो तालाब स्थित है उनमें जल उपलब्धता की कमी है जिससे मनुष्य, पशु, पक्षियों को पेयजल के लिए अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं, पानी की कमी के कारण बहुत से जानवर एवं पक्षियों की मौत हो जाती है। क्षेत्र में पेंयजल की इस समस्या का निदान इन तालाबों के पास ही राजघाट नहर परियोजना संचालित है, इन तालाबों को इस नहर से गर्मियों में भरा जा सकता है। पानी की इस गम्भीर समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता में क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराते हुए साथ ही क्षेत्र में स्थित इन तालाबों को राजघाट नहर से भराये जाने की मॉग करता हूँ।]

जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के नवनिर्मित तहसील भवन में अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल वर्मा-

[मान्यवर,

अवगत कराना है कि जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में कुछ वर्ष पहले नई तहसील भवन का निर्माण कराया गया था, परन्तु तहसील भवन में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारियों के आवासों का निर्माण नहीं कराया गया है। जिससे अधिकारीगण रोजाना चले जाते है। जिससे सरकार का लाखों रूपये खर्च गाड़ियों के डीजल व अन्य खर्चों का वहन करना पड़ता है और जनता को रात्रि में अधिकारियों के न रुकने के कारण जनता का कार्य समय से नहीं हो पाता और लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे लोागें में भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त तहसील में अधिकारियों के आवासों का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के कांठ स्थित रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुर्रहमान-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र 25 कांठ, मुरादाबाद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ मान्यवर मेरा विधान सभा 25 कांठ जो रामगंगा नदी के दोनों ओर पड़ता है। कांठ से रामगंगा नदी के पार के क्षेत्र में जाने के लिए घूमकर जाना पड़ता है। जिसमें काफी समय एवं धन की बर्बादी होती है। उक्त तहसील कांट से तहसील ठाकुरद्वारा जाने वाला मार्ग है जो बेगमपुर, करनपुर से होकर गुजरता है। उक्त मार्ग पर रामगंगा नदी पर पुल नहीं है। जिससे यहां के रहने वाले एवं उक्त मार्ग से गुजरने वाले हजारों लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना कराना पड़

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहा है। मान्यवर यह भी भिज्ञ है कि यदि उक्त मार्ग पर रामगंगा नदी पर पुल बन जाता है तो दिल्ली से उत्तराखण्ड की दूरी लगभग 50 किमी0 कम हो जायेगी तथा मुरादाबाद शहर से भी जाम से निजात मिलेगी एवं यहां से गुजरने वाले यात्रियों सैलानियों द्वारा यहां के लोगों को जो गरीब हैं रोजगार के अवसर भी मिल जायेगें।

अत: जनहित में तहसील कांठ से तहसील ठाकुरद्वारा तक बेगमपुर-करनपुर होकर जाने वाले मार्ग पर रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण किये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

मेरठ शहर के सभी नालों की तलीझाड़ सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[महोदय,

मेरठ नगर निगम द्वारा पिछले कई वर्षों से नालों की सफाई न कराये जाने के कारण मेरठ शहर में जल भराव एवं गंदगी का जमावड़ा बना रहता है। नगर निगम मेरठ ने शहर के प्रमुख चार पांच बड़े नालों की सफाई कई पिछले वर्षों से नही करायी है जिसके कारण नाले सिल्ट से लबालब भरे है। कुछ नालों की तो ऐसी स्थिति है कि पैदल सिल्ट पर चलकर नाले के दूसरे पार जाया जा सकता है। सिल्ट पर पेड़ पोधे गये हैं। अनेकों बार नगर निगम के अधिकारियों को मौखिक एवं लिखित रूप से शिकायत करने के बाद भी नालों की सफाई के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनायी गयी है। अभी दो दिन पूर्व हुई बरसात ने नालों की सफाई न होने के कारण पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। कई घण्टों तक शहर की सभी कालोनियों में पानी भरा रहा । नालियों का पानी घरों में घुस गया। आबू नाला, ओडियन नाला, बागपत रोड नाला, कंकरखेड़ा नाला, रोहटा रोड नाला आदि की सफाई न होने के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। मेरठ शहर की जल निकासी की व्यवस्था तथा बीमारियों से बचाव हेतु मेरठ शहर के सभी नालों की तत्काल तलीझाड़ सफाई किये जाने की आवश्यकता है। जिसके लिए एक विशेष कार्य योजना बनाकर मशीनरी एवं मैनपावर लगायी जानी चाहिए।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मेरठ शहर के सभी नालों की तलीझाड़ सफाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम लक्खारामपुरवा के प्राचीन राम जानकी मंदिर की चोरी हुई अष्ट धातु की मूर्तियों को बरामद करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम लक्खारामपुरवा, वि0ख0 विशेश्वरगंज में स्थित प्राचीन राम जानकी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मंदिर से लगभग छह माह पूर्व दुलर्भ अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गयी थी। इस मंदिर के आस पास से हजारों नागरिकों की धार्मिक व भावनात्मक लगाव है। अब तक मूर्तियों के बारें में पता न लग पाने से क्षेत्रीय नागरिकों में काफी असंतोष है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ग्राम लक्खारामपुरवा के प्राचीन राम जानकी मंदिर की अष्टधातु की मूर्तियों को बरामद करने के लिए उचित कारवाई करने का आदेश देने की कृपा करें।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

[12.11] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आपके नियम-300 के अन्तर्गत कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुयी।

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-286 के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा पालनीय नियमों को सुनिश्चित कराते हुए सदन को गरिमा पूर्वक चलाने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी की सदन में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना का गलत एवं भ्रामक उत्तर दिए जाने से जनप्रतिनिधियों की गरिमा को पहुँची ठेस के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की सरकार द्वारा माफ किये गये कृषि ऋण, बेरोजगारी भत्ता, कम्प्यूटर, लैपटाप, विद्याधन योजना, हमारी बेटी उसका कल योजनाओं में लाभार्थियों की पात्रता का पुनर्निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री मो0 आसिफ की जनपद फतेहपुर के थाना हथगाम के ग्राम खुटारे में छेड़छाड करने एवं धमकाने वालों के विरुद्ध उचित कारवाई न होने से आहत एवं भयभीत कक्षा 8 की छात्रा द्वारा की गई आत्महत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

पाँचवी सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव की एक वर्ष में विधान सभा के तीन सत्र एवं 90 उपवेशन कराये जाने के सम्बन्ध में ।

छठीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की विधान सभा प्रश्नों पर सदन में दिये गये आश्वासनों को समय पर पूरा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

श्री प्रमोद तिवारी जी की सूचना सुनी जायेगी। बाकी सुचनायें नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है। जहाँ तक श्री मुकेश श्रीवास्तव जी की सूचना एक वर्ष में विधान सभा के तीन सत्र एवं 90 उपवेशन का संबंध है। यह अभी वर्ष का प्रथम सत्र चल रहा है और जब 90 दिन सत्र न चले तब कहना चाहिए। दूसरा श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का है, जो सदन में आश्वासन दिये जाते हैं उसके सम्बन्ध में, वह खुद ही आश्वासन समिति के चेयरमैन हैं वही कराते हैं, तो वह क्यों प्रश्न लगाते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 286 के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा पालनीय नियमों को सुनिश्चित कराते हुए सदन को गरिमापूर्ण चलाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने औचित्य के प्रश्न के रूप में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो सम्पूर्ण सदन से जुड़ा हुआ है, उसे उठाने की अनुमति प्रदान की। यह मेरा सौभाग्य है कि मा0 नेता सदन मुख्य मंत्री जी यहाँ उपस्थित है। मैं इस आशा के साथ मान्यवर, इसे रख रहा हूँ कि इस संवैधानिक प्रश्न पर नीतिपूर्वक एक ऐसा निर्णय आये।

एक मा0 सदस्य-

मान्यवर, सदन व्यवस्थित करा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण अपने-अपने आसन पर चलें।

श्री प्रमोद तिवारी-

एक ऐसा प्रश्न है जो सभी मा0 विधायकों के हितों से जुड़ा हुआ है इसलिए मै चाहता हूँ कि इस पर कृपापूर्वक आप दो मिनट मुझे सुनने की कृपा करें। मान्यवर, आभारी हूँ मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने जो विधान सभा क्षेत्र विकास निधि है उसे बढ़ाकर 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 50 लाख किया है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, विषय पर आईये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ यह सम्पूर्ण सदन की माँग थी, इसलिए सम्पूर्ण सदन आपका आभारी है मैं सिर्फ एक अनुरोध आपसे करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी एक बेनियमतः हो गयी है जो इस सदन में कभी आया नहीं और अगर आया होता तो शायद ऐसी बात न आने पाती। मान्यवर, कुछ नीति बने है, कुछ दिशा निर्देश बने हुए हैं जिसके अनुसार विधान सभा क्षेत्र विकास निधि माननीय सदस्य के संस्तुति पर दी जाती है।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल तो नियम-286 का है। नियम-286 क्या है इसको पढ़िये, आप इस प्रश्न को कहाँ ले जा रहे हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह आयेगा सिर्फ नियम-286 में ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत विन्रमतापूर्वक कहना चाहता हूँ, और जब बहुत विन्रमता होती है तो उसमें नियम नहीं देखा जाता है। (हंसी) मैं बहुत ही विन्रमतापूर्वक आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सम्भवतः किन्ही कारणों से ग्राम्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनवीर्क्षिण नहीं किया।

विकास विभाग ने जो दिशा निर्देश जारी किये है। उसमें एक भ्रमक दिशा निर्देश जारी हो गया है कि जो सम्मानित विधान सभा के सदस्य हैं, ये उन विद्यालयों को संस्तुत नहीं कर सकते हैं जिसमें वे स्वयं अथवा उनके परिवार के सदस्य प्रबन्ध समिति में सदस्य के रूप में जुड़े हों। मेरा तो सिर्फ यह कहना है कि पहली बात तो प्रबन्ध समिति के बारे में जानकारी हो जाए, प्रबन्ध समिति का मतलब स्वामित्व नहीं होता है। प्रबन्ध समिति अगर किसी विद्यालय में है तो वह 3 साल बाद, 1 साल बाद और 5 साल बाद परिवर्तित हो सकता है, वह किसी विधायक का स्वामित्व नहीं है। दूसरा, बहुत से सम्बन्ध रिश्तेदारों नातेदारों के अच्छे होते हैं, बहुत से संबंध भी नहीं अच्छे होते है। तो हम तो अपने किसी नातेदार या रिश्तेदार प्रबन्ध समिति में सदस्य है, इसकी जानकारी भी हमें हो सकती है और इसकी जानकारी भी हमें नहीं हो सकती है। मान्यवर, यह बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है कि जिस क्षेत्र की सेवा हम करते हैं, विधायक करता है उसमें कभी कभी उस क्षेत्र या उस विद्यालय के विकास के लिए हमारा नाम डाल दिया जाता है और हमें सूचना भी नही दी जाती और हमारी सहमति भी नहीं होती है। हमारे किसी रिश्तेदार का नाम डाला जा सकता है। मान्यवर, उसमें हम विधान सभा क्षेत्र विकास निधि से कोई संस्तुति कर दें तो हमारे सामने प्रबन्ध समिति होती नहीं, उसके सदस्यों की संख्या नहीं होती, उसकी सूची नहीं होती। अगर हो भी मान्यवर, तो बहुत ही विवादित होती है एक-एक कॉलेज के तीन-तीन मैनेजमेण्ट चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-286 पर आईये। आप कहाँ चले गये ?

श्री प्रमोद तिवारी-

नियम-286 पर मैं सबसे बाद में आऊँगा।

श्री अघ्यक्ष-

नियम-286 पर आइये जो असली काम है, पालनीय नियम क्या है आप उस पर न जाकर दूसरी तरफ जा रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं नियम-286 पर बाद में चलूँगा उसके पहले नियम-1 से लेकर 286 है तो बारी-बारी से 286 पर पहुँचूँगा। माननीय मुख्य मंत्री जी भी सिद्धान्ततः सहमत है और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी भी, वह खुद भी भुक्तभोगी है, वह भी सहमत है। 31 मार्च करीब आ रहा है। यह धनराशि जा चुकी है चूँकि धनराशि जा चुकी है तो बहुत से लोग ले भी जा रहे है विद्यालयों में, हम लोग उनकी संस्तुति भी कर रहे हैं जिससे मिल सके। मेरा एक विनम्रतापूर्वक आग्रह है मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी से, मा0 नेता सदन से कि एक संशोधन यथाशीघ्र चला जाए। जितनी जल्दी हो सके आप भेज दें कि यह जो एक नियंत्रण लगा है उसे हटा लिया जाए क्योकि अगर किसी का चला गया भूलवश तो इसमें एक दिक्कत आयेगी। आज चलिये, आपकी सरकार है बदले की भावना से कार्य नहीं करेगी। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियाँ आ सकती है जब बदले की भावना से कार्य हो, सरकार करना चाहे, कोई अधिकारी करना चाहे। कल सीमा द्विवेदी जी एक प्रश्न उठा रही थी। तो पता लगा कि हमने पैसा दे दिया, उस पैसे का भुगतान हो गया, भुगतान के बाद निर्माण भी हो गया लेकिन

पता यह लगा कुछ दिनों बाद कि किसी दरोगा साहब ने उसका संज्ञान लेते हुए हम पर दफा 409 और 420 का एक मुकदमा दायर किया और उसके बाद चार्जशीट भी दे दी। तो मान्यवर, करने गये हम अच्छा कार्य लेकिन वह कुछ और हो गया मेरा सिर्फ एक आग्रह है कि निर्देश मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी की तरफ से जल्दी चला जाए, पिछली बार आश्वासन भी दिया था जिससे मार्च के पहले पहुँच जाए और जो पूर्व की सुविधा थी कि अपने विधान सभा क्षेत्र में दिया जा सके, वह हो जाए। अगर कहीं कोई गड़बड़ी बेईमानी हो रही हो या लगता हो तो उसकी सीमा निर्धारित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-286 पर भी कुछ कहेंगे ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों को बताईये कि व्यवस्थित कैसे हो, पंडित जी नियम-286 पढ़ तो दीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर इतना ही पढ़ा-लिखा होता तो वहाँ न बैठा होता। (हंसी) जितना पढ़ा-लिखा हूँ उतना बोल रहा हूँ। बाकी आप समझ ले मैं तो सिर्फ दिशा-निर्देश चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, नियम-286 में यह है कि इस विधान सभा की गरिमा को बनाने के लिए विधायकों को क्या-क्या करना चाहिए ? कैसे आचरण करना चाहिए वह तो आपने बताया ही नहीं।

ग्राम विकास राज्यमंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 प्रमोद तिवारी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य है और अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से कह लेते है। माननीय नेता सदन व मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि विधायिका सबसे ऊपर है, इस पर कहीं उँगली न उठने पाये। जो जियो जारी हुआ है जो गाइड लाइन तय हुई है उसकी यह नीयत नहीं है कि किसी विधायक को रोक दिया जाए, कष्ट दिया जाए। समय-समय पर यह आ रहा था कि विधायक निधि में कई प्रकार के आरोप लगे। तो साफ सुथरी व्यवस्था हो, सही व्यवस्था हो इसलिए यह किया गया है माननीय प्रमोद तिवारी जी की बात को हमने सुना है नेता सदन जी जो बैठे है हम आपके साथ बैठ लेंगे जो निर्णय होगा उसको आपस में बैठकर तय कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद जी नियम-300 को आपने खूब धुमाया लेकिन यह बना भी नहीं 286 कहते तो नियम 300 बनता मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 286 तो बन गया। क्योंकि आपने जो आदेश दिया उसका मैंने पालन कर लिया यही सदस्यों के लिए पालनीय है कि अध्यक्ष पीठ से कोई आदेश हो तो उसका पालन किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप समझाते तो सब समझ जाते कि क्या-क्या करना चाहिए। माननीय सत्यप्रकाश अग्रवाल जी का है कि नियम-301 के अन्तर्गत जो सूचना जाती है सदस्य को वह गलत और भ्रामक रहती है। यह औचित्य का नहीं है अगर सूचना गलत और भ्रामक है तो अध्यक्ष के निर्देश में नियम-167-68 है, नियम-63 है प्रिविलेज है अगर कोई गलत सूचना है तो आप उनके खिलाफ प्रश्न उठाकर कार्यवाही करा सकते है और जहाँ कहीं गलत सूचना होगी तो अधिकारी के खिलाफ मंत्री कार्यवाही करेंगे इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह नियम-300 में नहीं आती है इसलिए इसकों आप नियम-167-68, नियम-63 में कार्य-संचालन नियमावली के अन्तर्गत आप इसको दे सकते हैं। यह नियम-300 में नहीं आती है। मैं अगली मद ले रहा हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृल कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 (दिनांक, 23 नवम्बर, 2012 से 05 दिसम्बर, 2012 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृल कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-3 में कुछ नहीं है।

श्री अगयश राम सरन वर्मा जी अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

[12.23] **जनपद पीलीभीत के व्यापारियों एवं किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पुराना बीसलपुर बरेली मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरनन्दन वर्मा आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका**

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं अपनी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत के व्यापारियों एवं किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पुराना बीसलपुर-बरेली मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरनन्दन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में नागरिकों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बाईपास एवं ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने विषयक श्री श्रीपाल सिंह दिनकर आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में नागरिकों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बाईपास एवं ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने विषयक श्री श्रीपाल सिंह दिनकर व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर विलसण्डा मार्ग पर कटना नदी सेतु के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत के बीसलपुर-विलसण्डा मार्ग पर कटना नदी सेतु के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के ग्राम बुहिता के पास माला नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मंगली प्रसाद आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर के ग्राम बुहिता के पास माला नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मंगली प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद पीलीभीत में दियोरिया कला परिक्षेत्र के ग्राम मकरन्दपुर रोशन सिंह के पास माला नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्यारे लाल वर्मा आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत में दियोरिया कला परिक्षेत्र के ग्राम मकरन्दपुर रोशन सिंह के पास माला नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्यारेलाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद पीलीभीत में ग्रामवासियों की जानमाल की सुरक्षा हेतु ग्राम बढ़ेरा में पुलिस चौकी की स्थायी स्थापना कराये जाने विषयक श्री महिपाल गंगवार आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत में ग्रामवासियों की जानमाल की सुरक्षा हेतु ग्राम बढ़ेरा में पुलिस चौकी की स्थायी स्थापना कराये जाने विषयक श्री महिपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर मो0 दुबे स्थित पुलिस चौकी पर पुलिस कर्मचारी तैनात कराये जाने विषयक श्री हरिनन्दन वर्मा आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत के बीसलपुर मो0 दुबे स्थित पुलिस चौकी पर पुलिस कर्मचारी तैनात कराये जाने विषयक श्री हरिनन्दन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में ईदगाह चौराहा स्थित पुलिस चौकी को संचालित किये जाने विषयक डा0 महेश गुप्ता आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में ईदगाह चौराहा स्थित पुलिस चौकी को संचालित किये जाने विषयक डा0 महेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर की मण्डी समिति परिसर में स्वीकृत पुलिस चौकी को संचालित किये जाने विषयक श्री सूरज कुमार आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर की मण्डी समिति परिसर में स्वीकृत पुलिस चौकी को संचालित किये जाने विषयक श्री सूरज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में दो नये ओवरहेड टैंक अधिष्ठापित किये जाने विषयक श्री सूरज कुमार आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में में दो नये ओवर हेड टैंक अधिष्ठापित किये जाने विषयक श्री सूरज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में स्टेडियम की अधिष्ठापना किये जाने विषयक श्री महेश गुप्ता आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में स्टेडियम की अधिष्ठापना किये जाने विषयक श्री महेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर ग्राम पंचायत ईंटगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत के बीसलपुर ग्राम पंचायत ईटगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर ग्राम पंचायत अमृता खास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक श्री पप्पू वर्मा आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत के बीसलपुर ग्राम पंचायत अमृता खास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक श्री पप्पू वर्मा व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर स्थित ग्राम पंचायत ईटगांव को नगर पंचायत घोषित किये जाने विषयक श्री रामपाल आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत के बीसलपुर स्थित ग्राम पंचायत ईटगांव को नगर पंचायत घोषित किये जाने विषयक श्री रामपाल व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर स्थित ग्राम पंचायत ईटगांव में विद्युत केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर स्थित ग्राम पंचायत ईटगांव में विद्युत केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर-पूरनपुर वाया रामलीला मार्ग पर ग्राम ढकिया रंजीत के पास माला नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने विषयक श्री महिपाल गंगवार आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत के बीसलपुर-पूरनपुर वाया रामलीला मार्ग पर ग्राम ढकिया रंजीत के पास माला नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने विषयक श्री महिपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[12.27] जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र 90 में नहर की पुलियों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री काली चरन सुमन-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र 90 में नहर की पुलियों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र सिंह व श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र 90 में विभिन्न मार्गों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री भारत सिंह मौर्य आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री काली चरन सुमन-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र 90 में विभिन्न मार्गों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री भारत सिंह मौर्य व बबलू द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6, मद संख्या-7, मद संख्या-8 में कुछ नहीं है।

[12.28] महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने के लिये अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा 5 की उपधारा (2) (क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने के लिये अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा 5 की उपधारा (2) (क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने के लिये अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा 5 की उपधारा (2) (क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मै आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 21 फरवरी, 2013 को निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ :-

यह सदन उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 21 फरवरी, 2013 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक

वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त राज्य नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये, दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त राज्य नियंत्रण बोर्ड में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है कि यह सदन उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 21 फरवरी, 2013 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त राज्य नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये, दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त नियंत्रण बोर्ड में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[12.31] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21 फरवरी, 2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई हैं। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

पहली सूचना	श्री स्वामी प्रसाद मौर्या, श्री लोकेश दीक्षित, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री राजबली जैसल, श्री रजनी तिवारी, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्या, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री शमशेर बहादुर शेरू भईया, श्री दीपक पटेल, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत तथा श्री बृजेश कुमार की।	प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री हुकुम सिंह,
श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,
डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,
श्री सतीश महाना,
श्री अजय मिश्र 'टेनी',
श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,
श्री रविन्द्र भड़ाना,
श्री रामचन्द्र यादव तथा
डॉ0 अरूण कुमार की।

तीसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर,
श्री प्रमोद तिवारी,
प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी,
श्री अनुग्रह नारायण सिंह,
श्री विवेक कुमार सिंह,
श्री प्रदीप चौधरी,
श्री बंशी सिंह पहाड़िया,
श्रीमती रूबी प्रसाद,
श्री विजय कुमार दुबे,
श्री गयादीन अनुरागी,
श्री दिलनवाज खां,
कुं0 कौशल सिंह,
श्रीमती माधुरी वर्मा,
श्री संजय प्रताप जायसवाल,
श्री राधे श्याम तथा
श्री ललितेशपति त्रिपाठी की
4) मो0 आसिफ की
5) श्री रामचन्द्र यादव की
6) श्री अगयश राम सरन वर्मा की।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

2-श्री पूरन प्रकाश,

3-श्री संजय कपूर,

4-मो0 गाजी,

5-श्री सलिल विश्नोई,

6-श्री राधेश्याम,

7-ठा0 सूरजपाल सिंह, श्री छोटेलाल वर्मा, श्री कालीचरन सुमन,
डा0 धर्मपाल सिंह, श्री भगवान सिंह कुशवाहा,

8-श्री धर्मपाल सिंह,

9-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप,

10-श्री पंकज कुमार मलिक तथा

11-श्री केशव प्रसाद मौर्य।

आप फिर खड़े हो गये। यद्यपि हम सभी यह जानते हैं कि अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और अभिभाषण में सब बातों का जिक्र होता है लेकिन चूंकि सभी दलों के नेताओं ने अपने-अपने सदस्यों के साथ मांग रखी है कि इस पर कुछ कहना चाहते हैं जबकि कानून व्यवस्था पर आपने अपने अभिभाषण पर भी ध्यान केन्द्रित किया था इसलिये मैं चाहता हूं कि दो-दो मिनट में आप बोल लें इसके बाद मैं अपना निर्णय दे दूंगा क्योंकि इस पर चर्चा नहीं कराना है। इसके बाद मैं तय करूंगा कि इस पर क्या करना है।

दो-दो मिनट ग्राह्यता पर बोल लें।

(श्री पंकज कुमार मलिक के खड़े होने पर)

अरे भई, आप क्यों खड़े हो गये। यह गलत बात है पहले आपके नेतागण बोल लें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कहां से व्यवस्था की बात आ गई। आप अपने नेता को बोलने दें। आपका टाइम आएगा तब कहिएगा।

श्री पंकज कुमार मलिक-

हमने अपने अधिकारों के तहत एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

जब सूचना आएगी तब बोलिएगा।

श्री पंकज कुमार मलिक-

अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम कहां जाएंगे। मेरे क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने नेता को बोल लेने दीजिये, फिर अपनी बात कहिएगा। माननीय मौर्या जी, दो मिनट में अपनी बात कह लें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, लगातार कानून-व्यवस्था जर्जर होती जा रही है और प्रदेश में जिस तरीके से भय और दहशत का वातावरण है, अराजक तत्वों के हौसले बुलन्द है और साथ ही साथ अराजक तत्वों के खिलाफ सरकार द्वारा प्रभावी कार्रवाई न हो पाने के नाते उनके हौसले और भी बढ़ गये हैं और जिसके परिणाम स्वरूप नित्य-प्रति बड़े पैमाने पर अपराध की घटनाएं घटित हो रही है। मान्यवर, हम केवल एक छोटा सा दृष्टान्त देना चाहेंगे, जिस दिन सदन का पहला दिन था, 14 तारीख, सदन का उपवेशन समाप्त होने के बाद मैं प्रतापगढ़ गया, एक शादी में सरीक होने के लिये, रात करीब 11.00 बजे मेरे पास सूचना आई, प्रतापगढ़ शहर के बगल में एक प्रतापगढ़ सिटी है, नगर पंचायत। वहां दो-दो बार चेयरमैन रहे हैं, श्री अशोक मौर्या जी। वह प्रतापगढ़ शहर से एक शादी समारोह से मोटर साइकिल से लौट रहे थे, जिसको उनका बेटा चला रहा था और पीछे एक आदमी और बैठा था। पीछे से किसी ने गोली मार दिया और अशोक मौर्या की तत्काल मौत हो गयी और दूसरा जो बीच में था, वह अभी भी इलाहाबाद के अस्पताल में अपने जीवन-मौत से जूझ रहा है। मान्यवर, एफ0आई0आर0 भी हुई लेकिन अभी तक करीब एक हफ्ते बीत गये हैं, किसी भी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार के लोगों को ही पुलिस प्रताड़ित कर रही है, उनसे पूछ रही हैं, उन्हें जबरियन थाने में बैठा रही है और परिवार के लोग जिनकी ओर इंगित कर रहे है कि फलां-फलां लोगों ने हत्या की है, उनसे न पुलिस पूछताछ कर रही है और न ही उनको पकड़ने के लिये उनके पास जा रही है, न उनको थाने बुला रही है, केवल परिवारीजन को परेशान कर रही है, उत्पीड़न कर रही है।

इसी प्रकार से मान्यवर, मैं दूसरी घटना के बारे में बताना चाहता हूं, यह कल की बात है। मेरी विधान सभा क्षेत्र पडरौना शहर, जहां पिछले कई सालों से कोई वारदात नहीं हुई है, अवैध कब्जे को ले करके, मान्यवर, एक हलवाई था, जिसकी एक छोटी सी दुकान थी, वह अपनी चाय की दुकान पर बैठा था, कुछ अराजक तत्व उस जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिये गये, उसने मना किया तो उसे लाठी-डण्डों से पीट-पीट करके सत्य नारायण हलवाई को मौके पर ही कफन-दफन कर दिया, मान्यवर, उसको मौत के घाट उतार दिया।

मान्यवर, इसी प्रकार से इसी 14 तारीख को फतेहपुर में एक लड़की जो 14 साल की थी, आरती देवी, जिसको कुछ अराजक तत्व उठाकर ले गये, उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया। उस लड़की ने जब देखा कि उसको न्याय नहीं मिल रहा तो सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने

के बाद एफ0आई0आर0 लिखी गयी लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मान्यवर, मैंने संक्षेप में तीन प्रकरण बताये हैं, तीनों में किसी में भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसका परिणाम है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में नंगा नाच चल रहा है। जब तक सरकार कानों में तेल डाल कर बैठी रहेगी, इस प्रकार की वारदातें होती रहेंगी। इसलिये मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोकमहत्व और जनहित तथा उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय बहुत सीमित है, विषय विशेष है। कल भारत बन्द का आह्वान था, आज भी है और यह देश में बढ़ती हुई मँहगाई को ले करके है। यह सही है कि देश की जनता पीड़ित है, दुःखी है और दुःख का इजहार करने के लिए ही इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा । लेकिन दो दिन पहले इसकी घोषणा कर दी गयी थी, हम अपेक्षा करते थे जो भी प्रदेश सरकार होगी, वह सुनिश्चित करेगी, हड़ताल होती रहे प्रदर्शन होते रहें लेकिन सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान न हो, आम आदमी को नुकसान न हो और कानून व्यवस्था कम से कम इस हद तक बनी रहे कि बसें न जलाई जायें, गाड़ियाँ न जलाई जायें, औद्योगिक प्रतिष्ठान न जलाये जायें। मान्यवर, कल जिस तरह से जंगलराज नोयडा जैसे स्थान पर हुआ है। नोयडा हमारे प्रदेश का एक आइना है जो भी उद्योगपति आयेगा, वह नोयडा को देख करके ही आयेगा और जो उद्योग आये हैं, वह नोयडा के कारण ही आये हैं। लेकिन मान्यवर, यदि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पायेगी, कानून-व्यवस्था ठप हो जायेगी और सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आग लगती रहेगी, जो मीडिया में आया उसको आधार मान करके, हजार से लेकर पन्द्रह सौ तक उद्योग प्रभावित हुए हैं। आग लगायी गयी है, 35 गाड़ियाँ जलायी गयी हैं। यहां तक कि आग बुझाने आयी दमकल की गाड़ी को भी आग लगा दी गयी। लोग जख्मी हुये हैं, गाड़ियों को छोड़-छोड़ कर भागे हैं। कोई पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं थी। शासन-प्रशासन कहां था, क्या हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि जब प्रदर्शन होंगे, लोग सड़कों पर आयेंगे तो कहीं उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। आखिर सरकार जैसी कोई चीज वजूद में है या नहीं। अगर सरकार वजूद में होती तो वहां दिखायी देती। 6 घण्टे तक नोएडा में सरकार का कोई वजूद नहीं था। अब आप कहेंगे हमने समिति बना दी जांच करेगी। इस प्रदेश में जांच के सिवाय और कुछ भी होगा क्या ? कुम्भ का मामला आया उसकी दो-तीन जांच चल रही है और भी जांच कर रहे हैं। अब नोएडा का आ गया। इस प्रदेश में कोई भी बात हो जाये उस पर नियंत्रण करने की शायद कोई मशीनरी यहां पर है ही नहीं। तकलीफ की बात यह है कि हमारे पास बराबर फोन आते रहे कि नोएडा में जंगलराज कायम हो गया है यहां न पुलिस दिखायी दे रही है न जिलाधिकारी दिखायी दे रहे हैं न प्रशासन के अधिकारी दिखायी दे रहे हैं। हम आपके संज्ञान में कल ही इसी वजह से लाये थे कि कम से कम सरकार तो चेत जाये।

मान्यवर, संभवतः इस सरकार की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था नहीं है। केवल यहां पर हम बहस कर लें या पंचम तल पर अधिकारी बैठे रहें उनके बैठने मात्र से नियंत्रण नहीं होने वाला, संवेदनशीलता होनी चाहिये थी। सरकार को यह अहसास होना चाहिये था कि अगर कोई कानून को

अपने हाथ में लेता है, तोड़फोड़ करता है, आगजनी करता है, उद्योगों को जलाता है तो उसको रोकने की व्यवस्था होनी चाहिये थी। सरकार पूर्णतया विफल रही। हर हफ्ते दो हफ्ते में ऐसी घटना सामने आती रहती हैं। आखिर इस सरकार का गठन क्यों हुआ था। मान्यवर, नोएडा तो पहले ही भुगत चुका है। नोएडा तो हमारे प्रदेश का आइना है। कुछ लोगों ने तो उसको बेचना शुरू कर दिया। वह बेचते रहे। अब हम लोग चाहते हैं उद्योग यहां पर आयें। आज उद्योग नीति पर आपने कृपापूर्वक सवाल भी कराये और आश्वासन भी दिया है कि उद्योग यहां पर आयेंगे। उद्योग कैसे आ जायेंगे। जब उद्योगों में आग लगायी जायेगी, जब उद्योगों की सुरक्षा नहीं होगी, जब सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर आग लगायी जायेगी और वहां पर पुलिस प्रशासन का वजूद भी नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर जो मैंने रखा है मैंने इस पर सिर्फ ग्राह्यता पर बोला है यह विषय गम्भीर है, विषय की गम्भीरता को देखते हुये इस पर चर्चा जरूर करा दें ताकि वहां की सारी वस्तुस्थिति आपके सामने आ जाये।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं अपने आपको माननीय हुकुम सिंह की कही बातों से सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जो घटना हुयी है वह हम सबके सामने है इस घटना का बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। अभी जैसे माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि आपने आज उद्योग नीति के बारे में बड़े प्रश्न करने का अवसर दिया। मान्यवर, कल जो घटना हुयी और उसके कारण उद्योगपतियों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि हम अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं चलायेंगे, वह तो बंद हुयीं ही लेकिन साथ में पूरे देश में यह संदेश भी गया है कि उत्तर प्रदेश में आज व्यवस्था नहीं है कि वहां पर उद्योग लगाये जा सकें। यह बड़ी गम्भीर बात है और इण्डस्ट्री के बिना प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। कल जो घटना हुयी है एक प्रकार से नोएडा में कल बहुत खराब स्थिति थी। केवल कुछ लोगों का बयान आ जाने से यह ठीक हो जाने वाला नहीं है। इसको ठीक करने के लिये सरकार को बड़ी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सामने आना पड़ेगा। केवल कुछ अधिकारियों के द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस करने से यह स्थिति सम्भलने वाली नहीं है। मान्यवर, यह बहुत संवेदनशील विषय है, उत्तर प्रदेश के लोगों से जुड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इस पर कही गयी बात पर अपने आपको संबंद्ध करते हुये आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाये।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मान्यवर, प्रदेश में कानून-व्यवस्था बद से बद्तर हो गयी है इस प्रदेश में जंगलराज कायम हो गया है। हमें उम्मीद थी कि जब यह सरकार आएगी तो कानून-व्यवस्था के मामले में पिछली सरकार से बेहतर काम करेगी।

प्रदेश में दिन दहाड़े हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण और साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। पिछले 11 माह में उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक हिंसा की 10 बड़ी घटनायें हुईं, बलात्कार की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1036 घटनायें, चोरी की 18244 घटनायें, अपहरण फिरौती की 4890 घटनायें, दहेज मृत्यु की 1308 घटनायें घटी, जोकि विगत वर्ष के आंकड़ों से बहुत ज्यादा हैं। कोसीकला मथुरा से शुरू हुई साम्प्रदायिक हिंसा, गाजियाबाद, बरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ होते हुए फैजाबाद जा पहुँची। जनवरी 2013 में फिर लखनऊ में दंगे हुए। हिन्दू-मुस्लिम तथा सभी सम्प्रदाय के लोगों की धार्मिक भावनायें आहत हुईं। मान्यवर, उसके पीछे कारण यह है कि पुलिस का निडर होना। जनता को निडर होना चाहिए था पर पुलिस बेखौफ होकर क्रिमिनल्स को पनाह दे रही है, उसके साथ मिलकर लूट करा रही है, जंगलराज और दरोगाराज कायम हो गया है। स्थिति यह है कि जो कल नोयडा में नंगा नाच हुआ है, उससे हमारे ईमानदार मुख्य मंत्री के सपनों पर पानी फिर गया है। उद्योगीकरण की जो दुहाई दे रहे है वह उद्योगीकरण कैसे होगा, जब इस तरह के दंगे, अराजकता होगी। पुलिस मुग्ध हो करके देखती रही। मान्यवर, कल लखनऊ में थाने के पास एक मेरठ के ज्वेलर को सरेआम लूट लिया गया, उसके साथ मार पिटाई हुई। 1090 आपकी वूमेन हेल्पलाइन बनाने के बावजूद भी महिलायें सुरक्षित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सिर्फ ग्राहयता पर बोलें, आप पूरी चर्चा क्यों कर रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

आज आम महिला प्रदेश में सुरक्षित नही हैं। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर विषय है, उन्नति की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, एक आइना दिखाने की बात करते हैं, जब तक यह आईना अच्छी तरह नहीं दिखेगा तब तक प्रदेश में सही कानून व्यवस्था कायम नहीं होगी। मान्यवर, 11 महीने बीत गये हैं, कब तक हम लोग चुप रहेंगे, कब तक हम लोग सरकार की दुहाइयों को मानेंगे। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है, इसके ऊपर आप चर्चा कराइये और इस मामले की गम्भीरता को देखिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो सभी नेताओं ने विचार रखे हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। एक विषय पर मैं अपने आपको केन्द्रित करना चाहता हूँ नोयडा में जो घटना हुई है, यह किस बात का परिणाम है, क्यों हुई है मान्यवर, सीधी सी बात है कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, अगर कोई नीति जनविरोधी है तो उसके खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से अपने आपको विरोध करने का अधिकार है। कल का जो विषय था उसका नोएडा से कोई ताल्लुक था नहीं, लेकिन नोएडा में जिस तरह सिलसिलेवार एक-एक उद्योग में आतंक पैदा किया गया, अराजकता पैदा की गई और मान्यवर, सिलसिलेवार चीजें की गई हैं, मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर आतंक और भय का वातावरण वहां पैदा किया है, लेकिन मेरा एक सवाल अपने आपमें है कि नोएडा, ग्रेटर नोएड़ा की तो पुलिस काफी मजबूत समझी जाती है और यहां पर मान्यवर, यह पाँच मिनट हो जाता, दस मिनट हो जाता, चार-चार घण्टे, पाँच-पाँच घण्टे यह कैसे इनको मदद नहीं मिल पाई। मैं समझता हूँ मान्यवर, एक सुनियोजित ढंग से यह किया गया है, एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है क्योंकि नोएडा का मतलब है इस उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र। तो मान्यवर, अगर हम वहां सुरक्षा की गारंटी नहीं

कर सकते तो इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमको कि हमें कहीं वहां पर एक सुरक्षित वातावरण हम दे सकते हैं, इसकी गारण्टी नहीं होगी तो इसका नुकसान पूरे उत्तर प्रदेश को होगा।

मान्यवर, निःसन्देह इसमें कोई दो राय नही है कि कल की घटना से कहीं न कहीं उन लोगों ने जो जनतांत्रिक अधिकार मिला था, उसको कहीं बढाया है। अगर हड़ताल है, स्वागत है, अहिंसात्मक ढंग से तो और स्वागत है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है कल उसकी सम्पूर्ण सदन को निन्दा करनी चाहिए और सम्पूर्ण सदन को एक कोड आफ कण्डक्ट के लिए जरूर कहना चाहिए कि हड़तालों में एम्बुलेन्स जाने पर रोकने का क्या तुक था, हड़ताल में उन लोगों को जो बीमार थे, जो अस्पताल जा रहे थे, उनको रोकने का क्या तुक था । मान्यवर, इन सब चीजों पर जरूर सदन में विचार-विमर्श होना चाहिए कि एक वैकल्पिक व्यवस्था तो हर हालत में देनी ही चाहिए थी। क्या पूरे देश को दो दिन डम्प करके, आज एक फीगर आई कि 36 हजार करोड़ के उत्पादन का नुकसान हुआ है। क्या भारत जैसा देश इसको बर्दास्त कर सकता है मान्यवर, सह सकता है इस दौर में। तो मान्यवर, यह 36 हजार करोड़ की क्षति और नोएडा में जानबूझकर की गई यह कार्यवाही, मान्यवर, इस पर हमें व्यापक चर्चा करानी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मो0 आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने तीन वाकये रखे है। एक श्री अशोक कुमार मौर्या जी की हत्या से सम्बन्धित है। बहुत दुःखद है लेकिन क्योंकि इसमें जाँच चल रही है और कभी ऐसा होता है कि परिवार के लोग भी किसी साजिश का हिस्सा होते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसमें कोई ऐसा संदेश न जाये कि जाँच में हस्तक्षेप विधान सभा के स्तर से हो रहा है। बिल्कुल यकीन दिलाना चाहते है आपको कि अगर कहीं भी कोई कमी होगी तो अब के बाद वह कमी नहीं रहेगी। दूसरा जमीन पर कब्जे को लेकर सत्य नारायण जी की हत्या का मामला है। इसमें भी तत्परता से कार्यवाही होगी, जाँच होगी। कोई भी मुल्जिम बचाने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये वह सरकार नहीं है जिसमें छुपे आदेश ये हों कि रपट दर्ज न की जाये, मुकदमा दर्ज न हो। न ये वह सरकार है कि मुकदमा दर्ज हो और उसमें इन्वेस्टीगेशन न हो। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूँ पूरी तस्दीक के साथ कि सरकार आने के बाद, बदलने के बाद बेशुमार केसेज उत्तर प्रदेश में वो है जो दर्ज हुये लेकिन उनका इन्वेस्टीगेशन नहीं हुआ तो इसमें कार्यवाही हो रही है और होगी। तीसरा है आत्महत्या का मामला तो इसमें भी कार्यवाही होगी लेकिन क्योंकि यह आत्महत्या का मामला है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसमें बलात्कार के बाद जब उसको न्याय नहीं मिला तब उसने आत्महत्या की है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी, वह सुसाइड का है तो आत्महत्या ही हुयी और किन कारणों से हुयी वह जाहिर है। देखने की जरूरत होगी तो और अगर आत्महत्या करने में कोई उकसाने वाला है तो 120बी का मुल्जिम होगा तो आपके इन तीनों मामलों में तत्परता से कार्यवाही होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब हत्यारों ने सामने हत्या की, दिन के आठ बजे खुले बाजार में चाय की दुकान पर। हत्यारे चिन्हित हैं, इंगित है तो जाँच का प्रश्न नहीं उठता एक चीज। दूसरी चीज मोटर साइकिल से आने वाले, उसका लड़का चला रहा था, बाप बैठा था जिसकी हत्या हुयी। एक दूसरा गाँव का लड़का था, जब चलाने वाला लड़का इंगित कर रहा है तो इसमें जांच कहां से आती है। जांच तो तब आती है जब कहीं किसी को इंगित न किया गया हो। इसलिये मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि आज यदि आपकी मंशा साफ है तो अगर आप चाहेंगे तो जो भी हत्यारे हैं उनको तत्काल सजा मिल जायेगी। मेरे इस प्रश्न को प्रस्तुत करने का मकसद यही है कि हत्यारों को सजा मिले।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसको किसी भी तरह से हल्के से नहीं लिया जा रहा है, न लिया जायेगा। जाहिर है कि हत्या से बड़ा कोई जुर्म नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग जो देखते हैं। वह सच होता है लेकिन जब एफ0आई0आर0 लिखी जाती है तो वह सच नहीं होती। उसमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल कर दिये जाते हैं जो हत्यारे नहीं होते हैं। अगर उनकी साजिश के तहत हत्या हुयी है तो उनको शामिल किया जाना चाहिये लेकिन साजिशी के तौर पर ही तो यह एक फर्क हो जाता है मौके पर हुयी वारदात और जो प्राथमिकी दर्ज होती है उसमें तो इसको देख लें लेकिन किसी तरह का किसी दल की बुनियाद पर किसी और वजह से कोई पक्षपात हो। इसका कोई प्रश्न नहीं उठता और इस पर सख्त कार्यवाही होगी और जल्द होगी, तुरन्त होगी।

एक गम्भीर मामला हुकुम सिंह जी ने रखा है जो इस वक्त पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में उसकी आंच आ रही है और वो दुःखद है। कल भी सरकार की तरफ से अम्बिका चौधरी जी का रिऐक्शन यही आया था कि लोकतंत्र की सीमायें होंगी लोकतंत्र में अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने की हदें होंगी और चाहे कोई भी हो, उसे इस हद तक कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। कानून हाथ में लेने की इजाजत तो किसी हद तक नहीं होनी चाहिये लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा था जब मैंने आज सुबह देखा कि कुछ लोगों ने, कुछ बैंक के अधिकारियों ने इस बात का भी जिम्मा ले लिया कि समाज को कैसे सुधारा जाये। इस पर भी उनकी राय-मशविरे आने लगे हैं तो बात बिगड़ी है बहुत बिगड़ी है। यह भी सही है कि जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है महंगाई वगैरह के मुद्दों को उससे पूरा देश मुतासिर तो हुआ है, प्रभावित हुआ है और यह अचानक लावा नहीं फूटा है। कई साल से ये जितने भी संगठन हैं मान्यवर, ये कई साल से ये लोग आपस में मिल रहे थे और कई साल की कोशिशों का नतीजा है कि कई ट्रेड यूनियन्स इतने बड़े पैमाने पर एक प्लेटफार्म पर आयी हैं। नोएडा में जो कुछ हुआ है, जाहिर है नोएडा हमारे लिये बहुत अहम शहर है। दिल्ली के बराबर है। बड़ी कीमती जगह है, हर ऐतबार से कीमती है। बाकी पूरा उत्तर प्रदेश कहां इस काबिल है, जिस काबिल नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। बस लोग रहते हैं और जीते हैं। उनकी हिफाजत यकीनन सबसे ज्यादा होनी चाहिये थी। इसलिये नहीं, मैं व्यंग्य के तौर पर नहीं कह

रहा हूं।.. बल्कि होनी चाहिये थी, हुई भी है। कहां चूक हुई है इसके लिये जांच समिति को जांच के लिये दो दिन का समय दिया गया है।

मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश हैं और अभी भी उनका कहना यही है कि हम बड़े स्तर के ऐसे अधिकारी से जांच करा रहे हैं, जिससे बिल्कुल दूध-का-दूध और पानी-का-पानी हो जायेगा। क्योंकि बराबर के गांव के लोग अचानक निकल आये, यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस तरह का विरोध जिसका असर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसी ऐतवार से कोई असर उसका नहीं हो सकता, न उसका दायरा था, न इतनी हालत बिगड़ सकती थी। बराबर के गांवों से निकले लोगों ने इस तरह की वारदात कर दी। आग बुझाने की गाड़ी को ही आग लगा दी गई और यह भी एक अजीब-सी बात है। मैं एक बार फिर अर्ज कर रहा हूं अपने कांग्रेस के साथियों से भी कि इसको अन्यथा न लिया जाए। एक बड़े ट्रेड यूनियनिष्ट ने यह कहा कि क्या हुआ अगर कारपोरेट घराने की कुछ गाड़ियां जल गईं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनकी तस्वीरों में आपको मारूति-800 जलती हुई नजर आयेगी। मेरे ख्याल से किसी भी कारपोरेट घराने की गाड़ी मारूति-800 नहीं हो सकती। हम किस तरफ जा रहे हैं, इस पर भी सोचना पड़ेगा। मैने खुद सुना है एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियनिष्ट को यह कहते हुये कि किसी कारपोरेट घराने की अगर गाड़ियां जल गई हैं तो उसके लिये देश में इतना बवाल नहीं होना चाहिये। कानून को हाथ में लेने वालों की इस तरह हिम्मत अफजाई करना मेरे ख्याल से किसी को भी शोभा नहीं देता और सरकारों के लिये यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, चाहे वह केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों। अगर राजनैतिक दल या सामाजिक संगठन या इस तरह के संगठन दिल्ली की सड़कों को तहरीर चौक बनाने की कोशिश करेंगे तो हिन्दुस्तान का लोकतंत्र कमजोर होगा। बिल्कुल कमजोर होगा। इससे आप परेशान न हों यह मैं तो आपके ही हक में कह रहा हूं यह बात कि दिल्ली की सड़कों को तहरीर चौक नहीं बनने देना चाहिये। जिस तरह से यह विरोध हुआ है, नोएडा के इस वाकये की वाकई में निन्दा ही होनी चाहिये। उसको बुरा ही कहना चाहिये, जो कुछ हुआ है उस पर सरकार बहुत संजीदा है। उसकी जांच हो रही है और जितने भी लोग इस जुर्म में शामिल पाये गये हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। इस हादसे के वक्त हुई है, रात भर हुई हैं। ऐसे लोगों को इंगित करके उनकी गिरफ्तारियां जारी हैं और इस वक्त हालात बिल्कुल कंट्रोल में है। हमारे माथुर साहब को मालूम है इस वक्त जो सबसे बड़ा विरोध चल रहा है, वह जो जामिया का इलाका है, उससे मिला हुआ है उसका नाम मेरे जेहन में नहीं आ रहा है। इस वक्त वहां भी विरोध हो रहा है और वहां भी प्रदर्शन हो रहा है और खुद पुलिस ने जाकर जितनी भी फैक्ट्रियां थीं, उनको बन्द करवाया है कि आप इनको बन्द कर दीजिये। मेरे ख्याल से ट्रेड यूनियन्स का यह तरीका अराजकता का, या जलाने का, उसे दंगे-फसाद की शक्ल में बदलने का है, इस पर अपील होनी चाहिये कि इस तरीके से खुद उनके क्लास को भी नुकसान पहुंचेगा। यह बहुत दुःखद है, निन्दनीय है। कानून अपना काम कर रहा है। सरकार इस पर बहुत संजीदा है और किसी भी तरह की शिथिलता, कमजोरी सरकार की तरफ से नहीं बरती जायेगी। नोएडा को पूरा संरक्षण मिले, पूरी सुरक्षा हो, नोएडा की इण्डस्ट्रीज की और उत्तर प्रदेश में दूसरी इण्डस्ट्रीज आए इसमें सरकार पूरी तरह से सहयोग के लिये तत्पर है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, जो इंसाफ की बात चल रही थी। इसमें जांच चल रही है। हत्या हुई, एक नहीं दो-दो हत्याओं का हमने हवाला दिया और कितनी हुई उसका हमने आज ब्यौरा नहीं दिया। इसलिये मान्यवर, आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप चर्चा करा लें, तब तक आपकी जांच आख्या भी आ जाएगी और जिनको न्याय मिलना है उनको न्याय भी मिल जाएगा और इस पर विस्तार से चर्चा भी हो जाएगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, स्थिति क्या थी, कितनी गम्भीर थी, इस बात को सरकार ने भी माना। जांच के लिये दो दिन का उन्होंने आदेश दिया है। मैं चाहता हूं कि 2 दिन के बाद ही आप कोई तिथि आप अपने विवेक के अनुसार तय कर दे और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 नेता विरोधी दल, मा0 नेता भाजपा, मा0 नेता कांग्रेस और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आता अतः इसे मैं परिवर्तित करते हुये नियम-52 में चर्चा के लिये स्वीकार करता हूं। चूंकि जांच रिपोर्ट भी आनी है वह आ जाएगी और सब कुछ तथ्य सामने आ जायेंगे, इस लिये इस पर मैं डेढ़ घण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

*श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम-56 की सूचना पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, प्रदेश में कोई नया जनपद जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये बनाया जाता है। ताकि उसके बनने से आम जनता के समक्ष उपस्थित दिक्कतें समाप्त हो सकें, और उन्हें सुविधायें मिल सकें। मान्यवर, इसी के दृष्टिगत मुजफ्फरनगर जनपद को पिछली सरकार द्वारा विघटित कर नवसृजित जनपद प्रबुद्ध नगर के नाम से बनाया गया था। बाद में वर्तमान सरकार सत्ता में आई और वहां की जनता एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर और शामली के पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुये, इस नये जनपद का नाम प्रबुद्धनगर से बदलकर शामली कर दिया गया है। मान्यवर, जब कोई नया जनपद बनता है तो यह आशा की जाती है कि उसका आकार बड़ा होगा और उसका विकास भी होगा। आकार बढ़ाने की बात इसलिये की जाती है ताकि वह नया जनपद अस्तित्व में आ सके। जो वर्तमान सरकार ने उसका नाम शामली किया उसके लिये वह धन्यवाद की पात्र है।

मान्यवर, यद्यपि कि नवसृजित जनपद की सीमा का निर्धारण जल्दी में किया गया है और मात्र दो तहसील कैराना व शामली को जोड़कर नया जनपद बनाया गया है। नये जनपद में पांच ब्लाक हैं-कांधला, कैराना, थाना भवन, ऊन एवं शामली को रखा गया है। कांधला ब्लाक के 21 गांव जिनकी तहसील बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर होने के कारण इसके अन्तर्गत जनपद-शामली मुख्यालय से इन ग्रामों की दूरी लगभग 10 से 15 कि0मी0 की दूरी पर है। ये गांव हैं नाला भनेडा, भारसी, ताहापुर भभीसा, कनियान, डांगरोड, सल्फा, हुरमजपुरसुन्ना, मखमूलपुर उर्फ खवासपुर, डूंगर और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरनावली, करौदा महाजन, खैडा मस्तान, खरडर, फुगाना, दुर्गनपुर, बिराल, राजपुर, छाजपुर और हरिया खेरा-ब्रहमखेरा। अब यहां के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। इन्हें बुढ़ाना ब्लाक से सम्पर्क करने के लिये 15-20 कि0मी0 और दूर जाना पड़ेगा, जनपद-मुजफ्फरनगर मुख्यालय पर जाने के लिये 55-60 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है। जनता ने जिसको प्रशासनिक कामों से चाहे, वह महिला हो या बच्चे सबको जनपद मुख्यालय जाना होता है। इसमें दस गांव जो कि मेरी विधान सभा के गांव हैं जिनकी कांधला ब्लाक से दूरी मुश्किल डेढ़ से पांच कि0मी0 है और शामली जनपद मुख्यालय की दूरी मुश्किल से 15 कि0मी0 है अब इन लोगों को ब्लाक जाने के लिये बुढ़ाना ब्लाक जाने के लिये 20 किमी जाना पड़ेगा और जिला मुख्यालय जाने के लिये 50 कि0मी0 से ज्यादा की दूरी तय करनी पड़ेगी। जिसके कारण लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मान्यवर, इसका राजनीतिकरण किया गया है। वहां के जनपद शामली की भौगोलिक दृष्टि को शासन में इन गांवों को नये जनपद शामली से मिलाने का प्रस्ताव किया गया है। इन 21 गांवों में से 10 गांव मेरी विधान सभा क्षेत्र के हैं इनके नाम हैं-तहारपुर भभीसा, डांगरोड, कनियान, भनेडा, नाला हुरमजपुर, मखमूलपुर उर्फ ख्वासपुर, सुन्ना सल्फा। इनकी दूरी ब्लाक से कुल डेढ़ से पांच कि0मी0 के बीच में है और जिला मुख्यालय से लगभग 15 कि0मी0 है। अब नयी व्यवस्था में इन्हें ब्लाक भुड़ाना पर जाने के लिये लगभग पन्द्रह से बीस कि0मी0 पर और जिला मुख्यालय जाने के लिये 65 किमी जाना पड़ेगा। यह इन लोगों के साथ अत्याचार है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र की आवाज इस सदन में नहीं उठाऊंगा, तो कहां उठाऊंगा। यह क्षेत्र जहां से मैं चुनकर आता हूं मेरा घर है मेरा परिवार है। आज उसे तोड़ने की साजिश रची जा रही है। यह मेरी पीड़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि हम लोगों ने जनहित में इन गांवों को जनपद-शामली से जोड़े जाने हेतु अनुरोध किया है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर इन ग्रामों को जनपद-शामली से जोड़ने का अनुरोध कर चुका हूं। आपसे अनुरोध है कि माननीय राजस्व मंत्री जी से इस पर दो शब्द कहलाने का कष्ट करें, इसको लेकर जनता बहुत चिंतित है। मान्यवर यह गांव के लोग हमारे वोटर हैं, हमारे इस परिवार को विभाजित करने का काम न किया जाय, बल्कि इन्हें हमसे जोड़ने का काम किया जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर कुछ कहने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो बात माननीय पंकज मलिक जी ने कही है वह सही है मान्यवर 6 कि0मी0 जनपद मुख्यालय शामली है अब इसे जो मुजफ्फरनगर से किया गया है वह 55-60 किलोमीटर पड़ेगा। मान्यवर, मैंने इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध किया है उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगली कैबिनेट की मीटिंग में इसको ले आयेंगे और दुरुस्त करा देंगे। मान्यवर जो बात पंकज मलिक ने कही है वह बात सही है 10 गांव ऐसे हैं जो मुजफ्फरनगर में हैं इसको शामली से जोड़ दिया जाय, इससे लाखों लाख किसानों को सुविधा होगी राजस्व मंत्री जी इसको कराने का कष्ट करें।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, यह मेरे पड़ोस का मामला है मैं सहमत हूं कि माननीय पंकज मलिक ने जो गांव कहे हैं उनको शामली से जोड़ दिया जाय।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, अभी पंकज मलिक ने जो बात उठाई है जिला शामली की उसमें एक ही तहसील है नवसृजित जिले में वह है कैराना।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी ने मुझे 8 गांवों की एक सूची देते हुये और उनके बारे में उन्होंने बताया था कि शामली में यदि रखे जाते, किसी एक गांव की दूरी उन्होंने बताया कि 8 कि0मी0 से कम है उसका मुख्यालय लेकिन मुजफ्फरनगर की दूरी वहां से 65 कि0मी0 है और जिस तहसील से जोड़ा जा रहा है उस तहसील की दूरी 35 कि0मी0 है। मैंने उसी दिन उनका वह पत्र आवश्यक कार्यवाही के लिये क्योंकि उसमें रिपोर्ट मंगा करके फिर उसका बोर्ड आफ रेवन्यू से प्रस्ताव करके तभी हम सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, नियम आप भिज्ञ हैं जानने के लिये तो उन्हें हमने चिट्ठी भी भेज दी और उन्हें दूरभाष पर निर्देशित कर दिया कि जितनी जल्दी हो सके इसके बारे में आप रिपोर्ट दे दीजिये। जिन गांवों का पंकज जी दे रहे है आप मुझे लिख करके दे दीजिये व्यवहारिक रूप से उसकी जांच कराकर जितनी जल्दी हो सकेगा उसको सरकार करायेगी, जो उचित है वह कराया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैने माननीय पंकज मलिक जी को, माननीय हुकुम सिंह जी को, सुरेश राणा जी को और नेता लोक दल माननीय दलवीर सिंह को भी सुना उनके पड़ोस का मामला था, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी को सुना। यह नियम 56 में नहीं आता इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अग्राह्य कर दिया, ग्राह्य करने योग्य था लेकिन पिछली सरकार में यह बड़ा पाप हुआ है कोई साहब अगर नाराज हो गये किसी से तो पूरा मसल कर रख दो उसे। शहर के बराबर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बन गया उसके जितने गांव थे उससे लगे हुये यूनिवर्सिटी और शहर के बीच जो आजादी के बाद से सब एक ही साथ थे, सिर्फ हमें सताने के लिये टांडा तहसील में डाल दिये गये। तो यह कुछ ऐसे काम हुये हैं जो पाप हैं। मैं राजस्व मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा उनके एक साथी की हैसियत से कि ऐसे तमाम मामले, उन सबको एक जगह करके उन सबके साथ न्याय किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मेरा भी है ऐसे।

(हंसी)

(श्री संजय कपूर द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अब चर्चा होगी। श्री ओम कुमार जी चर्चा प्रारम्भ करें। अब नियम 56 नहीं चलेगा, मैंने सब पढ़ लिया है, सबकी नोटिस पढ़ ली है नियम 56 में कौन आता है, मैं जानता हूं।

श्री ओमकार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कल मैंने सोलंकी जी से कहा था कि आप बोलियेगा तो आप रूक जायें, सोलंकी जी बोलें, चर्चा शुरू करें।

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पर बल देने के लिये मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मुझे सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप मेरे कक्ष में मिलिये जो निर्णय होगा हम बता देंगे, बैठिये, आप बोलने दीजिये।

[01.08] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

मान्यवर, आज तीसरा दिन है चर्चा का और तीन दिनों में मैने यह महसूस किया है कि यहां के लोग उधर आरोप लगते हैं और उधर के लोग इधर आरोप लगाते हैं। लेकिन मुझे इस विषय में एक बात कहनी है कि बड़ा वह होता है जो अपने कृत्यों से बड़ा बनता है। हम इतिहास को देखें तो आज भी कल्याण सिंह जी के शासन को याद किया जाता है उनकी कानून-व्यवस्था को याद किया जाता है। माननीय राजनाथ सिंह के शासन को देखें वह नकल के विरोध में अध्यादेश को लेकर के आये थे इसलिये उन्हें शिक्षा जगत में याद किया जाता है। इसलिये मैं उधर बैठे हुये लोगों को इतना कहना चाहती हूं क्योंकि युवा मुख्य मंत्री है उनमें काम करने की ललक है तो मैं इतना जरूर आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आप ऐसे कृत्य करें जिससे इतिहास में आपका नाम सदा बना रहे।...एक बात जरूर मैंने कॉमन रूप से महसूस की है कि हर विधायक शिकायत के साथ-साथ अपनी विधान सभा में विकास जरूर करवाना चाहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि यह 403 विधायक आपके बीच में बैठे हुये हैं, यह आपकी आंख और कान हैं, आपको हर विधान सभा की जानकारी इनसे मिल सकती है, कहां पर किस विकास की जरूरत है, यह जानकारी इनके द्वारा ही मिल सकती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय,

† दिनांक 19 फरवरी, 2013 की कार्यवाही से।

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम विधायकों पर विश्वास नहीं किया जाता और जो ए0सी0 में बैठे हुये लोग है, वह जो योजनायें बनाकर देते हैं, उन पर विश्वास किया जाता है। मैं कहना चाहती हूं कि आपने जो ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में बात कही है, उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से 10 महीने पहले 10 हजार गांवों को लोहिया ग्राम विकास योजना से विकास कराने के लिये सुनिश्चित किया गया। बड़े खेद का विषय है कि बड़े जोर-शोर के साथ उनका चयन किया गया। अधिकारियों ने चयन किया मैंने पूछा कि किस स्तर पर चयन किया गया है तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पिछड़े हुये गांव हैं, उनका चयन किया गया है। हमें खुशी हुयी कि कम से कम एक निष्पक्ष भाव से विकास की रेस में समाजवादी पार्टी ने अपना कदम बढ़ाया है। लेकिन दो महीने के बाद यह पता चला कि वह जो पिछड़े हुये गांव थे, वह अलग कर दिये गये और उसमें नये गांवों को जोड़ दिया गया। ऐसे गांव जोड़ दिये गये, जो गांव विकसित हैं और सम्पर्क मार्गों से जुड़े हुये हैं, जहां पर विद्युत व्यवस्था है, जहां पर सी0सी0 रोड बनी हुयी है, जहां पर स्कूल है, ऐसे गांवों को लोहिया समग्र विकास योजना में जोड़ दिया गया। कागजों पर पिछड़े गांवों को हटा दिया गया। मेरी वहां के अधिकारी से बात हुयी, मैंने पूछा कि आपने पिछड़े गांवों को अंकों के आधार पर जोड़ा था लेकिन यह गांव कैसे हट गये क्या कागजों पर ही इनका विकास कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि ऊपर से माननीय प्रभारी मंत्री जी को आदेशित कर दिया गया है, अब जैसा माननीय प्रभारी मंत्री जी आदेशित करेंगे, हम उसी तरीके से काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यह प्रदेश आपका है, और हर गांव आपका है और आप सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुख्य मंत्री नहीं है, आप सभी के मुखिया हैं और इस प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी आपकी है। यदि इस प्रदेश में विकास होगा तो मुख्य मंत्री जी आप विकास के रूप में जाने जायेंगे, आप विकास पुरुष के रूप में जाने जायेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़कर निष्पक्ष रूप से जहां पर विकास की जरूरत है, वहां विकास करायें। माननीय मुख्य मंत्री जी कल तक विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में थे, आज मैं अखबार पढ़ रही थी, उसमें मैनें पढ़ा कि आपने ट्रिपल ई पर जोर दिया है यानि की एजुकेशन, इनर्जी और इम्प्लायमेंट। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब हम अपने प्रदेश की बेसिक शिक्षा को देखते हैं तो मैं सोचती हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी जो करना चाहते है और इस प्रदेश को विकास की राह पर लाना चाहते है क्या इस बेसिक शिक्षा के साथ में आप ला पायेंगे। बेसिक शिक्षा का यह हाल है, एक तो स्कूल में टीचर जाते नहीं और जाते हैं तो पढ़ाने नहीं, पहले.....पांचवीं तक की क्लास का मूल्यांकन होता था और पढ़ाने वाले टीचर की जिम्मेदारी होती थी कि आपके पढ़ाये हुये बच्चों ने क्या किया। लेकिन आज उनकी वह जिम्मेदारी भी खत्म हो गई, उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा का यह हाल है कि मैनेजमेंट के जो स्कूल हैं जो गांव में स्थापित हैं, वह गुटबाजी के शिकार हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, क्योंकि आप पढ़े-लिखे हैं और आप जानते हैं कि हाईटेक जमाना है, आप लैपटाप और टैबलेट की बात करते हैं, अगर यह शिक्षा रहेगी तो किस तरीके से आप लैटटॉप और टैबलेट की बात कर रहे और किस तरह से आप ट्रिपल-ई (एजूकेशन, एनर्जी और इम्प्लाइमेंट) की योजना लागू करना चाह रहे हैं। क्या यह इसी शिक्षा

के सहारे आप ला पायेंगे? मेरा निवेदन है और मेरा यह सुझाव भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष कमेटी बनाई जाए जो इसका मूल्यांकन कर सके।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी नोएडा के बारे में हमारे वरिष्ठ नेता बोल रहे थे। मान्यवर, नोएडा एक हब है, इण्डस्ट्री का भी एक हब है, जहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रियां हैं, जब तक इण्डस्ट्रिलिस्ट को चूंकि आपने आगरा समिट की और उसमें आपने आमंत्रण दिया इण्डस्ट्रिलिस्टों को कि आप आकर हमारे यहां पर इण्डस्ट्री लगायें। आपने उद्योग नीति उनके सामने रखी लेकिन कल की घटना देखिये तो ऐसा लगता है इण्डस्ट्रिलिस्ट जो यहां पर इण्डस्ट्री लगाना चाहते थे शायद यहां से छोड़कर भाग जायें। जब तक आपकी कानून-व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक कौन उद्योगपति यहां पर उद्योग लगाने के लिये तैयार होगा। आपका जो सपना है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक नगरी बने और उद्योग यहां पर आयें तो जैसा कि मा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने कहा कि आपको नियमों में कुछ ढील देनी पड़ेगी। मान्यवर, मैं सिकन्दराबाद से सम्बन्ध रखती हूं, सिकन्दराबाद में लोहे के पाइप की कई फैक्ट्रियां हैं और वहां पर वैट के साथ-साथ प्रवेश कर भी लगता है। आप एक जिले से दूसरे जिलें में जायें तो प्रवेश कर लगेगा। मेरा यह सुझाव है कि अगर वैट लगाना है तो चाहे ज्यादा लगाइये लेकिन एक ही जगह पर लगाइये, दूसरे जिले में जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार होता है और उनसे डबल पैसा वसूला जाता है। यदि आप उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर लाना चाहते हैं तो आपको सिंगल विंडो करनी होगी और यहां पर करों में छूट देनी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, कल जो एक बात का बार-बार जिक्र किया जा रहा था कि हम महिलाओं को दो-दो साड़ी और एक कम्बल दे रहे हैं। मान्यवर, मुझे सुनकर बड़ी ग्लानि होती है, कल माननीय सदस्य ने कहा था कि बेचारी महिलाओं को मान्यवर, इन्हें बेचारी क्यों बनाते हैं। मान्यवर, आज जरूरत है महिलाओं को बेचारी की जगह सबला बनाने की, हमें उनको स्वावलम्बी बनाना चाहिये। आज न्याय पंचायत वाइज स्वयं सहायता समूहों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में गठित करके महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने की जरूरत है, जिससे कि वह कुछ न कुछ कार्य कर सकें। मान्यवर, चूंकि मैं सिकन्दराबाद से सम्बन्ध रखती हूं, मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है वहां पर इण्डस्ट्री काफी हैं और वहां पर इण्डस्ट्री को 24 घण्टे बिजली दी जाती है लेकिन वहां की जो नगर है जिसकी लगभग डेढ़ लाख जनसंख्या है वहां कुल 8 से 10 घण्टे बिजली दी जाती है। दूसरा जो गुलावटी नगर है उसमें भी लाख सवा लाख जनसंख्या है लेकिन वहां आज भी रूरल के हिसाब से बिजली दी जाती है।..उसे शहरी हिसाब से बिजली दी जाए और सिकन्दराबाद नगर को कम से कम 20 घण्टे बिजली दी जाए। आपने मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आभारी हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया')-

सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव जो प्रो0 शिवाकान्त ओझा जी ने इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया था, उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम इस सोलहवीं विधान सभा में उस मुकाम में बैठे हैं जब इस विधान सभा ने अपने 125 वर्ष पूरे किये हैं। मैं बधाई देना

चाहता हूँ माननीय मुख्य मंत्री जी को कि आपके नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश विधान सभा का उत्तरशती रजत जयन्ती समारोह हुआ और जिस तरह से सफल आयोजन हुआ। हमने उस दिन भी उन सम्मानित सदस्यों की भावनाओं को देखने का काम किया था। संयोजक माननीय अम्बिका चौधरी जी बैठे हैं चार-पाँच दिन पहले हमें जो कार्यक्रम मिला था। एक कार्यक्रम इस गुम्बद के नीचे होना था और दो कार्यक्रम डा0 राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में होने थे। मैने मुख्य मंत्री जी की भावनाओं को कहीं न कहीं बहुत नजदीक से पढ़ने का काम किया था, आपने एक निर्णय लिया कि सभी कार्यक्रम इस गुम्बद के नीचे होंगे। यह निर्णय एक संवेदनशील व्यक्ति का ही निर्णय हो सकता था। उस निर्णय के पीछे आपकी केवल एक भावना थी कि वे पूर्व सदस्य जो सदन के सदस्य रह चुके हैं, आज उन्हें जनता ने चुनकर यहाँ नहीं भेजा है परन्तु उनकी भावनायें इस सदन से जुड़ी हुई हैं उनको एक बार इस सदन में आने का मौका मिले। जिस तरह से 07 तारीख को जब मा0 पूर्व विधायकों का सम्मेलन यहाँ हुआ तो बहुत उम्रदराज मा0 पूर्व विधायकों को देखने का अवसर मिला था। उन्होंने जिस तरह से आकर इस सम्मानित सदन की कुर्सियों को देखने का काम किया था, एक ललक भरी निगाहों से उन्होंने इस सदन में प्रवेश किया था उसके लिए मान्यवर, आपको, मा0 मुख्य मंत्री जी को और कार्यक्रम के संयोजक माननीय अम्बिका चौधरी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ।

मान्यवर, श्री राज्यपाल जी द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया उस अभिभाषण में सरकार के जो क्रिया कलाप थे उसका दस्तावेज रखा गया। पिछले वर्ष जब हमारी सरकार चुनी गयी थी तो पूरे प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के घोषणा-पत्र पर विश्वास करके एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया था। जो वायदे हमने अपने घोषणा-पत्र में किये थे, चाहे वह कन्या विद्याधन का वायदा रहा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते का वायदा रहा हो, चाहे हमारी बेटी उसका कल का वायदा रहा हो, चाहे किसानों की जमीन न बिकने देने के लिये कर्ज माफी का वायदा रहा हो। उन वायदों पर 11 महीनों के भीतर मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सफल काम किया है। अब आगे आने वाले समय में हम लैपटाप और कम्प्यूटर का वितरण करने जा रहे हैं और बहुत जल्द उसका वितरण सुनिश्चित होगा। अभी मैं सुबह से बैठा देख रहा था कि औद्योगिक विकास के बारे में कई सवालात आये। कोई प्रदेश तभी उन्नति कर सकता है जब इस प्रदेश में उद्योग आगे बढ़े और उद्योगों को ले करके प्रदेश में एक औद्योगिक माहौल बने। मैनें मा0 मुख्य मंत्री जी की उस अभिलाषा को भी देखने का काम किया है, जब सवालात हो रहे थे औद्योगिक विकास मंत्री जी जवाब दे रहे थे मा0 मुख्य मंत्री जी। चाहे मा0 हुकुम सिंह जी का सवाल रहा हो, चाहे नेता कांग्रेस का सवाल रहा हो जब आप लोगों ने औद्योगिक विकास के कामों के बारे में बात की तो आगे बढ़करके मा0 मुख्य मंत्री जी ने उन सवालों का जवाब खुद देने का काम किया है। आप बैठे भी रह सकते थे। आप संबंधित मंत्री के जवाब को सदन में एक औपचारिक जवाब के रूप में आने दे सकते थे। लेकिन नहीं, चूँकि उद्योग के प्रति आपकी उत्कट अभिलाषा है, आप चाहते हैं कि प्रदेश में उद्योग लगे। आपने तुरन्त खड़े होकर अपने जवाबों से पूरे सदन को अनुप्राणित करने का कम किया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से आगरा समिट हुआ, अभी हमारे एक बहुत वरिष्ठ

सदस्य ने एक सवाल किया कि कितने एम0ओ0यू0 हुए। आप बहुत वरिष्ठ हैं। मैं बताना चाहूँगा कि किसी समिट में एम0ओ0यू0 नहीं हुआ करते हैं। हमारी सरकार बनी है, हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, हम किस तरह से उद्योगों के प्रति अपनी आधारभूत संरचनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, किस तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने काम करते हैं, यह बाते पूरे देश के उद्योगपतियों के सामने रखी हैं। समिट मे कई देशों के राजदूत आयें थे उस समिट में कई प्रदेशों के शासकीय अधिकारी आए जो हमारा मेसेज था वह पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में गया और आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। प्रदेश में एक औद्योगिक माहौल खड़ा होगा। साथ ही साथ हमारी सरकार ने कृषि में इस साल बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। पिछली सरकार का हमें याद है जब खाद के लिए किसानों को लाठियां खानी पड़ती थीं। जब खाद के लिए लाइनें लगती थीं लोग लाठियों से पीटे जाते थे। इस बार खाद और बीज की हमारी सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। कहीं भी एक शिकायत खाद और बीज की नहीं आई है। धान का हमने रिकार्ड उत्पादन किया है। दाम को आगे बढानें का काम किया है। गन्ना मूल्य का जो हमने वायदा किया था 290 तक पहुंचाने को तो 40 रूपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य बढ़ाने का काम किया और कृषक दुर्घटना बीमा योजना जिसमें किसान की मृत्यु पर मृतक के परिवार को एक लाख रूपये दिए जाने की व्यवस्था थी हमारी संवेदनशील सरकार ने उसको बढ़ाकर पाँच लाख रूपये करने का काम किया। साथ ही साथ जो दैवी आपदा में किसानों की मृत्यु हो जाया करती है उसमें जो एक लाख रूपया मिलता था उसको हमारी सरकार ने बढ़ाकर उसे डेढ़ लाख रूपये कर दिया है। प्रदेश के समग्र विकास का वायदा जो हमारी सरकार ने हमारी पार्टी ने किया था उस योजना को कार्य रूप में लाने के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना को लाने का काम हमारी सरकार ने किया और पूरे प्रदेश में 10 हजार ग्रामों के विकास का लक्ष्य हमने पाँच वर्ष में पूरा करने का रखा है। वह इस वर्ष प्रारम्भ हो चुकी है कई जगह से टेंडर हो चुके हैं बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि बी0पी0एल0 की सूची जो कई वर्षों से इस प्रदेश की विवादित है कई बार बनती है कई बार बिगाड़ी जाती है कई सरकारें आई लेकिन यह सूची बन नहीं पाई बी0पी0एल0 सूची बनेगी समय लगेगा तब तक गरीब को आवास देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने लोहिया जी के नाम से लोहिया ग्रामीण आवास योजना जिनका बी0पी0एल0 सूची में नाम नहीं है जिनकी आय 36000 से कम है उनको लोहिया आवास योजना में शामिल करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठा है समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के नाम से हमने एम्बुलेंस का संचालन शुरू किया है। आज पूरे प्रदेश में कहीं भी जाकर आप पता लगा लें मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ किसी भी पीड़ित द्वारा टेलीफोन करने के आधे घण्टे के अन्दर एम्बुलेंस पहुँचती है यह पूरे सदन की जिम्मदारी है कि अगर सरकार की कोई नीतियाँ बनती हैं जनता के हित में सरकार नीति बनाती है उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह देखने की जिम्मेदारी पूरे सदन की हैं केवल सरकार के ऊपर उंगली उठाकर हम नहीं रह सकते हैं हम उस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुने गये हैं सड़क अच्छी बन रही है कि नहीं बिजली आ रही है कि नहीं स्वास्थ्य सेवाएं सही है कि नहीं और जो सुविधाएं प्रदेश की जनता को मिलनी चाहिए वह मिल रही है कि

नहीं उसको देखने की हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं इस सम्पूर्ण सदन में सरकार ने जो काम किए हैं सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं जो महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में रखी है उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूँ और आगे आने वाले समय में प्रदेश एक युवा नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे प्रदेश उन्नति करता आए इसी भावना के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री ओमकुमार-

आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संशोधन पर बोलने का अवसर प्रदान किया मैं आपका ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष जी मैं जिला बिजनौर की आठवीं विधान सभा जो कि नवनिर्वाचित विधान सभा है उससे पहली बार राजनीति के क्षेत्र में मैं भी आया और उस विधान सभा से जीतकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ। अध्यक्ष जी मेरी नटहौर विधान सभा है पाँच विधान सभाओं से काटकर इस विधान सभा का गठन किया गया है। इसमें मेरे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं की अनदेखी की गई है उसमें शामिल नहीं किया गया है अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब मैं अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर जाता हूँ। तो लोग मेरे से यह पूछते हैं कि आपने विधान सभा के अन्दर में बड़ी-बड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाया लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब हम उनके बीच में जाते हैं और उनकी समस्याओं को पूछते हैं तो वह लोग हमसे कहते हैं कि क्या हमारे पानी पीने के लिये एक नल भी नहीं मिल सकता ? माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र के अन्दर में लगभग 550 गॉव हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि मेरे एक गांव के लिए कम से कम दो नल की व्यवस्था कर दी जाय ताकि मैं अपने क्षेत्र के अन्दर में एक हजार नल लगवा दूँ तो इसमें आपकी सरकार का ही नाम होगा । माननीय अध्यक्ष जी मेरी दूसरी माँग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नटहौर में एक खिलाड़ी जिसका नाम हिमांशु कुमार चांग है, जो कि राष्ट्र मंडल खेलों में वेट लिफिटिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है और मेरे क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी भी नहीं है।

मान्यवर अभी मोदीनगर में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हुई उसमें भी वेट लिफ्टिंग में उसने पहला स्थान प्राप्त किया लेकिन दुख का विषय यह है मान्यवर, कि आज उसके सामने जो एक किट होती है वेट लिफ्टिंग की, उसके लिये भी धन नहीं है तो इसलिये मैं आप लोगों से मांग करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में एक स्टेडियम बनवाया जाय। आगे नटहौर विधान सभा के अन्दर में आये दिन मुस्लिम समाज के लोग मेरे कार्यालय में आते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे कब्रिस्तान पर अतिक्रमण हो रहा है तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ कि मान्यवर मेरे क्षेत्र के अन्दर में नहटौर में जितने भी कब्रिस्तान आते हैं उनमें बाउन्ड्री वॉल की व्यवस्था की जाय और कम से कम कब्रिस्तान के अन्दर एक नल की व्यवस्था की जाय। नहटौर विधान सभा के अन्दर में ग्राम खदाना व ग्राम सेडी, व ग्राम सिलाटा में बारातघर की व्यवस्था नहीं है जिससे आये दिन लोगों को अपनी बेटियों की शादी करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वहाँ पर बारात घर बनाये जाने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की मांग करता हूँ। मान्यवर, हमारे नहटौर विधान सभा जो कि पूरे जिले बिजनौर के सेन्टर में आती है उसमें विधान सभा में ज्यादातर रोड जो नहटौर विधान सभा से होकर हरिद्वार तक जाती है उधर हमारे मुरादाबाद तक आती है उनकी स्थिति इतनी खराब है अध्यक्ष जी कि उन पर चलना आज के टाइम में दूभर हो गया है। तो अध्यक्ष जी, मैं माँग करता हूँ कि इन सड़कों को दोबारा से रिपेयरिंग कराई जाय या नया बनाया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र के अन्दर में छोटे-छोटे बुनकर उद्योग हैं जो कि अपने उन उद्योगों से कपड़ा बुन करके विदेशों में भेजने का काम करते हैं और उससे हमारे देश को काफी राजस्व प्राप्त होता है। मान्यवर, आज बिजली न होने के कारण मात्र 8 घंटे, 10 घंटे बिजली पूरे विधान सभा के अन्दर आ रही है। तो इसलिये मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर ज्यादा से ज्यादा बिजली की व्यवस्था की जाय। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी मार्च के महीने में हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षायें होने जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी बिजली रात्रि को 12 बजे आती है और सुबह 4 बजे चली जाती है। ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे ? कैसे एग्जाम में पास होंगे। आपके माध्यम से मांग करता हूं कि कम से कम मार्च और अप्रैल के महीने में कम से कम 24 घण्टे विद्युत की व्यवस्था कर दी जाय जिससे विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी करके पास हो सकें। नहटौर विधान सभा के अन्दर में काफी दुर्घटनायें हो जाती हैं और दुर्घटना होने के बाद में जब उनको सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है तो सरकारी अस्पताल उन्हें देखने के बजाय तुरन्त एम्बुलेंस में बिठा करके मेरठ भेजने का काम करता है। यानि के अध्यक्ष जी वह एक रेफेर सेन्टर बनकर रह गया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो भी दुर्घटनायें होती हैं उसके लिये वहां पर एक मेडिकल कालेज या उस अस्पताल में ट्रामा सेन्टर बनवाने की मैं मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गांगन नदी जो कि काफी पुरानी नदी है। मेरे क्षेत्र के अन्दर में बह करके वह जाती है। उस पर ग्राम पाडलीमांडु में एक पुल बनाये जाने की मांग मैंने पिछले सत्र में की थी। जिसके कारण उस क्षेत्र में बरसात में जब पानी आता है तो उस गांगन के पुल से, पानी आने से, सम्बन्ध टूट जाता है इसलिये मैं वहां पर एक पुल की मांग करता हूं। इसी तरह से मान्यवर, मेरे क्षेत्र में दो कस्बे आते हैं नैठोर और हल्दौर, करीबन उसमें 600 गांव हैं मेरे ख्याल से एक तहसील बनाने के लिये मापदण्ड के अनुसार 600 गांव पूरे हैं। अगर नैठोर में या हल्दौर में एक तहसील बना दी जाए क्योंकि वहां से 35 किलोमीटर पर बिजनौर में एक तहसील है और धामपुर में तहसील है वहां जाना पड़ता है। तो वहां अगर तहसील की व्यवस्था हो जाए तो मेरे क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत हो जायगी।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के अन्दर एक बिलाई शुगर मिल आता है। बिलाई शुगर मिल में आये दिन किसान घटतौली की समस्या को लेकर मेरे पास आते रहते हैं। बार-बार उनकी समस्याओं को मैंने वहां के डी0एम0 से कहा उनको बार-बार उनको चिट्ठी लिखी लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंगी। अभी तो उन्होंने हद ही कर दी, बिलाई शुगर मिल ने अपने यहां से गर्म राख बाहर निकाल दी जिससे वहां के कई मजदूर जलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गये और उनके इलाज के लिये जब उनसे बात की गई तो मा0 अध्यक्ष जी उन्होंने यह कहा कि आप अपनी बात विधान सभा में रख दीजिये। हम आपकी बात को सुनने वाले नहीं है या आप हमारे मालिक से बात कर लीजिये। तो मान्यवर, मैं

अपनी यह समस्यायें संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मा0 शिवाकांत ओझा जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। दो दिन से चर्चा में पक्ष और विपक्ष के सुझाव भी आये और कटाक्ष भी हुये यह पहली सरकार है जिसने खजाने का मुंह गांव की ओर खोला है। गांव में रहने वाले किसान, बेरोजगार नौजवान, अल्पसंख्यक मुस्लिम, सारे लोगों के हितों की पहली बार आज रक्षा हुई है। मा0 हमारे ख्वाहिश और हम लोगों के नेता मा0 आजम खां जी के नेतृत्व में जो इलाहाबाद में कुम्भ मेला लगा, मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला, हमारे इलाके के बहुत बड़े सन्त हैं आदरणीय मौनिया बाबा के आश्रम में मैं गया था। उनको मैं बहुत मानता हूं बहुत अच्छे हमारे इलाके के संत हैं। वहां इतने साधू सन्त जमा थे उन लोगों ने भी तारीफ किया और संत जी हमसे कहे कि हमारी भावनाओं को मा0 आजम साहब जी से अवगत करा देना। पहले जब हम कुम्भ में आये थे तब इतनी अच्छी व्यवस्था कभी भी नहीं थी यह पहला अवसर है कि तुम्हारे नगर विकास मंत्री जी की देखरेख में, कई बार उन्होंने यहां दौरा भी किया, हमारे आश्रम से गुजरे भी, इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। दुर्घटनायें स्वाभाविक हैं जहां इतना बड़ा समन्दर इकट्ठा होगा थोड़ी सी जगह में, तो वहां पर कुछ न कुछ समस्या हो जाती है यह हमारे राज्य सरकार के अधीन जो स्थल थे वह न होकर के यह रेलवे के प्लेटफार्म पर हुआ यह सही है कि इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार को लेनी चाहिये। केन्द्र सरकार को जितने मृतक या घायल लोग थे उनको पूरा मुआवजा देना चाहिये था। यह न करके, बल्कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने और हमारे नगर विकास मंत्री जी ने तुरन्त संज्ञान में लिया और मृतकों को 7 लाख रुपये की तात्कालिक सहायता और उनका उपचार कराने का काम किया। यह सरकार काम करती है..

(इस समय 1 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुये।)

और आज बहुजन समाज पार्टी के लोग उससे घबराये हुये हैं। इनके जमाने में भी दंगे हुये, उनको दबाया गया। श्रावस्ती में क्या हुआ ? गांव का गांव उजाड़ा गया, जलाया गया। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के घरों को जलाया गया। अजमेर जा रही बसों को बाराबंकी और गाजियाबाद के पास लूटा गया। लोगों को बसों से उतार दिया गया और उनको मजबूर किया गया, वह जियारत नहीं कर पाये और उनको वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इनके कितने एम0एल0ए0 बलात्कार के केस में जेलों में गये और आज भी जेलों के अन्दर हैं। यह वह दिन भूल गये, सारा विकास का पैसा हाथी पार्क बनाने में इन्होंने खर्च किया और थाने तथा तहसील दलालों के अड्डे बन गये थे। थानों का यह हाल हो गया था कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी थानों को चलाता था और कलेक्टर के यहां बैठ करके, कोतवाल के यहां बैठ करके जो दिल में आता था, वह होता था। गांव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्तर का उनका कार्यकर्ता भी लोगों की भावनाओं को दबाने का काम करता था। कितने जुल्म हुये, कितने सितम हुये और उन जुल्मों और सितम को मान्यवर, हम लोगों ने 5 साल तक झेला है। आज संघर्ष करके हम लोग यहां तक आये हैं। जनता ने उनके जुल्म को देखा है।

मान्यवर, जनता की जो गाढ़ी कमाई है, खजाने का मुंह जो गांव में होना चाहिये था, गांव के विकास के लिये होना चाहिये था, गांव का विकास बन्द कर दिया गया था, केवल एक नारा लगाया गया 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय', पांच सालों में केवल एक समुदाय का हित हुआ, बाकी लोगों के मुंह में ताला लगा दिया गया। लग ही नहीं रहा था कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र है, आजादी है, कहीं लग ही नहीं रहा था, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे। आज वह घबराये हुये हैं, आज वह देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार गांव की तरफ चली है, उन गरीबों की तरफ चली है जो रातों-दिन मेहनत करके अपना जीवनयापन करते हैं, अपनी किसानी करते हैं, मेहनत करते हैं, उन तक विकास पहुंचाने का काम इस पहली सरकार ने किया है। मैं अपने नेता माननीय अम्बिका चौधरी जी को बधाई दूंगा जिन्होंने आज तहसील का कायाकल्प किया। आज हर न्याय पंचायत पर जनसेवा केन्द्र बना करके वहां के कृषकों को, नौजवानों को, जिनको प्रमाण-पत्र बनवाने में 4-4, 6-6 दिन तहसीलों में लगता था, बन नहीं पाता था, आज वह सारी सुविधा हमारी सरकार न्याय पंचायत स्तर पर दे रही है। किसानों को तहसीलों में कम्प्यूटर से इन्तखाब मिल रहे हैं, आन-लाइन कर दिया गया, घर बैठ करके कोई भी भू-स्वामी अपनी भूमि की स्थिति को देख सकता है। जो गांव में अपर क्लास के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिनको पट्टा नहीं मिल पाता था, आज उनको भी सम्मानित तरीके से जो गरीब लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हों, भूमिहार हों और तो और पिछड़ें वर्ग के लोग जिनको 5 साल तक दबाया गया, उनकी आवाजें बन्द कर दी गयी थी, उनको बेदखल किया जा रहा था, उनके चकों पर नाजायज कब्जा किया जा रहा था। जहां मन करता था, अम्बेडकर जी को ले जाकर खड़ा कर दिया जाता था और कह दिया जाता था कि जहां तक उनका हाथ जा रहा है, वह सारी जमीन सरकारी है, वह जमीन हमारी है, बहुजन समाज पार्टी के लोग यह नारा देते थे। मान्यवर, उससे आज निजात मिली है, आज हमारी सरकार ने उसको खत्म किया है और गरीब को न्याय देने का काम किया है। आज अल्पसंख्यकों को जो पिछले पांच साल के अन्दर कोई पूछता नहीं था, उन अल्पसंख्यक कन्याओं को सहारा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी बेटियां जो पढ़ नहीं पाती थी, शिक्षा से वंचित थी, उनको सहारा नहीं मिलता था, गरीबी के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें पढ़ा नहीं पाते थे। आज इतनी अच्छी योजना लागू करके उन गरीब बच्चियों को सहारा देने का काम हमारी सरकार ने किया है, इसलिये हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज किसानों को 3 परसेण्ट पर कर्ज देकर उनको स्वावलम्बी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, इसलिये हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बेरोजगार नौजवान जो 5 साल तक भटकता रहा, कहीं रोजगार तो मिला नहीं उसको मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते को छीनने का काम पिछली बसपा की सरकार ने किया। मा0 मुलायम सिंह यादव जी की पिछली सरकार में जितनी योजनायें चलायी गयी थी उसको बदले की भावना से रद्द करने का काम बसपा की सरकार ने किया था। हमारी सरकार ने पुनः उसको और धन देकर चालू करने का काम किया है। आज कई विश्वविद्यालय दिखायी दे रहे हैं, मेडिकल कालेज

बनने जा रहे हैं, तमाम पुल बनने जा रहे हैं, हमारी तमाम सड़कें बन रही है। पिछले पांच साल में क्या हुआ यह बसपा के लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिये था। भ्रष्टाचार कितनी चरमसीमा पर पहुंचा था। कितने लोगों को सताया गया था कितने लोगों पर फर्जी मुकदमा दलित ऐक्ट का नाजायज रूप से हर थानों में दर्ज कराकर लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया गया था और जिससे राजनीतिक दुश्मनी थी उनको तबाह और बर्बाद करने का काम बसपा की सरकार में हुआ था। आज यह काम नहीं हो रहा है। आज इंसाफ मिल रहा है। जो भी थाने में जा रहा है चाहे वह किसी पार्टी का हो उसको इंसाफ देने का काम हमारी पार्टी की सरकार कर रही है। हमारी सरकार सबके साथ न्याय करने का काम कर रही है। यह पहली सरकार है जो गांव के विकास, नौजवानों की तरक्की, अल्पसंख्यक मुसलमानों की तरक्की और बुनकरों की तरक्की सबकी तरक्की देखना चाहती है। आज उद्योग के क्षेत्र में भी हमारे मुख्य मंत्री जी का जो प्रयास चल रहा है, आज उद्यमी आ रहे हैं और बहुत जल्दी यह उद्योग भी प्रदेश में दिखायी देंगे। पिछली सरकार में जो उद्योग का विकास शून्य हो गया है लेकिन आज धीरे-धीरे पटरी पर गाड़ी आ रही है। आज जो गुण्डा और माफिया का आरोप लगा रहे हैं। पिछले 5 साल में जितने भी गुण्डा और माफिया थे सबको विधान परिषद् में भेजने का काम आपकी सरकार ने किया है। आपने उन लोगों को जिला पंचायत का चेयरमैन बनवाया जिन पर 12-13 हत्या के संगीन अपराध के मुकदमें दर्ज थे। जिनको सजायें हुयी थी उनको आपने विधान परिषद् में भेजकर सम्मानित करने का काम किया। और जो लोग बलात्कार में लिप्त थे आपके एक दर्जन से ज्यादा मंत्री और एम0एल0ए0 उनको भी आपने सम्मानित करने का काम किया और वह जेल के शिकंजे में गये और वह आज भी जेल के शिकंजे में हैं। हमारी सरकार लोगों के साथ न्याय कर रही है। हमारी सरकार में गांवों के विकास के लिये खजाने का मुंह आज गांव की तरफ खुला है। जो बी0पी0एल0 कार्ड धारक नहीं है जिनको एक आवास भी नहीं मुअस्सर होता था आज ऐसे परिवारों को भी आवास देने की योजना हमारी सरकार ने बनाया है। हम अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि पहली बार आज लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई न्याय की सरकार है। जो काम कर रही है, जो काम करना चाहती है। इसलिये विपक्ष के लोग और खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के लोग घबराये हुये हैं। जो किसान 5 साल तक परेशान था आज समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। उनको न्याय मिल रहा है और न्याय मिलेगा।

मान्यवर, जो विकास का बजट पेश हुआ है उसमें बलिया जनपद के लिये जो धन की व्यवस्था की गयी है उसका मैं स्वागत करता हूं। आजमगढ़ के लिये विशेष धन देने की व्यवस्था की गयी है मैं उसका भी स्वागत करता हूं। हमारे बलिया जनपद में दो ही विकास के केन्द्र बिन्दु है उनमें से एक डेरी जो हमारे जनपद बलिया के किसानों की गम्भीर समस्या है वह बंद पड़ी है। उसके धन की व्यवस्था की जाये, उसको चालू किया जाये। आज हजारों कृषक परेशान है उनका व्यवस्था नहीं हो रही है। जो घाटे में है हम चाहते हैं उसको धन देकर चालू किया जाये और बलिया जिले का जो एकमात्र उद्योग है जो कृषि पर आधारित है हमारी डेरी को चालू किया जाये। और दूसरा उद्योग रसड़ा में जो कताई मिल है वह बंद है मैं मांग करना चाहता हूं यह जो दोनों उद्योग बंद हैं हजारों

श्रमिक आज बेसहारा हो गये, यह पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद हो गये, पांच साल के अंदर चीनी मिल बिकने के कगार पर चली गयी। बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट के स्टे आर्डर पर उसको रोका गया नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग रसड़ा चीनी मिल को भी बेचने की कवायद कर चुके थे। जो शून्य पड़े हुए है, इनको विशेष पैसा देकर के कृषकों के हित में हमारे डेरी को चालू किया जाय और हमारे रसड़ा में जो कताई मिल बन्द पड़ी है जिसकी वजह से श्रमिक बेकार है, उस कताई मिल को भी चालू किया जाय, यह मेरी मांग है। मान्यवर, हमने अपने बलिया जनपद में दो पुल की मांग की थी, एक गंगा का पुल जो मा0नारद राय जी ने, मा0 शिवपाल जी जब गये थे, तब रखा था, तो गंगा पर एक पुल बनाया जाय और एक घाघरा नदी जो मेरे इलाके मे बहती है, सिकन्दरपुर, खरीदरौली घाट जहाँ पर पीपे का पुल पिछली सरकार ने स्वीकृत किया था, वहाँ पर पकका पुल बनाया जाय। यह हमारी दो मांगे है, खरी दरौली घाट पर एक पक्का पुल बनाया जाय और एक गंगा नदी पर पक्का पुल बनाया जाय और जो हमारे बलिया जनपद के उद्योग हैं, जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जिला है, वहां तक नजर अभी तक नहीं गई है, उस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मा0 अम्बिका चौधरी जी का कि बलिया जनपद के ही आप नेता नही है, आप पूरे प्रदेश के लाखों गरीबों, किसानों की आशा की किरण हैं। आशा भरी निगाहों से बलिया जनपद तो देखना ही है, पूरा प्रदेश देखता है, मगर मेरी समझ में नही आता कि बलिया के लिये धन क्यों नहीं मिला। थोड़ा प्रयास कर दीजिये इस बजट में ताकि कम से कम कृषि पर आधारित हमारी डेरी चालू हो जाय और रसड़ा में जो हमारी फैक्ट्री बन्द है, वह चालू हो जाय, मैं यह कहना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार न्याय कर रही है आम जनता के साथ, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ, व्यापारियों के साथ, सारे लोगों के हितों की रक्षा, यह पहली सरकार है जो कर रही है और आगे भी करेगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजय बहादुर यादव-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदय, आपसे आग्रह है कि जो राज्यपाल महोदय ने पूरे पूर्वांचल की उपेक्षा की है, उस पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि गोरखपुर में मात्र एक बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज है, जिसमें पहले भी बड़ी चर्चा हो चुकी है कि यह पूर्वांचल बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जिसमें मरीज नैपाल से आते हैं, बिहार से आते हैं और अन्य जगहों से आते हैं, आप बी0आर0डी0 मेडिकल को एम्स की तर्ज पर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर डेवलप करेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस प्रकार की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि गोरखपुर बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज को एम्स की तर्ज पर बनाया जाय। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि गोरखपुर एक ऐसा शहर है जिसको एक धर्म नगरी कहते हैं और एक तरीके से इस पर पूर्वांचल का बहुत बड़ा लोड है, लगभग बीस लाख की आबादी वाला शहर है, यहां जब दस बजते हैं, दस से बारह बजे, तो चारों तरफ जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसे में हमने महामहिम राज्यपाल महोदय

के अभिभाषण में, यह कहीं नहीं देखा कि गोरखपुर हाईवर्ट बांध को मेन बाई-पास रोड बनाया जाय। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि गोरखपुर हाईवर्ट बांध को बाई-पास में बनाया जाय जिससे गोरखपुर को नैपाल से जाने में और बनारस को जाने में काफी सुविधा हो। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि गोरखपुर में हाईवर्ट बांध को बाई-पास में परिवर्तित किया जाय, यह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं नहीं दिखाई दिया, जो गोरखपुर के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि गोरखपुर हाईवर्ट बांध को बाई-पास रोड में बनाया जाय। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि गोरखपुर ट्रान्सपोर्ट नगर चौराहे पर जब लगभग आठ से दस बजे और बारह बजे के बीच में दो से तीन घण्टे तक जाम लग जाता है और गोरखपुर दो भागों में बंट जाता है, ऐसे में हम आग्रह करना चाहते हैं कि गोरखपुर ट्रान्सपोर्ट नगर में फ्लाई ओवर बनाया जाय। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि गोरखपुर-रूस्तमपुर ढाले पर भी फ्लाई-ओवर बनाया जाय, यह कहीं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं दिखाई दिया। बनारस से गोरखपुर को फोरलेन से जोड़ने की व्यवस्था भी कहीं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं दिखाई दे रही है। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इन सब चीजों का जिक्र कहीं भी नहीं हैं। गोरखपुर-बनारस एक अति महत्वपूर्ण मार्ग है जो नैपाल को जोड़ता है, गोरखपुर को जोड़ता है, बौद्धिस्ट आते हैं, जिससे हमको करेन्सी प्राप्त होती है पूर्वांचल को। इससे दूर किया गया है। गोरखपुर के साथ सौतेला, छलने का व्यवहार किया गया है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि गोरखपुर बनारस मार्ग को फोर लेन में परिवतित करने का काम किया जाये। मान्यवर, हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि गोरखपुर की बहुत दुर्दशा है, गोरखपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। अमर उजाला जो देवरिया बाई पास रोड है, वह अति जर्जर है। आज आप देखेंगे कि प्रतिदिन एक आध ऐसी घटनायें होती हैं जिससे बच्चों की जाने जाती हैं। बच्चे साइकिलों से जाते हैं तो ट्रकों द्वारा एक्सीडेण्ट हो जाता है केवल गड्ढों की वजह से क्योंकि कोई ऐसी यातायात की व्यवस्थायें नहीं हैं। इससे यातायात की व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। सड़कों पर सब तरफ गड्ढे दिखायी देते हैं तो आदमी को बांये और दाँये चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अमर उजाला से लेकर देवरिया बाई पास रोड जो अति जर्जर हो चुका है उसमें बजट का प्रावधान करके गोरखपुर देवरिया बाई पास को सुदृढ़ किया जाये। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ब्लाक खोराबाद में चन्दा घाट का नदी का पुल है जिस पर प्लाण्टून ब्रिज है उस प्लाण्टून ब्रिज पर स्थायी पुल दिया जाये। स्थायी पुल इसलिये आवश्यक है कि चन्दा घाट ऐसा पुल है जो गोरखपुर बनारस को जोड़ता है। खोराबार में रहने वाले लोग बाढ़ के समय में लगभग 50 किलोमीटर दूर चल करके आते हैं तो वे बनारस रोड पर जाते हैं। ऐसे में काफी धन और जन की हानि होती है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि चन्दा घाट पुल को स्थायी पुल बनाया जाये, प्लाण्टून ब्रिज को स्थायी पुल बनाया जाये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गोरखपुर की भौगोलिक, सामाजिक और धार्मिक नगरी को देखते हुये गोरखपुर को विद्युत कटौती से मुक्त किया जाये। गोरखपुर की ऐसी बदतर हालत है कि कब विद्युत आयेगी और कब जायेगी, ऐसे में कोई अता पता नहीं है। हम चाहते

हैं कि गोरखपुर को लखनऊ की तर्ज पर कम से कम 24 घण्टा विद्युत सप्लाई की जाये क्योंकि गोरखपुर ऐसा हब है जो पूर्वांचल का चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, हर काम के लिये लोग गोरखपुर पहुंचते हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि गोरखपुर, शहरी क्षेत्र को कम से कम 24 घण्टे निर्बाध बिजली दिया जाये और देहात क्षेत्र में 16 से 18 घण्टे बिजली दी जाये। मा0 राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में कहीं भी इन सब चीजों की चर्चा नहीं है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि इसको जोड़ा जाये। मान्यवर, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि पूर्वांचल विशेषकर गोरखपुर हमारा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र जहां पर चारों तरफ नदियां है और नदी के क्षेत्र में पानी की लेयर काफी नीचे होता है, दूषित पानी है और दूषित पानी की वजह से पेट की काफी बीमारियां होती है। ऐसे में हमारे विधान सभा क्षेत्र को विशेष करके कम से कम 500 इण्डिया मार्का-2 के हैण्डपम्प दिये जायें जिससे लोगों की पानी समुचित व्यवस्था हो सके। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसको जोड़ने का काम आप करवाइये। गोरखपुर में एक ऐसी इण्डियन गोल्डेन गैस एजेंसी है जिसमें हमेशा रिफिलिंग का कार्य किया जाता है और वह धन बल के प्रभाव की वजह से वह बार-बार ग्राहकों को ललकारता है और वह वहां पर हमेशा ग्राहकों को अपमानित करने का कार्य करता है और वह रिफिलिंग का कार्य करवाता है। वहां से कम से कम 2 से 3 किलो गैस की घटतौली होती है जिससे आम ग्राहक परेशान रहते हैं। हम इस सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि ऐसी गैस एजेंसी के खिलाफ जांच बैठा करके कठोर कार्यवाही की जाये जिससे उसकी पुनरावृत्ति कहीं कोई और गैस एजेंसी न कर सके और उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाये। हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाया जाये। हमने अभी राज्यपाल जी के अभिभाषण में ये कहीं नहीं देखा। हम आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि इन सब चीजों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जोड़ते हुये सरकार से सब सुविधा दिलवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

*श्री फेरन लाल-

मा0 अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संशोधन के पक्ष में जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। देर में ही सही मगर 11 महीने बाद आपकी कृपा का पात्र हुआ हूं इसलिये हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा है। ऐसा इसमें कहीं भी कुछ नहीं है, जो समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता हो और अगर कुछ है भी तो उसमें न तो क्षेत्रीय समानता है और न ही सेलेक्शन का कोई मानक है। उदाहरण के तौर पर डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास, जो योजना है उसके तहत जो ग्रामों का सेलेक्शन किया गया है उसमें न तो कोई मानक है और न ही विधायकों को तो छोड़िए किसी अधिकारी को भी सेलेक्शन करने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के तौर पर मैं यह सदन को बता सकता हूँ कि मेरी मेहरौनी विधान सभा में एक ग्राम गोना है जिसे पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत पोषित किया गया था। उसमें एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी मीटर ऐसी कोई गली नहीं है, जिसमें सी0सी0 रोड न बनी हो। कोई भी ऐसी गली नहीं है, जहाँ पर विद्युतीकरण नहीं हुआ हो। कोई ऐसा घर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसके लिए आवास नहीं बनाया गया हो, लेकिन उसके प्रधान ने अधिकारियों से सेटिंग करके लोहिया ग्राम योजना में उसे पुनः सम्मिलित करा लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि किसी भी पिछड़े ग्राम को चाहे वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे वह शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, उसको सम्मिलित किया जाता, उसका विकास होता तो मुझे खुशी होती। मा0 राजस्व मंत्री जी, बैठे हुए हैं मैं चाहता हूँ कि इसकी जाँच कराकर जो जरूरतमंद ग्राम हैं, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ से जीता हो, कोई भी वहाँ का पोलिंग नेता जीता हो, मुझे उससे आशय नहीं है, चूँकि कोई भी ऐसी विधान सभा नहीं है, कोई भी ऐसा ग्राम नहीं है, जहाँ हर पार्टी को वोट नहीं मिला हो। दूसरी बात मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके पीछे मेरा उद्देश्य सरकार की आलोचना करना नहीं है। मैं एक व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूँ, मैंने देखा है कि जब जिस दल की सरकार होती है, अधिकारी अपनी जेब से उसी दल का झण्डा निकाल कर ऑफिस में बैठता है और उसके मन में यह होता है कि पाँच साल तो हमें इस दल का सदस्य बनकर ही रहना है, अगली सरकार जब आएगी, तब देखेंगे। इसकी वजह से जो विधायिका का महत्व है, वह कम हुआ है। यदि विधायिका का महत्व कम होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के लिए हितकर है। हालाँकि यह विवशता है कि इसके जवाब में हमारे जो होनहार मंत्री जी, आजम खाँ साहब है, हर बात में उनका यह जवाब आता है कि आपने बुलडोजर चलवाएँ हैं, आपने मुकदमें लिखवाएँ हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि यह व्यवस्था जिसने भी शुरू की है लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों के बीच में बोलने पर) आगे सुन तो लीजिए। सुनने में आपको क्या तकलीफ होती है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हम अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाएँ, आप अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपायें, हमने जो किया, उसका रिजल्ट हमारे सामने है और आपने जो किया आपने 3 साल में जो किया था, वह 5 साल तक आपको भुगतने को मिला और अब ऐसा न करें कि इन 5 साल में कि 15 साल के लिए सत्ता से दूर हो जाएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो करेंगे उसका रिजल्ट जनता देगी। जो विभागवार बजट दिया गया है मैं संक्षेप में उसकी थोड़ी-थोड़ी चर्चा करूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

ये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। बजट पर चर्चा का मौका इसके बाद 26 तारीख से मिलेगा।

श्री फेरन लाल-

उसी में दिया है मा0 अध्यक्ष जी, चूँकि मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी बात कहूँगा, क्योंकि मुझे भी जनता ने चुनकर भेजा है ताकि मैं जनता की बात कहूँ। बेसिक शिक्षा विभाग की जहाँ बात है मा0 अध्यक्ष जी, उसमें यह दिया गया है कि 7 किलोमीटर की परिधि में हाईस्कूल और 10 किलोमीटर की परिधि में इण्टर कालेज बनाने का प्राविधान है, लेकिन मेरा क्षेत्र जो बुंदेलखण्ड में आता है मेहरौनी विधान सभा मान्यवर, यह दुर्भाग्य ही कहा जायेगा उन

लोगों का जो वहां पर रहते हैं मान्यवर मेहरौनी में 20-20 किलोमीटर की दूरी तक हाई स्कूल और इण्टर कालेज नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि जो भी योजना हो सरकार की उसमें मेरे क्षेत्र को शिक्षा से आच्छादित कराया जाय। मान्यवर, यह हो सकता है कि सरकार के सामने वित्तीय संसाधनों की कमी होती है लेकिन जो भी बजट व्यवस्था है उसका समान उपयोग हो और लोगों को सुविधाएं मिले और वह धरातल पर भी दिखाई दे। मैंने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुंह जुबानी कहा था कि जनपद ललितपुर में और मेरे निर्वाचन क्षेत्र मेहरौनी में अध्यापकों की कमी है। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश की वास्तविकता है कि जो टीचर जोड़-तोड़ में माहिर होते हैं राजनीति करते हैं वह लोग अपना स्थानान्तरण मनचाही जगहों पर करा लेते हैं। मेहरौनी में लगभग 100 विद्यालय ऐसे हैं जो या तो शिक्षा-मित्रों के सहारे चल रहें हैं या शिक्षक के अभाव में उन विद्यालयों पर ताले पड़े हैं। जबकि मुख्यालय जनपद पर सौ विद्यालय ऐसे हैं जहां कक्षायें पांच हैं और टीचर आठ-दस तैनात हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करें और इसकी निष्पक्ष जांच करायी जाय।

मान्यवर, विद्यालयों के अनुपात में जो टीचर नियुक्त हैं उनको डिवाइड कर दिया जाय और उसी आधार पर तैनाती दी जाय। मान्यवर, सम्बद्धीकरण और स्थानान्तरण के एक निश्चित मानक हो और उस मानक के अनुसार पोस्टिंग हों तो फिर शिक्षा का स्तर सुधर सकता है। मान्यवर यह एक तथ्य है कि यदि किसी रिक्शा वाले के पास दो सौ रुपये हैं तो वह अपने बच्चे को सरकारी प्राइमरी पाठशाला में नहीं भेजना चाहेगा। क्योंकि उसके मन में यह बात रहती है कि वहां शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नहीं है। मान्यवर आपको शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर चाहे प्राइमरी पाठशाला हो चाहे इण्टर कालेज हो चाहे डिग्री कालेज हो शिक्षा की गुणवत्ता पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें नियुक्त जो टीचर मक्कारी करें उनके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए। हम मानते हैं कि टीचरों की कुछ परेशानियां भी होती हैं। मैं अपने यहां जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने जिला पंचायत के एक इण्टर कालेज में एक टीचर को सस्पेंड किया था। अगले दिन पूरे जिले के टीचर मेरे सामने आ गये और मुझे उसे बहाल करना पड़ा था। यह कुछ परेशानियां शासन के सामने हो सकती हैं। लेकिन यदि एक नीति हो एक कानून हो तो फिर सख्ती हो सकती है और टीचरों की सही तरीके से पोस्टिंग हो सकती है। उससे बच्चों को शिक्षा की सुविधायें मिल सकती हैं। दूसरा अनुरोध मैं कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ। वहां पर ध्यान दिया जाये। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है। मेरा क्षेत्र जनपद संतकबीरनगर में मेंहदावल है। यह पूर्वांचल में आता है। मेरे क्षेत्र की सड़कें अत्यन्त खराब हैं उनको ठीक कराने का काम किया जाय। मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री का आभारी हूं कि हमारे निषाद समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए महाराजा निषाद की जयन्ती पर 05 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मेजों की थपथपाहट से निषाद समाज के लोग बहुत खुश हैं मछुवा आवास योजना फिर से पांच वर्ष बाद लागू की गयी है यह अच्छी बात है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जुड़वाना चाहता हूँ कि जो शिक्षा मित्र और प्रेरक की नियुक्ति होती है वह मेरिट के आधार पर की

जाती है इसमें मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र और प्रेरक की नियुक्ति मेरिट के आधार पर न करे। क्योंकि कुछ लोग नकल करा करके मेरिट बनवा लेते हैं उन्हीं की नियुक्ति हो जाती है और जो लोग वास्तव में पढ़े लिखे होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है। इसलिए इसमें इंटरव्यू के माध्यम से शिक्षा मित्र और प्रेरक की नियुक्ति की जाय जिससे अच्छे छात्रों का चयन हो सके।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो भी बातें यहां कही गयी है वह इस प्रदेश के लिए और समाज के लिए बहुत लोकप्रिय है। धन्यवाद।

श्री राधेश्याम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली सरकार के द्वारा कुछ किया गया और मौजूदा सरकार के द्वारा कुछ किया जा रहा है। दोनों लोगों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है हाउस के अन्दर। अभी पिछली सरकार के द्वारा मेरी विधान सभा में गोमती नदी में एक पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था उसमें एक पिलर खड़ा किया गया मौजूदा सरकार के द्वारा उसको रोक दिया गया और अभी इसी वित्तीय वर्ष में ग्राम उरेरमऊ को जोड़ने वाला कामाख्या भवानी फैजाबाद और अमेठी को जोड़ेगा वहाँ के लिए गोमती नदी पर एक पुल का प्रपोजल कर दिया गया अगर इसी क्रम में चल रहे कार्य को रोका जायेगा और उसकी शुरुआत की जायेगी तो मेरे समझ से यह न्यायसंगत बात नहीं है। जो काम शुरूआत किये गये हैं जो 50 प्रतिशत से ज्यादा काम हो गये हैं उनको पूर्ण कराया जाय। यह पहले सरकार के द्वारा सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। मान्यवर, सरकार के द्वारा जो भी बेसिक शिक्षा में या माध्यमिक शिक्षा में, पिछली सरकार के द्वारा कार्य किया गया, जो दूरदराज के अध्यापक थे उनकी सुविधा के अनुसार गैर जिले में स्थानान्तरण किया गया उसके चलते हमारी विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बाजार शुकुल एवं जगदीशपुर में अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर विद्यालय अध्यापक विहीन हो गये और वहाँ पर अटैच के अध्यापक लगाये गये हैं वह स्कूल जाते नहीं हैं। मैंने स्वयं जा करके अपने विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मुसाफिरखाना के ग्राम सभा कनकपुर के एक प्राइमरी स्कूल को चेक किया था। इसमें जब से ज्वाइनिंग हुई थीं तब से ले करके दो ढाई वर्ष के बीच में महिला अध्यापक कभी स्कूल नहीं गयी उसके खिलाफ मैंने डी0एम0, एस0डी0एम0 और माननीय शिक्षा मंत्री को भी लिखकर दिया तो इससे हुआ क्या कि उसका स्थानान्तरण उसी स्थानान्तरण के क्रम में हो गया और वह अपना स्थानान्तरण कराकर कानपुर चली गयी इस टाइप से तमाम विसंगतियां हैं, जो जनहित में आवश्यक नहीं है। सरकार के द्वारा कोई भी चीज किया जा रहा है तो उस पर ऐसा न किया जाय कि जिसका फायदा उठा लें लोगबाग, जो भी कर्मचारी हैं और वहाँ पर जनहित के लोग, गांव की जनमानस, गांव की जनता स्कूलों से या अन्य कार्यों से वंचित रह जाय। कुल मिलाकर कहने का मकसद हाउस में यही है कि जितने काम की स्वीकृति मिली है उस काम को प्राथमिकता पर पूरा कराया जाय।

हमारे जनपद अमेठी को 210 कि0मी0 सड़क पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत कराई गयी है जिसका आज तक टेण्डर सरकार नहीं करवा पा रही है और न ही पी0एम0जी0एस0वाई0 का काम देखने के लिए अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति की गयी है जोकि एक विषम परिस्थिति है। इसलिए सरकार के द्वारा वहाँ पर अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर कराई जाय। जिससे विकास कार्य व्यवस्थित ढंग से चले। हमारी विधान सभा दो जनपद में बटी है। सुल्तानपुर और अमेठी। जिसमें 21 गांव सभा हमारी बल्दीराव ब्लाक की जिसका हेडक्वार्टर सुल्तानपुर होता है और 21 गाँवसभा, उनका मुख्यालय सुल्तानपुर होता है, उनकी सुविधा के लिये पहले उनकी तहसील हेडक्वार्टर 10 किमी0 पर था, आज की तारीख में उनको 45 किमी0 दूर जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है। तो कम से कम जब तक वह क्षेत्र अमेठी में न शामिल हो, तब तक पूर्व के अनुसार उन 21 गाँवसभा के लोगों का तहसील हेडक्वार्टर जो मुसाफिरखाना था, उनको मुसाफिरखाना में ही बने रहने दिया जाये, जिससे जनता को सुविधा मिलेगी। इसी क्रम में चूँकि गोमती नदी के किनारे का क्षेत्र है, यहाँ पर अग्निकांड ज्यादा होते हैं बल्दीराय ब्लाक के थाना हलियापुर में फायर की कोई गाड़ी नहीं है, वहाँ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध कराई जाये।

इसी क्रम में जगदीशपुर विधान सभा की कुछ अहम समस्यायें हैं जिसका निराकरण सरकार के द्वारा सुनिश्चित कराया जाये। गोमती नदी का कटान पिपरी कांकरकोला गाँव के पास लम्बे अरसे से चल रहा है, उसमें काफी किसानों की उपजाऊ जमीनें चली गयी हैं, उसके बारे में कई बार माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी दिया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पायी। इसी क्रम में जगदीशपुर के कस्बा रानीगंज में जो कि सड़े हुये अत्यन्त जर्जर विद्युत तार लगे हुये हैं, विद्युत सप्लाई उन्हीं के द्वारा की जा रही है, आये दिन विद्युत हानि होती है, ट्रिपिंग होती है, विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होती है। कई बार उसके बारे में लिखकर दिया गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही इसमें नहीं की गयी। मेरी यह भी माँग है कि औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर है, वहाँ विद्युत कटौती न की जाये और सत्थिन के साथ-साथ विकासखंड जामू, जो हमारी विधान सभा में आता है, दो मजहब एरिया को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, सूरतगढ़ और हरगाँव, इस मार्ग को पूर्ण कराया जाये।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि देवकली, कटेहटी रजबहा में पानी नहीं आ रहा है इसके लिये मैं ई0एन0सी0 श्री ओझा से भी जाकर मिला, उन्होंने एस0सी0 को हमारे साथ भेजा और कहा कि आप जाइये मौके को देखकर आइये, मैं उनको अपने साथ लेकर गया, मैंने नहरों को दिखाया, उसके बावजूद भी टेल तक पानी नहीं पहुँचा। लेकिन इतना हुआ कि 50 प्रतिशत तक पानी अवश्य पहुँचा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री राधेश्याम-

हम आपका दो मिनट समय और लेंगे। दक्खिनवारा जामू ब्लाक में एक 33/11 का उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित हुआ है, उसके कार्य को प्रारम्भ कराया जाये। इसी तरीके

से खंड-28 की 23 डाउन की जो नहरें थी, पहले उसका मुख्यालय हैदरगढ़ होता था, पिछली सरकार ने उसको स्थानान्तरित कर लखनऊ कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ कोई अधिकारी नहीं मिलता और इससे क्षेत्र की जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब समाप्त करें और माननीय कृष्णपाल सिंह राजपूत जी प्रारम्भ करें।

*श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन पर बल देने के लिये बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बहुत से सदस्यों ने प्रदेश के बारे में और अपने क्षेत्र के बारे में बहुत सी समस्यायें रखीं। माननीय राजस्व मंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की प्राथमिकतायें हैं, जो हमारे माननीय मंत्रियों की और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणायें हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे झाँसी जनपद में बबीना विधान सभा जो बहुत ही पिछड़ी विधान सभा है क्योंकि वहाँ पर बबीना कैन्ट जो हमारा बना है, फील्डफार एरिया है। उसमें हमारे कम से कम लगभग 300 गाँव उस फील्डफार एरिया की वजह से स्थानान्तरित किये गये थे उन गांवों को बसाने के लिये सरकार द्वारा जमीन दी गयी थी, उन्हें खेती के लिये भी जमीन दी गयी थी लेकिन अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिस जमीन पर वह खेती करते हैं, उस जमीन पर आज तक उन्हें पूर्ण रूप से मालिकाना हक नहीं दिया गया उस जमीन पर आज तक उनका नाम नहीं चढ़ पाया है, जिसकी वजह से आज भी वह जमीन के मालिक नहीं हैं, न तो बैंक उन्हें क्रेडिट कार्ड बनाती है और न ही उन्हें लोन देती है और अगर उनके परिवार पर कोई मुसीबत आ जाए तो वह उस समस्या के समाधान के लिये जमीन बेच भी नहीं सकते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसे हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी ने आदेश दिया था कि सारी नहरों की सफाई कराई जाए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि हमारी बमीना विधान सभा में पड़ने वाली गडमऊ माइनर, वराटा पम्प माइनर, वकुवां पसैया पुलगहना माइनर, भानपुर माइनर एवं लकारा माइनर, अभी माननीय मंत्री जी बैठे है, इन माइनरों की सफाई अधिकारियों ने दर्शायी होगी, जब हम सिंचाई बन्धु की बैठक में गये और वहां अधिशासी अभियन्ता से बात की तो उन्होंने हमें जवाब दिया इस समय हमारे विभाग में पैसा नहीं है, पैसे का अभाव है और पैसे के अभाव में मैं सफाई नहीं करा पा रहा हूं। हमने उनसे कहा कि नरेगा के तहत् इन नहरों की सफाई करा दी जाए परन्तु मान्यवर, नरेगा के माध्यम से भी इन माइनरों की सफाई नहीं हो पाई है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे विधान सभा में फोरलेन बनी है, फोरलेन पूरी कम्पलीट है, जो हमारा कानपुर और मऊरानीपुर बाईपास है वह मात्र दो किलोमीटर का है उस दो किलोमीटर के न बनने से आये दिन झांसी में जाम बना रहता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से उसमें सर्वे हुआ है सर्वे कभी अधिकारी इधर से कर के दिखाते हैं और कभी उधर से करके दिखाते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

हैं। सर्वे कम से कम तीन बार हो चुका है लेकिन अभी निश्चित नहीं हो पाया है कि बाईपास कहां से बनना है। एक हमार बाईपास शिवपुरी रोड से बमीना तक है कि जो बीच-बीच में कहीं पांच सौ मीटर रह गया हैं और कहीं एक किलोमीटर रह गया है, ऐसी मात्र तीन किलोमीटर रोड अधूरी पड़ी हुई है, उस तीन किलोमीटर की वजह से वह बाईपास भी चालू नहीं हो पा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी झांसी गये थे और जब बमीना के हमारे मिलिट्री के लोगों ने प्रोग्राम रखा था तो वह कैन्ट भी गये थे उन्होंने उस रोड को देखा था और आदेश भी किये थे कि इसको तत्काल पूर्ण कराया जाए लेकिन अभी तक उस पर काम चालू नहीं हुआ है। बमीना से झांसी तक का हमारा जो हाई-वे है, हमारे पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी ने कई बार घोषणा की कि सारी सड़कों को गड्ढामुक्त करा दिया जाए, अभी दो दिनों से चर्चा में सुन रहे हैं कि सारी सड़कों को गड्ढामुक्त करा दिया जाए, मान्यवर, हम जिसकी बात कर रहे हैं वह हाई-वे हैं और यदि उसके गड्ढों में हमको भी लिटा दिया जाए तो हम भी नहीं दिखाई देंगे इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं माननीय मंत्री जी, आप चाहें तो स्वयं चल कर देख लें कि यदि हम लेट जाएं तो दिखाई नहीं देंगे।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह गड्ढे में नहीं लेटें।

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि गड्ढे आज भी है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि उन गड्ढे को तत्काल भरवाया जाए, जिससे कि हमारे दो जिलों को जोड़ने वाला जो हाई-वे है वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। वैसे हमारे यहां बहुत से ऐसे रोड हैं जो बहुत दिन पहले के बने हुये है और कई सालों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है वह आज बहुत ही बुरी स्थिति में है। मैं बताना चाहता हूं कि वसई रोड से महेशगढ़ का सम्पर्क मार्ग है, राजगांव से पटकुइयां सम्पर्क मार्ग है, सुजुवाँ से चन्दौली मार्ग है, पचार से पारीक्षा रेलवे क्रासिंग मार्ग है, राम नगर से करगुवां सम्पर्क मार्ग है, नरी से निवी तक सम्पर्क मार्ग है, मान्यवर, ऐसे बहुत से सम्पर्क मार्ग हैं जिन्हें बने बीस-बीस साल हो गये हैं परन्तु इन पर आज तक कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। हमारी बमीना विधान सभा में लगभग 43 पुरवे आज भी ऐसे हैं जो विद्युतीकृत नहीं हैं, 27 गांवों में मैंने अपनी विधायक क्षेत्र निधि से विद्युतीकरण कराने का काम किया है इसके बावजूद भी 43 गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हो पाया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

मान्यवर, मैंने घड़ी देख करके ही बोला है अभी तीन मिनट ही हुये हैं 5 मिनट का समय और दे दें। मान्यवर, हमारा झांसी का मेडिकल कालेज है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, कई लोग तो घड़ी देखकर अपना काम करते हैं लेकिन कुछ लोग घड़ा रखकर अपना काम करते हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

मा0 अधिष्ठाता जी, एक मिनट का समय और दे दें। पहली बार मौका मिल रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। माननीय अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दी है उसी के अनुसार हमें चलना है। अब कृपा करके बैठ जाएं।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे यहां बस अड्डा के लिये कई बार नाप हुई है, मण्डी के लिये भी कई बार नाप हुई है लेकिन आज तक जमीन चिन्हित नहीं कर पाये हैं। बस अड्डा और मण्डी की वजह से झांसी में प्रतिदिन 3 कि0मी0 तक जाम रहता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि बस अड्डा और मण्डी के लिये जमीन जल्दी से जल्दी चिन्हित कराकर बनाई जाए। हमारे यहां जो पैरा मेडिकल कालेज बना है...

श्री अधिष्ठाता-

अब बैठ जाइये, सहयोग करिये, आपका समय समाप्त हुआ। अब जाहिद बेग जी अपनी बात रखिये।

श्री जाहिद बेग-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद जब नेता विरोधी दल तेज आवाज में बोलकर वॉक-आउट कर रहे थे तो तेज आवाज बोलकर प्रदेश की जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि जो समस्या आज और पार्टियों के लोग रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन पांच साल आपने सरकार चलायी है। आज सड़कों पर गड्ढा किसने किया, बिजली की समस्या किसने पैदा किया ? पांच साल के अन्दर इस बात का प्रमाण मिलता है कि आपने प्रदेश को लूट-खसोट कर, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर खोखला कर दिया, कोई एक काम नहीं किया। जनता की गाढ़ी कमाई को लूट कर खा गये। पांच साल के बाद अभी 10 महीने भी नहीं बीते कि प्रदेश के अन्दर सड़कों पर गड्ढा हो जाता है, बिजली की समस्या हो जाती है। यह बात मैं प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं। मैं जिस जिले से ताल्लुक रखता हूं वह कालीन उद्योग का क्षेत्र है इससे खुशी होती है, लेकिन दुःख इस बात का है कि जिस जिले से ताल्लुक रखता हूं कि उस जिले के आपके ब0स0पा0 के मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में बंद हैं इस बात का मुझे दुःख होता है और जिस लोक सभा से ताल्लुक रखता हूं उस लोकसभा क्षेत्र से आपके दो मंत्री थे, एक हंडिया से और एक औराई के थे। दोनों को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया और मुकदमा चल रहा है। इस बात का दुःख हो रहा है। आप तेज आवाज में बोलकर जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आज सवाल इस बात का है....

एक मा0 सदस्य-

मा0 अधिष्ठाता जी, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करें यह भ्रष्टाचार कहां से आ गया।

श्री जाहिद बेग-

भ्रष्टाचार का मुद्दा राज्यपाल जी के अभिभाषण में है। रोड के सवाल पर ब0स0पा0 के लोग बोलते हैं लेकिन भ्रष्टाचार के सवाल पर कभी कोई आदमी नहीं बोलता। आखिर क्या बात है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपकी जुबान बंद हो जाती है। इस बात का सबूत है कि पिछले पांच सालों में आपकी सरकार भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी। मा0 अधिष्ठाता जी, मौजूदा सरकार चुनौतियों को स्वीकार करते हुये, चुनाव में किये गये अपने वायदे को पूरा करने के लिये कृत संकल्प है और उसको पूरा कर रही है और धीरे-धीरे प्रदेश के विकास का कार्य चल रहा है। मा0 अधिष्ठाता जी, लोग चिल्लाकर कहना चाहते हैं और यह कह रहे थे कि हमारा एजेण्डा चुरा लिया तो कौन सा आपका एजेण्डा है, वह मुझे बता दीजिये। इससे पहले जब हमारे नेता जी की सरकार थी तो चाहे अम्बेडकर गांवों का मामला रहा हो सारे मामले नेता जी के बनाये हुये थे। आपका तो कोई एजेण्डा ही नहीं है सारा एजेण्डा माननीय मुलायम सिंह यादव जी की आपकी सरकार ने लागू किया था। अम्बेडकर गांवों का नाम बदला है इस बारे में कहना चाहूंगा कि जो भी पार्टियां नेताओं को खूंटा में बांध देंगी, देवताओं को खूंटा में बांध देंगी भगवान को खूंटा में बांध देंगी उनका आम जनता कदर करना कम कर देंगी। इसलिये अगर महान नेताओं की कदर कराना है भगवान और देवताओं की कदर कराना है तो उनको एक खूंटा में बांधना बन्द कर दीजिये यह आप अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी वर्ष 1989 में नेता जी यहां पर मुख्यमंत्री थे पार्लियामेन्ट के अन्दर पहली बार अम्बेडकर जी की तस्वीर समाजवादी पार्टी ने लगवाई थी। आप क्या कदर करेंगे आप तो अम्बेडकर के नाम पर राजनैतिक रोटियां सेंक रहे हैं। लड़ाई झगड़ा लगवा रहे हैं पहली बार अम्बेडकर गांवों को नेता जी ने बनवाया था। लेकिन जब आपने खूंटा में बांधना शुरू कर दिया तो नाम बदलना हमारी मजबूरी हो गयी थी जहां तक नाम बदलने की बात है जितने जिलों का नाम आपने बदले हैं हमारी सरकार ने नहीं बदले हैं। मैं भदोही का रहने वाला हूं सन्त रविदास जी को मैं भी मानने वाला हूं लेकिन भदोही का नाम ऐसा है कि आप विदेशों में जर्मनी में इंग्लैण्ड में कहीं भी भदोही का नाम बता देंगे लोग समझ जायेंगे कि भदोही इंडिया में है उत्तर प्रदेश में है आपने भदोही की पहचान बदल दिया है कालीन उद्योग को नुकसान पहुंचाया है। भदोही का नाम सन्त रविदास नगर रखकर आपने भदोही के कालीन उद्योग को चौपट करने का काम किया है। अध्यक्ष जी यह विकास की बात कहते हैं मैं भी पहली बार जीता हूं पांच साल के अन्दर भदोही में एक भी मार्ग सही नहीं था भदोही से गोपीगंज तक एक रोड थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार बनने के बाद 17 करोड़ की लागत से स्वीकृत कर दिया है और बाबतपुर से भदोही 4 लेन, सड़क अगले साल स्वीकृत होने जा रहा है। भदोही से दुर्गागंज मार्ग भी स्वीकृत होने जा रही है किसानों की बात जहां तक है टेबुल फ्री किसानों को पानी फ्री किसने दिया आप बजट में देखना क्या चाहते हैं आप बजट में यह देखना नहीं चाहते हैं कि किसानों को मुफ्त पानी मिले किसानों का कर्ज माफ किया जाय यह लोग देखना नहीं चाहते यह लोग प्रदेश की गाढ़ी कमाई का पैसा अपनी तिजोरी में बन्द करना चाहते हैं। वह दिन दूर नहीं है कि आपने जो काला धन जमा कर रखा है जांच हो रही है दो लोग अभी जेल में है और वह दिन दूर नहीं जब और लोग जेल में जाने का काम करेंगे।

महिलाओं की बात करते हैं आज ही के पेपर में आया है कि विधायक महिला उत्पीड़न में जेल गया है वह बसपा का विधायक है। आप देख लीजिये कौन महिलाओं की कदर करता है। आज हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने कन्याओं के सवाल पर कन्या विद्याधन अपनी बेटी उसका कल, पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां इन पर काम किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री जाहिद बेग-

मान्यवर, मैं नियम का पालन करने वाला हूँ। बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूं जब पूरे प्रदेश में पूरे देश में कुम्भ की तारीफ हो रही थी मैं भी ट्रेन से आ रहा था केरल से एक आदमी आ रहा था मैं बाम्बे से आ रहा था मैंने उससे पूछा कि कुम्भ में कैसी व्यवस्था है तो उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी लेकिन जो हादसा हुआ है उसके लिये हम लोग अफसोस जाहिर करते हैं।

लेकिन वह हादसा मेले में नहीं हुआ, स्टेशन पर हुआ। बार बार मेले का नाम लेकर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जब माननीय अखिलेश जी ने अजरा समिति उद्योपतियों की बैठक बुलायी इनके पेट में दर्द होने लगा। और दो दिन हड़ताल हुई। मैं नहीं जानता नोएडा मे क्या हुआ ? कैसे हुआ लेकिन इसके पीछे एक षडयंत्र है ताकि प्रदेश में उद्योगपति न आएं और अगर जाँच करेंगे तो इसमें जाँच में यही लोग आयेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। अंत में मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। जय हिन्द यह समाजवाद।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

दिनांक 14 फरवरी, 2013 को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ सम्वेत् अधिवेशन में महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण के सम्बन्ध में दिनांक 19 फरवरी, 2013 को प्रो0 शिवाकांत ओझा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत करने का जो अवसर माननीय अधिष्ठाता जी ने दिया है, उसके लिये मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ परन्तु खेद है कि प्रस्तुत संशोधनों को समावेश एवं उल्लेख नहीं किया गया है इसलिये माननीय अधिष्ठाता जी से निवेदन है कि हमारे संशोधनों को भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्बद्ध कर लिया जाय। माननीय अधिष्ठाता जी, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के मानचित्र में जनपद पीलीभीत मात्र एक ऐसा जनपद है जहाँ कि 150 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो कि या तो शिक्षक विहीन हैं या एकल शिक्षक हैं अथवा शिक्षा मित्र के सहारे हैं जो सामान्यतया बन्द रहते हैं और बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय स्थायी रूप से बन्द पड़े रहते हैं। मान्यवर, अधिष्ठाता जी, हमारे इन प्राथमिक विद्यालयों की साज-सज्जा वेश-भूषा खेल कूद एवं वाद्य सम्बन्धी उपकरणों के क्रय में भारी घोटाला है। मान्यवर, हमारे इन प्राथमिक विद्यालयों में से एक जूनियर हाई स्कूल अर्जुनपुर है जिसमें मुनीन्द्रपाल सिंह नाम का एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वह कभी भी विद्यालय नहीं जाता है और पहले बसपा की नेतागिरी करता रहता था और अब उसने सपा की नेतागिरी मंगलेश भारती के

नाम से करता रहता है और इस प्रकार से वह बैठे-बैठै अपने घर पर वेतन प्राप्त करता रहता है। मान्यवर, हमारे यहाँ एक अग्रसेन जूनियर हाई स्कूल मान्यता प्राप्त है जिसमें योगेन्द्र सिंह, दिनेश भारती और राजवीर सिंह नामक इन तीन लोगों की अवैधानिक रूप से भ्रष्टाचार की संस्कृति के अनुरूप भर्तियाँ की गई हैं। मान्यवर, हमारे जनपद पीलीभीत में सैकड़ों अध्यापक फर्जी हैं जिनके सम्बन्ध में एक बार एक प्राथमिकी भी लिखाई गई और एक अध्यापक को जेल भी भेजा गया। आज तक उन सारे अध्यापकों को न तो निकाला गया है न उनका वेतन ही रोका गया है। और जो प्राथमिकी लिखाई गई है उसमें भी कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, हमारे यहाँ जनपद पीलीभीत में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत मायादेवी नाम की तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मीरपुरवाहनपुर में अपनी लड़की को अवैध ढ़ंग से नियुक्त कर लिया। इतना ही नहीं एक इंटर बी0टी0सी0, ओम प्रकाश नाम का अध्यापक है जिसको कि राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य बना रखा है जिसके सम्बन्ध में आपत्ति की गई तो उसको वहाँ से हटाकर जमनिया महुआ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य बना दिया गया। इस तरह से माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी भारी घोटाला और अनियमितताएं हैं। मान्यवर, उच्च शिक्षा के अन्तर्गत एक हमारे जनपद के लिये आदर्श राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत हुआ है असेवित विकास खण्ड विलाजंडा में जो कि ऐसे स्थान पर चयनित किया जा रहा है जहाँ पर कि उद्गम रहा है आतंकवाद का जबकि यह कहा गया है कि विद्यालय ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर छात्र-छात्राओं के लिए और प्रवक्ताओं के लिए पूरी सुरक्षा रहे। आने जाने की सुविधा हो, साथ ही प्रवक्ताओं के रहने का भी परिवेश होना चाहिए लेकिन इस सारी विशेषताओं को दरकिनार रखकर उस विद्यालय के स्थल का चयन किया जा रहा है। हमारे यहां बीसलपुर में एक राजकीय महाविद्यालय हैं, जिसके प्रवक्ता सामान्यतः बरेली में रहते हैं और बरेली से आने-जाने के कारण, अनुपस्थित भी रहते हैं और विलम्ब से आने के कारण पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं रहती है। विद्यालय में बाउन्ड्री वाल नहीं है जिससे वहां पर पशु आ जाते हैं। पढ़ाई में भी व्यवधान रहता है भवन का भी अभाव है कोई भी व्यवसायिक शिक्षा या वाणिज्य अथवा विज्ञान के संकाय की पढ़ाई नहीं हो रहीं है। इस वजह से उच्च शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहां बड़ी लचर है।

मान्यवर हमारे यहां पर पुलिस जो वसूली कर रही है और भ्रष्टाचार में सराबोर है मैं समझता हूँ कि यह प्रदेश में अनूठा उदाहरण है। हमारे यहां पुलिस अधीक्षक है। उनका थोड़े दिन पहले स्थानान्तरण हो गया था जिन्होंने अपना स्थानान्तरण रूकवा लिया और वह पीलीभीत पहुँच गए है और उन्होंने बहुत ज्यादा वसूली शुरू कर दी है इसके अलावा हमारे यहां जो भी अपराध हो रहा है चाहे बलात्कार का हो, हत्या का हो, अपहरण का हो उसकी पराकष्ठा हो गई है। इसी प्रकार से हमारे यहां बीसलपुर थाने में बहुत सारा अभियोग इस तरह के पंजीकृत है जो उजागर नहीं हुए हैं। बीसलपुर थाना का अभियोग संख्या 503/12 है और एक अभियोग 715 है इन दोनों अभियोगों के बारे में सारी जनता को जानकारी है कि कौन-कौन अभियुक्त है, पुलिस को भी जानकारी है, जनता को भी जानकारी है, मुझे लग रहा है घटना हुए काफी समय बीत गया है, कही पुलिस ने इसमें एफ0आर0 तो नहीं लगा दी है। हमारे यहां एक बिलसड़ा थाना है बिलसड़ा थाने में भी अभियोग

संख्या 453/12, 585/12, और 1304/12 इनमें अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई है। जबकि यह बड़े संगीन अपराध है। इसी तरह से मान्यवर, हमारे यहां फर्जी अभियोग लिखे जाते हैं, मान्यवर, मैं दिनांक 2 जुलाई को इस सदन में मौजूद था और मेरे खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत और आई0पी0सी0 की धारा 188 के अन्तर्गत एक फर्जी मुकदमा लिख दिया गया उसमें चार्जशीट भी लगा दी गई इसी प्रकार से हमारे यहां जनपद में 14 थाने और 39 चौकियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें से आधे पुलिस थाने और पुलिस चौकियाँ ऐसी हैं जिसमें एक वर्ग विशेष के लोगों को थानाध्यक्ष बना दिया गया है। यह कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जातिवादी हैं लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों की तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी जातिवादिता के लिए प्रचलित है और चर्चित है पूरे प्रदेश में।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, जनपद पीलीभीत तराई का पहला जनपद है फिर भी पीलीभीत एवं पूरनपुर में दुग्ध अवसीतन केन्द्र है जो बन्द पड़े हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

अभी बीसलपुर के लिए अवसीतन केन्द्र हम लोगों ने डी0आर00डी0 के अन्तर्गत स्वीकृत किया है। एक करोड़ 27 लाख 33 हजार रुपया दिया गया है। लेकिन अब तक भूमि की व्यवस्था नहीं की गई है जिस कारण वह नहीं खुल पा रहा है। मान्यवर राजस्व विभाग में हमारे यहां जो पूर्व मंत्री ब0स0पा0 के थे उन्होंने राजस्व गाँव ग्यासपुर।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

तहसील बीसलपुर में भूमि संख्या 390 पर अतिक्रमण करके अनधिकृत रूप से कब्जा किया है।

श्री अधिष्ठाता-

यह वाक्य पूरा करके समाप्त करें।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

इसी तरह से एक और राजस्व गाँव खमरिया नवप्रिया है जिसमें कि भूमि संख्या 521 से लेकर 559 का तालाब है जिन्हें कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लघंन करके पाट दिया गया है। तथा निर्माण कर लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया बैठ जाएं।

वर्मा जी, समाप्त करें, बैठ जायें। अब शारदा प्रसाप शुक्ला जी।

(श्री अगयश राम सरन वर्मा कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे लेकिल श्री शारदा प्रसाप शुक्ला ने बोलना प्रारम्भ कर दिया)

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

अधिष्ठाता जी, माननीय ओझा जी द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, तमाम इधर-उधर के प्रतिवाद हुए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सरोजनी नगर क्षेत्र जो शहर से बिल्कुल सटा हुआ है, विधायक हूँ। हमारे क्षेत्र में अमौसी एयरपोर्ट है जो आज स्व0 चौधरी चरण सिंह के नाम पर बदल दिया गया है। मान्यवर, 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय उस एयर पोर्ट का निर्माण हुआ था। उस समय अंग्रेजी हुकुमत थी और जमींदार तथा अंग्रेजों के बीच में मालगुजारी आदि जमा होती थी। मान्यवर, काश्तकारों की जमीन ले ली गयी, उसके बाद 1946 में जब अन्तरिम सरकार पं0 गोबिन्द बल्लभ पंत के नेतृत्व में बनी, उस सरकार के कृषि मंत्री मा0 स्व0 चरण सिंह जी थे। किसानों का आन्दोलन हुआ, आन्दोलन के समर्थन में किसानों को उनकी जमीन पर उनके अधिकार वापस दे दिए गए। आज तक किसान उस जमीन को जोत रहे थे, अब एयर पोर्ट की बढ़ोत्तरी हो रही है, उसका विस्तार हो रहा है। अभी जब विस्तार हो रहा था उसमें उड्डयन मंत्री, मा0 अजीत सिंह जी भी आए थे, माननीय मुख्य मंत्री जी भी वहाँ पर मौजूद थे। मैने वहाँ भी इस बात को रखा था कि एयरपोर्ट पर उजाला है लेकिन उसके चारों तरफ जो गाँव है, जिनकी जमीन ली गयी है, वहाँ अँधेरा रहेगा तो कैसे चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, एलान किया था कि इन गाँवों को डा0 राममनोहर लोहिया ग्राम में शामिल कर लिया जायेगा। मान्यवर, वहाँ एक बिजनौर गाँव ऐसा है जो देहात में है, बाकी सब नगर में आ गए हैं। कल ही मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से डिस्कसन किया था और राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि नगर विकास के माध्यम से इन गाँवों का विकास करा दिया जाए, परन्तु आज वहाँ यह स्थिति है कि जो गाँव के किसानों के खेत अब तक उनके पास थे, 2006 में एयरपोर्ट एथारिटी ने सरकार से मिलकर किसानों को जमीन का अधिग्रहीत कर लिया है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। आज वहाँ आन्दोलन चल रहा है, उनके रास्ते बन्द किए जा रहे है, यह स्थित है, मान्यवर, बड़ा गंभीर विषय है। अब मैं अपने क्षेत्र के गोड़धुली तालाब की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, जब अयोध्या से माता सीता को वीरवर लक्ष्मण महर्षि बाल्मीकि के आश्रम छोड़ने जा रहे थे तो हमारे क्षेत्र में यहाँ पर माता सीता ने पैर धोये थे, उसी जगह का नाम गोड़धुली का तालाब पड़ा और आज वहाँ यह स्थिति है कि यह क्षेत्र राजधानी का क्षेत्र होते हुए भी अविकसित है। मैं चाहता हूँ, हमने भी प्रस्ताव किया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी सहृदयता से कहा कि इसको पर्यटन केन्द्र बना दिया जाए। मान्यवर, इसको पर्यटन केन्द्र बनाया जाए और साथ ही वहाँ लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है, इण्टर कालेज, पशु चिकित्सालय नहीं है, वहाँ पर पूरी आबादी किसानों की है, उनकी जमीनें

एलडीए में जा रही है, इसलिए वहाँ के लोगों का मुख्य धन्धा पशुपालन होगा। मान्यवर, दूसरी चीज वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है, स्टेडियम की आवश्यकता है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि गोड़धुली का तालाब जो है, उस क्षेत्र को पर्यटन केन्द्र बनाने का काम किया जाए। मान्यवर, मेरा जो क्षेत्र है, आधा शहर में है, आधा देहात में है उसमें नगर निगम के 9 वार्ड आते हैं। यह स्थिति है कि एलडीए से जमीन ले करके दीपक अंसल ने आशियाना कालोनी बनायी और एल्डिको सिटी बनायी गयी और साउथ सिटी को यूविटेक ने बनाया। इन बिल्डरों ने वहाँ को बाशिन्दों से पैसा लिया और पैसा ले करके चम्पत हो गए।

आज वहाँ न सड़के हैं न पानी की व्यवस्था है न सीवर की व्यवस्था है। जब बरसात होती है तो वहाँ जलप्लावित हो जाता है। वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम खराब है। मान्यवर, मैं अपने उस क्षेत्र की दुर्दशा का बयान कर रहा हूँ जो शहर का इलाका है। राजधानी का इलाका है। अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाये तो सड़के न भी बनें तो भी वहाँ के निवासियों को व्यवस्था मिल सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस शहरी आबादी को अधिक से अधिक धन देकर उसको सुसज्जित किया जाये। मान्यवर, आज मैंने सुबह हिन्दुस्तान अखबार देखा तो उसमें पकरी के पुल का जिक्र था। मुझे खुशी हुयी सिंचाई विभाग ने दो लेन का पुल बनाने का प्रस्ताव कर दिया है, परन्तु धन का अभाव है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि बजट आ रहा है, बजट पास हो रहा है। तो जिस पकरी के पुल के लिए सिंचाई विभाग ने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है तो मैं चाहूँगा कि इसी बजट में उस पकरी के पुल के लिए धन की व्यवस्था हो जाये। क्योंकि कैंट और सरोजनीनगर दोनों जगह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। दोनों एरिया एक में मिल जाये और राजाजीपुरम, चौक अमीनाबाद इस सब जगहों से होकर आलमबाग होकर नटखेड़ा जयप्रकाश नगर होकर पकरी के पुल से जो सीधा रास्ता पराग डेरी को जाता था, विधि विश्वविद्यालय वहाँ है। मान्यवर सन् 1928 में अग्रेजों ने उस समय के दो गाँव कासिमपुर, पकरी के बीच से नहर निकाली और उस पर पुल बना दिया ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। परंतु दलितों का हंभ भरने वाली पिछली सरकार ने उस पुल को तोड़ दिया इससे वहाँ के आम आदमियों को बड़ी परेशानी है। मैं चाहता हूँ पकरी के पुल के लिए धन आवंटित हो जाये। वह बन जाये तो दोनों ओर के इलाके का विकास हो जाएगा। तमाम अच्छे-अच्छे स्कूल दूसरी तरफ सरोजनीनगर में खुले हुए है। लोकबन्धु राजनारायण जी के नाम से अस्पताल है। इधर कोई अस्पताल नहीं है अगर वह बन जाये तो उनको रास्ता मिल जाएगा। इसलिए दूसरा हमारा एक सुझाव है कि मोहनलालगंज तहसील वहाँ पर वकील आन्दोलित है क्योंकि वहाँ मुसिफ कोर्ट खुलना है, इसकी डिमांट है। राजस्व विभाग ने वहाँ जमीन आवंटित कर दी है सारी चीजें मुहैया है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ मुंसिफ कोर्ट खुल जाये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए माननीय ओझा जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण, जो माननीय सदस्य एक बार राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग ले चुके हैं उनको दोबारा अनुमति नहीं है।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे सत्तापक्ष के सम्मानित सदस्य बहुत ही जोश-खरोश से किसानों के हित की बात कर रहे थे मैं समझता हूँ कि चाहे सत्तापक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के हो सभी लगभग मा0 सदस्य कृषि से जुड़े हुए है और कुछ लोग ऐसे भी है जिनका मैं सदन में नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन उदाहरण के तौर पर जरूर जानकारी दूंगा कि एक साल में मात्र एक ही फसल चाहे गन्ना पैदा कर लें, चाहे धान पैदा कर लें चाहे गेहूं पैदा कर लें लेकिन कुछ ऐसे सत्तापक्ष से जुड़े जबरदस्त बिचौलिया किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। मैंने कई बार इसी हाउस में नियम 51 में भी सूचना दी उस सूचना पर भी कार्यवाही नहीं हुयी। बड़े-बड़े माफिया जमीन के बजाये आसमान पर गन्ना पैदा कर रहे हैं। जिसकी मेरे पास सारी सूचनायें हैं उन्हीं लोगों ने धान डाला है। वही लोग गन्ना डाल रहे है व वही लोग गेहूँ डाल रहे है। सूचना हम भिजवा देंगे, लिखित हैं माननीय अधिष्ठाता जी, बिचौलिए आसमान में गन्ना पैदा कर रहे हैं। मान्यवर, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ। मेरे यहां डालमिया चीनी मिल, गिरिगिचा, इकाई कुइयां में बड़े पैमाने पर कृषकों को लूटा गया, मैंने कृषकों के हित में आवाज उठाई, मेरे पास सारे साक्ष्य है, सारे लिखित प्रमाण है, जिलाधिकारी महोदय ने इसमें जांच कराई, जिनके पास शून्य जमीन है, एक बिस्वा भी जमीन नहीं है, लेकिन उनके नाम कई-कई हजार कुन्तल गन्ना डाला गया और ऐसे लोग भी वहीं है जिनके नाम धान गेहूं भी डाला गया। यह हमारे पास सरकारी दस्तावेज है और कई बार शिकायत की गई आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि ऐसे बिचौलियों के खिलाफ किसानों को लूटने वालों के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जा रहीं है। जो किसान हमारे पूरे देश का अन्नदाता है, हम सबका अन्नदाता है, उस किसान को लूटा जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि मैंने किसानों के लिए 18 सौ करोड़ रूपये गन्ने का भुगतान का प्राविधान किया। कहीं सौ करोड़ का प्राविधान किया। वह प्राविधान किसानों के लिए किया या फिर गन्ना माफिया, धान माफिया, गेहूँ माफियाओं के लिए किया है। मान्यवर, आपके माध्यम से इस सरकार से हमारी मांग है, इस सरकार के कान बिल्कुल बन्द हो गये है कि किसानों को लूटने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है ? यह लोग, इनसे बड़े-बड़े नेता मिले हुए हैं और इनको नींद आ रही है, जब कि वहाँ पर किसानों की खून-पसीने की कमाई बिचौलिये, अधिकारियों की मिलीभगत से लूट रहे है और बाहर की बात छोड़िये, बाहर क्षेत्र में तो नींद आती ही है, माननीय अध्यक्ष, जी यहां सदन में भी इनकी सरकार के लोगों को नींद आ रही है। तो इनको इंगित किया जाय कि कम से कम यह हाऊस है यहां न सोयें। हम लोग यहां अपने क्षेत्र की बातें रख रहे हैं। अभी सत्ता पक्ष के हमारे एक मा0 सदस्य जी प्रदेश के किसानों के हित की बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आता हूँ।

*खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता जी, हम मा0 सदस्य को यह अवगत कराना चाहेंगे कि यह अध्यक्ष जी नहीं है, अध्यक्ष जी, आदरणीय माता प्रसाद पाण्डेय जी है, जो अपने कक्ष में बैठे है और उनकी अनुपस्थित में जो बैठते है, उनको अधिष्ठाता महोदय कहते है, इसलिए कृपया अब आप जब सम्बोधित करें पीठ को तो अधिष्ठाता महोदय कह कर सम्बोधित करें।

श्री रोशन लाल वर्मा-

ठीक है, अधिष्ठाता महोदय कह देंगें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, मा0 अध्यक्ष जी की कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी जगह पर।

श्री अधिष्ठाता-

चलिये, कोई बात नहीं।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं ऐसे विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूँ जो मा0 नेता मुलायम सिंह यादव जी का भी क्षेत्र रहा है। मा0 नेता जी सन् 1990 में वहां से चुनाव लड़े थे और जीते थे, अब मैं उसी तिलहर क्षेत्र से चुनकर आता हूँ, हमारे क्षेत्र में विकास के प्रति सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं अन्त में आपको पूरी लिस्ट दे दूँगा, जनपद शाहजहांपुर शायद उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में आता, तो मा0 नेता जी का यह क्षेत्र रहा है, इस नाते वह अपने क्षेत्र में तो कम से कम कुछ विकास करवाते। यहां तक कि हमारे शाहजहांपुर में छः विधान सभा की सीटें है, जिसमें तीन लोग समाजवादी पार्टी से और दो लोग हमारी पार्टी से और एक बीजेपी के है। मान्यवर, उसमें सांसद भी समाजवादी पार्टी के हैं। पुंवाया से निगोही, निगोही से तिलहर, अभी हमारे मा0 सदस्य कह रहे थे कि दो-दो फुट के उस पर गड्ढे गये है और इसमें 259 पुलों का प्राविधान किया गया है। 259 पुलों में कहा गया कि साढ़े चार हजार करोड़ रूपये उनमें खर्च किये जायेंगे। लेकिन हमारे जनपद व विधान सभा में एक भी पुल, एक भी सड़क के निर्माण कार्य के लिये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में प्रावधान नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि गन्ना माफियाओं के खिलाफ, किसानों को लूटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करायी जाये। मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहें तो मैं पूरा चिट्ठा भेज दूँगा। कम से कम कई हजार फर्जी सट्टे बनवाये गये। हमारे यहाँ जिला सहकारी बैंक है। बैंक के शाखा प्रबन्धक की मिलीभगत से एक सँडा गाँव हमारे यहाँ है, सँडा क्रय केन्द्र पर जितने गाँव आते हैं, उस पर केवल माफियाओं का कब्जा है। सँडा में बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबन्धक की मिलीभगत से सारा गोरखधन्धा चल रहा है। अन्त में, मान्यवर, मैं देख रहा हूँ कि आपने लाल बत्ती जला दी। कार्यवाही में पृष्ठ सं0-57 से 134 तक जो हमारे प्रस्ताव है महामहिम राज्यपाल जी के संशोधन प्रस्ताव में जोड़ दिये जायें। मुझे आपने बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा परस्पर वार्तालाप करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्त रहें, आपस में बातचीत नहीं।

कुंवर कौशल सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जब भी राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर एक नंगा नाच होता है। और वह नंगानाच इस तरह से होता है कि संविधान के रचयिता अम्बेडकर साहब को पूजने वाले लोग उसी संविधान की पीठ पर कागज फेंकने का काम करते है और जहाँ तक गन्ना किसानों के रहनुमा बनने का काम करते है तो उत्तर प्रदेश की विगत सरकार में, हुकूमत में 6-6 शुगर मिलें माफियाओं के हाथ कबाड़ के भाव बेच दी गयी। इन लोगों को भी हमने गन्ना किसानों के प्रति हमदर्दी जताते हुये देखा। यहाँ की स्थिति यही है कि जैसे मछली के बाजार में कोई आदमी मछली बेचता है और यह कहता है कि मेरी मछली ले लों, मेरी मछली अच्छी है, मेरी मछली ले लो, मेरा मछली अच्छी है। हालात ऐसे आ चुके है कि कोई भी राज नेता, कोई भी राजनैतिक पार्टी यह नहीं चाहती है कि हमारे क्षेत्र में या हमारे प्रदेश में कोई आदमी मरे। अगर दिल्ली की हुकूमत में किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो जनता सरकार के प्रति उत्तरदायित्व बनाती है और वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश के महाकुम्भ में 46 लोग मरते हैं तो सरकारों को दायित्व देने का काम किया जाता है। जबकि कोई मुख्यमंत्री या कोई सरकार यह नहीं चाहती है कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी घटना घटे लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बहुजन समाज पार्टी की रैली हुयी थी जिसमें इसी लखनऊ में 16-16 आदमी कट करके मर गये और उस पार्टी के नेता ने जा करके उन लोगों को देखने का भी काम नहीं किया और हालात यहाँ तक आये हैं, आज ये स्थिति आ चुकी है उत्तर प्रदेश की कि हम एक दूसरे को कह करके अपनी बातों को पूरा कर लेते हैं और इतिश्री कर देने का काम कर देते हैं। पैसा मेरी केन्द्र सरकार ने दिया, मैं बधाई देता हूँ केन्द्र सरकार को इस बात के लिये हमारे गोरखपुर में 150 करोड़ रूपया दे करके उन्होंने उस मेडिकल कालेज को नये रूप में लाने का काम किया। वहीं पर मैं इस उत्तर प्रदेश के मुखिया मा0 अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे गोरखपुर में 500 शैय्या का चिल्ड्रेन वार्ड बना करके इन्सेफलाइटिस की रोकथाम करने का काम किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ आपसे कि पैसा भारत सरकार का है, यहाँ झगड़ा इस बात का होता है कि हमारी सरकार ने लोहिया ग्राम का नाम रखा तो हमारी सरकार ने अम्बेडकर ग्राम का नाम रखा। ये दायित्व बनता है भारत सरकार का कि उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार बनेगी तो उस सरकार को पैसा देने का दायित्व भारत सरकार का बनता है। कहीं कोई घटनायें होती है, कोई अपराध होता है तो निश्चित रूप से देश के मुखिया के प्रति जागरूक हो करके अपनी बातों को कहने का काम करते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग विधान सभाओं से चुन करके आते है तो हमारी जिम्मेदारियाँ भी होती है कि हमारे क्षेत्रों में अप्रिय घटनायें क्यों घट रही हैं। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि अगर ये घटनायें घटती है, अगर हम यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हम आपके 403 में से एक हैं तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी उस विधान सभा की रखवाली करने में उसी तरह की

भूमिका अदा करें, जिस तरह से किसी भी सरकार का दायित्व बनता है। जहाँ तक मेरा यह कहना है हम लोग बार्डर की सीमा से चुनकर आए हुए लोग है। वहाँ के हालात यह है कि नेपाल से आने वाली गिट्टी आज साल भर से रूकी हुई है और मैं चाहूँगा अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार नेपाल की सरकार से वार्ता करें और यह देखे कि आज मार्च का महीना है, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। गिट्टियों का आदान-प्रदान बंद हो गया है। उनके रेट बढ़ते चले जा रहे है, ऐसी दशा में हम यह चाहेंगे कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, नैपाल सरकार से वार्ता करें कि हमारे देश का कोई भी सामान नेपाल में जा सकता है तो नेपाल से हम गिट्टियों को क्यों नहीं ला सकते ? अभी एक चर्चा चल रही थी, बड़े नेता है मा0 हुकुम सिंह जी, हम उनकी निंदा नहीं करते है, ये उनको आईना दिखाने के बराबर बात होगी। यहीं पर उन्होंने एक बात कहीं थी, कुंभ के मेले के ऊपर, जब वहाँ लोग मरे थे तो उन्होंने अफसोस जाहिर किया था, हम भी अफसोस जाहिर करते हैं। इस देश के सारे लोगों ने, विदेश के लोगों ने अफसोस जाहिर किया था, लेकिन वही हाल है हुकुम सिंह जी का जैसा महाभारत में भीष्म पितामह का था। बड़ी अच्छी बात करते है, बहुत अच्छा तर्क उन्होंने दिया था लेकिन शायद 6 दिसम्बर की घटनाओं को, गुजरात के दंगों को लोगों ने भूल जाने का काम किया। हम प्ररेणा देते है नेताओं को यहाँ बैठ करके की आप भी कुछ अच्छा करो। हम भी चाहते है कि कुछ अच्छा हो हमारे प्रदेश के अंदर। हम पूछना चाहते हैं राजस्व मंत्री जी से कि आज हालात क्या पहुँच गए हैं कि हमारा नौजवान एक हजार रूपया बेरोजगारी भत्ता पाता है, लेकिन जब वह आय प्रमाण-पत्र और जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए जाता है, तो हम चाहेंगे कि हमारे देश के अदंर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि हमारा नौजवान जब तहसील के गेट पर जाय उसका फार्म जब जमा हो तो उस फार्म के जमा होने के एक हफ्ते के अंदर उसका जाति प्रमाण-पत्र, उसका आय प्रमाण-पत्र बना दिया जाए और अगर नहीं बनता है कि उस अधिकारी के खिलाफ नियमित रूप से कोई कानूनी कार्यवाही की जाए। मेरा आपसे यह भी कहना है कि जहाँ तक सुझाव की बात है, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अस्पतालों के अंदर सरकारों ने स्कीम चला रखी है। उस स्कीम के तहत बच्चों के पैदा होने पर 1400 सौ रूपये दिए जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर के द्वारा 400-400 रुपये एक-एक मरीज से लेकर के उनका शोषण किया जाता रहा है, निश्चित रूप से इन चीजों को हम लोग भी रोक सकते हैं, अपने जज्बे में लेकिन आप हमको अधिकार देने का काम करें। कहीं न कहीं स्थितियाँ यह हैं कि अगर हम लोग अपनी ताकत का प्रयोग करेंगे तो शायद उस दिन उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की धज्जी उड़ जायेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने सत्ता के बल से ऐसे लोगों को अंकुश लगाने का काम करें, जो आज 1400-1400 रूपये की एवज में 400-400 रूपये वसूलने का काम करते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर मान्यवर, नेपाल से आती हुई एक रोहिणी नदी है, जिसकी विभीषिका से हमारा महाराजगंज जिला भी तबाह रहता है, और गोरखपुर जिला भी तबाह रहता है। ऐसी स्थिति में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज 8 साल हो गया रोहिन हेड टूट गया। रोहिन हेड 50 किलोमीटर की सिंचाई से सिंचित करता है किसानों को और उसे बनवाने का काम किया जाए। मैं यह भी चाहूँगा कि जापान से, चीन से, वर्मा से आने वाले लोग हमारी सरहद से होकर लुम्बिनी को जाते हैं, और उस लुम्बिनी

में हालात यह है कि हमारी गोरखपुर से सोनौली महौतरमा तक की रोड टूटी हुई है, जिसको मैं चाहूँगा कि उसको भी बनवाने का काम किया जाय, निर्माण कार्य करवाने का काम किया जाए। मैं यह इसलिए भी चाहूँगा कि लोग इस बात को देश-विदेश में जाकर रखें। मैं यह कहूँगा कि हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम देश के प्रति जागरूक हों। हमारी जिम्मेदारी केवल सरकारों तक सीमित नहीं हैं। अगर हम विधायक बनकर आते हैं तो हम विधायकों का भी कुछ दायित्व बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय आपसे एक आग्रह है। मान्यवर, ये लोग तो सत्ता पक्ष के है, इनको अपनी बाते करनी हैं। विपक्ष की भी अपनी भूमिका और दायित्व है। ये जो हमारे मा0 सदस्य इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं। इनके लगातार कहने के बाद भी बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। थोड़ी-सी व्यवस्था ठीक करिए। एक आदमी वहाँ से बोले, 2 आदमी यहाँ बोले तो भी चलेगा अन्यथा ये ही बोलते रहेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

जो मा0 अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है उसी के अनुसार चल रहा है। सबको बोलने का मौका मिल जायेगा।

*श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

श्रीमान्, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग की 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की है वह सराहनीय है और ऐतिहासिक है। मान्यवर, इससे पहले जो बीएसपी की सरकार थी उसमें मरीजों को अस्पताल में इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती थी दवायें नहीं मिल पाती थी। हमारी पिछली सरकार में भी हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अस्पतालों में एक रूपये का पर्चा किया था और इस सरकार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। किसी भी गांव में यदि कोई भी व्यक्ति बीमार है या किसी बहन बेटी को बच्चा होना है तो वह एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाती है और मरीजों को उसके दवारा अस्पताल पहुंचा दिया जाता है उससे उसका स्वास्थ्य उपचार हो जाता है। मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अल्प समय में बहुत ही सराहनीय कार्य किये हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक जी बैठे हुए हैं हाथरस के उनको पता है कि खाद्य बीज किसानों को आसानी से नहीं मिल पाता था। कल एक सदस्यगण कह रहे थे और उन्होंने इस सरकार की तारीफ भी की कि इस बार आसानी से किसानों को यूरिया खाद आदि मिल रही है। मान्यवर, मेरा क्षेत्र आलू उत्पादक बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर 90 प्रतिशत आलू होता है। पिछली सरकार में किसानों जो खाद, बीज लेने सोसाइटी पर जाता था उसको जूतों से पीटा जाता था उस पर लाठियां चलायी जाती थी उसको ब्लैक ने खाद, बीज लेना पड़ता था 2000-1500 रू0 में बोरी लेनी पड़ती

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीयोग नहीं किया।

थी। इस बार एक भी किसान को ब्लैक में नहीं खरीदना पड़ा है सोसाइटी खुद चलकर किसान के घर तक आयी है। मान्यवर, उधर के विधायक मेरे जिले के है और यहां पर सरकार में ऊर्जा मंत्री जी रहे हैं यहां कल वेल में आ गये थे बिजली के सवाल पर। कल माननीय दलवीर सिंह जी बोल रहे थे, हरदुआगंज में 2200 करोड़ की जो चिमनी बननी थी उसकी लागत 2900 करोड़ कर दी गयी थी, उसके बावजूद तमाम घोटाले हुए हैं। दर्जनों विद्युत लाइनों में घोटला हुआ था। विद्युत लाइनें कहां बदल दी गयी उनका पता नहीं है नये सिरे से उसमें पैसा दिया गया है। कानून व्यवस्था की बात कही जा रही थी। पिछली बसपा सरकार में सबने देखा होगा कि फर्जी मुकदमें लोगों पर लगाकर उनको प्रताड़ित किया गया। झूठे मुकदमें लगाये गये और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने का काम किया गया था। जिसने भी कोई आवाज उठायी प्रशासन ने 353/7 क्रिमिनल ऐक्ट का मुकदमा उस पर लगा दिया झूठा केस लगा दिया गया। तीन साल तक हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया था। 80 प्रतिशत हमारी पार्टी के विधायक ऐसे होंगे जिनको उस शासनकाल में बुरी तरह से झूठे मुकदमों में फंसाकर प्रताड़ित किया गया था। माननीय राजस्व मंत्री जी पर फर्जी झूठा मुकदमा लगा दिया गया था। माननीय आजम खां साहब पर, माननीय राजा भैय्या जी पर फर्जी और झूठा मुकदमा लगा दिया गया था। जब से हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है एक भी राजनीतिक कार्यकर्ता पर फर्जी और झूठा मुकदमा नहीं लगाया गया है। मेजों की थपथपाहट।

एक सदस्य (बहुजन समाज पार्टी से)-

ऐसा नहीं है इस सरकार में विपक्षी दलों के पार्टी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमें लगाये जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप उनको अपनी बात कहने दें।

श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली बसपा सरकार के शासनकाल का पांच साल का रिकार्ड उठाकर देख लिया जाये कि कितने कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक रूप से फर्जी और झूठे मुकदमें लगाये गये है। कभी चंदा वसूली के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया गया। कहीं पर कानून व्यवस्था की सुचारू व्यवस्था उस समय कायम नहीं थी। कल पूर्व ऊर्जा मंत्री जी इस लिये वेल में आ गये थे बिजली के सवाल पर कि कहीं उनकी कोई कलई न खुल जाये। मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी यहाँ बैठे हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन चीजों की जांच होनी चाहिए और जिन अधिकारियों ने गलत मुकदमें लगाये हैं दूसरे लोगों पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरा, एक मैं अनुरोध करना चाहूँगा आरक्षण। आरक्षण के मामले में समाजवादी सरकार ने हमेशा न्याय की बात की है। मैं बधाई देना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि प्रमोशन दिया सरकार ने आज तक कोई भी सरकार इतने प्रमोशन नहीं दे पाई। 5-5 साल, 10-10 साल से 20-20 साल से अफसर रह गये, वह रिटायर तक हो गये उनको प्रमोशन नहीं मिला। यह समाजवादी पार्टी की सरकार है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनको

प्रमोशन दिये। दूसरा आरक्षण का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया। माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि 16 जातियों को जो अनुसूचित जातियों में शामिल करने के लिए जो हमारी सरकार पहल कर रही है उसमें एक धनगर समाज भी है उसे अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाय तो बड़ी मेहरबानी होगी। तीसरा, मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने मुखिया को किसान बीमा योजना के लिए। किसान बीमा योजना में किसान का अगर कहीं एक्सीडेन्ट हो जाय तो उसको एक लाख रुपया दिया जाता था आज उसे 5 लाख रूपया दिया जाता है मैं इस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूँगा। अभी बात चल रही थी कम्बलों के ऊपर। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल सरकार रही उस सरकार ने कहाँ कहाँ कम्बल बांटे कितने कम्बल बांटे, उस सरकार ने यहीं से करोड़ों रुपये के घोटाले करके कम्बल जिले में पहुँचा दिया लेकिन मैं अपने राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि सारे जिलाधिकारियों से कह दिया कि आप अपने स्तर से सही कम्बल खरीदिये और जाकर सही जनता में बांटिये।

मान्यवर, हमारा क्षेत्र आलू का क्षेत्र है सन् 2012 में हमारे यहाँ पर आलू में पानी इतना तेज पड़ा जिससे किसानों की 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी। हम लोग चिल्लाते रह गये लेकिन बसपा के लोगों न कुछ नहीं किया। सिंचाई के मामले में बताना चाहता हूँ कि पहले पानी टेल तक नहीं जाता था मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को बधाई दूँगा कि उन्होंने नहरों की सफाई इतनी तेजी से कराई कि टेल तक पानी गया और आज किसान के खेतों तक पानी जा सकता है। दूसरा, कुम्भ मेला पर बात चल रही थी हमारे मंत्री आजम खां साहब का दिल देखिये कि सरकार की कहीं कोई गलती नहीं, सरकार ने पूरे इंतजाम किये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उसके बावजूद भी जबकि घटना रेलवे स्टेशन पर हुई लेकिन उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। कांग्रेस के इतने बड़े रेल मंत्री थे किसी ने भी इस्तीफा दिया हो या किसी ने यह जिम्मेदारी ली हो तो बतायें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं पहली बार बोला हूँ विधान सभा में मुझे दो मिनट का समय और दे दिया जाय। मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है।

मान्यवर, पिछले 5 साल बसपा की सरकार रही किसी भी किसान का एक रूपया माफ नहीं किया गया। हमारी सरकार ने हजारों करोड़ रूपये किसानों के 50-50 हजार रूपये ऋण माफ हुए जिससे किसानों को सुविधा हुई। आज राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्या धन, हमारी बेटी उसका कल जब इन योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया तो इस प्रदेश की बहन बेटियां गरीब थी उन्होंने बधाई दी। इनका तो काम ही विरोध करने का है मैं माननीय अधिष्ठाता जी से कहना चाहूँगा यह विरोध के लिए आये हैं और हमेशा विरोध ही करते रहेंगे। एक और कि बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को कि जब भी सदन चला माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के बैठे। कोई भी विपक्ष के विधायक होंगे वह अपनी बात आराम से कह रहे होंगे लेकिन जब

बसपा की सरकार थी तो माननीय मुख्य मंत्री यहाँ बैठी नहीं और बैठी तो कोई दूसरा विधायक उनके पास हिम्मत भी नहीं कर पाता था।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी सत्ता पक्ष की ओर से हमारे सम्मानित सदस्य बड़े तारीफ के पुल बाँध रहे थे। कुंभ मेले की घटना से लेकर, किसानों, बेरोजगारों से लेकर ऐसी तमाम सारी बातें यहाँ पर कही गयी, शायद सच क्या है, केवल इधर बैठे हुये लोग ही नहीं, उधर बैठे हुये लोग भी जानते है। कुंभ मेला जिसकी बड़ी तारीफ के पुल बाँधने का आप काम कर रहे हैं, वहाँ कोई तारीफ लायक काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ एकदम नहीं हुआ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुंभ मेले में बहुत अच्छी व्यवस्था थी मैं लगभग 15 वर्षों से कुंभ मेले को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला हूँ माघ मेला और कुंभ भी देखा हूँ और अर्द्धकुंभ भी देखा हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस व्यवस्था की यह बात कर रहे हैं, जैसी अव्यवस्था इस बार के कुंभ मेले में हुयी है, शायद इतिहास में केवल 1954 में हुयी होगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश को कलंकित करने का काम इस सरकार ने किया है। इधर कांग्रेस के साथी बैठे हुये हैं, यह उन पर आरोप लगाते हैं और यह उन पर आरोप लगाते हैं।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से व्यवधान किये जाने पर)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि सुनने का कलेजा रखिये। मैं सच देखा हूँ और बताना चाहता हूँ कि उस कुंभ मेले के अंदर व्यवस्था नहीं अव्यवस्था हुयी है और उस अव्यवस्था के कारण इसे मैं तीर्थयात्रियों की दुर्घटना में मौत नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ कि यह सरकार तीर्थयात्रियों की हत्यारी सरकार है और मैं इस सदन के अंदर उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। चूँकि माननीय अध्यक्ष जी ने कुंभ पर बोलने के लिए अलग से व्यवस्था दी है इस समय मैं सारी बातें रखूँगा। इसलिये मैं इस पर ज्यादा देर नहीं बोलूँगा। बड़ी तारीफ की गयी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मैं सुन रहा था और बड़ी तारीफ कर रहे थे कि इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, दोनों पक्ष के सम्मानित सदस्यों से, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और किसान का बेटा होने के कारण किसान का दर्द जानता हूँ। मान्यवर, जाइये गाँव के अंदर देखिये, कि किसान तबाही का शिकार है किसी किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं, आपके नलकूप खराब पड़े हैं और वह ठीक नहीं हुये। आप खाद की बात कर रहे हैं, मैं तो स्वयं खाद खरीदने वाला हूँ। मैं तो यह कहना चाहता हूँ। कि अगर बसपा वाले नागनाथ थे तो आप साँप नाथ हैं, कोई अन्तर नहीं हैं आप दोनों में और इधर जो बैठे हैं, कांग्रेस वाले इनको मैं कालियानाग कहूँगा, यह मुझको क्षमा करेंगे, यदि मेरे कोई शब्द गलत होंगे। उधर यह कांग्रेस वाले महँगाई से लूट रहे हैं जो उधर सपा वाले साइड में बैठे हैं, यह तीनों मिलकर लूटने का काम कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने सबकी परिभाषा बताई है लेकिन यह तुलनात्मक परिभाषा तब पूरी होगी, जब इनके बीच वह अपनी भूमिका बतायेंगे। मान्यवर, दो स्थितियाँ है या तो यह अपनी स्थिति बतायेंगे कि साँपनाथ, नागनाथ और कालिया नाग में यह अपने आपको क्या मानते हैं, चूहा मानते हैं जो खाये से खत्म हो गये या मेढक मानते है या अजगर मानते हैं, क्या मानते हैं यह बतायें ताकि समझ में तो आये।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मैं आपको समझा देता हूँ। माननीय राजस्व मंत्री जी हमारी भूमिका जानना चाहते है, अरे हमारी भूमिका तो आपने स्वंय बता दिया 2014 आ रहा है चिन्ता मत कीजिए आ रहा है 2014 औकात का पता चल जायेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इनके पास सुनने की दम नहीं है, अरे जरा सच सुन तो लीजिए। आपने कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया है, कितने किसानों का आपने कर्ज माफ किया हैं। है जवाब आपके पास? माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसानों की गेहूँ की खरीद हो रही थी, हमारे मा0 खाद्य मंत्री जी से बहुत अच्छे व्यक्तिगत सम्बन्ध हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब गेहूँ की खरीद हो रही थी तब बोरे नहीं थे, यह बात हम भूले नहीं है, जब धान की खरीद हो रही थी तो खरीदने वाला नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि यह सरकार किसानों की हितैषी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात को क्यों नहीं जोड़ा गया क्यों हम केन्द्र सरकार के सहारे बैठे हैं क्यों नहीं स्टेट फूड की व्यवस्था की गई कि हमारे किसान को धक्के नही खाने पड़ते, इसकी चिन्ता इस अभिभाषण में नहीं की गई। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ क्योंकि यदि मैं बहुत दूर की बात करूँगा तो हमारा क्षेत्र छूट जायेगा।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ कि चूँकि माननीय सदस्य ने मुझको इंगित करके बात कही है। मान्यवर, खाद्य विभाग का बजट जब आयेगा तब उस पर चर्चा करेंगे चाहे वह सत्तापक्ष के विधायकगण हों या विपक्ष के हो, जो भी उनकी बात आयेगी वह पूरे सदन के सामने होगी। लेकिन अभी माननीय सदस्य ने कुम्भ की चर्चा की है। मान्यवर, हम सभी लोग जानते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा मेला है, इतना अधिक लोगों की जुटान, श्रद्धालुओं की जुटान, विश्व के किसी भी देश, किसी भी शहर में नहीं होती। एक व्यवस्था का प्रश्न भी मैं उपस्थित करना चाहता हूँ कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय विधायक आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य तो श्रीमन् मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पीठ से ऐसा कोई निर्देश जारी हो जाए कि जब भी कोई भी मौर्य सदन में बोलें तो उनके माइक को ऑफ कर दिया जाए क्योंकि इनकी आवाज ही बहुत है। श्रीमन्, कुम्भ से सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और मैं अपने विभाग की चर्चा नहीं करूंगा लेकिन कुम्भ अभी चल रहा है, फरवरी के महीने में इतनी बारिश मैंने अपनी याददाश्त में कभी भी नहीं देखी। पूरी सड़कें बह गई, पूरे पण्डाल उखड़ गये, कल्पवासियों के टेन्ट में उनके तम्बुओं में घुटने घुटने तक पानी रहा और पूरी चकर्ड प्लेट जिस पर वाहन चलते हैं वह पूरी चकर्ड प्लेट किनारे हो गई। मैंने 11 दिन कुम्भ में दिन रात रहकर लगातार मेहनत किया है चाहे वह खाद्य विभाग की बात

हो और चाहे सड़कों की बात हो। आपके दल का भी शायद ही कोई विधायक होगा जो 11 दिन वहाँ रहा हो। मान्यवर, मेरी विनम्र चुनौती है सभी मा0 सदस्यों को कि वह चलकर देख सकते हैं उस आँधी के बाद उस जलजले के बाद जितनी तेजी से सड़कों का पुनर्निर्माण हुआ है चकर्ड प्लेटें फिर से बिछायी गई हैं, बिजली की व्यवस्था को फिर से चुस्त किया गया है और खाद्य की सामग्री को पण्डाल पण्डाल पहुँचाया गया है। मैं चुनौती देता हूँ, आप एक भी कल्पवासी को बता दें, एक भी अखाड़े को बात दें जहाँ खाद्यान्न सप्लाई न हुआ हो। वहाँ घूमते हुए श्रीमन् हमको आपकी नेता, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ से विधायक आदरणीया उमा भारती जी मिलीं, उन्होंने कहा कि भैय्या बहुत अच्छा काम चल रहा है, भूरि-भूरि तारीफ की। मैंने उनसे कहा कि आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्य हैं, आप हाउस क्यों नहीं आती हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी ने मुझको अलग से कुर्सी लगवाकर बैठने की व्यवस्था की, चूँकि कमर में मेरे दर्द रहता है। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी की उन्होंने बहुत प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि ऐसे शीलवान है और ऐसा उनका शिष्टाचार है, वह मुझको बड़े प्रिय लगते हैं और अभी से नहीं, जब वह लोकसभा के सदस्य हुए हैं, तब से मैं विशेष स्नेह करती हूँ। मैंने कहा कि जो प्रशंसा आप यहाँ कर रही हैं इस सरकार की, उसको आप चलकर के हाउस में कहिये। उन्होंने कहा कि यह मैं कैसे कह सकती हूँ। मैंने कहा कि जो सच्चाई है उसको कहिये। विपक्ष का मतलब होता है कि कमी और वेशी दोनों को उजागार करना। अगर कोई काम हमने अच्छा किया है तो उसे कहिये। आपके हिसाब से तो पूरा कुम्भ कबाड़खाना हो गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह कुम्भ सफल है और पूरे देश के कोने कोने से, पूरे विश्व के कोने- कोने से जो श्रद्धालु आये हैं उन्होंने प्रशंसा की है। हमारे कई माननीय मंत्रिगण, आदरणीय अम्बिका चौधरी जी, ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी जी जा चुके हैं और कई मा0 मंत्री बैठे हैं, सब लोग गये हैं। आम आदमी से मिले, आम आदमी वहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट रहा। रही बात खाद्य विभाग की और किसानों की समस्या पर, तो कुछ दिन बाद खाद्य विभाग का बजट आयेगा श्रीमन् उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अधिष्ठाता महोदय मेरी बात अधूरी रह गयी थी। मेरा निवेदन है दो मिनट का मुझे समय और दे दें। बीच में मंत्री जी अपनी बात कहने लगे थे।

श्री अधिष्ठाता-

आप एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लें।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी, एक बात रह गयी थी, 2014 की बात। सौभाग्य से हम लोग एक ही संसदीय क्षेत्र से हैं। गंगाजी के इस पार कुण्डा विधान सभा है और उस पार आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की विधान सभा है। चाहे 2014 या 2019 हो, भारतीय जनता पार्टी का खाता वहाँ खुलने वाला नहीं है, समाजवार्दी पार्टी की ही जीत होगी। पिछली बार भी आप चौथे नम्बर पर रहे, इस बार भी आप चौथे नम्बर पर ही रहेंगे।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कुम्भ मेले की बड़ी तारीफ की। पूरे कुम्भ मेले के अन्दर मैं सब पक्षों की निन्दा नहीं करता। मैं खाद्य मंत्री जी की व्यवस्था की निश्चित रूप से प्रशंसा करता हूँ। (सत्तापक्ष के द्वारा मेंजे थपथपायी गयी) केवल खाद्य मंत्री जी की। मा0 अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, मैं चाहता था उस वक्त मुझको बोलने का मौका मिले, लेकिन नहीं मिला। ''बोये पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाय''। अगर मा0 आजम खाँ जी उस मेले के प्रभारी मंत्री थे और उनके हाथ में व्यवस्था थी। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों की तरफ से आवाज आयी कि अभी भी प्रभारी मंत्री हैं।) अरे आप कुछ भी कर सकते हो, नैतिकता होती तो प्रभारी नहीं होते, प्रभारी नहीं, कोई मंत्री नहीं होते। आप बर्खास्त कर देते लेकिन नैतिकता होती तब। वह प्रभारी मंत्री थे। मेरे तीर्थयात्री अपना किराया लगाकर कुम्भ में स्नान करने आना चाहते थे और अपना किराया लगाकर जाना चाहते थे। सरचार्ज अदा करके जाते थे लेकिन किराया देकर भी तीर्थयात्रियों के आने-जाने की व्यवस्था यह सरकार नहीं कर सकी। शर्म करना चाहिए, अगर व्यवस्था की गयी होती। (सत्तापक्ष की तरफ से कई मा0 सदस्यों के बोलने पर शोर) तो रेलवे स्टेशन पर और मेला क्षेत्र में जो दुर्घटना हुई है, वह दुर्घटना नहीं हुई होती और 2014 भारतीय जनता पार्टी का है और केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और नरेन्द्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, रोक सको तो रोक लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मा0 अध्यक्ष जी हो या पीठ पर जो भी आसीन हो, तो मा0 सदस्यों के संरक्षण का उत्तरदायित्व आप पर है, पीठ पर है। अभी सदन में जो भी चर्चा हो रही थी। किसी सदस्य के, किसी वाक्य के कारण अगर कल उसके विरुद्ध कोई गम्भीर कार्यवाही उसकी पार्टी करने लगे। अभी एक सदस्य ने प्रधानमंत्री के लिए किसी का नाम ले लिया, मैं नहीं जानता।

श्री अधिष्ठाता-

अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसे कार्यवाही से निकाल देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं कार्यवाही से निकालने की बात नहीं कह रहा हूँ निकालिये नहीं, रक्षा कीजिए और उसी की पार्टी में प्रधानमंत्री पद के और डेढ़ दर्जन कण्डीडेट हों और उसे निकालने लगें तो उसकी रक्षा कीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग व्यवस्था बनाए रखें। मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है।

श्री मो0 इरफान-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं पूर्णतया राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन

करता हूँ। बड़े अदब से एक बात अपनी इस शेर के साथ कहना चाहूँगा। रात घटती है तो पैगामे सहर लाती है कोशिशें लाख करें कद को घटाने वाले। मेरे काबिल विपक्षीगण किस तरह से अपनी बात कहना चाहते हैं इस पर कभी गौर नहीं किया वे समझे कि किन हालात के तहत हारे ''सबब तलाश करो अपने हार जाने का सदन में शोर मचाने से कुछ नहीं होगा''। मेरे अजीजों यह मैंने शेर कहा किसी और मकसद से नहीं आप उसका अर्थ अपने आप निकालें। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहूँगा कि सरकार की जो कार्यदायी है वह किसी से छिपी नहीं है सरकार जिस तरह से काम कर रही है यकीनी तौर पर वह अपनी मिसाल आप है। मौजूदा सरकार अब तक के इतिहास में जितना बेहतर विकास कार्य करा पाई है वह शायद इससे पहले न कभी देखा और न सुना गया। आज वह सब लोग जिनसे यह उम्मीद की जाती थी कि इस मौजूदा सरकार को समर्थन करेंगे सहयोग करेंगे और सद्भावना से काम करेंगे। यकीनी तौर पर हमारे विपक्षी जो सामने बैठे हैं वह इस भावना से काम नहीं कर रहे हैं मैं उम्मीद करूँगा कि उन्हें सहयोग के साथ इस भावना से काम करना चाहिए। जैसा कि वक्त का तकाजा है और सदन का तकाजा है। हम सबको इस बात का आदर करना चाहिए हम सबको इस बात को महसूस करना चाहिए कि जो अच्छे काम हमारी सरकार ने किए हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। हाँ सुझाव दिए जा सकते हैं और सुझाव के लिए ही यह सदन बना है। यह सदन बहुत ही गरिमापूर्ण सदन है। मैं अपने इन शब्दों को पुनः इस तरह भी कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय जो बहुत ही काबिले एहतराम गवर्नर साहब हैं वह जब तशरीफ लाए उन्होंने अपना भाषण पढ़ना चाहा उसमें किस तरह हमारे विपक्षी सदस्यों ने व्यवधान डालना चाहा यह सबके सामने है। वह किसी से छिपा नहीं है। यह संसदीय परम्परा के बिल्कुल खिलाफ है। यह हरगिज नहीं होना चाहिए था। हर एक को अपनी बात कहने का पूरा मौका है जैसा अब आप कह रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय मैं बहुत अदब से यह कहना चाहूँगा कि मेरी जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो सदन को जानकारी प्राप्त हुई है उसमें बहुत अच्छे-अच्छे प्रस्ताव हैं आप बहुत अच्छे सुझाव दें बहुत अच्छी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की गई हैं और की जा रही हैं। मैं जिस बिलारी विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ वह नई विधान सभा बनी है। जो दो जिलों में पड़ती है। मैं बड़े अदब से यह कहना चाहूँगा कि मेरी विधान सभा में एक ही सुगर मिल है अयोध्या सुगर मिल बिलारी उस सुगर मिल पर जाने के लिए जो एक रेलवे ओवरब्रिज बनना है वह मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता की सूची में था पता नहीं किन कारणों से अभी वह पीछे रह गया है मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसको प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द बनवाया जाय ताकि वह जो किसानों की समस्या है जाम की समस्या है जो पूरे 6 महीने तक लगी रहती है उससे निजात दिलाई जा सके अधिष्ठाता जी आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

इस बात के लिये कि इस बार गन्ना मिल बिलारी ने अपना सारा कम्प्यूटर सिस्टम मेरठ में कर रखा है और मेरठ में होने की वजह से उनका पेमेंट अन्य मिलों से काफी पीछे चल रहा है। मैं सदन के माध्यम से यह चाहूँगा कि उनका पेमेंट सिर्फ दिसम्बर के 15 या उससे कम का हुआ है और लगातार किसान दबाव बना रहे हैं, क्षेत्र की जनता का तकाजा है, और सारे किसानों के हित में जरूरी है कि सारे गन्ना किसानों के भुगतान के लिये सख्ती की जाय। ताकि जनता को उनका पैसा,

उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा, विशेष तौर पर किसानों का पैसा जल्द से जल्द मिल सके। मैं सदन के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि विशेष तौर पर अयोध्या शुगर मिल ने एक और धांधली की है कि कम्प्यूटर जार्जेज के नाम पर किसानों का लाखों रुपया उनके खातों से काटा गया है। हर किसान से 100-100, 200-200, 300-300 रुपये कम्प्यूटर जार्जेज के नाम पर उन किसानों से वसूल किया गया है जबकि यह पैसा हरगिज किसानों से नहीं काटा जाना चाहिए वह पैसा खुद मिल वहन करे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं विशेष तौर पर चाहूँगा अधिष्ठाता जी कि आप सदन के माध्यम से इस समस्या से निजात हम लोगों को, किसानों को दिलाये। मैं अन्य कुछ विशेष बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। सरकार की नीतियाँ, अच्छी जो सरकार की अब तक की कार्यदायी है। सहारा अप्सरा हमारी बेटी और उसका कल, सरकार की कर्ज माफी योजना और सरकार की वो योजनाएं जो जनता तक इससे पहले कभी नहीं पहुँची थीं अबकि बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कुछ कह रहे हैं उसको करके दिखाया है। हमारी सरकार, पूरी सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है और केवल तन्कीद बनाए तन्कीद नहीं होना चाहिए। हमारे विपक्षी साथियों से मैं चाहूँगा कि लॉजिक के साथ बात की जानी चाहिए। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया।

श्री संतराम कुशवाहा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने हमें जो बोलने का मौका दिया है हम आपको बार-बार धन्यवाद देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिये कुछ भी नहीं कहा है। इसलिये आपसे अनुरोध है कि उनके भाषण में नम्बर 1 कौंच नदी गाँव से होते हुए जो रोड मध्य प्रदेश सीमा को जोड़ता है मध्य प्रदेश सीमा जब जनपद जालौन के माधौगढ़ के पास समाप्त होती है तो देखने में लगता है कि शायद मध्य प्रदेश की लास्ट सीमा नहीं है दिल्ली की पहली सीमा है। वहाँ डबल रोड और चार लाइन है। लेकिन हमारी विधान सभा में जो रोड बना हुआ है वह बिल्कुल जर्जर और सिंगल रोड है। अध्यक्ष जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कौंच से नदी गाँव होते हुए मध्य प्रदेश को जोड़ दिया जाय और कौंच से कैलिया सलइया होते हुए मध्य प्रदेश सीमा से माधौगढ़ विधान सभा को डबल रोड से जोड़ दिया जाय। दूसरा मान्यवर, माधौगढ़ विधान सभा पाँच नदियों के जाल में फँसी हुई है और जिसमें चम्बल भी आती है, पहुँच, सिन्ध, क्वांरी और यमुना। इन बड़ी- बड़ी नदियों के कारण वहाँ पूरी खेतिहर जमीन ऊँची-नीची हो गई है। अब वहाँ गन्ना पैदा होना, गेहूँ पैदा होना बन्द हो गया है। पिछली सरकार से लेकर आखिरी सरकार तक ने पिछली सरकार से लेकर आखिरी सरकार तक में आज तक माधोगढ़ विधान सभा को कभी नहीं देखा है। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है यह सरकार अच्छी-अच्छी बातें कर रही है कि हम किसान हैं और प्रदेश की व्यवस्था को बदलेंगे इसलिए आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि माधोगढ़ विधान सभा की तरफ ध्यान दिया जाए। आज तक वहां कृषि की खेती पर डकैत पैदा होते रहे, फूलनदेवी, निर्भय सिंह,

लाखन सिंह, मलखान सिंह जैसे लोग माधोगढ़ विधान सभा में पैदा हुए हैं। अध्यक्ष जी सरकार से अनुरोध है कि अगर माधोगढ़ विधान सभा पर ध्यान रखा जाए और वहां सिंचाई की सुविधा कर दी जाएं कम से कम 100 राजकीय ट्यूबवेल लगवा दिये जाएं तो वहां का किसान अपनी जमीन पर गेहूँ पैदा करने लगेगा। जो भूखों मरता है, परेशान रहता है, तमाम गन्दी आदतें आ जाती हैं वह बन्द हो जाएंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऐसी हालत में माधोगढ़ विधान सभा में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। ऐसी स्थिति में मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि कौंच नगर में, माधोगढ़ में और रांरण में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने का हम आपसे अनुरोध करते हैं, तथा जगनमनसुर, रामपुरा नदी गाँव आदि में राजकीय इण्टर कालेज की हम आपके द्वारा माँग करते हैं मा0 अध्यक्ष जी माधोगढ़ विधान सभा की दो ब्लाक बहुत ऊँची-नीची जगह पर हैं। जहां अगर समतलीकरण करा दिया जाए तो वहां का किसान भुखमरी से बच जाएगा और पलायन करने से बच जाएगा। मान्यवर दो विधान सभा एक रामपुरा ब्लाक दूसरा नदीगाँव ब्लाक, अध्यक्ष जी माधोगढ़ विधान सभा का कुछ इलाका और उसमें कुछ जालौन ब्लाक लगा हुआ है यहां अधिकांशतः आलू और गन्ना पैदा होता है यहां पर अर्धसहकारी चीनी मिल लगी थी वह 10-15 वर्ष पहले खत्म कर दी गई है नीलाम कर दी गई। आज किसान 100 रुपये 140 रुपये कुन्तल गन्ना बेच रहा है। हमारा अध्यक्ष जी के माध्यम से अनुरोध है कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में जोड़ दिया जाए कि माधोगढ़ विधान सभा में एक चीनी मिल लग जाए तो किसानों को सुविधा हो जाएगी और यह जो चीनी मिल न होने की वजह से शोषण हो रहा है वह बच जाएगा। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं।

*श्री बजरंग बहादुर सिंह-

मान्यवर, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। अभी दो दिन पहले महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण इस सदन में पेश हुआ। हम समझते हैं कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण एक प्रकार से जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है उसकी नीतियों का लेखा-जोखा है, लेकिन आज से एक वर्ष पहले इसी सदन के अन्दर समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के गुण्डाराज के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश की जनता का जनादेश पाया है और उस समय बड़े उत्साह के साथ, बड़ी धैर्यता के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम प्रदेश के अन्दर गुण्डाराज समाप्त करेंगे, हम प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, प्रदेश के अन्दर प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारेंगे। लेकिन इन 11 महीनों के कार्यकाल में प्रदेश की जनता निश्चित रूप से इस बात को महसूस कर रही है कि हमारा जो निर्णय था, वह गलत निर्णय था और जैसा गुण्डाराज बहुजन समाज पार्टी के राज में था, उससे बढ़ करके समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था फेल है, सारे जगहों पर भ्रष्टाचार है। चाहे थाने का सवाल हो, चाहे तहसील का सवाल हो, चाहे जिले का सवाल हो, जिस जगह जवान, किसान नौजवान जाता है, राजस्व मंत्री जी यहाँ बैठे थे, चले गए हैं, मैं उनसे बताना चाहता

---

* वाक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

हूँ कि जो तहसील में आम जनता का शोषण हो रहा है, अधिवास के नाम पर, तहसील दिवस के नाम पर जो माखौल उड़ाया जा रहा है, वह जनता से छिपा नहीं है। जनता निश्चित रूप से भटक रही है, जगह-जगह जा रही है और निश्चित रूप से जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। आज पूरे प्रदेश में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। अभी मैं 5-12-2012 को आदरणीय मुख्य मंत्री जी से मिला था, मैंने कुछ पत्र दिया था, उस पत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखा कि तात्कालिक प्रभाव से पत्रावली को प्रस्तुत करें और मैं अभी और मण्डी परिषद् में गया था, वहाँ के डायरेक्टर के पास 19-7-2012 का पत्र आज भी उसी तरह से रखा है। आप किस प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं? मुख्य मंत्री के आदेश के बाद भी इस प्रदेश के अधिकारी आम जनता के सुनने वाले नहीं हैं। अगर वह विधायकों के पैड पर, जनप्रतिनिधियों के पैड पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो आम जनता की बात छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं, यहाँ पर जनता निश्चित रूप से अपने को ठगा महसूस कर रही हैं। अभी बिजली की बात भी चली थी, आज भी चली है, मैं कहना चाहता हूँ आज पूरे प्रदेश में बिजली के हालात इस तरह के हैं कि एक महीने के बाद भी बिजली के खराब ट्रान्सफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं और बदला भी जा रहा है तो 5 हजार रुपये उस जे0ई0 को चाहिए और जनता जब यह पैसा वसूल कर देगी तब ट्रान्सफार्मर बदला जायेगा। मान्यवर, एक मिश्रा जी एम0डी0 बैठाये गए हैं, ट्रान्सफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे प्रदेश में कई सौ करोड़ रुपये उस नाम से बाँटा गया है कि हम सभी घरों पर कनेक्शन नम्बर लिखेंगे और जिनका कनेक्शन है, उसका नाम लिखेंगे। उसके एक घर पर लिखने की कीमत हम निश्चित रूप से जानते हैं कि 5 रुपये से अधिक नहीं हो सकती लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों ने एक स्थान पर लिखने की कीमत 100 रुपये निर्धारित किया था, जब इस बात को हम लोगों ने अधिकारियों के सामने उठाया तो 60 रुपये के हिसाब से पूरे प्रदेश का पेमेण्ट किया गया है और हर जिले से लगभग 50-50 लाख रुपये इस नाम से पेमेण्ट किया गया है। इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है। निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, लेकिन कहीं भी काम नहीं हुआ है, सारे जगहों पर काम बन्द है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है और दूसरी तरह माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने इसी सदन में कहा था कि मैं प्रदेश की सड़कों को गढ्ढ़ामुक्त बनाऊँगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे सत्तापक्ष के विधायक हों चाहें विपक्ष के विधायक हो मेरी महाराजगंज विधान सभा महाराजगंज जिले में आप चले जाइये एक भी सड़क आपको गढ्ढ़ामुक्त नहीं मिलेगी। अगर मिल जाये तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कोल्हुई से लोटन मार्ग, सोनाबंदी से राजपुर मार्ग, ब्रिजमनगंज से लेहड़ा स्टेशन मार्ग, ब्रिजमनगंज से कुल्हुई मार्ग, उरनियापुर से शिमरहनी मार्ग और भी बहुत सारे मार्ग हैं उनमें दो-दो फिट के गढ्ढ़े हैं और यह सरकार मेंटीनेंस के नाम पर एक किमी0 पर 10 हजार रुपये दे रही है। 10 हजार रुपये में आज 30-40 फिट गिटटी नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी खनन की नीतियाँ खराब हैं। एक साल पहले जो गिट्टी 20 रूपये फिट बिक रही थी गलत खनन नीतियों के कारण आज 70 रुपये फिट बिक रही है। जो बालू 10-15 रुपये फिट बिक रहा था, गलत खनन नीतियों के कारण आज 50 रुपये फिट बिक रहा

है। सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का माहौल है। यह सरकार पूरी तरह से असफल है। अभी कुम्भ मेले पर चर्चा हो रही थी। कुम्भ मेला एक बहुत बड़ा मेला था निश्चित तौर से यह सरकार की जिम्मेदारी भी है और सरकार को करना भी चाहिए और सरकार ने किया भी। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जब आप जानते थे कि एक महीने से जनता आ रही है लेकिन जो जनता 4 दिन या एक महीने में आती है वह तीन घण्टे में वापस जाना चाहती है। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी। आपने केन्द्र सरकार पर तोहमत लगा दिया और केन्द्र सरकार ने आप पर तोहमत लगा दिया। आपको विचार करना चाहिए था कि जो करोड़ों जनता आयी है उसे तीन घण्टे में वापस होना है तो उसकी व्यवस्था निश्चित रूप से ठीक ढ़ंग से करना चाहिए था। इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इनके तीन-तीन धर्मार्थ मंत्री हैं एक भी धर्मार्थ मंत्री उतनी बड़ी घटना पर वहाँ जाने का काम नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

मान्यवर, बस एक मिनट आपसे चाहते हैं। राजस्व मंत्री जी आ गये हैं, कुछ उनके विभाग से संबंधित मामला है वह कहना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जी0आर0पी0 उत्तर प्रदेश शासन की पुलिस है वह बाहर भी खड़ी थी अंदर भी खड़ी थी उसकी व्यवस्था तो आपको ठीक ढंग से करना चाहिए था। जो लोग मेले की व्यवस्था अपने हाथ में लिये थे इसमें निश्चित रूप से उन अधिकारियों की चूक हुयी है। इसके नाते इतनी बड़ी घटना हुयी है। आगे के लिए हमें सचेत रहना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए कि आगे कैसे ठीक व्यवस्था हो सकती है। मान्यवर, राजस्व मंत्री जी बैठे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक दुर्गापुर गाँव है। वहाँ पर लेहड़ादेवी मंदिर है। जिस पर नवरात्र में कम से कम 50 लाख लोग दर्शन करने आते हैं वह पूरा परिसर 3 एकड़ 57 डिस्मिल का परिसर है, दो हजार परिवार वहाँ पर जीविका चलाते हैं। यह बंजर भूमि है। जिसका मालिक ग्राम प्रधान होता है। लेकिन वहाँ के मंदिर के पुजारियों के द्वारा चकबंदी अधिकारियों से मिलकर इस जमीन को चकबंदी में अपने नाम से कराने का प्रयास किया गया है। जबकि ग्राम सभा के ग्राम प्रधान ने अपनी पूछताछ में बताया है कि वह न तो धारा 41 और न धारा 45 में छोड़ी गयी है लेकिन फाईल पर बैक डेटिंग करके सी0ओ0, ए0सी0ओ0, डी0सी0ओ0 ने बैक डेट में साइन करके इसको हस्तान्तरित करने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संशोधन पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय श्री ओझा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है। उस पर बल देने के लिए आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हमारी गंगा-यमुनी तहजीब के लिए दुनिया में जाना जाने वाला हमारा यह लोकतांत्रिक देश और इस देश का हृदय कहा जाने वाला हमारा यह सूबा, इस सूबे के हमारे समाजवादी सोंच के हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारे मा0 मंत्रीगण और हमारे साथी मा0 सदस्यगण, इस सूबे की तरक्की को तेजी से आगे ले जाने के लिए, उसको गति देने के लिए समाजवादी सोंच के साथ प्रदेश को अव्वल बनाने के लिए जो हमारी सरकार काम कर रही है, उसके बारे मे हम कुछ बातें इस सदन के बीच में रखना चाहते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आवासहीन परिवारों को जो हमारी सरकार ने 2013-2014 में लगभग पौने चार लाख आवासहीन परिवारों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, पीछे भी दिया है। जो बी0पी0एल0 सूची में नहीं हैं, जो 2000 की गणना है, राष्ट्रीय सरकार ने जो गणना कर रखी है, उसमें कोई संशोधन जिलाधिकारी के स्तर पर भी नहीं हो पाता। हमारी सरकार की इतनी गूढ़ सोंच, इतने नीचे जा करके सोचना, 12-13 साल पहले की गणना से आज तक कितने परिवार गरीबी रेखा से नीचे आ गये, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं हो पाया है। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो व्यंदान बीपीएल सूची के भी लोग हैं, उनको भी हम आवास देने का काम करेंगे, यह हमारी सरकार की महती योजना है। हमने यह निर्णय लिया है, हमारी सरकार को जो एक महत्वाकांक्षी निर्णय है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता से लेकर जो हमारे मुख्य मंत्री, हमारे मंत्री, हमारी सरकार का निर्णय है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें 250 की जितनी बसावटें हैं, उनको पक्के मार्ग से जोड़ने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। मैं इस पर भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हमारे जो मा0 सदस्य यहां पर हैं, जो बसपा के हमारे सदस्य है पीछे सरकार में रहे, तमाम तरह के आरोप हमारे साथियों के ऊपर हमारे मुख्य मंत्री के ऊपर लगाने का काम करते हैं, मैं एक शब्द में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि शायद ही कोई मा0 सदस्य बाकी होगा जो हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी के बैठने पर अपनी एप्लीकेशन और अपनी दरख्वास्त लेकर उनके पास न जाता हो। हम लोग सदन में नहीं थे, पहली बार चुन कर आये हैं, लेकिन अखबार टी0वी0 के माध्यम से और माध्यम से और दर्शक दीर्घा में बैठकर के देखा और सुना है कि दस मिनट के अन्दर, सत्रह मिनट के अन्दर पूरे साल भर का बजट पास हो जाता था और उनके ही विधायक और मंत्री फटकने नहीं पाते थे पास में और आज हमारे मुख्यमंत्री और सरकार में कमी निकालते हैं। हम मा0 सदस्यों से कहना चाहते हैं, कल यहां बंशी पहाड़िया जी बोल रहे थे, अभी केशव मौर्या जी बोल रहे थे, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, मैं सभी को देखता हूँ कि हम लोगों से ज्यादा अवसर उनको मिलता है, हमारे मुख्य मंत्री जी उनको समय देते हैं। अब हम आपसे अपील करना चाहते है कि सिर्फ कमियां गिनाने के लिए आप बैठे हैं, हम कहना चाहते हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि 25 लाख रुपया आपकी निधि बढ़ाने के साथ उन्होंने यह भी तय किया, कोई दैवीय आपदा से पीड़ित है, कोई ऐक्सीडेन्ट से पीड़ित है, आप मा0 मुख्य मंत्री जी के राहत कोष के लिए लिखते हैं, तो एक प्रक्रिया के चलते समय लगता है। हमारी सरकार की सोंच को देखिये, हमारी कैबिनेट को सोंच को देखिये कि आपको 25 लाख रुपया अपनी निधि से तत्काल उस अपने पीड़ित साथी की मदद करने के लिए जो हमारी सरकार ने दिया

है, क्या यह मामूली निर्णय है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय पर इस सरकार का और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। हमारी सरकार तो समाजवादी सोंच की सरकार है कलकत्ता के अन्दर आज भी आदमी पैदल रिक्शा खींचते हैं, उस जमाने में लोहिया जी ने कहा था जिसको आदमी खींचता हो बैल बन कर के उस रिक्शे पर उस यंत्र पर हम सवारी नहीं करेंगे। आज इतने सालों बाद हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनको मोटर चालित या बैटरी रिक्शा करके उनकी जीवन शैली को बदलने का, उनको तरक्की पर ले जाने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। हम आपसे कहना चाहते है कि बौद्धिक तौर पर जयप्रकाश नारायण जी के नाम से लखनऊ के अन्दर हमारी सरकार ने एक शोध संस्थान खोलने का काम किया है, जिस संस्थान पर हमारी सरकार में, जो हमारे प्रदेश के तमाम हम लोगों जैसे नौजवान साथी हैं वह आकर के वहां शिक्षा लेने का सीखने का और आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम मा0 मुख्य मंत्री जी को, मा0 राजस्व मंत्री जी बैठे हैं और तमाम मा0 मंत्रीगण बैठे हैं, इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और कैबिनेट को भी बधाई देना चाहते है कि जिस छात्र संघ से पैदा होकर के हम लोग यहां आये हैं, उस छात्रसंघ पर जो पिछली सरकार ने ताले लगा रखा था, लोकतंत्र की नर्सरी पर बैन लगा रखा था, उसको खोल करके सुचारु रूप देने का, चुनाव कराने का, उसे सुधारने का, संवारने का, बढ़ाने का जो काम किया है, उसके लिए भी मैं अपने इस भाषण में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने कक्षा एक से लेकर के आठवीं कक्षा तक छात्रवृत्ति से लेकर के दो सेट में ड्रेस देने का, फ्री किताबें देने का और उनको अनुकूल माहौल देने का। पढ़ाई देने का जो काम किया है बेसिक शिक्षा के स्तर पर, उस पर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ सरकार को। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बालिकाओं की शिक्षा के लिये, उनको आगे बढ़ाने के लिये, उनको उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिये उच्च शिक्षा के प्रति उनका लगाव लगाने के लिये हमारी सरकार ने कन्या विद्या धन योजना के प्रति जो 30,000 रुपया देने का काम किया है, उसके लिये भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। अभिभाषण का समर्थन करना चाहता हूँ। बी0पी0एल0 सूची के अन्दर हमारी योजना जो है कि ''पढ़ें बेटियाँ बढ़ें बेटियाँ'' इसके अन्तर्गत हमने 30,000 रुपये का अनुदान जो एक मुश्त देने का किया है, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का, अपनी बहनों को आगे बढ़ाने का, उनको तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किया है उसके लिये भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि 10वीं पास को टैबलेट, 12वीं पास को लैपटाप देंगे। जो हमारे साथी, जो हमारे जैसे गरीब परिवार के मास्टर के, अध्यापक के लड़के हैं, वो जो लैपटाप नहीं देख सकते, टैबलेट नहीं देख सकते। जो संघर्ष में उसके करीब नहीं जा पा रहे हैं। ये जो संघर्ष चल रहा है शिक्षा के दोहरीकरण का। अभी जो केशव भाई बोल रहे थे। एक मिनट में हमारे मंत्री जी ने अपनी बात रख दी तो दूसरी बात कहने लगे। हमारे मा0 राजस्व मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने कैटेगराइजेशन कर दिया कि ये नाग नाथ हैं, साँप नाथ हैं, फलाँ नाथ है, अपना नहीं बताये तो दो मिनट में सबके सामने आ गया कि दो मुँहे हैं उन्होंने साबित कर दिया। तमाम साथी बोल रहे थे उनके ऊपर कि जब डेढ़ घण्टे की चर्चा लगी हुयी है। मैं उस पर भी जब चर्चा होगी तो देखा जायेगा। हम भी इस

पर अपना रखेंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी जो सच्चर कमेटी है, उसकी रिपोर्ट देश के सामने है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी है, उसकी रिपोर्ट देश के सामने है। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मुसलमानों की स्थिति देश के अन्दर दलितों से भी ज्यादा बदतर है। हम कहना चाहते हैं कि देश की सरकारें इस बारे में नहीं सोच पा रही हैं लेकिन हम अपनी समाजवादी सरकार के बारे में कहना चाहते हैं। हम अपने युवा मुख्य मंत्री की सोच के बारे में बात करना चाहते हैं, अपनी कैबिनेट की बात करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे जो मुस्लिम बाहुल्य जनपद हैं। मैं जनपदों का नाम आपको बताना चाहता हूँ। मुस्लिम बाहुल्य हमारे जनपद हैं गोण्डा, बहराइच, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर में राष्ट्रीय महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने तय किया है और तय भी किया है कि हमारी जो बहनें हैं, उनको स्नातक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त दी जायेगी। हमने कन्या विद्या धन दिया, पढ़े बेटियाँ, बढ़े बेटियाँ, स्नातक तक की हमने शिक्षा माफ की। क्या हमने कहीं जात-पात रखा है। हमने बेरोजगारी भत्ता दिया कहीं जात-पात रखा है। हमने कहीं एस0सी0 रखा है, हमने कहीं मुसलमान रखा है, हमने कहीं सामान्य रखा है, हमने कहीं बैकवर्ड रखा है। हमारी सरकार ने सामान्य रूप से सबको लाभ पहुँचाने का काम किया है, सबको हक देने का काम किया है या ये कह लें कि हमारे यहाँ पर 400 से ज्यादा मा0 सदस्य बैठे हैं तो जो 25 लाख रुपये अनुमन्य किया है अनुदान देने के लिये आकस्मिक दुर्घटना पर या बीमारी पर तो क्या हमने उसमें जात-पात रखी है। दल, विपक्ष रखा है, समर्थन रखा है या सत्ता पक्ष रखा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, बस एक मिनट लूँगा आपसे। हम लोगों को कम मौका मिलता है कुछ कहने का, नौजवानों को तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार का नजरिया है अल्पसंख्यकों के प्रति तो वो ये दर्शाता है कि हमने मुस्लिमों के प्रति काम करने का, जो सच्चर कमेटी है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी है उसके ऊपर काम करने का काम किया है। प्राविधिक शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा तक इन सब चीजों पर काम करने के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में जो स्वास्थ्य परिवहन की सेवा है 108 नम्बर की एम्बुलेंस सेवा जो 988 की संख्या में पूरे प्रदेश में संचालित हो गयी है और अब तक उससे 75 हजार से ज्यादा रोगी लाभान्वित हो चुके हैं। ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है। तमाम साथी इधर से कह रहे थे कि यह याचन का पैसा है। राष्ट्रीय गवर्नमेण्ट का पैसा है और आप उसकी वाहवाही लूट रहे हैं तो हम ये कांग्रेस के साथियों से खुल करके कहना चाहते हैं। हम छात्र राजनीति से आये हैं, कहने से रहा नहीं जाता। मा0 अधिष्ठाता महोदय, पिछली भी सरकार में राष्ट्रीय पैसा था, विश्व बैंक का पैसा था लेकिन एन0आर0एच0एम0 के घोटले में न जाने कितने डाक्टरों की, न जाने कितने जेलरों की हत्या हो गयी और वों रुपया आज तक पता नहीं चल रहा है और तमाम लोग जेलों में घूम रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

बस, दो मिनट और लूँगा सर। हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की बहनों को बेटियों को, आपकी भी बहनों को, हमारी भी बहनों को अपनी बहन मान करके जो 1090 की योजना शुरू की

है। उस योजना को हमारी सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में भी आया है कि 27 हजार दरख्वास्तें हैं, एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी हैं और उन पर कार्यवाही की गयी है, उनका निस्तारण हुआ है। पिछली सरकार महिला की सरकार थी, महिला उसकी मुखिया थी लेकिन किसी ने इस तरफ सोचने का काम नहीं किया और हमारी बहनों के साथ थानों में ब्लात्कार होते रहे और इनके विधायक करते रहे आज भी अखबारों में आया है, जमानत नहीं मंजूर हुई है और लाश बनाकर टांगते रहे पेड़ों पर। तो हम यह कहना चाहते हैं कि बहनों के प्रति हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी की हमारी सरकार की सोच क्या है उसको आगे ले जाने का, उसको बढ़ाने का, उसका संरक्षण करने का, हमारा जो नजरिया है उसकी बात हम करते है। हम कहना चाहते है कि जो किसानों की बेहतरी के लिए किसान बीमा हमारी सरकार ने पिछली बार एक लाख रूपये किया था, उससे बहुत आगे जाकर के बजट तो 5 परसेन्ट, 10 परसेन्ट में बढ़ता है, लेकिन हमारी सरकार ने 5 गुना आगे जाकर के किसान बीमा को 5 लाख करने का काम किया। इस पर मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ एक किसान का बेटा होने के नाते। उसमें कहीं कोई जात-पात नहीं है, अगर किसी के पास 10 बीघा भी जमीन है और 10 कड़ी भी किसी के नाम जमीन है तो 5 लाख का बीमा है और एक कन्डीशन केवल पोस्टमार्टम कराने की रखी गयी है। हम कहते हैं कि ऐसी सरकार पर आरोप लगाना जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से 400 रुपये पेंशन देने का काम कर रही हो क्या उस सरकार पर आरोप लगाना उचित है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसानों के लिए जो हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने फीडर अलग करने की प्लानिंग की है वह फीडर अलग हो जाएंगे। बिजली की समस्या पर जो बहस होती है, जो झगड़ा होता है, वह भी अपने आप सही हो जायेगा। मान्यवर, अब मेरा समय समाप्त हुआ आपके द्वारा जो समय दिया गया उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं कहना तो और चाहता था लेकिन आपको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हमारी पार्टी के नेता प्रो0 शिवाकान्त ओझा जी ने जो उसके समर्थन में प्रस्ताव रखा है मैं उसका बहुत तहेदिल से और पूरे मानसिक स्तर पर गहराई से समर्थन करते हुए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

*मो0 मुस्लिम-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने सदन के सामने रूबरू होने के लिए राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जिसके मुख्या एक नौजवान हैं और जिनसे पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चलेगा। विकास हो भी रहा है। ऐसा नहीं है यह कहा जाए कि जो हमारा नौजवान उत्तर प्रदेश का जो मुखिया है अखिलेश यादव जी जिनसे पूरे उत्तर प्रदेश और विकास की जो कड़ी है, वह जुड़ती जा रही है, लेकिन जो अभी कुंभ मेले के बारे में जो हालात पैदा हुए हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, भाई आजम खाँ साहब, जिनको कुंभ मेले का इंचार्ज बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया और बहुत अच्छा इंतजाम उनके द्वारा किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया यह सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई ऐसी बात आपके सामने नहीं रख रहा हूँ मा0 अध्यक्ष जी की मैं सत्तापक्ष की तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर तारीफ के लायक बात होगी तो तारीफ जरूर करनी चाहिए। काम अच्छा हुआ, उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ ये तो इत्तेफाक है, वारदात हो गई, लोग वहाँ पर हताहत हुए उसके लिए पूरा सदन दुःखी है। इस बात का बड़ा अफसोस है, लेकिन कमी कोई नहीं रखी गई। हां यह जरूर है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो गाड़ियों का, बसों का इंतजाम होना चाहिए था, उसमें कही न कही थोड़ी बहुत कमी रह गई उसके लिए हम सदन के लोग जो मेरी तरफ से अपनी तरफ से वहाँ (इस समय 4 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठीसीन हुए) के लोगों को मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र तिलोई के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा तिलोई अमेठी लोकसभा सीट की एक विधान सभा है, जहाँ पर 7 साल पहले, इससे पहले जो सरकार थी उस वक्त से एक लुधौरिया नाला है उस पर एक पुल का निर्माण हो रहा था। मान्यवर, अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है यह सरकार आई है मैं अनुरोध करूँगा कि उस कार्य को पूरा करा दिया जाय। मान्यवर यह हालात है वहां कि आदमी निकल नहीं सकता है मैं चाहता हूँ माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कि उस नाले उस पुलिया का जो निर्माण हो रहा है उसे अविलम्ब पूरा करा दिया जाए। मान्यवर, जो हमारे यहां तिलोई में केरोसीन तेल का डिपो है वहां से तीस ग्राम सभाओं की आबादी को निकालकर जामों डिपो से सम्बद्ध कर दिया गया है जो वहां से 20-25 किलोमीटर दूर है। जबकि जो तिलोई का केरोसिन का डिपो है वह दो-तीन किलोमीटर पर है मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। मान्यवर, हमारे यहां जो नगरपालिका जायस है जो अमेठी विधान सभा क्षेत्र में आती है वहां एक लाख की आबादी है वहां पर सात-घण्टे आठ-घण्टे बिजली मिलती है। वहां लोगों से शहरी इलाके की दरों पर बिजली के बिल लिए जाते हैं जबकि बिजली दी जाती है देहाती आधार पर वहां पर बिजली की आपूर्ति बढ़ाई जाय। वहां कम से कम 16 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए। मान्यवर हमारे यहां तमाम रोडे हैं जो गड्ढायुक्त हैं उनको गड्ढामुक्त करने के लिए आप सरकार को आदेश देने का कष्ट करें। मान्यवर हमारे यहां तिलोई क्षेत्र में मोहन गंज से पीड़ी हैदरगढ़ शिवरतनगंज होते हुए कठोरा और अकेलवा से नसीदाबाद रोड। अलईपुर से कमई रोड यह सभी रोड जर्जर हालत में हैं। इनको ठीक कराया जाए। मान्यवर लोग इन जर्जर रोडों पर चलने के लिए मजबूर हैं उसमें चल नहीं पाते हैं। उसमें गिर जाते हैं या चोट खा जाते हैं। मान्यवर मैं एक बात की बधाई देना चाहूंगा कि हमारे यहां जो प्रभारी मंत्री हैं वह हर योजना में सभी विधायकों को बराबर का शेयर देते हैं चाहे वह लोहिया समग्र विकास योजना या अन्य कोई योजना। जहां तक प्रशासन की बात है हमारा कहना है कि सरकार को बने हुए ग्यारह महीने हो गये हैं सरकार का प्रशासन का इकबाल होना चाहिए धमक होनी चाहिए वह नहीं है। मान्यवर जो अधिकारीगण हैं वह माननीय विधायकों की बात नहीं सुनते हैं जनता की बात नहीं सुनते हैं वह नजरअन्दाज करते हैं इसलिए अधिकारियों पर सरकार को लगाम रखना चाहिए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करिए। मान्यवर जो हमारी विधान सभा तिलोई है वहां मुस्लिम आबादी बहुत है। वहां पर प्राइमरी स्कूल बनाने की बात है एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं बना है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार

कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में प्राइमरी स्कूल बनाए जायें। मान्यवर जितने मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर सरकार शिक्षा की सुविधाएं पहुँचाए। मान्यवर मैं यह जरूर कहूँगा कि यह सरकार जब से बनी है ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है काम हो रहा है लेकिन जो कार्य की गति होनी चाहिए उसमें ढिलाई है। आप इसमें तेजी लाएं। मान्यवर सभी इलाकों में चाहे वह विपक्षी लीडर का क्षेत्र हो या अन्य किसी का क्षेत्र हो सभी जगह समान रूप से कार्य होना चाहिए। धन्यवाद।

*श्री पूर्णमासी देहाती-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर ओझा जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि महामहिम ने जो अभिभाषण दिया उसमें उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सारी चाजें मौजूद हैं। मान्यवर, जहाँ तक यह चीनी मिलों का सवाल है तो भाजपा ने चीनी मिलों को बन्द करने की कार्यवाही शुरू की थी और बसपा ने उसे बेचकर पूरा कर दिया। मान्यवर, यह पता है कि हमारे क्षेत्र के रामकोला खेतान और लक्ष्मीगंज चीनी मिल और उस समय पिपराइच चीनी मिल को विस्तारीकरण करने का काम 1989 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने शुरू किया था जिसे बन्द कर दिया गया। पिपराइच चीनी मिल जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीनी मिल थी और जहाँ विस्तारीकरण के लिए 3 करोड़ 70 लाख रूपया माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने प्रस्तावित किया था और उस समय 3 करोड़ 57 लाख रूपये का वहाँ जमीन लिया गया, चहार दीवारी हो गयी लेकिन 1991 में उस परियोजना को रोक दिया गया और 12 लाख 65 हजार रूपया अन्य चीनी मिलों को हस्तांरित कर दिया गया। मान्यवर, पिपराइच चीनी मिल के पास कम से कम 100 एकड़ जमीन है अनेक यंत्र खरीदे गये और 2008 में उसे बन्द कर दिया है, उसे चलाया जाना चाहिए। मान्यवर, जहाँ तक विकास की बात है तो उत्तर प्रदेश में विकास की गति चल दी है अभी सामने बैठे हमारे साथी मौर्य जी बोल रहे थे, कहीं गायब हो गये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई मौर्या सदन में जोर से बोले तो आप समझिये कि यह भागने वाले हैं। स्वामी प्रसाद जी जब जोर से बोलते हैं तो वह भी भाग जाते हैं और एक मौर्या साहब और जोर-जोर से बोल रहे थे वह भी भाग गये। तो साथियों कम से कम जो जोर से बोलते हैं उनको सुनने के लिए भी यहाँ रहना चाहिए। अभी डा0 मुस्लिम साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इलाहाबाद में जो व्यवस्थाएं हुई थीं वह बहुत अच्छी व्यवस्था थी और करोड़ों लोगों ने वहाँ स्नान किया यह सही है कि कोई घटना हो गयी यह अलग की बात है लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 7-7 लाख रूपया मृतक परिवारों को देने की घोषणा किया। हम यह बताना चाहते हैं कि जनपद कुशीनगर गन्ना बाहुल्य इलाका है जहाँ आज भी कम से कम पौन दर्जन चीनी मिलें हैं। लेकिन उसमें से बसपा शासन में अधिकांश चीनी मिलें बन्द हो चुकी हैं कुछ चीनी मिलें चल रहीं हैं। यह सही है कि गन्ना की खेती बढ़ी है इसलिए थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर्चियों की कमी है। लेकिन गन्ने के दाम बढ़े हैं लोगों के भुगतान भी हो रहे हैं, उसमें तेजी लाया जाना चाहिए क्योंकि लास्ट में जो गन्ने गिरते हैं और मिलें बन्द हो जाती हैं तो किसानों को उसका भुगतान समय से नहीं मिलता है तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से कि सरकार उस पर निगाह लगावे कि भुगतान एक सप्ताह का रोक करके उसको पूरा किया जाय। जहाँ तक पूर्वान्चल की बात है तो गोरखपुर मेडिकल कालेज में 500 बेड का और विस्तार करने का आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है यह एक सराहनीय कदम है। अभी हमारे विपक्ष के कई साथी कई सवाल उठा रहे थे अब यह है कि गड्ढामुक्त सड़कें बहुत हुई हैं लेकिन अभी कुछ बाकी हैं और अभी समय भी है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सदन में आने पर)

मैं मौर्य जी को धन्यवाद दूँगा क्योंकि उन्होंने अपने जमाने में हमारे क्षेत्र की 2 चीनी मिलों को बन्द कराया तो इसलिए मैं इनको बधाई दूँगा और जिस क्षेत्र से चुने गये हैं वह भी मिल इन्होंने बन्द करवा दिया। तो साथियों हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आज हमारे बहुत से साथी पक्ष के और विपक्ष के अपने-अपने विचार रखें हम माननीय अध्यक्ष से यह निवेदन करेंगे कि काम तो हो रहे हैं लेकिन उसमें गति लाने की आवश्यकता है। और जहाँ तक कन्या विद्याधन की बात है, बेकारी भत्ते की बात है, अल्पसंख्यक लड़कियों की पढ़ाई के बारे में अनुदान दिये जाने की बात है तो यह बँट भी रहे हैं और उसकी शुरूआत भी हो गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने लैपटाप और कम्प्यूटर देने की जो बात कहीं है, वह जल्दी ही बँटना है और वह काम शुरू हो जायेगा। तो साथियों, हम यह भी कहना चाहते हैं कि माननीय राजस्व मंत्री जी हमारे हैं, हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा कप्तानगंज है और जिसको तहसील बनाया जाना चाहिये क्योंकि वहाँ की जनसंख्या अधिक है और जिले से अधिक दूरी उस क्षेत्र की तहसील की है तो इसलिये मैं चाहता हूँ कि कुशीनगर जनपद का हाटा बहुत बड़ा तहसील है और उसी का कस्बा कप्तानगंज है, इसे तहसील बनाने की माँग चल रही है और मैं भी यह चाहूँगा कि उसको तहसील बनाया जाये।

जहाँ तक कुशीनगर की बात है तो कुशीनगर गन्ना बाहुल्य इलाका है, वहाँ एक बड़ी गंडक नहर है जो नेपाल और बिहार से निकली है, उसका कुछ सफाई हुआ है लेकिन सिंचाई के लिये उसकी पूरी सफाई किया जाना चाहिये। जहाँ तक टेल तक पानी पहुँचाने की बात है तो नहरों की काफी सफाई हुई है लेकिन कहीं कहीं जो पुराने ठेकेदार हैं, उन लोगों ने गड़बड़ी किया है और मैं यह चाहूँगा कि कल विधान सभा सदस्य रूबी प्रसाद जी ने यह सवाल उठाया था कि खनन् माफिया अभी कहीं-कहीं पड़े हुये हैं तो खनन् माफिया जो बसपा राज के हैं और कहीं-कहीं वह अपना सिक्का जमाये हुये हैं, तो उनकी जाँच करके उनको बेदखल किया जाना चाहिये और उनके खिलाफ कार्यवाही भी किया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कई चीजों का निराकरण किया है लेकिन मैं उनसे निवेदन करूँगा कि पहले गोंड जाति सहित, कोरी जाति तथा अन्य जातियों के प्रमाण-पत्र जो पहले बने हैं, वह इंटरनेट पर नहीं हैं औंर अब छात्रों को नौकरी में या अन्य कहीं आवश्यकता पड़ती है तो इंटरनेट का प्रमाण-पत्र माँगा जाता है तो जो पुराने प्रमाण-पत्र बने हैं, उन्हें इंटरनेट पर लाया जाना चाहिये और बसपा शासन में यह आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र बनाने का जो काम ठेके पर दे दिया गया है जिससे बहुत विलम्ब होता है तो उसकी समीक्षा करके उसमें ऐसी व्यवस्था किया जाना चाहिये कि अगर किसी को किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है तो वह प्रमाण-पत्र एक

हफ्ते के अंदर उन्हें उपलब्ध करा दिये जायें क्योंकि एक एक तहसीलों में एक एक ठेकेदार है और इसे बसपा शासन में ठेकेदारी प्रथा में दिया गया था, पूरे जिले की एक जगह छपाई होती हैं, जिससे महीनों लग जाते हैं तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि विकास के काम हो रहे हैं और जो सरकार ने व्यवस्था किया है, महामहिम के अभिभाषण में जिन चीजों को इंगित किया गया है उससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा और पूरे सदन के साथियों से मैं निवेदन करूँगा कि जैसा डा0 मुस्लिम साहब ने कहा कि सरकार द्वारा जो अच्छे काम हो रहे हैं, उसकी तारीफ होना चाहिये और यह सबको करना चाहिये। जो विरोध पक्ष के हैं, वह कुछ बातों पर विरोध करें, सही है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो 16 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है, वह सराहनीय कदम है और इससे उन जातियों का उत्थान होगा क्योंकि वह 16-17 जातियों में ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बहुत बदतर हैं जो निषाद समाज के लोग है, बिन्द समाज के लोग हैं, गोड़िया समाज के लोग हैं जो नदियों के किनारें बसे हुये हैं और उनके पास आवास की भी कमी है।

तो मैं निवेदन करूँगा कि इन सारी स्थितियों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो माननीय ओझा जी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद -

मान्यवर, अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर हमारे तमाम साथी बोल रहे थे मैं उनके द्वारा कही गई बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। आज हमारे तमाम साथी धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे थे मुझे काफी कुछ सुनने को मिला है क्योकि मैं पूरा दिन बैठा हूँ। आज हमारे अभी सत्तापक्ष के सम्मानित साथी बोल रहे थे कि लोक सभा में संविधान के रचयिता डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर साहब का चित्र समाजवादी पार्टी के नेता जी ने लगवाया, बहुत अच्छी बात है। अभी दूसरे साथी बोल रहे थे कि इसके पहले की सरकार को याद नहीं है कि उनके समय में कहाँ-कहाँ कौन-कौन सी हत्याएं हुई, कौन-कौन से अत्याचार हुए। साथियों मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आज एक वर्ष बीतने में एक महीना शेष बचा है, 11 महीने वर्तमान सरकार को हुए हैं। इस वर्तमान सरकार की 11 महीने की उपलब्धियाँ हैं तो जिधर से भी आप शुरू करे, पेंशन बन्द, हैण्डपम्प लगना बन्द, गन्ने का भुगतान बन्द, खाद स्टोंर पर मिलना बन्द, पर्चियाँ मिलना बन्द, चाहे जिस तरफ से आप शुरू करें यह सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियाँ हैं। सारे विकास कार्य बन्द, सारी योजनाएं बन्द, जिले में पैसा उपलब्ध है प्रदेश में पैसा उपलब्ध है 11 महीने बीत चुके हैं सिर्फ योजनाओं के नाम सम्मानित विधायकों के द्वारा बार-बार लिये जा रहे हैं और जितने लोग अभी चार दिन में बोले हैं सभी के मन खौफ है कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अरे बहुजन समाज पार्टी की खौफ आपको सताती रहेगी। 11 महीने बीत चुके हैं मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन 11 महीनों की उपलब्धियों का जिक्र आप कीजिए, जनता बड़ी बारीकी से 11 महीनों के विकास कार्य और आपकी उपलब्धियों के विषय में एक-एक क्षण आकलन कर रहीं है। जैसें आपके 11 महीने बीते

हैं इसी प्रकार से पाँच वर्ष तक आप बी0एस0पी0 की पिछली सरकार की उपलब्धियों एवं बुराई का वर्णन करते रहे और अपना समय गवाँ दिया तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं कि लोकसभा तो आप छोड़ दीजिए लौट करके दोबारा विधान सभा में भी नहीं आ पायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि यदि वर्तमान सरकार वाकई दलित की प्रेमी है और अम्बेडकर साहब को मानने वाली है, तब आरक्षण का विरोध क्यों। इसी के साथ यदि यह दलित प्रेमी है, अनुसूचित समाज की समर्थक हैं तो समय-समय पर जन्में दलित महापुरूषों से कौन सी आपत्ति है कि उनके नाम के जिले बदल दिये जाएं, उनके नाम के स्मारक बदल दिये जाएं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह तो तमाम इनकी एक वर्ष की उपलब्धियाँ हैं जिनका मूल्यांकन जनता बड़ी तेज निगाहों से कर रही है। रही बात विगत सरकार, की, विगत सरकार के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय 11 महीना या 10 महीना पूरा हुआ था उस समय कोई ऐसा गाँव नहीं था जिस गाँव में आवास बनना न शुरू हो गया हो।

कोई ऐसा गाँव नहीं था पिछली सरकार में जिसमें सी0सी0 रोड, अम्बेडकर गाँव में बनना न शुरू हो गया हो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ कोई न कोई विकास की किरण न पहुंच गयी हो 10 महीने के अन्दर। लेकिन दुःख के साथ यह कहना चाहूँगा कि आज इस वर्तमान सरकार 11 महीने हुए हैं, अपनी योजनाओं के नाम सिर्फ बताये जा रहे हैं लेकिन किसी सम्मानित सदस्य के द्वारा यह नहीं बताया गया कि हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में, यह कार्य किया गया है। साथियों, इतना ही नहीं आपकी सरकार की पिछली भी उपलब्धियाँ ऐसी हैं जो कभी इस प्रदेश का जनमानस भूलेगा नहीं। चाहे रामपुर का हाई-वे काण्ड रहा हो, चाहे इलाहाबाद का मदरसा काण्ड रहा हो, चाहे हजरतगंज का आपका पुलिस का काण्ड रहा हों कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियाँ आपकी हैं जिसको न कभी इस प्रदेश की जनता भूली है और न कभी भूलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि यह जो प्रचण्ड बहुमत की सरकार आयी है, मित्रों, आप मान लें आपकी नीतियों और फार्मूले पर आपकी सरकार नहीं आयी है बल्कि आँख में धूल झोंक करके यह सरकार आयी है। आपका प्रत्येक पल पुराने इतिहास को बयां कर रहा है। जनता 11 महीने में जान गयी है कि अभी तो यह झाँकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है। अतः गुण्डाराज समाप्त करके कानून का राज कायम करिये।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

और जनता में ऐसा मैसेज जाए चूँकि साथियों आपको मालूम है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। इसी के साथ-साथ जनपद लखीमपुर के विषय में अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनपद लखीमपुर खीरी घाघरा और शारदा दो नदियों के दोआब का क्षेत्र है। प्रतिवर्ष प्रलंयकारी बाढ़ आती है उसमें हजारों एकड़ जमीनें, तमाम घर-मकान कट जाते हैं। इस अभिभाषण की पुस्तिका में जनपद लखीमपुर खीरी को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए कहीं

कोई जिक्र नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से चाहूँगा कि जनपद लखीमपुर खीरी को भीषण बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए जो प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपये से कुछ अधिक की व्यवस्था की है वह निहायत कम है, उतना बजट तो अकेले लखीमपुर खीरी जनपद के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। इसी के साथ ही साथ, इसको आगे बढ़ाते हुए जनपद लखीमपुर खीरी में जैसा कि सरकार के पास भी आँकड़े हैं वहाँ इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प से जो पीने के लिए जल मिलता है वह आर्सेनिक युक्त है, जहर युक्त है जिसका रिकार्ड सरकार के पास भी है। तो मैं सरकार से यह अनुरोध करुँगा कि गहरी बोरिंगें कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए और इतना यही नहीं जो बड़ी-बड़ी टंकियाँ तमाम गांवों में लगी हैं न तो वह अभी चालू की गयी हैं और न उनसे पानी निकला है। इसी के साथ-साथ जो नदी के किनारे, बंधों के किनारे, कटान से जो बेघर हो गए हैं जैसा कि कल मा0 राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि हमने जिलों पर पैसा भेजा है। यदि सही है तो दिखवा लें, और नहीं है तो पैसा उपलब्ध करवा दें ताकि जो नदी के किनारे चकरोड़ पर पड़े लोग हैं, उनको भी बसने को मिल जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

मान्यवर, इसी के साथ.साथ हमारी विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्यायें सड़कों की हैं वह लिख करके भेज रहे हैं उसको बोला हुआ मान लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए अवसर दिया। अपने नेता मा0 हुकुम सिंह जी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए अपनी बात प्रारम्भ करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार को 11 माह हो गये, इस 11 माह में विकास कार्य अवरुद्ध है और भ्रष्टाचार बढ़ा हैं। इस सरकार में कुछ चीजें बढ़ी हैं वह बढ़ी है खर्चा बढ़ा है, कर्जा बढ़ा है, घाटा बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। मान्यवर, इस सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार दोनों चरम सीमा पर पहुँच गए हैं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा। इस प्रदेश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है और यह संख्या प्रभावित होती है तो पूरा प्रदेश प्रभावित होता है। आज किसान परेशान हैं और खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। मान्यवर, जब खेती प्रभावित होती है तो प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। आज किसान परेशान है कि खेती कैसे करें और खेती न करे तो क्या करे। किसान के काम आने वाली खाद, पानी, डीजल और बिजली यह सब मंहगा है किसान इसको खरीद नहीं सकता है किसान परेशान है वह अपने बूढ़े मां-बाप का बोझ कैसे उठाए। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाये अपनी बेटी के हाथ कैसे पीले करे यह सारी समस्याएं किसान के सामने हैं मान्यवर, आज चाहे प्रदेश की सरकार हो

या केन्द्र की सराकार हो किसान को खाद रियायत पर मिलती थी खाद पर अनुदान था इस सरकार ने खाद पर अनुदान समाप्त कर दिया। हमारी सरकार थी तो खाद का कट्टा डेढ़ सौ में यूरिया का मिलता था 400 रुपए में डी0ए0पी0 का मिलता था आज यूरिया का कट्टा 450 रुपए का है और डी0ए0पी0 का कट्टा 1200 रुपए का मिलता है। इस तरह से किसान के सामने समस्या है। डीजल निरन्तर मंहगा होता जा रहा है। केन्द्र सरकार ने तय कर दिया कि हर माह डीजल के दाम बढ़ेंगे मान्यवर, जब डीजल 60 रुपए लीटर में हो जाएगा तो किसान ट्रैक्टर चलाकर खेती नहीं कर सकता। जब किसान ट्रैक्टर चलाकर खेती कर नहीं सकता बैल उसके पास है नहीं तो अन्न का संकट पैदा हो जाएगा। आखिरकार खेती वह कैसे करे। कटान बहुत हो रहा है। गोवंश समाप्त हो रहा है निरंतर कटान होते-होते बैलों की समस्या आ गई है।

मान्यवर, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने अन्य प्रस्ताव पारित किए हैं हम चाहते हैं कि सरकार किसानों के हित में एक प्रस्ताव पारित करे कि जो मांस का निर्यात है उस पर प्रतिबन्ध लगाएंगे। मान्यवर, जब मांस के निर्यात पर प्रतिबन्ध लग जाएगा तो जानवर कम कटेंगे और यदि कटेंगे तो यहाँ के खाने वालों को ही मांस मिलेगा और सस्ता बिकेगा। मान्यवर, हम चाहते हैं कि पशुओं के कटान पर यह सरकार एक प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजे और उसको लागू कराए। मान्यवर, एक लीटर डीजल पर प्रदेश सरकार का 17.50 रुपए टैक्स लगा है। क्योंकि केन्द्र में समाजवादी पार्टी की सरकार समर्थन दे रही है कई बार बातें भी होती हैं हम चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार जो किसानों की सरकार है और मान्यवर, इनको धरती पुत्र कहा जाता है माननीय मुलायम सिंह जी यूँ ही धरती पुत्र नहीं बन गए वह खेत की पगडंडियों से खेत की मेड़ से चलकर कितनी ऊँचाइयों पर पहुँचे हैं। तो आज हम आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो किसान फटेहाल है कम से कम उससे डीजल-पेट्रोल पर टैक्स न लगाएं और इस सरकार ने जो एक लीटर डीजल पर साढ़े सत्रह रुपए टैक्स लगाया है उसको माफ करने का काम करें। जो प्रदेश के हित में होगा और किसान के हित में होगा। मान्यवर, पिछले चुनाव में प्रदेश की जनता ने माननीय मुलायम सिंह पर भरोसा किया किसानों ने भरोसा किया मुलायय सिंह जी ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसी किसान का आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ यहाँ जरूर बजट में 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई शासनादेश भी जारी हो गया लेकिन मान्यवर, 11 महीने में किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। इन्होंने तो एक बैंक का कर्जा माफ किया है लेकिन घोषणा-पत्र में किसी एक बैंक के कर्जे को माफ करने की बात नहीं कही गई थी।

मान्यवर, हम आपके माध्यम से विनती करते हैं कि यह किसानों का 50 हजार रुपये का कर्जा हर बैंक का माफ करें। ऐसी व्यवस्था बनायेंगे तो किसानों का हित हो सकेगा। मान्यवर, बहुत बातें हैं, मैं सुझाव भी देना चाहता हूँ आज गन्ना किसान का 38 सौ करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है। यह चीनी मिलों पर अभी तक दबाव नहीं बना रहे हैं। चीनी मिलें देर से चली हैं। किसान अपना गेहूँ भी नहीं बो पाया है। तो इस तरीके से यह चीनी मिलों पर दबाव भी बनायें और किसान का जो गन्ना मूल्य चीनी मिलों पर बकाया है वह किसानों को दिलवाने का काम करें तो यह ठीक होगा। मान्यवर, सिंचाई की बात आती है। साढ़े आठ करोड़ रुपया पिछले बजट में पारित किया

गया लेकिन किसी भी नहर की सफाई नहीं हुई। साढ़े सात हजार नलकूप इस समय प्रदेश में बन्द हैं।

मान्यवर, यह किसानों की विरोधी सरकार है या किसानों की हितैषी सरकार है, यह इसको सिद्ध करना पड़ेगा। बजट भी आवंटित कर दिया गया तो क्यों नहीं नहरों की सफाई कराई गई ? चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे मध्यांचल हो तो इस तरीके से मान्यवर, सब जगह ट्यूबवेल खराब हैं। सरकार ने वायदा किया था कि हम नई सड़कें तो नहीं बनवायेंगे पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाने का काम करेंगे लेकिन अभी तक किसी भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई। मान्यवर, यह किसी भी सरकार की कसौटी हुआ करती है, उस सरकार की अग्निपरीक्षा हुआ करती है। अग्निपरीक्षा होती है जो सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा का प्रबन्ध कर दे। अपने चलने वाले लोगों को सड़क उपलब्ध करा दे। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कर दे, गरीबों को रहने के लिये मकान का प्रबन्ध कर दें। यह सरकार सभी मायनों में फेल होती चली जा रही है। कहीं भी किसी तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। शिक्षा की व्यवस्था खराब है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने उच्च शिक्षा के बारे में अपने भाषण में उल्लेख किया है। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा अगर ठीक नहीं होगी तो उच्च शिक्षा में हम क्या करेंगे ? आज उत्तर प्रदेश में बहुत से गाँव, बहुत से मजरे इस तरीके के हैं जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। जहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती। जो अध्यापक तैनात हैं वह अन्य सरकारी कामों में लगे रहते हैं और बच्चे थाली कटोरा मिड-डे-मील के लिये बजाते रहते हैं। मान्यवर, इस सरकार की व्यवस्था क्या है ? सरकार गरीबों के बच्चों को नहीं चाहती है कि पढ़ाई हो। मान्यवर, दो तरीके के शिक्षा की व्यवस्था है। एक शिक्षा की व्यवस्था है हुजूरों के लिये और एक शिक्षा की व्यवस्था है मजूरों के लिये वह मजूर जो गाँव के करीब किसानों के बच्चे हैं उन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं जहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, किताबों की व्यवस्था नहीं है, अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, इस सदन में सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों में से किसी के बच्चे इन प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं वो प्राइवेट कान्वेन्ट स्कूलों, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। तो मान्यवर, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई का भी प्रबन्ध ठीक तरीके से हो जाय, यह बात हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। (शोर) आप प्राथमिक विद्यालय में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराने का काम करें जिससे गरीबों के बच्चों की भी शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो जाय, यही हम आपके माध्यम से कहना चाहतें हैं। चाहे हाई स्कूल हो या इण्टरमीडिएट हो इन सबकी शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी। अभी बोर्ड की परीक्षा होगी। मान्यवर, आजम साहब मैं आपका सम्मान करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैं यह कह रहा हूँ कि आपकी यह शिकायत कि बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, ये पढ़ने नहीं देते हैं बताइये क्या करें। कुछ इन्हें भी सुझाव दे दीजिए।

श्री धर्मपाल सिंह-

धन्यवाद साहब। मान्यवर, अभी बोर्ड परीक्षाओं के केन्द्रों का निर्धारण हुआ। हमारे जनपद बरेली में जिला विद्यालय निरीक्षक ने 50 हजार रुपये से ले करके 2 लाख रुपये तक केन्द्र निर्धारण करने के लिये।

श्री अध्यक्ष-

आपके यहाँ नकल होती है ज्यादा क्या ?

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, जिन विद्यालयों में जहाँ अध्यापकों ने पैसा नहीं दिया उनके केन्द्र 30 किलोमीटर दूरी तक बनाये गये हैं। एक-एक विद्यालय को तीन-तीन जगह बाँटा गया है। नकल माफियाओं ने जिन्होंने अपनी सेटिंग कर ली है मनमाफिक केन्द्र बनाये गये हैं। मान्यवर, हम चाहते हैं कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाय एक सिस्टम से। क्या करेंगे बच्चे यदि वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो करेंगे क्या। आज गाँव का आदमी भी चाहता है कि उसके बच्चे भी पढ़-लिख जायें अच्छे बन जायें। मान्यवर, आजम साहब को गरीबों की चिन्ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से बिनती करना चाहता हूँ सरकार से। यह सरकार तमाम आरक्षण प्रस्ताव की बात करती है। यह प्रस्ताव करें सदन में हम किसानों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रशासनिक सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव करेंगे। हम आजम साहब को बधाई देना चाहेंगे हम आजम साहब को बधाई देना चाहते हैं यह गरीबों के हितैषी हैं। यह प्रस्ताव, जैसे अन्य प्रस्ताव पारित कराकर भेजे हैं ऐसी ही गरीबों के बारे में एक प्रस्ताव पारित कराकर भारत सरकार को भेजें।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहूँगा यह बात मैंने इसलिए कही कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत मैंने कहा कि किसानों के, गरीबों के बच्चों को उच्च प्रशासनिक सेवा में 50 प्रतिशत अच्छी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। यह व्यवस्था कर दें मान्यवर, अभी खाद्यान्न वितरण प्रणाली की व्यवस्था खराब है।

श्री अध्यक्ष-

आप अभी अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में कह रहे थे।

श्री धर्मपाल सिंह-

ए0पी0एल0 से जो बी0पी0एल0 कार्ड बनाकर दिए गए हैं चाहे वह किसी उच्च पद पर हैं, सभापति हैं, अध्यापक हैं उनके ए0पी0एल0 से बी0पी0एल0 कार्ड बनाये गये हैं, जिन पर कार्ड नहीं होने चाहिए, उन पर बी0पी0एल0 कार्ड हैं। गरीबों के बी0पी0एल0 कार्ड नहीं हैं और अमीरों के बी0पी0एल0 कार्ड हैं इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। 2002 से इसका सर्वे नहीं हुआ है। बी0पी0एल0 कार्ड का सर्वे करा लें तभी गरीबों के हित का संरक्षण सरकार कर सकेगी। मान्यवर, अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में दो-तीन चीजें कहना चाहता हूँ श्रीमन् बरेली, भरोसा, आँवला, शाहबाद, बिलारी-मुरादाबाद मार्ग को राजमार्ग घोषित किया जाए और इसको फोर लाइन बनाने का काम किया जाए। मान्यवर, रामगंगा नदी पर कैलाश, गिरिमढ़ी पर सात-आठ साल पहले एक नौका दुर्घटना में 18 लोग डूबकर मर गए थे। वहां पैन्टून पुल बना है उस पर एक बड़े सेतु का निर्माण

कराया जाए। और बरेली-बदायूँ मार्ग पर रमपुरा मोड़ से अलीगंज गुलरिया गौरीशंकर सिरौली शाहबाद को राजमार्ग घोषित किया जाए और गुलरिया गौरीशंकर में एक विद्युत फीडर बनाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपने मुझ पर कृपा की कि लाल बत्ती नहीं जलाई। माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गए संशोधन प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री (श्री मनोज कुमार पाण्डेय)

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर और उसके समर्थन पर माननीय श्री शिवाकांत ओझा जी ने जो समर्थन भाषण दिया है उसके क्रम में मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं सुन रहा था कि कई मा0 सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष ने तमाम बातें कहीं। अभी मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया था हमारे ब0स0पा0 के मा0 सदस्य बोल रहे थे और कह रहे थे कि जो यह सरकार 11 महीने की चल रही है इसमें गेहूँ नहीं है, किरोसीन आयल नहीं है, खाद नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उनकी बात सुनते-सुनते हमें लगा कि शायद वह विस्मरण हो गए और शायद 13 महीने पीछे चले गए और वह हमारी सरकार की नहीं अपनी सरकार की चर्चा करने लगे। कभी-कभी ऐसा हो जाता है जब बहुत लम्बे समय तक कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे नई बातें याद नहीं रहती हैं जो पाँच साल तक वह किए रहता है वह उसे याद रहता है। यद्यपि जो उन्होंने बोला है यह सदन और सदन में बैठे तमाम मा0 सदस्य पक्ष और विपक्ष के वह इस बात के गवाह हैं कि 11 महीने की जो हमारे युवा मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व की सरकार है उसने तमाम उत्तर प्रदेश के उन तबकों जिसमें एक गरीब रिक्शा चालक भी है, को छूने का काम किया है जिन्हें आजादी के इतने वर्ष तक किसी ने देखने का काम नहीं किया। अभी रिक्शा चालकों की बात हो रही थी अभी हमारे एक साथी कह रहे थे। मैं एक घटना के माध्यम से इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं छोटा था और मैंने एक बार देखा कि रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बुजुर्ग रिक्शेवाला सवारी के इंतजार में खड़ा हुआ था। सवारियां आती हैं पाँच, उस रिक्शेवाले ने उन पाँच सवारियों से कहा कि आप हमारे रिक्शे पर बैठ जाइए। दो रिक्शा न करिये, आप दो रिक्शा करेंगे तो आठ रुपया देंगे आप हमको 6 रुपया दे दीजिएगा। हम आपको गन्तव्य स्थान तक पहुँचा देंगे।

यह एक अलग बात है वह रिक्शावाला बीमार था, उसे टी0बी0 का रोग था और जब उसको खाँसी आती थी तो उसके बलगम के साथ खून आता था। लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी थी, उसके घर में उसकी पत्नी, उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे जो इस बात का इन्तजार कर रहे थे कि हमारे पिता आयेंगे, थोड़ा सा आटा लायेंगे, थोड़ा सा चावल लायेंगे, कुछ पैसा लायेंगे जिससे बीमार बच्चे का कल इलाज होगा, यह चुनौती उसके दिमाग में गूँज रही थी और वह रिक्शा वाला जो 2 सवारी खींचने की स्थिति में नहीं था, उसने उन 6 सवारियों को आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा लेकर पहुँचाने का काम किया।

मान्यवर, हम सदन में कहना चाहते हैं कि पहली बार इतनी संवेदनशीलता से समाज के उस कमजोर, दलित और जिसके साथ बहुत लम्बे समय से अत्याचार और अनाचार हुआ है, उसके भी दुख और कष्ट को देखने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे मुख्य मंत्री श्री अखिलेश

यादव जी थे और यह समाजवादी सोच थी, इसलिए हम सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने एक गरीब और कमजोर आदमी की मदद करने का काम किया है, उसकी भी सहायता करने का काम किया है। जब बात आती है खाद की, हमारे साथी ने कहा कि खाद नहीं मिली, हम अपने साथी को याद दिलाना चाहते हैं, उस घटना के आप भी गवाह हैं और हम भी गवाह हैं और माननीय अध्यक्ष जी हैं, सदस्य रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, उन्होंने भी देखा है कि खाद की दुकानों पर लम्बी लाइन लगती थी। खाद तो नहीं मिलती थी, मैं बसपा के साथियों से कहना चाहता हूँ, किसानों के सर फूटते हुए हमने देखे हैं, जब खाद माँगी है, लाठी मिली है, जेल मिला है, अपमान मिला है। हम चुनौती देते हैं कि हमारी 11 महीने की इस सरकार में किसी खाद की दुकान पर लाइन नहीं लगी है और किसी किसान का अपमान नहीं हुआ है और कोई किसान बिना खाद के वापस नहीं गया है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में खाद की कहीं किल्लत नहीं होने पायी है। आप नहरों के पानी की बात करते हैं, यह हम नहीं कहते हैं, डा0 मुहम्मद मुस्लिम साहब ने अभी कहा है, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और यह स्वस्थ परम्परा इन्होंने इस सदन में शुरू की है, इसके लिए हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ने अच्छा काम किया है, मैं सीना चौड़ा करके और सीना ठोंक करके सरकार को बधाई दूँगा, सरकार का समर्थन करूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, डा0 साहब का और अच्छी परम्परा पड़नी चाहिए। हमारी सरकार की तो पहचान यही है, लोग कहते हैं कि जब-जब मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तब नहरों में हेड से टेल तक पानी जाता है और हम मजबूती से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहाँ कि इस 11 महीने में हमारे लोक निर्माण और सिचाई मंत्री ने पानी न भिजवाने का काम किया हो। हम अपने लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे साथी अभी विद्युत आपूर्ति की बात कर रहे थे, कहा कि 4-6 घण्टे तक लाइट जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा डाक्टर साहब ने बेइन्साफी किया। हमारे पड़ोसी जनपद के हैं, हमारा इनका क्षेत्र लगा हुआ है, लेकिन यह सही है कि जिस जनपद से चुनकर आते हैं, रायबरेली से, देश की बड़ी नेता, श्रीमती सोनिया गांधी जी का संसदीय क्षेत्र है और डाक्टर साहब भी उन मंचो पर कई बार रहे हैं और कई बार दिल्ली की हुकूमत से एलान हुआ कि रायबरेली को 24 घण्टे बिजली दी जायेगी। समाचार पत्रों में हम सब पढ़ते थे, खुश होते थे, बहुत दिनों से इन्तजार कर रहे थे कि कब 24 घण्टे लाइट आयेगी लेकिन वह लाइट कभी मिली नहीं। हम अपने मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने लम्बी अवधि तक के लिए 20 घण्टे कम से कम विद्युत आपूर्ति करने का काम किया, हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन अमेठी में भी आज की तारीख में 12 घण्टें से कम आपूर्ति नहीं हो पा रही है और पिछली बसपा सरकार में 3 से 4 घण्टे विद्युत आपूर्ति होती थी, आप भी इस बात के गवाह हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, चाहे सड़क का सवाल हो, इस सरकार में जितनी सड़कों की मरम्मत हुई और गड्ढा मुक्त की गईं, उतना काम कभी पिछली सरकार में नहीं हुआ। हम कुछ मुद्दों को ले करके, कुछ एजेण्डे को ले करके जनता के बीच में गए थे, हमारे मुख्य मंत्री गए थे, उन्होंने कहा था

कि यह हमारा घोषणा-पत्र है और अगर आप हमें समर्थन देंगे, हमें बहुमत देंगे तो हम इस घोषणा-पत्र को पूरा करने का काम करेंगे।

हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, उनकी समाजवादी सोच को कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आज जो लोग बात करते हैं कि विकास नहीं हुआ तो हम कहना चाहते हैं कि वह तमाम नौजवान जिनका आपने बेरोजगारी भत्ता छीन लिया था वह तमाम बहनें जिनको आगे की शिक्षा से आपने वंचित कर दिया था। उनका इंतजार था और उनका आशीर्वाद था अखिलेश यादव के साथ कि वह पूर्ण बहुमत से नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत से लौटकर आये और उन्होंने अपने दोनों वादों को पूरा करने का काम किया। चाहे लैपटॉप का सवाल हो चाहे टैबलेट का सवाल हो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने कहा कि 'अंधा बाँटे रेवड़ी आपन-आपन देख'। तो हम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से कहना चाहते हैं कि जब पंडाल लगा था कन्या विद्या धन योजना का, जिले में बटा है और आप कई बार वहाँ से चुनाव लड़े हैं, निर्वाचित भी हुये हैं उन तमाम चेहरों को हमने भी नजदीक से देखा है और आपको भी मालूम है कि उसमें सब बैठे हुए चेहरे राजनीतिक चेहरे नहीं थे। वह, वह चेहरे थे जिनको आवश्यकता थी वह, वह लोग थे जिनको किसी मानक के अनुरूप तय किया गया था और उसमें समाजवादी पार्टी के मतदाता देखकर नहीं तय किये गये थे। बल्कि ऐसे सारे लोगों को कन्या विद्या धन और बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जो सरकार की नीति और मानक के अनुरूप आता था। इसलिए हम महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए और माननीय शिवाकान्त जी ने जो उस पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया है उसमें अपने को सम्बद्ध करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में माननीय हुकुम सिंह जी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मान्यवर, मैं जनपद फतेहपुर से आती हूँ। मान्यवर, जनपद फतेहपुर इलाहाबाद और कानपुर के बीच में बसा हुआ जिला है और बहुत पिछड़ा जिला है। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद फतेहपुर में सदर अस्पताल बहुत ही अच्छा बना है लेकिन अगर जिले में एक्सीडेंट हो जाये या कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो वहाँ सदर अस्पताल में न तो आई0सी0यू0 है न सी0टी0 स्केन की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि सदर अस्पताल में यह दोनों व्यवस्थायें करायी जायें। मैं खागा विधान सभा से चुनकर आती हूँ। खागा नगर पंचायत है। माननीय अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि खागा नगर पंचायत में दो ग्राम सभायें 2008 में विलय हुयी हैं और मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से मिली थी और लिखकर भी दी थी, बड़ा प्रदेश है कार्य बहुत है हो सकता है कि भूल गये हों। मेरा आग्रह है खागा नगर पंचायत का जो बढ़ा हुआ धन है वह भिजवाया जाये। दो ग्राम सभायें मिल जाने की वजह से बहुत ही वहाँ अव्यवस्था है। न तो रोड है न नाली है न पानी की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी अपने पिछले भाषण में बोले थे तो गड्ढा मुक्त सड़कें हुयी हैं पर तीन-चार

सड़कें मेरी विधान सभा क्षेत्र में ऐसी हैं कि बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। धाता से कबरहा, सुनारी अढ़ौली, हिनौता मार्ग और एक किशनपुर ऐरैई में पम्प कैनाल बना हुआ है, वहां पर कहीं काली गिट्टी का नाम नहीं रह गया है और रजपालपुर रोड से पंचमई होते हुए ऐराना, बिछियांवा मार्ग, इसमें भी कहीं काली गिट्टी का नाम नहीं रह गया है। विजयीपुर रोड से रामपुर टुटहवा पुल होते हुए गुरूवल मजगवां मार्ग है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे है, मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं उन्हें ठीक कराने की मांग करती हूँ और जहाँ तक बिजली विभाग की बात है, जब विधान सभा का चुनाव हुआ था, उसके पहले जो लोग बिजली विभाग के तार गिरने से मरे थे, तब उतने समय एक लाख रुपया था, पर धरना और विरोध करने की वजह से 20-20 हजार रुपये दिये गये थे उनको और जब से सरकार बनी, इस बीच में छः लोग मरे हैं कल भी एक व्यक्ति मरा है, उनमें केवल आठ लोगों को तो 20-20 हजार रुपये दिये गये और जो कल व्यक्ति मरा है, उसको कुछ भी नहीं मिला है। बिजली विभाग में एफआईआर नहीं होती है, यह सरकार की व्यवस्था है पहले जो घोषणा थी उसके अनुसार एक लाख रुपया मिलता था और इसके पहले सरकार ने घोषणा किया था कि पाँच लाख रुपये बिजली से मरने वाले व्यक्ति को, अगर किसान मरता है तो पाँच लाख रुपये मिलेंगे। आज तक उनको एक पैसा नहीं मिला है। मा0 अध्यक्ष जी, कहने को है कि केन्द्र की सरकार और राज्य की सरकार आज जिस तरीके की मँहगाई है पूरे देश में तो कहावत है कि जब सरकार में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आती है तो कमरतोड़ मँहगाई आती है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो यही मा0 धर्मपाल जी हमारे पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे कि खाद और डी0ए0पी0 का रेट क्या था और अब क्या हो गया है। जहां तक सिंचाई की बात है, नहरों की सफाई तो हुई है पर टेल तक अभी सफाई भी नहीं हुई और पानी नहीं पहुंचा। खागा नगर पंचायत हो करके एक उदवन कटोघन माइनर जाता है और बीच से है। नगर पंचायत है वहां पर इसकी पूर्व की सरकार भी रही बहुजन समाज पार्टी की उसने भी नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की इस सरकार में नहरों की, माइनरों की कुछ सफाई हुई है। पर उसमें जैसे खागा नगर पंचायत के अन्दर से माइनर गया है कटोघन माइनर, मेरा आग्रह है संसदीय कार्य मंत्री जी से कि उसमें पक्की लाईनिंग बना दी जाय तो जो गंदगी है और जो जी0टी0 रोड से पुल बना हुआ है, चोक हो गया है, उसकी सफाई करवा दें तो खागा नगर पंचायत में गंदगी हट जाय और मा0 अध्यक्ष जी जो अभी पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे कि जिला बने थे, उसमें मेरी भी खागा विधान सभा को कौशाम्बी में जोड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया था, पर मा0 मुख्य मंत्री जी से मैं मिली, मुख्यमंत्री जी बोले थे कि इसको हम निरस्त कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि खागा विधान सभा को जो कौशाम्बी में जोड़ रहे थे, उसको निरस्त कर दें क्योंकि खागा विधान सभा यहां से फतेहपुर के बार्डर से जुड़ती है और कौशाम्बी 75 कि0मी0 पड़ती है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि इसको निरस्त कर दें। मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हँ, धन्यवाद और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन में भारतीय जनता पार्टी के नेता मा0 हुकुम सिंह जी ने जो संशोधन किये, उस पर मै बल देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

*श्री दिलनवाज खाँ-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसका धन्यवाद और सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि बसपा के जो सदस्य थे उन्होंने यह कहा था कि भूले भटके ये सरकार बन गयी है और ये लोग जीत कर आ गये हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैं विपक्ष का विधायक हूँ और मेरे सामने, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बसपा से मुकाबला था और जो बसपा का उम्मीदवार था, वह हजार रुपये पर वोट बाँटता था और उतनी वोट मेरी बढ़ती थी। मेरे पास पैसा नहीं था, जनता मुझे चुनाव लड़ा रही थी। एक तो मतलब ये जाँच होनी चाहिये कि जो बसपा के उम्मीदवार चुनाव मैदान में लड़े थे कि इनके पास कहाँ से करोड़ों रूपया आ गया क्योंकि मै जब चुनाव लड़ने जाता था, वोट माँगने जाता था तो पता चलता था कि वहाँ पर हजार रुपये दे दिये, वहाँ पर 5000 दे दिये, वहाँ 1 लाख दे दिये।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मैं बड़ा परेशान हो जाता था और फिर मैंने कहा कि मैं चुनाव कैसे जीतूँगा तो फिर मैं जनता के बीच जाता था और मैंने कहा कि जितना लूट सकते हो, लूट लो लेकिन भइया वोट मत देना और वही हुआ वहाँ पर।

(सदन में जोर की हँसी)

और अभी यहाँ भाजपा के मौर्या जी कह रहे थे कि नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आपका ख्वाब है और पिछली बार एल0 के0 आडवाणी जी ने भी देखा था और पूरे हिन्दुस्तान ने उनको दिखा दिया था कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

आप लोगों को ख्वाब देखने का हक है। देखिये और नरेन्द्र मोदी जी का आप जितना नाम लेंगे, उतना ही सेक्युलर पार्टीज एक होंगी। आप देख लीजियेगा कि 50 साल तक आप नहीं आ सकते सेण्टर में, 50 साल तक बसपा नहीं आ सकती और यू0पी0ए0 की फिर से सरकार बनेगी हिन्दुस्तान में। मा0 अध्यक्ष जी, एक और बात, मुझको झूठ-वूठ बोलना आता नहीं है और मैं पठान का बच्चा हूँ तो मैं सच बात बोलूँगा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र स्याना में तीन रोडवेज की बसें चली हैं दिल्ली को तो मेरे पी0आर0ओ0 ने कहा कि विधायक जी मैं ऐसा करता हूँ कि एक लेटर बना करके राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह जी के नाम भेज देता हूँ तो मैंने कहा भइया नहीं चलेंगी। तुम लेटर भेज दोगे, मैं खुद पर्सनली जा करके दे दूँगा तो उन्होंने वह लेटर बाई पोस्ट भेज दिया। यकीन जानियेगा अध्यक्ष जी कि जो डग्गामार बस वाले थे, वे मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि विधायक जी ये क्या करवा दिया, हमारी बसें अब चल नहीं पा रही हैं, आपने रोडवेज की बसें चलवा दीं, चल गयी तो इसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सामने आजम खाँ साहब बैठे हुये हैं। जो सच बात है, मै इनके ऑफिस में जाता हूँ कुछ टाइप करवा के ले जाता हूँ। सारे जायज काम क्योंकि मैं कभी किसी नाजायज काम के बारे में सोच ही नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता हूँ तो आजम खाँ साहब खुद बोलते हैं कि हाँ भाई क्या काम लाये हो और अपनी कलम से बहुत कुछ लिखते हैं, हमारे काम होते हैं। हमारे राजा भैया हमारे जिले के प्रभारी हैं, मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्यायें हैं, उसका समाधान कर दीजियेगा। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ अध्यक्ष जी कि आज तक ऐसा पानी नहीं आया, जो अबकी बार आया है।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

स्याना क्षेत्र में जितने भी गाँव थे, जहाँ माइनर्स की सफाई नहीं हुयी थी, सबकी सफाई हुई है, उनकी सफाई नहीं हुयी थी, अबकी बार उनकी अच्छी तरह से सफाई हुयी है और काफी सही पानी आया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मा0 अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं। इसमें भी रक्षा कीजिये हमारी। एक पठान ने सच कह दिया और बराबर माथुर साहब मुड़-मुड़ कर उसको डाँट रहे हैं इस तरह से। अब देखिये सच बात तो सच ही है।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं इनको डाँट नहीं रहा हूँ। ये हमारे दोस्त इम्तियाज के बेटे हैं जो दो बार एम0एल0ए0 रहे इस विधान सभा में, उन्होंने रौनक बढ़ाई है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

उन्हें अपने क्षेत्र के काम कराने हैं। अब सच बोलेंगे तो वोट बढ़ेगा। अब आप की पार्टी के नाम से तो नहीं बढ़ा तो बच्चे को कहने दीजिए।

श्री दिलनवाज खान-

मा0 अध्यक्ष जी मेरा आपसे निवेदन यह है कि एक मांडू आश्रम है, गंगा जी के किनारे। मैंने बड़ी मेहनत की उसके लिए और मेरे पिताजी का भी सपना था कि वहाँ पर गंगा घाट बने, उसका प्रस्ताव यहाँ पर यू0पी0 सरकार के पास आया हुआ है। मेरी यह दरख्वॉस्त है कि उस प्रस्ताव को दिल्ली भिजवा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर तो चिड़िया बैठ जायेगी और मान्यवर, आप भी आइएगा मांडू आश्रम बहुत ही प्राचीन मंदिर है, गंगा जी के किनारे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

वहाँ चिड़िया नहीं बैठेगी, वहाँ चिड़िया पर चिरौटा बैठाना पड़ेगा।

श्री दिलनवाज खान-

मा0 अध्यक्ष जी मेरा निवेदन है कि औरंगाबाद से लेकर जहंगीराबाद की सड़क है उसका चौड़ीकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर गन्ना किसान ट्रक लेकर जाते हैं, और उस रोड पर काफी एक्सीडेंट होते हैं, मेरी यह दरख्वॉस्त है आपके माध्यम से सरकार से कि उस रोड का चौड़ीकरण हो जाए। मेरा एक और निवेदन यह है कि हमारे यहाँ काफी संख्या में भैसें हैं, हर गाँव

में और उनके लिए कोई पशु चिकित्सालय नहीं है। इसलिए वहाँ एक पशु चिकित्सालय भी खुलना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, हमारा फल पट्टी क्षेत्र वाला इलाका है, मेरी यह दरख्वॉस्त है कि वहाँ की जो मेन समस्याएँ हैं जैसे कि बिजली की समस्या। बिजली किसानों को ठीक तरह से मिल नहीं पाती। मान्यवर, बिजली की भी समस्या दूर करवा दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया।

श्री अमर पाल शर्मा-

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं गाजियाबाद की साहिबाबाद विधान सभा से चुनकर यहाँ आया हूँ और जो प्रदेश ही नहीं शायद देश की सबसे बड़ी विधान सभा है। एरिया के हिसाब से भी और वोटों के हिसाब से भी, करीब 7 लाख से ऊपर वोट हैं उसमें। मेरे से पहले मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हमारी पार्टी के नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने जितनी भी बातें कहीं, उनसे अपने का सम्बद्ध करते हुए मैं सिर्फ अपनी विधान सभा की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। चूँकि कुंभ की बात पर और बिजली की बात पर सभी लोग बोल ही रहे हैं, तो मेरे बोलने या न बोलने से मैं समझता हूँ शायद फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की तरफ हमारे मा0 मंत्री जी बैठे हैं, नगर विकास मंत्री जी उनका ध्यान दिलाना चाहूँगा। अभी जो हमारे साथी कांग्रेस से बोल रहे थे उनकी बात का भी मैं सबसे पहले जवाब देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि उनके लेटर पर काम क्यों हो जाता है उनके लेटर पर इसलिए काम हो जाता है क्योंकि हमारे गाजियाबाद के अंदर एक वसुन्धरा कालोनी है और हर कोई माननीय चाहता है कि हम वसुन्धरा और इन्द्रापुरम में जाकर बसें। गाजियाबाद में जाकर वहाँ बसें। गाजियाबाद जिला 6 हजार से लेकर 7 हजार करोड़ तक का रेवेन्यू हर साल देता है लेकिन जब विकास की बात आती है तो मैंने देखा उसको पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया है। निगलेक्ट ही नहीं किया गया एक इतना बड़ा दुर्भाग्य वहाँ की जनता का, मैं आपको बताना चाहूँगा, उस जनता के साथ एक इतना बड़ा धोखा हुआ कि सरकार प्रदेश में सपा की है और जो अधिकारी है, वह कांग्रेस के एक बहुत बड़े मंत्री के रिश्तेदार हैं। मैं यह बात ओपन सदन में कहना चाहता हूँ, जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है। वर्ष 1989 में वसुन्धरा योजना आई थी और इससे पहले मैं अपने सभी आदरणीय और मेरे माननीय सदस्यों से यह बात कहना चाहता हूँ अगर आप समझ सकें तो समझ लें कि हम पहली बार आए हैं। आप इस तरह किसी सदस्य को क्रेटेसाइज न करें।

मान्यवर, पहले क्या हुआ यह हमें नहीं पता है हम अबकी बार की बात कर रहे हैं। आप हमें सुनें यह निवेदन है। मान्यवर हमारे यहां 1989 में वसुन्धरा योजना बनी थी उसमें बिजली, पानी सड़क और स्कूल देने की बात कही गयी थी लेकिन वह सुविधाएं हमारे नागरिकों को नहीं मिली माननीय नगर विकास मंत्री जी से निवेदन है कि मान्यवर, हमारे यहां वसुन्धरा योजना में सेक्टर छः में पांच एकड़ में एक आदर्श पार्क स्थापित है वहां के नगर आयुक्त ने उस पार्क को अपने एक रिश्तेदार को साठ साल की लीज पर दे दिया है वह अधिकारी केन्द्र में एक मंत्री के रिश्तेदार हैं और

28 तारीख को रिटायर्ड हो रहे हैं। इसलिए वह जाते-जाते यह तोहफा अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं। अगर आपको जनता से प्यार है तो जनहित में इस लीज की कार्यवाही को रुकवाने का काम करें। यदि वहां पर यह लीज हो गयी तो फिर वहां क्लब बनेगा और शादी विवाह होंगे। ऐसे में जब वह पार्क नहीं रह जायेगा तो फिर जो वरिष्ठ नागरिक हैं और पढ़े लिखे लोग हैं वह उस पार्क में सुबह की सैर करने से वंचित हो जायेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह पार्क पहले भी कभी लीज पर दिया गया था क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यदि लीज समाप्त हो रही है तो उस लीज को बढ़ाया जाता है या लीज चेन्ज की जाती है तो आप अपने पत्र में पूरी बात लिख देंगे।

मान्यवर, वहां के लोगों ने मेरे से पत्र लिखवाकर डी0एम0 और कमिश्नर साहब को भेजा है और उसकी कापी आपके पास भी आई होगी। वह पार्क अब से पहले किसी को लीज पर नहीं दिया गया है। मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में नागरिकों को सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। माननीय नगर विकास मंत्री जी उसे उपलब्ध कराने के लिए वहां के नगर निगम के अधिकारियों को आदेश देने का कष्ट करें। मान्यवर, 2012 में यह सरकार बनी थी। सरकार बनने के बाद बारिश आई हम लोग कहते रहे कि बारिश से पहले नालों की सफाई करा दी जाए, अन्यथा नाले भर जायेंगे। लेकिन ऐसा कही नहीं हुआ। मान्यवर फिर बारिश आने वाली है इसलिए उन नालों की सफाई करा दी जाय तो अच्छा होगा ताकि बारिश का पानी सुचारु रूप से निकल जाये और नालों में भरने न पाये। मान्यवर, हमारे यहां शहरी क्षेत्र है और लोग बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं। वहां पर एक बड़ा नाला है जो तुलसी निकेतन से डी0एल0एफ0, पप्पू कालोनी, विक्रम इनक्लेव, शालीमार गार्डेन, जनकपुरी, शहीद नगर ब्रज बिहार से वैशाली तक जाकर वह नाला मिलता है। उस पर जगह-जगह अतिक्रमण है। वहां पर एक मुस्लिम परिवार का साढ़े तीन साल का बच्चा नाले में गिर गया और उसकी डेथ हो गयी। जे0बी0सी0 मशीन आई, छः घण्टे लगे तब जाकर उसकी बाडी निकली। मैंने नालों की सफाई के संबंध में 301 में एक सूचना भी आज दी है कि उनकी सफाई करा दी जाए। मान्यवर, उस नाले की जमीन को नगर निगम के लोगों ने होटल वालों और बिल्डर्स को दे दिया है जगह-जगह पर अतिक्रमण है और उन लोगों के नाले को सैकड़ों किलोमीटर तक ढाप दिया है उससे नाला रुक जाता है और पानी बैक मारकर वापिस पूरे क्षेत्र में भर जाता है। यह नाला उस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अहम है। उसकी सफाई कराई जाए और उस नाले को पक्का कराकर ढ़क दिया जाए। ताकि लोगों को असुविधा न हो। मान्यवर, हमारा क्षेत्र साहिबाबाद और दिल्ली आपस में मिले हुए हैं।

एन0सी0आर0 का पूरा क्षेत्र है। जिन लोगों ने वह नाले ढाप लिये हैं जब हम उनसे बात करते हैं, वह साहिबाबाद के अन्दर आता है नाला नगर निगम का है मैं यह भी अवगत करा दूं कि यह जो पार्क है यह भी नगर निगम का है। आवास विकास ने विकसित करके यह पार्क नगर निगम को दिया है मेन्टीनेन्स के लिये यह नहीं है कि आप लीज पर दे सकते हैं। नगर निगम किसी भी चीज को लीज पर नहीं दे सकता है उसको जो भी चीज दी जाती हैं वह मेन्टीनेन्स के लिये दी जाती

है डेवलप करके। इसी तरीके से यह नाले वगैरह जितने भी हैं यह नगर निगम के अन्तर्गत आते हैं क्योंकि यह सारी कालोनियां जी0डी0ए0 डेवलप करके नगर निगम के हैण्ड ओवर कर चुकी है। नगर निगम को डेली का गाजियाबाद का मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 से 25 लाख रुपये कर के नाम पर आता है। लेकिन सफाई के नाम पर वहां पर आदरणीय मंत्री जी 2-3 बार गये हैं इनको क्षेत्र में नहीं ले जाया गया क्योंकि उनको मालूम था कि अगर यह वहां जायेंगे तो निश्चित उनके साथ कुछ और ही होने वाला है। इनको बाहर-बाहर से घुमा दिया गया। वहां की स्थिति आप देखें कि पूरे सीवर ब्लाक पड़े हुये हैं, पूरे सीवर इतनी बुरी तरह से उबलते हैं कि वहां की जनता में, वहां के अखबार अगर आप पढ़ें गाजियाबाद का एक पेज पूरा समस्याओं भरा मिलेगा सारा का सारा। सबसे बड़ी दिक्कत अब यह है अगर माननीय मंत्री जी हमें आप ऐसे ही हाथ करे जायेंगे तो 11 महीने में कुछ होना तो चाहिये अब बचा ही कितना टाइम है। 11 महीने में तो कुछ दिखना चाहिये कम से कम दो ही नाले दिखने चाहिये एक ही नाला दिखना चाहिये, एक पार्क डेवलप दिखना चाहिये एक जगह ही कूड़ाघर बनना चाहिये कम से कम एक काम तो होना चाहिये फिर हम मानें कि यह सारी चीजे हैं और मैने अनुरोध किया कि हम अब आये हैं हमें जनता ने चुनकर भेजा है हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता की बात आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहें, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कहें उसको अगर हम ऐसे ही कह करके टालते रहेंगे कि सब आपके द्वारा, सब आपके द्वारा तो विकास होने का नाम नहीं लेगा। ऐसे कहते-कहते यह सारे 5 साल बीत जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में नगर निगम की, एल0एम0सी0 की बहुत सारी भूमि है कई सौ एकड़ भूमि जिस पर खुले आम अवैध रूप से भू-माफिया प्लाटिंग करके प्लाट काट रहे हैं, बेच रहे हैं क्या उनके खिलाफ भी सरकार कोई कार्यवाही करेगी। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जब वह अवैध कालोनियां वहां पर बस जायेंगी फिर आने वाले टाइम में विकास की दिक्कत होगी, विकास कैसे होगा, विकास होगा ही नहीं। कोई 10 फिट गहरे में मकान बना लिया किसी ने 20 फिट गहरे में मकान बना लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन अवैध कालोनी काटने वालों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। नगर निगम की जमीन जिन अधिकारियों ने बिल्डरों को बेची है, नाले जिन अधिकारियों ने बिल्डरों को बेचे हैं, होटल वालों को बेचे हैं वह नाले खुलवाने चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी के घर के सामने नाला आ रहा है तो वह अपने रास्ते के लिये स्लैप डाल सकता है लेकिन उसके बीच में भी लोहे की एक ऐसी पट्टी बनायेगा जिससे नाला साफ हो जाय लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं किया गया है। किलोमीटरों तक पूरे के पूरे नाले ढाप दिये गये अब जो पीछे 20 कालोनियों का पानी उसी में आना है मेन नाला वही है, 20 कालोनियों का पानी उसी में आना है वह आगे से बन्द है तो वह नाले सारा पानी वापिस बैक मारता हो। सारे क्षेत्र में पानी-पानी हो रहा है जिससे वहां की जनता को बहुत दिक्कत होती है दूसरा मान्यवर, हमारे ही क्षेत्र में जहां तक सड़कों की बात है अभी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यहां पर बैठे हैं इन्हीं के नेता मा0 अडवानी जी एक समारोह में गये थे उन्हें 3 कि0मी0 की सड़क पार करने में 5 घंटे लेगे अध्यक्ष महोदय, अभी आप गाजियाबाद होकर आये थे अगर थोड़े से आगे साहिबाबाद चले जाते तो आप खुद आदेश कर देते कि यह बहुत गलत हो रहा

है। सड़कों की इतनी बुरी हालत है वहां 5-5 घन्टे का जाम इसलिये लगता है क्योंकि जब गाड़ी गुजरती है तो उसका एक्सल टूट जाता है किसी का कुछ हो जाता है, वहां की स्थिति यह है कि 11 माह में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है और यह मैं सदन में कह रहा हूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सदन जो चाहे मेरे खिलाफ कार्यवाही करे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जितने भी कार्य वहां पर होते हैं क्योंकि वह सारा क्षेत्र जी0डी0ए0 का है, नगर निगम का है तो वहां किसी से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। जी0डी0ए0 को अपना काम करना चाहिये, नगर निगम को अपना काम करना चाहिये, उसमें किसी को कोई मतलब नहीं रहता है लेकिन वहां सारे काम ठप हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो उसमें एक द्वेष भावना है कि वहां से बसपा के विधायक हैं, कोई न कोई रीजन अवश्य है। तीसरा, उसी के साथ में एक खोड़ा कालोनी देश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, आप भी अवगत हैं उस चीज से। उसी ग्राम पंचायत में 94 हजार वोट हैं, एक ही ग्रम पंचायत में दो-दो जिला पंचायत हैं, एक ही ग्राम पंचायत में 16-16 बी0डी0सी0 हैं उस ग्राम पंचायत को बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 300 करोड़ का इसलिये पैकेज दिया था कि वहां कोई भी विकास नहीं था और इन सारी चीजों को देखकर बहन जी ने खुद संज्ञान में लेते हुये यह आदेश दिया था कि इस कालोनी का पूरी तरह समग्र विकास करा दिया जाये। सरकार आई, जो वहां कार्य हुये, वह कार्य बन्द कर दिये गये। यह जो कार्य बंद किये गये वह किस कारण किये गये, मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंजी जी से बात की, माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा कि वहां पर आप हमें गलियां दे दीजिये, जगह दे दी दीजिये, हम नहीं कर सकते, पहली भी तो सरकार काम कर रही थी। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर कुछ नहीं करा सकते तो बिजली का 80 प्रतिशत वहां पर काम हो चुका है और उससे आपको भी फायदा है कि बिजली की चोरी वहां पर रुक जायेगी, पूरे खम्भे वहां पर गड़ चुके हैं, 70 प्रतिशत में कम से कम पी0वी0सी0 की वायरिंग बिछ चुकी है, अगर बाकी 30 प्रतिशत को भी पूरा करा दिया जाये तो यह जनता के हित में होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसे खासकर आप अपने संज्ञान में लेकर जरूर करायें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद।

*श्री राम सरन-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रो0 शिवाकान्त ओझा जी द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देने के लिये आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है। जो भी वायदे किये गये थे उनको पूर्ण रूप से लागू करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे वह किसानों की समस्या हो, जहां तक मेरी जानकारी में है, किसानों के साथ में पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत ही छलावा करने का काम किया है। हम लोगों का जनपद लखीमपुर-खीरी है और मैं वहां की श्रीनगर विधान सभा से चुनकर आया हूं। यह गन्ना बाहुल्य जनपद है और बहुत से ऐसे छोटे-छोटे क्रेशर लगे हुय थे, जिनको पूर्ववर्ती सरकारों ने समाप्त

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने का काम किया है, उनको तुड़वाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय अपने शासनकाल में हमारे जनपद को चार-चार चीनी मिल देने का काम किया, यदि वह चार-चार चीनी मिल न होते तो पूरे सदन को मैं बताना चाहता हूं कि जो 60-65 प्रतिशत गन्ने की पेराई वहां क्रेशर द्वारा की जाती थी, जिनको तुड़वाने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है, तो किसानों की क्या हालत होती, इसके बारे में पूरा सदन अवगत होना चाहिये। यदि वह चार फैक्टरियां न लगी होतीं तो यही मिल मालिक अपने मनमाने दाम पर गन्ना खरीदने का काम करते। जिस तरीके से हमारे जनपद में मुलायम सिंह जी ने चार-चार मिल देने का काम किया है, इसी तरीके से पूरे प्रदेश में मिलें स्थापित करने का काम किया है और किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है इसलिये किसानों ने नेताजी के घोषणा-पत्र पर विश्वास करते हुये समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार देने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जनपद बहुत ही पिछड़ा हुआ जनपद है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आज तक किसी सरकार ने वहां पर कोई काम करने का मन नहीं बनाया लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार बनने पर सर्वप्रथम लखीमपुर खीरी को एक कृषि विश्वविद्यालय देने का काम किया है इसके लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, मैं उनको बधाई देता हूं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जनपद लखीमपुर खीरी को एक नई दिशा देने का काम किया है। दो-दो रोडें चौड़ीकरण करने के लिये पहले ही दौरे में घोषणा की गई थी वह भी कार्य जनपद में शुरू हो गया है। चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, जो पूर्व सरकार में, नेता जी की सरकार में देने का काम किया गया था उसे पूर्ववर्ती सरकार ने समाप्त करने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि जो सरकारें किसान विरोधी होती है, छात्रों की विरोधी होती हैं, नौजवानों की विरोधी होती हैं उसे जनता हटा देती है और आज इसी का परिणाम है कि पूर्ण बहुत से समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है।

श्री अध्यक्ष-

अगर क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहें तो कहें नहीं तो समय समाप्त हो गया है।

श्री राम सरन-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान जनपद लखीमपुर खीरी की ओर ले जाना चाहता हूं, बेलरायां, पनवारी राजमार्ग पर शारदा नदी के पचपेड़ी घाट पर बड़े पुल की आवश्यकता है, जो करीब-करीब दस लाख की आबादी को जोड़ने का काम करता है। दूसरा, शारदा नदी पर जनपद खीरी के बैलहा घाट व सिरसी घाट के मध्य बड़ा पुल बनाने की आवश्यकता है जिससे गोला-मालपुर को बम्हनपुर-निघासन से जोड़ा जा सके। तीसरा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां सात-आठ गांव ऐसे हैं जो जंगल के मध्य हैं एक साइड में नदी है और तीन साइड में जंगल है। वन विभाग के लोग उन गांवों के लोगों को निकलने के लिये रास्ता नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि ग्राम मरौचा से ग्राम किशुनपुर के मध्य शारदा नदी पर एक पैन्टून पुल बना दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इससे उन गांव के लोगों को यातायात का रास्ता मिल जायेगा। मान्यवर, यह बहुत ही जनहित वाली समस्याएं हैं, हमारे जनपद में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं और यह भी काम

प्रस्ताव में जोड़ दिये जायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सलिल विश्नोई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण किसी भी सरकार के काम-काज का आइना होता है। यह सरकार द्वारा प्रस्तुत ऐसा दस्तावेज होता है जो सरकार की दशा और दिशा दोनों को प्रदर्शित करता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस अभिभाषण में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो प्रदेश की जनता एक युवा मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करती है। पूरे अभिभाषण में कहीं भी प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिकीकरण और नौजवानों को रोजगार देने के बारे में कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो प्रदेश की जनता में खुशहाली ला सके। यह जो समस्त योजनाएं बनाई गई हैं वह समाजवादी पार्टी के नारे लक्ष्य 2014 को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। मतदाताओं को प्रलोभन देने का प्रयास किया गया है प्रदेश के विकास का इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। वैसे यह हर राजनैतिक दल की इच्छा होती है कि वह आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है कि इन नीतियों को लागू करने में प्रदेश का विकास और प्रदेश का सामाजिक सद्भाव न बिगड़ने पाये। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रथम भाग में कुम्भ की घटना का जिक्र आया है। उसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग कह चुके हैं, दुर्घटना कोई भी सरकार जानबूझ कर नहीं करती है किसी वजह से हो गई लेकिन यहां जिस तरह की नजीरें दी गईं वह बड़ी दु:खद रहीं। एक हमारे बहुत ही काबिल साथी कह रहे थे कि अगर 1992 की दुर्घटना हुई। अगर गुजरात में दंगे हुये, अगर कुम्भ में भी कुछ लोग मर गये तो क्या हुआ ? मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस तरह की नजीरें इस सदन में न दी जायं जिससे प्रदेश का सामाजिक सद्भाव न बिगड़ने पाये। नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे यह हमारी पार्टी को अपना ख्वाब देखने का अधिकार है, ख्वाब देखने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। किसी पर इस तरह का लांछन न लगाया जाए कि प्रदेश का सामाजिक सद्भाव बिगड़े। 11 महीने पूरे हो गये हैं, एक महीना बाकी है सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा करने में। प्रदेश के औद्योगिकीकरण की प्रगति शून्य रही है। सिर्फ आगरा पार्टनरशिप समिट कर लेने से प्रदेश में उद्योग नहीं आयेंगे। सरकार को अपने इस दिशा-निर्देश में बताना चाहिये था कि अब तक इन 11 महीनों में प्रदेश में कितना निवेश हुआ ? अगर इस तरह की बात होती तो हम लोगों को महसूस होता कि सरकार औद्योगिकीकरण और विकास की तरफ कुछ आगे बढ़ी है। अभी हमारे एक मित्र जोरदारी से कह रहे थे कि विधायक विकास निधि में 25 लाख रुपये आपदा, अग्निकाण्ड और बीमारी से पीड़ित लोगों में विधायक निधि में जोड़े गये हैं। मैं जहां तक जानता हूं, सत्तापक्ष के विधायकों की बात मैं नहीं करता हूं लेकिन इधर बैठे हुये किसी भी विधायक ने अभी उस 25 लाख रुपये की राशि का कोई उपयोग नहीं किया है क्योंकि जिलों में गाइड लाइन ही नहीं गयी है। जब तक जिले में धनराशि को खर्च करने की गाइड लाइन नहीं जायेगी तब तक हम उसको कैसे खर्च करेंगे ? परोक्ष रूप से

अधिकारियों को ही यह अधिकार दिया गया है कि विधायक की विकास निधि के नाम पर अधिकारी ही ओबलाइज कर सकेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी नगर विकास मंत्री भी हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में विशेष रूप से कानपुर महानगर में भू-गर्भ जलस्तर नीचे गिर जाने के कारण इस बार पानी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में यह समस्या आयी होगी और नगर विकास विभाग के द्वारा हैण्डपम्पों के रि-बोरिंग का काम बिल्कुल बंद है, नये सबमर्सिबल पम्प हम लोग लगवा नहीं सकते हैं क्योंकि कहा जाता है कि भू-गर्भ जलस्तर नीचे गिर रहा है इसलिये सबमर्सिबल पम्प आप लगवा नहीं सकते। नये हैण्डपम्प विधायक निधि से लगने नहीं दिये जा रहे हैं और सरकार की तरफ से रि-बोरिंग नहीं हो रही है। अभी जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिया गया है कि प्रदेश में 41 हजार हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने की योजना है। माननीय अध्यक्ष जी, अकेले 10,000 हैण्डपम्प तो हमारे कानपुर महानगर में ही रि-बोर होने को हैं। अगर 10,000 हैण्डपम्प हमारे कानपुर महानगर में अकेले हैं तो पूरे प्रदेश का क्या होगा ? माननीय अध्यक्ष जी, कानपुर महानगर इस प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, प्रदेश की प्रगति का पैमाना है लेकिन कानपुर में आज जिस तरह की विषम स्थितियां बनी हुई हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि पूरा कानपुर शहर चारों ओर से खुदा पड़ा है और कानपुर के बासिन्दे सिर्फ खुदा के भरोसे हैं। मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि 6 महीने पहले जो सड़कें सीवर की लाइनें डालने के लिये जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत खोदी गयी थीं फिर उनको बराबर करके मोटरेबुल बनाया गया, 6 महीने के बाद उन्हीं सड़कों को फिर पानी की लाइन डालने के लिये खोदा जा रहा है। एक ही सड़क को दो-दो बार खोदकर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अगर सरकार ने सतर्कता बरती होती तो सीवर लाइन के साथ पानी की लाइन भी डाली जा सकती थी और जो परेशानी इस समय आ रही है कि पानी की लाइन डालने में सीवर की लाइनें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और सीवर का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है तो वह अव्यवस्था भी नहीं होती और जनता को जो पिछले 8 महीनें से परेशानी हो रही है उससे निजात मिल जाती। इसलिये मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस धांधली को देखे, इसकी जांच कराये कि एक ही काम के लिये सड़कों को दो-दो बार क्यों खुदवाया जा रहा है और इससे ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। 6 महीनें पहले खुदी सड़क अभी बनवाई गयी, मोटरेबुल करायी गयी और बन करके तैयार नहीं हुई कि फिर सड़कें पानी की लाइन डालने के नाम पर खोद दी गयीं। मान्यवर, यह एक बहुत गम्भीर विषय है इसको देखा जाए। क्योंकि जो सीवर का पानी इस समय कानपुर में फैल रहा है उससे बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। चारों तरफ गन्दगी का वातावरण है और कानपुर शहर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बड़े-बड़े ओवरहेड टैंक और बन करके खड़े हुये हैं उनका गंगा बैराज के मेन लाइन से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और हैण्डपम्पों में पानी का स्तर नीचे गिर रहा है जिससे पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है अध्यक्ष जी जैसा कि आप सबको मालूम है कि कानपुर एक इण्डस्ट्रियल टाउन है। कानपुर की इण्डस्ट्री बिना बिजली के नहीं चल सकती है लेकिन कानपुर में बिजली सप्लाई की हालत इतनी नाजुक है कि इण्डस्ट्रियल एरिया में 10-10, 12-12 घंटे

बिजली की कटौती हो रही है। कानपुर जैसे महानगर का जब यह हाल है तो गांवों का क्या हाल होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि कानपुर की इण्डस्ट्री को विशेष रूप से बिजली की सप्लाई दी जाय। जिससे प्रदेश का औद्योगिक वातावरण बना रहे और जो यह मजदूरों के बेरोजगार होने की सम्भावना है उस सम्भावना को दूर किया जाय। कानपुर मेडिकल कालेज जो हैलट अस्पताल के नाम से जाना जाता है वह उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े क्षेत्र को मेडिकल सुविधायें देने का काम करता है। पहले सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से एक प्रस्ताव आया था कि कानपुर के मेडिकल कालेज को एम्स का स्वरूप दे दिया जाय लेकिन इधर कुछ राजनीतिक कारणों से कानपुर के मेडिकल कालेज को एम्स का स्वरूप देने की बात पीछे हो गयी और दूसरे जिले जो राजनीतिक रूप से ज्यादा मजबूत थे उन जिलों को एम्स को दिया जा रहा है जबकि उसकी उपयोगिता नहीं है क्योंकि एम्स की सुविधा ऐसी जगह पर होनी चाहिये जहां पर यातायात के चारों तरफ साधन हों सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, हवाई मार्ग से वह जगह जुड़ती हो जहां चारों तरफ से मरीज आ सकें अगर छोटे-छोटे जिलों में एम्स खोल देंगे तो विशेषज्ञ डाक्टर वहां रुकेंगे नहीं। महानगर में जब एम्स खोला जाएगा तो वहां डाक्टर भी आयेंगे विशेषज्ञ भी आएंगे और मरीजों को भी बहुत लाभ मिलेगा माननीय अध्यक्ष जी कानपुर की यातायात व्यवस्था इस समय बहुत ध्वस्त है। उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। कुछ महाना साहब ने कह लिया कुछ आपने कह लिया।

श्री सलिल विश्नोई-

माननीय अध्यक्ष जी मैं एक बजे से इंतजार कर रहा हूं। आज तो मेरे धैर्य की परीक्षा हो गयी पांच घन्टे बाद बोलने का मौका मिला तो जितना हमारे दूसरे साथी बोले उतना तो बोलने का मौका दीजिये कानपुर में बी0पी0एल0 कार्ड न बनने के कारण गरीब आदमी बहुत परेशान है इस सम्बन्ध में शासन को निर्देशित करिए कि बी0पी0एल0 कार्ड जो वास्तव में बहुत गरीब है उनके बी0पी0एल0 कार्ड बनने में कोई दिक्कत न आए। ब्रहमावर्त बिठूर कानपुर में एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है कि उसको अगर एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाय तो उससे बिठूर का भी विकास होगा और कानपुर का भी विकास होगा और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में हमारी सरकार समर्थ होगी। मैं एक बार पुनः कानपुर की बिजली, पानी और सड़क इन तीनों समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री प्रदीप चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी हमारा विधान सभा क्षेत्र गंगोह सहारनपुर पड़ता है यह बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित रहता है समय-समय पर वहां बाढ़ आती रहती है लेकिन अबकी बार हमें कुछ अधिक खतरा इसलिये महसूस हो रहा है क्योंकि जो यमुना

हमारे यहां से निकलती है उसके परली साइड में हरियाणा पड़ता है करनाल का क्षेत्र पड़ता है। वहां पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है और गुरुद्वारे के पास बहुत मजबूत ठोकरें वहां पर लगा दी गई हैं। वहां से जो पानी निकलता है तो पानी आते हुये उसकी धारा चेंज हो गई है और हमारे क्षेत्र के गांव सनौली, किसनपुरा, तलहड़ी, नाईमाजरा, हलवाना इन गांवों के अधिक प्रभाविक होने की आशंका बनी हुई है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर मजबूत ठोकरें बनवाने का काम कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में कुछ बाढ़ से निजात मिल पाएगी। इसके साथ ही साथ बिजली की समस्या है जिसको बहुत सारे साथियों ने रखा है लेकिन बिजली की मूल समस्या हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं मिल पा रही है। कम से कम 18 से 20 घण्टे की व्यवस्था क्षेत्र के लिये की जाय और जो निचला स्तर हमारे यहां संविदा कर्मी काम करते हैं वह बिजली की चोरी रोकने में इसलिये मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनको जो तनख्वाह तय की जा रही है वह समय पर नहीं मिल पा रही है वह रोज धरना प्रदर्शन करते हैं चार पाँच दिन पहले भी उन लोगों ने धरना दिया हुआ था उन लोगों के बीच जाकर उनको आश्वस्त कराया गया तब वह आश्वस्त हुये कि शायद अब हमारा पैसा मिल जाएगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि संविदा कर्मियों पर विशेष ध्यान दिया जाय और उनकी तनख्वाह समय-समय पर देने का काम कर किया जाय। इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था की बात हमारे साथियों ने कही है और कानून-व्यवस्था के बारे में मैं केवल, इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस का ही एक क्षेत्र नकुड़ विधान सभा पड़ता है, वहां का गांव सल्लाहपुर एक बहुत बड़ा गांव है। वहां के प्रधान जनक सिंह की पिछले कुछ दिनों पूर्व बदमाशों ने हत्या कर दी और हत्या सुबह 6 बजे की और इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई कि गोली मार करके उनको इस तरीके से डालकर गये। कई गोलियां उनको मारी गईं। लेकिन 03-01-2013 का यह वाकिया है और अभी तक एक परिन्दे तक को नहीं पकड़ा गया है। ऐसी स्थिति बनती जा रही है। हमारा यह अनुरोध है कि ऐसी गम्भीर घटना पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

यह घटना किस तारीख की है ?

श्री प्रदीप चौधरी-

मान्यवर, 03-01-2013 की है। लेकिन अभी तक इंच भर भी कोई कार्यवाही उसमें नहीं की गई है। न कोई बदमाश उसमें पकड़ा गया है। इसलिये आपसे अनुरोध यह करना चाहता हूं। तीसरी बात मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी यह कहना चाहता हूं कि गुर्जर जाति को अब से कुछ दिनों पहले लगभग 26-03-1962 का एक जी0ओ0 जारी हुआ था जिसमें 148बी0 XXVI-700(5) 1969 के तहत शासनादेश संख्या है। इसमें विमुक्त जाति का दर्जा दिया जाता रहा है और उसका लाभ भी मिलता रहा है। उनके प्रमाण-पत्र भी जारी होते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह जो पहाड़ पर रहते हैं या जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में रहते हैं। पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिये होगा।

श्री प्रदीप चौधरी-

जी हां वहीं-वहीं। अभी कुछ दिनों पहले एक सम्मेलन नोएडा के अन्दर हुआ था हाजीपुर में। आदरणीय हमारे पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर शिवपाल यादव जी भी उसमें गये थे। उन्होंने वहां पर घोषणा भी की थी, उसका बहुत सारा बना हुआ रिकार्ड मेरे पास है। आप कहो तो आपको उपलब्ध करा दूं। आपसे अनुरोध है कि बिना किसी शासनादेश के वह मौखिक रूप से उनके प्रमाण-पत्र जारी करने बन्द कर दिये गये। आपसे अनुरोध है कि इसमें हस्तक्षेप करते हुये उन प्रमाण-पत्रों को जारी कराने का आदेश जारी करा दिया जाय। इसके साथ-साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

*श्री गजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बार-बार धन्यवाद करता हूं। मैं छोटी काशी अनूपशहर से चुनकर आता हूं जहां हरिद्वार के बाद में गंगा बीच शहर में से होकर गुजरती हैं, जिसे छोटी काशी के नाम जाना जाता है और पर्यटन के स्तर पर भी अनूपशहर की एक पहचान है क्योंकि वहां पर जो ऐतिहासिक जगहें हैं उनमें मांडुघाट, सिद्धबाबा मंदिर, आहार अम्बकेश्वर, अवन्तिका देवी मंदिर, बाबा खड़ग सिंह गुरुद्वारा कर्ण सिंह और साख्नी। चाहे वो हिन्दुओं से जुड़े हुये हों चाहे मुस्लिमों से जुड़े हुये हों, चाहे सिक्खों से जुड़े हों सभी धर्मों से जुड़े सभी के ऐतिहासिक स्थलों के पुराने अस्तित्व वहां पर हैं। वहां पर आहार पर पैन्टून पुल पड़ा हुआ है और आने-जाने में जो हमारे लोग पार जाते हैं कभी-कभी। पिछली बार हुआ था कि पैन्टून पुल फट जाने से वहां पर दुर्घटना होने से बची थी तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आहार पर पैन्टून पुल की जगह एक पक्का पुल का निर्माण करा दिया जाय। और जहां आहार अम्बकेश्वर और जहां कांवर चढ़ाने के लिये कांवर के दिनों में लाखों श्रद्धालु इक्ट्ठा होते हैं वहीं पर आहार में बाबा खड़ग सिंह का एक मेला लगता है। पंजाबियों का सबसे बड़ा मेला पंजाब के बाद आहार में लगता है। यहां पर भी लाखों सिक्ख अपने धर्म के अनुसार अनुष्ठान करने आते हैं। वहां पर अवन्तिका देवी मन्दिर है। यह वहां पर ऐतिहासिक ऐसी जगह है जहां वर्ष में दो बार कांवर का मेला लगता है, और वर्ष में एक बार बाबा खड़ग सिंह के उस पर और वर्ष में दो बार नवरात्रि के आयोजन होते हैं जहां पर लाखों-लाखों श्रद्धालु इक्ट्ठा होते हैं। वहां पर अगर पक्का पुल बन जायेगा तो लाखों श्रद्धालु जो पूरे प्रदेश से नहीं पूरे देश से वहां गंगा स्नान करते हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। जहांगीराबाद से आहार जिसकी लम्बाई सड़क की लगभग 12 किमी0 है अगर उसका निर्माण भी हो जायेगा तो आने वाले लोगों को सुगमता होगी। इसी के साथ-साथ जहांगीराबाद से औरंगाबाद रोड 14 किलोमीटर दूर पड़ती है। उसका निर्माण हो जायेगा तो आने-जाने वालों को सुविधा होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि देहातों में बिजली कर्मचारी गांव में बिजली कनेक्शन की जांच के बहाने जाते हैं और कहीं अगर बत्ती जली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिल जाती है तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करने की बात कहकर, इसके बदले में दो-दो चार-चार हजार रुपये लेते हैं। अगर वह रुपया नहीं देते हैं तो मुकदमा कायम करके उनको जेल भिजवाने का काम करते हैं। मान्यवर, इसी तरह से अगर किसानों के बिल किसी कारण से जमा नहीं हो पाते हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमा कायम हो जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि ऐसे किसान जो कभी अपना गन्ना डाल रहे हैं उनका पेमेन्ट नहीं हो पाता है कभी बरसात की मार से फसल मर जाती है ऐसे में उनको सरकार का संरक्षण मिलना चाहिए और जो अधिकारी, कर्मचारी किसानों पर मुकदमें कायम कर रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा सरकार से कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो योजना चला रखी है लोहिया ग्राम विकास योजना और जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर जो योजना चला रखी है उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ ग्राम जो माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से चयनित होकर गये थे लेकिन किसी भी गाँव में उनके आदेशों के बाद न कोई आंगणन मंगवाया गया और न किसी गाँव में कोई विकास हुआ और सारे के सारे गाँव ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं और यहां से लोहिया ग्राम के स्थान पर जनेश्वर मिश्र को शामिल कर दिया जाए क्योंकि जनेश्वर मिश्र योजना में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। इन गाँवों में मान्यवर, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है-भीकनपुर, पोथ, जनौरा, नौवतपुर, बालका, सुरजावली, औरंगपुर, माहसन व बकौरा, बादशाहपुर महेशपुर, पसौली, रहीमपुर अलावा, खेड़ी व बौन्दरा, आलमगीरपुर नैनसुख, अड़ौली, बंगला पूठरी, मानकपुर, उटरावली व मिल्क मोहसनगढ़, शाहपुर, रशीदपुर, सदरपुर, सन्नौट व सलैमगढ़, खनोदा, पवसरा, मानपुर, बिसून्धरा व लोहरका, मौहरसा, बामनपुर।

श्री अध्यक्ष-

कितने नाम बता रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह-

खालकपुर, मौहम्मदपुर बांगर व हसनपुर बांगर, औरंगपुर मीरपुर, जमनाखेर, अकबराबाद कूडा, जौठ, मिर्जापुर अगरपुर, हजसर, कुदैना, माधोगढ़ ककरई व मुबारिकपुर, पूठा, दौलताबाद, रामगढ़, लखावटी, मूढ़ी बकापुर एवं मौहम्मदपुर पनाहपुर सैगली, हजरतपुर, समसपुर, कलौली, दोहली, पौण्डरी, जुलेपुरा, कुच्छेजा सहकारी नगर, सिरौरा, पचदेवरा, शिकोई, मौजपुर, पहाड़पुर व आजमपुर तोरई, शेरपुर बांगर, फतहपुर, रुढबांगर, राजपुर व बेगमपुर उर्फ जयरामपुर, मुरसाना, किशनपुर, शिवाली, आलमगीरपुर धनौरा व फरहादपुर सीकरी, जटवाई, गहना गोवर्धपुर, खिजराबाद, गुचावली व जहांगीराबाद, बच्चीखेड़ा बांगर, नेतानगर, सलामतपुर, अमेठा, गरहरा व अनीवास, बिहरा, पिपाला इखलासपुर, भड़ोरिया, ख्वाजपुर असरफपुर व नगला जीत उर्फ जिताका मुकतेशरा, तीजडी, नवीनगर, डबकौरा, मानककौरा, रौंडा, बदरखा व शेखूपुर रौरा, पारली, अमरपुर, खनौदा, नगला नलू, पोटा बादशाहपुर, बडपुरा, बुढ़ाना, मैथना, भिरौली, आंजनी, खनपुरा, जुगसना खुर्द व जुगसाना, दुगरऊ, पगौना, करनपुर कलां, अनूपशहर, लच्छमपुर व अचलपुर, बनवारीपुर, सिहाली नागर, दरावर, रजापुर व मूबारिकपुर बांगर, मलकपुर, शाहजहांपुर, सुनाना, सुनाई, हिरावटी व डूंगरा जोगी, चचरई, प्रेमनगर, भईयापुर, जमराऊ टिटौटा भौपुर व विधिपुर, पालीलेखपुर, भावसी, औरंगाबाद, चरौरा मुस्तफाबाद व

नगला करन, मैथना जगतपुर, जहरा, सैमली, जीवत, सराय छबीला, इस्माइला व सैदपुरा, कारौंजी, खदाना, गोधना, रुठा जलीलपुर व गंगावास पहाड़ा, जटपुरा, लछोई, डरौरा, करनपुर, बिचौला व तौली, सलगवां, दवकरन उर्फ बझेड़ा बिरौली, श्यौरामपुर, जिलाई व रौरा इन सभी गाँव के चयन के लिये यहाँ से आदेश होकर गये लेकिन जिले पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी-

श्री अध्यक्ष-

जल्दी खत्म कर दो।

श्री गजेन्द्र सिंह-

इसी तरह से मान्यवर, अनूपशहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। वहां पर प्रत्येक दिन धार्मिक आयोजन होते हैं। वहां यू0पी0 ही नहीं देश के कोने-कोने से लोग धार्मिक आयोजन करने के लिए आते हैं। गंगा पर अनुष्ठान करने जाते हैं। मेरे यहां जहांगीराबाद, अनूपशहर औरंगाबाद में विद्युत की आपूर्ति डबल रहती थी। लेकिन अब वहां सिंगल विद्युत आपूर्ति होने से वहां जो गंगा नहाने लोग जाते हैं वह डूब जाते हैं। तो गंगा के किनारे कटान पड़ जाता है और गहरी खाई हो जाती है। तो उससे वहाँ पर दुर्घटनाएँ होकर लोगों की मौत हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि मेरे तीनों शहरों में पूर्व की भाँति विद्युत आपूर्ति दिलायी जाए जिससे वहाँ पर पूरे देश से धार्मिक आयोजन के लिए आते हैं, वह डूबने से बच जायें, किसी की मौत न हो। अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ के कुछ गाँव विद्युत प्लान में आए थे जिसमें से कुछ गाँवों का विद्युतीकरण हुआ था और कुछ में काम रह गया था तो जिनमें काम रह गया है, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि वह वहाँ विद्युतीकरण का काम पूरा करायें, जिससे वहाँ की जनता को लाभ मिल सके। मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ और प्रतिपक्ष के नेता, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को इसमें जोड़ने का आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में जगनेर कस्बे से लेकर बसेड़ी मार्ग जो राजस्थान बार्डर तक जाता है, काफी क्षतिग्रस्त है, वह केवल गड्ढायुक्त ही नहीं है, उसके गड्ढे तालाब जैसे हो गये हैं। मान्यवर, अभी 2 दिन पहले मैने नियम-301 में आपको एक सूचना दी थी। मान्यवर, इसी प्रकार मेरे यहाँ की जो दूसरी सड़क है, तातपुर कोट मार्ग से बसई जगनेर तक, वह भी काफी क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई है, वहाँ सड़क नाम की कोई चीज नहीं बची है। इसी प्रकार से तीसरा मार्ग है-सीएटी मार्ग से डाड़ा होते हुए मिर्जपुरा तक, इन तीनों सड़कों की बहुत जर्जर स्थिति है। माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ यह स्थिति है, आए दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। पिछली बार बसेड़ी रोड पर एक बच्चों की एक वैन जो जा रही थी, गड्ढों में पलट गयी, उसमें काफी बच्चे घायल हुए और वहाँ पर 15 फरवरी से लोग अनशन पर बैठे हुए

हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षिक करना चाहूँगा कि वह इन सड़कों की मरम्मत कराने के लिए इसमें जोड़ने का काम करें। साथ ही जैसी सरकार की घोषणा है कि जो गाँव अभी लिंक नहीं हुए हैं, उन गाँवों को जोड़ने का काम किया जायेगा। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र के खेरागढ़ ब्लाक में तुस्सी की गढ़ी और सैंया ब्लाक में रामपाल का पुरा, यह दो गाँव ऐसे हैं, जिसमें कोई भी साधन उस गाँव तक पहुँचने का नहीं है। तुस्सी की गढ़ी गाँव ऐसा है, जो चारों ओर से नदी के पानी से घिरा हुआ है। अगर किसी महिला को डिलेवरी हो तो वह अस्पताल जाने के लिए सक्षम नहीं है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इन गांवों को मुख्य सड़क से जुड़वाने का आग्रह करता हूँ। साथ ही साथ एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ जगनेर क्षेत्र की है, वहाँ जंगली गायें पैदा हो गयी हैं। जंगली गायों से मेरा मतलब वन गायों से नहीं है, जो पालतू गायें हैं, जिनको लोग छोड़ देते हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा हो गयी है। यह 8-10 हजार की संख्या में झुंड बनाकर रहती हैं, उससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है। इसमें माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे वहाँ के किसानों को बर्बादी से रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, एक और समस्या है, मेरे यहाँ जो जगनेर विकास खण्ड है, वहाँ ग्वाल बाबा का बहुत ऐतिहासिक मेला लगता है। मैं चाहूँगा कि ग्वाल बाबा के मेले को पर्यटन स्थल घोषित करके उसका विकास किया जाए। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, जैसा हमारे साथी अभी शिक्षा की बात कह रहे थे, यहाँ पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, जो शिक्षा देने वाले गुरू हैं, अगर उनका ही ध्यान नहीं रखा जायेगा तो शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा पिछली बार जो महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण था, उसमें उत्तर प्रदेश के अन्दर जो वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय हैं, इनकी संख्या लगभग साढ़े चौदह हजार है। उनको एक निश्चित वेतनमान देने की सरकार द्वारा घोषणा की गयी थी, लेकिन अध्यक्ष जी, आज तक उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और इस बार उसका इसमें कोई जिक्र ही नहीं किया गया है कि वह एक निश्चित वेतनमान देंगे या नहीं देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस बात को भी इसमें जोड़ा जाए। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और कहनी है। मान्यवर, हमारे यहाँ सैंया ब्लाक में एक बी0टी0सी0 कालेज चलता था। नेशनल ग्वालियर रोड पर स्थित है। वह काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है और उसकी बिल्डिंग को लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। उसके जंगले, चौखटें लोग उखाड़ ले गये हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह भी प्रस्ताव में जोड़ लिया जाये कि वहाँ पर उस बिल्डिंग में कन्या महाविद्यालय खोल दिया जाये। वहाँ पर बिल्डिंग है, केवल मान्यता देने का काम करना है। इससे उस क्षेत्र की कन्याओं का काफी भला होगा। इससे वह उच्च शिक्षा को उसी क्षेत्र में प्राप्त कर सकेंगी। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब चर्चा बंद करते हैं, कल चर्चा जारी रहेगी। अब नियम-51 लेते हैं।

[6.05] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 21 फरवरी, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 54 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद स्थित फाफामऊ बाजार की सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत की जिला पंचायत में कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना श्री बब्बन की जनपद चन्दौली में वित्तीय वर्ष 2012 में विकास के लिये अवमुक्त धनराशि का कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जनपद मेरठ में जर्जर एवं गढ्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पांचवीं सूचना श्री पंकज मलिक की जनपद-शामली के कतिपय क्षेत्रों में फुँके हुए ट्रान्सफार्मर को बदलाए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद-सीतापुर में चिकित्सकों की तैनाती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों में बैंकिंग लाइसेंस लेना अनिवार्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद कुशीनगर के पड़रौना क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

नवीं सूचना ठा0 दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी स्थल पर दुकानों के निर्माण में हुई धांधली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के तिलहर में वर्ष 2012-13 में गन्ना क्रय केन्द्रों पर मनमानी किये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई की जाती है।

ग्यारहवीं सूचना श्री छोटेलाल वर्मा की आगरा के विधान सभा फतेहाबाद बाईपास के अन्तर्गत निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहीत किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

बारहवीं सूचना श्री सुरेश खन्ना की जनपद शाहजहाँपुर में महिला आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को सेवा में वापस लिये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तेरहवीं सूचना श्री कुँवर भारतेन्दु सिंह की मेरठ विकास प्राधिकरण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कालोनाईजर, बिल्डरों से मिलकर बड़े पैमाने में घोटाले किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौदहवीं सूचना श्री अरूण वर्मा की जनपद सुल्तानपुर में निर्माणाधीन तहसील जयसिंहपुर की अवशेष धनराशि को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद कानपुर नगर के कैंट क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित कतिपय कालोनियों के सीवरों की सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सोलहवीं सूचना श्री दलजीत सिंह की जनपद बाँदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के किसानों को नलकूप संचालन हेतु बिजली कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

सत्रहवीं सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद औद्योगिक क्षेत्र में मै0 मौरी यीस्ट लि0 तथा अन्य उद्योगों द्वारा ड्रेन में प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अट्ठारहवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भईया की जनपद लखीमपुर खीरी विकास खण्ड धौरहरा से ग्राम अमेटी होते हुए रेहुआ के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उन्नीसवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जनपद जौनपुर के सई नदी के बेलवार घाट के निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं :-

1. श्री भगवान सिंह कुशवाहा,
2. श्री गुटियारी लाल दुबेश,
3. श्री धर्मपाल सिंह,
4. श्री सतीश महाना,
5. श्री कालीचरन सुमन,
6. श्री दीपक पटेल,
7. श्री फेरनलाल अहिरवार,
8. श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत,
9. श्री राकेश बाबू,
10. श्री अजय मिश्र 'टेनी',

11. श्री रविन्द्र भड़ाना,
12. श्री गेंदालाल चौधरी,
13. श्री रवीन्द्र जायसवाल,
14. श्री संत प्रसाद,
15. श्री राजनारायण बुधौलिया,
16. श्री मुकेश श्रीवास्तव,
17. श्री पं0 अमरपाल शर्मा,
18. डा0 पूर्णमासी देहाती,
19. श्री गोरख पासवान,
20. श्री सलिल विश्नोई,
21. श्री सुदेश शर्मा,
22. श्री दिलनवाज खाँ,
23. श्री मदन चौहान,
24. डॉ0 धर्म सिंह सैनी,
25. श्री राजबली जैसल,
26. डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द,
27. श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
28. श्री सिबगतुल्ला अंसारी,
29. श्री भीम प्रसाद सोनकर,
30. श्री प्रभू दयाल बाल्मीकी,
31. श्री जियाउद्दीन रिजवी,
32. श्री सुरेश बंसल,
33. श्री प्रदीप माथुर,
34. श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट',
35. ठा0 दलवीर सिंह,
36. श्री प्रमोद तिवारी तथा
37. श्री बृजेश कुमार।

(मा0 सदस्य श्री राजबली जैसल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपने क्या दिया था ?

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इनकी सूचना को वक्तव्य हेतु स्वीकृत करने का अनुरोध किया था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मा0 सदस्य राजबली जैसल की सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, नुमाइश इस वक्त चल रही है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आज 51 हो गई है, कल हम कर देंगे।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, आज बहुत जरूरी है, हमारे विधायक भी बैठे हैं अलीगढ़ के, यह नुमाइश हमारी चली जायेगी फिर।

श्री अध्यक्ष-

क्या करना है, यह तो बताइये।

श्री दलवीर सिंह-

ऐसा है, एक नचकइया को बुलाने के लिए, 21 लाख रुपये का आफर हुआ।

श्री अध्यक्ष-

नचकइया मतलब नाचवाली को ?

श्री दलवीर सिंह-

अरे वह कौन होता है।

श्री अध्यक्ष-

आपको यह भी नहीं पता ?

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, एक जो ऐक्टर था, उसे 28 लाख रुपये दिया गया, भारी घपला हुआ। नियम-51 में हमारा निवेदन स्वीकार कर लें, यह बहुत जरूरी है, नहीं तो यह नुमाइश खत्म हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आप कल इसको नियम-56 में दे दीजिएगा। तुरन्त हो जायेगा।

ठा0 दलवीर सिंह-

मान्यवर, हम चाहते थे, वहां से सूचना आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप कल दीजिएगा, कल सूचना आ जायेगी।

ठा0 दलवीर सिंह-

मान्यवर, नियम-56 में हमने कल और भी दिये हैं, इसलिए हमारा निवेदन है कि इसको आज ही वक्तव्य हेतु स्वीकृत कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम उठते हैं, कल पूर्वान्ह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपदेशन 6 बजकर 11 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक : 21 फरवरी, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 27 विधान सभा (59)-31-05-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।